रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265610
CG-DL-E-22082025-265610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 17, 2025/श्रावण 26, 1947
No. 215] NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 17, 2025/SHRAVANA 26, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी-ओआई-30/2023

विषय: चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीविनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं.6/33/2023-डीजीटीआर.–समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली 1995" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. केमप्लास्ट कुड्डालोर प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीविनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/33/2023-डीजीटीआर दिनांक 26 मार्च 2024 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच शुरु की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

   क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार करारों के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

   ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 मार्च 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

   ग. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार देने का अनुरोध किया।

   घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

   ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के विवरण के साथ, उन्हें भी भेजी गई।

   च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

      1. चाइना हाओहुआ केमिकल (ग्रुप) कॉर्पोरेशन
      2. चिपिंग शिनफा पीवीसी कंपनी लिमिटेड
      3. फार्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

4. हुबेईन यिनहुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
5. इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
6. इनर मंगोलिया सानलियान केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. जेएम ईगल कॉर्पोरेशन
8. जेएनसी कॉर्पोरेशन
9. कनेका कॉर्पोरेशन
10. किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
11. एलजी डागु केमिकल कंपनी लिमिटेड
12. मेगा कंपाउंड कंपनी लिमिटेड
13. निंग्ज़िया जिनयुयुआन एनर्जी केमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड
14. निंग्ज़िया यिंगलाइट केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
15. ओशन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड
16. ऑर्डोस ज़ुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
17. ऑक्सी विनाइल एलपी
18. ऑक्सीकेम
19. क़िंगदाओ हैजिंग केमिकल (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
20. क़िंगदोआ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
21. एसएआर ओवरसीज़ लिमिटेड
22. एससीजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
23. शेडोंग हैहुआ क्लोर-अल्कली रेजिन कंपनी लिमिटेड
24. शेडोंग शिनफ़ा आयात और निर्यात कंपनी
25. शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
26. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड
27. शिनटेक इंक.
28. सिनोपेक ग्रुप
29. सिनोपेक किलु कंपनी
30. सूज़ौ हुआसु प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड
31. तियानजिन दागू केमिकल कंपनी लिमिटेड
32. तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी
33. विसोलिट
34. वियंथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड
35. वेस्टलेक यूएसए इंक.
36. झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड
37. झिंजियांग शिहेज़ी झोंगफा केमिकल कंपनी लिमिटेड
38. झिंजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लिमिटेड
39. यिबिन तियानयुआन ग्रुप लिमिटेड
40. यिचांग यिहुआ पैसिफिक कोजेन कंपनी लिमिटेड
41. झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लिमिटेड

छ. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

1. एजीसी विनीथाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी
2. कैन्को मार्केटिंग
3. सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन
4. केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड
5. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
6. चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
7. चाइना साल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
8. चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
9. चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड
10. सीएनएसआईजी जिलांताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
11. कॉसमॉस वू लिमिटेड
12. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
13. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
14. जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी लिमिटेड
15. ग्रैंड डिग्निटी फॉर वानहुआ
16. ग्रैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
17. गुआंग्शी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
18. हानवा कॉर्पोरेशन
19. हेनान पुलिते आयात और निर्यात व्यापार कंपनी लिमिटेड
20. इनर मंगोलिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
21. इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
22. इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
23. आईटीओचू (थाईलैंड) लिमिटेड
24. आईटीओचू कॉर्पोरेशन
25. इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
26. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
27. जियाली बायो ग्रुप (किंगदाओ) लिमिटेड
28. जोक इंटरनेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
29. कनेका कॉर्पोरेशन
30. कनेमात्सु कॉर्पोरेशन
31. एलजी केम लिमिटेड
32. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
33. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
34. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड
35. ऑर्डोस जुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
36. पीटी असाहिमास केमिकल

37. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड
38. क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
39. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
40. शानक्सी बेयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी
41. शेडोंग शिनफा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
42. शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
43. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड
44. सिमोसा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
45. सोजित्ज़ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
46. स्टेवियन केमिकल जेएससी
47. सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
48. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन
49. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
50. थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी
51. थाई पॉलीइथाइलीन कंपनी लिमिटेड
52. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट्स
53. तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी लिमिटेड
54. तोकुयामा कॉर्पोरेशन
55. तोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड
56. तोसोह निक्केमी कॉर्पोरेशन
57. टीएस कॉर्पोरेशन
58. तुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
59. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड
60. वानहुआ केमिकल (फ़ुज़ियान) कंपनी लिमिटेड
61. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
62. वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड
63. झिंजियांग शैंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड
64. झिंजियांग झोंगताई आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
65. यिबिन हैफेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड
66. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
67. यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड
68. यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
69. झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (हांगकांग) लिमिटेड

ज. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और दावा किया है कि उसे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करने वाला माना जाना चाहिए। चीन के किसी अन्य उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी।

1. आसू केम्पोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
2. एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड
3. आदित्य इंडस्ट्रीज
4. अमीषा विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. अपोलो पाइप्स लिमिटेड
6. एसोसिएटेड कैप्सूल्स लिमिटेड
7. एवीआई ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
8. एवन प्लास्टिक्स ग्रुप
9. कैप्रिहैंस इंडिया लिमिटेड
10. चैतन्य इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
11. कूलडेक एक्वा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12. कॉसमॉस कॉर्पोरेशन
13. डी.आर. पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
14. डीलक्स करण इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
15. धाब्रिया एग्लोमेरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
16. डायमंड पाइप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
17. ड्यूट्रॉन प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
18. फाइन फ्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
19. गोल्डन ग्रुप
20. हैवेल्स इंडिया
21. इनकॉम केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
22. जैन इरिगेशन सिस्टम्स
23. ज्वेल पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
24. जेपी ग्रुप
25. कल्पना इंडस्ट्रीज
26. किसान ग्रुप टेक्स
27. केएलजे ग्रुप
28. कृष्णा विनाइल्स ग्रुप
29. कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
30. केएस प्लास्टिक्स
31. मनीष पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
32. मैक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
33. मेघा इंडस्ट्रीज
34. एमएम प्लास्टिक्स
35. नौवेल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
36. ओमेगा प्लास्टो लिमिटेड

37. ओरिप्लास्ट लिमिटेड
38. ओसवाल केबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
39. ऑक्साइड केमिकल्स एंड पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
40. पार पेट्रोकेम लिमिटेड
41. पॉली एक्सट्रूज़न्स प्राइवेट लिमिटेड
42. पॉलीकैब केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
43. प्रकाश इंडस्ट्रीज
44. प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड
45. प्रिंफंट क्राफ्ट्स
46. प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड
47. आर.एस. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
48. रॉयल कुशन विनाइल प्रोडक्ट लिमिटेड
49. सैम पॉलिमर्स
50. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
51. सांखला इंडस्ट्रीज
52. शालीमार रेक्सिन इंडिया लिमिटेड
53. शांतिलाल महेंद्र कुमार
54. सिग्नेट ओवरसीज लिमिटेड
55. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
56. सुधाकर ग्रुप
57. सुप्रीम इंडस्ट्रीज
58. सुरेंद्र कमर्शियल
59. तिरुपति ग्रुप
60. वर्षा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
61. वीके पॉलीकोट्स लिमिटेड

ञ. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा जारी आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जाँच में भाग लिया है।

1. एल्स्टोन ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. अस्मा ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3. अटलांटिक पॉलिमर्स यूनिट-II प्राइवेट लिमिटेड
4. कैप्रिहंस इंडिया लिमिटेड
5. प्रविता पॉलिमर्स
6. पूर्वांचल कम्पोजिट पैनल (I) प्राइवेट लिमिटेड
7. शिव इंडस्ट्रीज
8. सुशीला परमार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
9. टेरा पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
10. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

11. यमुना इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

1. घरेलू उद्योग
2. एजीसी विनयथाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी
3. अलस्टोन ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4. अस्मा ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
5. अटलांटिक पॉलिमर्स यूनिट-II प्राइवेट लिमिटेड
6. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
7. चाइना साल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
8. सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
9. जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी लिमिटेड
10. हनवा कॉर्पोरेशन
11. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
12. कनेका कॉर्पोरेशन
13. कनेमात्सु कॉर्पोरेशन
14. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
15. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
16. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड
17. प्रबिता पॉलिमर्स
18. पीटी. असाहिमास केमिकल
19. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड
20. पूर्वांचल कम्पोजिट पैनल (आई) प्राइवेट लिमिटेड
21. क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
22. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
23. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड
24. शिव इंडस्ट्रीज
25. सोजित्ज़ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
26. स्टेवियन केमिकल जेएससी
27. सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
28. सुशीला परमार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
29. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन
30. टेरा पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
31. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
32. थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी
33. थाई पॉलीइथिलीन कंपनी लिमिटेड
34. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट्स

35. तोकुयामा कॉर्पोरेशन
36. तोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड
37. तोसोह निक्केमी कॉर्पोरेशन
38. यमुना इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
39. यिबिन हाइफ़ेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड
40. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
41. यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड

ठ. हितबद्ध पक्षकारों को 25 जून 2024 की अधिसूचना द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने के लिए कहा गया था।

ड. प्राधिकारी ने 30 अप्रैल 2024 को एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने 13 मई 2024 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया।

ढ. जांच की शुरुआत के अनुसरण में, और सभी हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना देने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, और रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना और साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने 30 अक्टूबर 2024 को एक प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया, जिसमें अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों का पाटन हुआ है, घरेलू उद्योग को इस तरह के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को यह क्षति इस तरह के पाटन के कारण हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

ण. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, प्राधिकारी ने एपिग्रल लिमिटेड द्वारा उठाए गए उत्पाद क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में 11 दिसंबर 2024 को मौखिक सुनवाई की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त करने और उक्त मौखिक सुनवाई आयोजित करने के पश्चात, प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच परिणामों का एक परिशिष्ट दिनांक 16 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

त. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्राथमिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में अधिसूचित किया।

i. प्रारंभिक जांच परिणामों पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से ऐसे निष्कर्ष जारी होने के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

ii. यह अधिसूचित किया गया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

iii. आवश्यक समझे जाने पर आगे सत्यापन किया जाएगा।

iv. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले आवश्यक तथ्य प्रकट किए जाएंगे।

थ. अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति केंद्र सरकार को उनके विचारार्थ भेजी गई थी।

द. कई हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने उत्तर/टिप्पणियाँ दायर कीं, जिन पर प्रकटन में और अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

ध. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 15 जनवरी 2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का अनुरोध किया गया था।

न. वर्तमान पाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा करते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा 17 मार्च 2025 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था।

प. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद, चूंकि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिए प्राधिकारी ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से जांच पूरी करने के लिए विस्तार की मांग की। 25 मई 2025 तक विस्तार प्रदान किया गया।

फ. गुजरात उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2025 के अपने अंतिम आदेश में प्राधिकारी को एपिग्रल द्वारा आयातित कथित विशेष ग्रेड एस-पीवीसी रेजिन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का निर्देश दिया। इसके बाद, घरेलू उद्योग ने 25 अप्रैल 2025 के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 03 मई 2025 को विशेष अनुमति याचिका दायर की। 23 मई 2025 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने पर रोक लगा दी।

ब. जांच पूरी करने के लिए, प्राधिकारी ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से एक और विस्तार की मांग की। 25 सितंबर 2025 तक का समय बढ़ाया गया था।

भ. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 12 जून 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

म. 23 जुलाई 2025 को संबद्ध जाँच में दूसरा प्रकटन जारी किया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जिन पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।

य. डीजी सिस्टम से पिछले तीन वर्षों और जाँच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन-देनों की उचित जाँच के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

कक. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण लागत एवं बिक्री लागत के आधार पर किया गया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार बनाए रखा गया है, और यह निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

खख. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 महीने) तक है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि मानी गई है।

गग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर देने का निर्देश दिया गया था।

घघ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों, और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद प्रदान की गई सूचना, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी जाती हैं, पर प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

डड. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया है, जो इस प्रकटन विवरण का आधार बनती है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों को जहां तक संगत और आवश्यक समझा गया है, सत्यापित किया है।

चच. वर्तमान अंतिम जांच परिणाम वर्तमान जांच के पूरा होने की सांविधिक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं। प्रस्तावित निर्णय इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगा।

छछ. वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में "***" गोपनीय आधार पर दी गई गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते है।

जज. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉ.= 83.21 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि के-वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है, के-वैल्यू के आधार पर कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया गया है। पीवीसी के विभिन्न ग्रेडों की लागत और कीमत 15-20% के बीच होती है।

ii. उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर पीसीएन तैयार करने की आवश्यकता है।

iii. वर्तमान जाँच में पीसीएन-वार मूल्यांकन आवश्यक नहीं है।

iv. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए उत्पाद का शुल्क तालिका में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

v. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा केवल वाणिज्यिक रूप से उत्पादित और बेचे गए ग्रेडों को ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

vi. धारा 9क(1) के अनुसार, कोई भी वस्तु जिसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, उसकी जाँच और पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार नहीं किया जा सकता, भले ही उसकी विशेषताएँ काफी हद तक मिलती-जुलती हों।

vii. एलजी केम द्वारा उत्पादित ग्रेड एचआरटीपी4000, एलएस070, एलएस170 और एलएस300 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अति-उच्च आणविक भार वाले पीवीसी हैं।

viii. टीपीई द्वारा उत्पादित ग्रेड एसजी840, एसएम760, एसएम76ई और एसएम84ई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इनमें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड की तुलना में उच्च के-वैल्यू होता है। ऐसे ग्रेड की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड की तुलना में अधिक होती है। ये ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड के साथ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

ix. कनेका कारपोरेशन द्वारा उत्पादित ग्रेड एस-400: केवी51, एस1007: केवी58, एस1008: केवी61, एस1004: केवी73, केएस-1700: केवी77, केएस-2500: केवी85 और केएस-3000: केवी88 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे ग्रेड के लिए समान वस्तु का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

x. शिन-एत्सु द्वारा उत्पादित ग्रेड टीके-2500एचई, जीआर-600एस, जीआर-700एस, टीके-800, टीके-500, टीके-600, टीके-1700ई, टीके-2000ई, टीके-2500एलएस, टीके-2500एचएस, टीके-

2500पीई, जीआर-800टी, जीआर-1300टी, जीआर-1300एस, और जीआर-2500एस को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।

xi. तोकुयामा द्वारा उत्पादित ग्रेड जेडईएसटी 700जेड, जेडईएसटी 1000जेड और जेडईएसटी 1300एसआई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।

xii. ताइयो एथिलीन और पीवीसी कोपोलिमर, ईवीए पीवीसी ग्राफ्ट कोपोलिमर और संशोधित उच्च पालीमराइजेशन पीवीसी रेज़िन का उत्पादन करता है, जो कोपोलिमर पीवीसी और क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी हैं। ऐसे उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर माना जाना चाहिए।

xiii. ताइयो द्वारा उत्पादित ग्रेड टीएच-800, टीएच -1700, टीएच -2500, टीएच -2800, टीएच -3000 और टीएच -3800 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों कह समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।

xiv. ग्रेड टीएल700 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका बहुत कम के-वैल्यू है और इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

xv. वान्हुआ द्वारा उत्पादित ग्रेड डब्ल्यूएच 800 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह के-वैल्यू 60-64 की श्रेणी में आता है और इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

xvi. पीवीसी रेज़िन ऑफ ग्रेड, पीवीसी रेज़िन फ्लोर स्वीप, पीवीसी रेज़िन पॉन्ड रेज़िन (पीवीसी ऑफ ग्रेड) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इन्हें फ़्लोरिंग बनाने के लिए प्राइम ग्रेड के साथ मिलाया जाता है। ऐसे उत्पाद कम मात्रा में आयात किए जाते हैं और इनकी कीमत प्राइम ग्रेड से बहुत कम होती है।

xvii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को संशोधित किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग में केवल 57 से 72 के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के निर्माण की क्षमता है।

xviii. इमल्शन पॉलीमराइज़ेशन, मास पॉलीमराइज़ेशन और माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइज़ेशन का उपयोग करके उत्पादित पीवीसी रेज़िन को उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विचाराधीन उत्पाद से निकटता से संबंधित हैं और कुछ अनुप्रयोगों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं।

xix. मास पॉलीमराइज़ेशन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों का उपयोग सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए किया जाता है और इनके विनिर्देश और अनुप्रयोग समान हैं।

xx. एपिग्रल एस-पीवीसी के विशेष ग्रेड का उपयोग कर रहा है जो सी-पीवीसी के निर्माण के लिए मास पीवीसी की विशेषताओं के समान है। चूँकि घरेलू उद्योग समान या तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

xxi. सी-पीवीसी निर्माण के लिए विशेष ग्रेड में फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा उत्पादित एस65सी और एस57सी, थाई पॉलीएथिलीन कंपनी द्वारा उत्पादित एसजी66जे और एसएफ58एस और शंघाई क्लोर अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित एम1000 शामिल हैं।

xxii. एपिग्रल द्वारा आयातित ग्रेड उच्च छिद्रिलता और उच्च आभासी घनत्व वाले होते हैं, और सी-पीवीसी रेज़िन की दीर्घकालिक ताप स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग फॉर्मूलेशन होता है। ऐसे ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं किए जाते हैं।

xxiii. घरेलू उद्योग सी-पीवीसी निर्माण के लिए विशेष ग्रेड का आयात भी करता है और अपने द्वारा निर्मित एस-पीवीसी का प्रयोग नहीं करता है। यह डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के निवेशकों के आह्वान की प्रतिलिपि से स्पष्ट है, जहाँ उसने स्वीकार किया कि सी-पीवीसी के निर्माण के लिए पीवीसी

की विशेष गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, ऐसे ग्रेडों का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है।

xxiv. फॉर्मोसा के एस65सी में डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पीआरओ65 की तुलना में उच्च आभासी घनत्व है। यह सी-पीवीसी के अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए उच्च उत्पादकता और आउटपुट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पीआरओ65 की तुलना में एस65सी उच्च प्लास्टिसाइज़र अवशोषण प्रदान करता है। यह सी-पीवीसी के प्रभावी क्लोरीनीकरण को सुनिश्चित करता है। पीआरओ 65 की तुलना में इसका औसत कण आकार भी छोटा है। बड़े कण आकार के साथ क्लोरीन वितरण की एकरूपता बाधित होती है।

xxv. एस-65सी का शीत प्लास्टिसाइज़र अवशोषण 27.9% है, जबकि सामान्य ग्रेड के65 पीवीसी के लिए यह 25.6% है, जो इसकी बेहतर अवशोषण क्षमताओं को दर्शाता है। ग्रेड एस-65सी का औसत कण आकार 132 µm है, जबकि ग्रेड के65 पीवीसी का औसत कण आकार 118 µm है।

xxvi. पीआरओ 65 के कारण जेलीकरण की गति कम हो जाती है, जो सी-पीवीसी निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है।

xxvii. टीसीई द्वारा उत्पादित विशेष ग्रेड (एसजी66जे और एसएफ58एस) का आभासी घनत्व भी अधिक होता है, और इनका पीला सूचकांक कम होता है, कण आकार छोटा होता है, अवशोषण समय तेज़ होता है, शीत प्लास्टिसाइज़र अवशोषण कम होता है और इन्हें अनुकूलित योजकों के साथ तैयार किया जाता है जो न्यूनतम रंग परिवर्तनों के साथ क्लोरीनीकरण अभिक्रिया को सहायता देते हैं।

xxviii. एस-पीवीसी के सामान्य ग्रेड का उपयोग सी-पीवीसी निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वांछित और समरूप क्लोरीनीकरण प्राप्त करने के लिए एस-पीवीसी में पर्याप्त आंतरिक आकारिकी होनी चाहिए।

xxix. घरेलू उद्योग एस-पीवीसी के निर्माण के लिए व्यापारी, एमके इंडस्ट्रीज के माध्यम से विशेष ग्रेड का आयात करता है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने फॉर्मोसा के एस-65सी और थाई पॉलीइथिलीन से एसएफ58एस का आयात किया है। इससे पता चलता है कि एस-पीवीसी का विशेष ग्रेड भारत में उपलब्ध नहीं है और डीसीडब्ल्यू एस-पीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के उत्पादन का प्रयोग नहीं कर सकता है।

xxx. जांच की अवधि के दौरान एस-पीवीसी के विशेष ग्रेड का कोई उत्पादन नहीं हुआ, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि डीसीडब्ल्यू ने जांच की अवधि के बाद अपना नया संयंत्र चालू किया और अपने स्वयं के एस-पीवीसी का उपयोग शुरू कर दिया।

xxxi. घरेलू उद्योग के अनुरोध के विपरीत, बीआईएस केवल एक बुनियादी सी-पीवीसी रेजिन का उल्लेख करता है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई एस-पीवीसी आईएस 17988 में विनिर्देशों के अनुसार सी-पीवीसी का उत्पादन नहीं करती है।

xxxii. एपिग्रल ने सी-पीवीसी के उत्पादन की व्यवहार्यता की जांच, प्रयोग, अनुसंधान एवं विकास करने और सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर कई आपूर्तिकर्ताओं से कई ग्रेड का आयात किया है। जबकि कुछ ग्रेड ने काम किया है, अन्य ने काम नहीं किया है।

xxxiii. एपिग्रल द्वारा आयातित ग्रेड भारत में कुल आयात की तुलना में नगण्य है, इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि ऐसे ग्रेड विशेष ग्रेड हैं।

xxxiv. आवेदकों ने जांच के दौरान यह खुलासा नहीं किया है कि एस-पीवीसी के विभिन्न ग्रेड हैं और ऐसे ग्रेड डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा आयात किए गए हैं।

xxxv. पाटनरोधी नियमावली में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारियों के साथ विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के संबंध में बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उचित और पर्याप्त अवसर नहीं माना जा सकता है।

xxxvi. अनुरोध तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन के संबंध में सुनवाई चल रही थी।

xxxvii. 6 मई 2024 के अनुरोध में, एपिग्रल ने पहले ही कहा था कि आवेदकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि के-वैल्यू एकमात्र संगत मापदंड नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्देशन के लिए अन्य मापदंड भी हैं। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के निर्धारण के लिए के-वैल्यू एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए।

xxxviii. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का प्रस्ताव करते समय बीआईएस मानकों पर भरोसा नहीं किया, और यह भरोसा बाद में किया गया, यह दर्शाता है कि यह एक बाद का विचार है।

xxxix. जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत बीआईएस मानक 17658:2021 में कहा गया है कि एस-पीवीसी के विभिन्न ग्रेड हैं और उन्हें चिपचिपाहट व्यवहार, कण आकार वितरण, स्पष्ट घनत्व आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के लिए केवल के-वैल्यू को एक संगत कारक माना है।

xl. आईएस 17658:2021 विशेष रूप मानता है कि अंतिम उपयोग और तकनीकी मापदंडों दोनों के कारण सी-पीवीसी के विशेष ग्रेड हैं। अत:, यह दावा कि कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं, गलत है।

xli. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने नवंबर, 2024 तक फॉर्मोसा से एस-65सी का आयात किया है। जबकि फॉर्मोसा कई ग्रेड का निर्यात करता है, केवल एस65सी जो सी-पीवीसी के लिए विशेष ग्रेड है, का आयात किया गया है।

xlii. जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने दावा किया है कि उसके पास पहले से ही विशेष ग्रेड सीएस-पीवीसी के लिए एक व्यापारिक बाजार है, इसने लगातार आयातित एस-पीवीसी खरीदा है और सी-पीवीसी के निर्माण के लिए अपने स्वयं के एस-पीवीसी का प्रयोग नहीं किया है। जबकि डीसीडब्ल्यू की एस-पीवीसी क्षमता 1,00,000 एमटी है, सी-पीवीसी के लिए उनकी आवश्यकता केवल 8,000 एमटी है।

xliii. यदि कोई विशेष ग्रेड की आवश्यकता नहीं थी, तो डीसीडब्ल्यू को अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित एस-पीवीसी का भी प्रयोग करना चाहिए था।

xliv. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के निर्देश देने के आदेश का सही भावना से पालन नहीं किया गया है क्योंकि केवल घरेलू उद्योग और एपिग्रल लिमिटेड को ही अनुरोध और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

xlv. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड पर भरोसा करना अनुचित है क्योंकि उक्त निर्माता वर्तमान जांच का हिस्सा नहीं है।

xlvi. वाणिज्यिक विचार उन संबद्ध सामानों के ग्रेड के आयात की अनुमति देने का बहाना नहीं हैं जिनका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है।

xlvii. घरेलू बाजार में एपिग्रल की उपस्थिति के कारण सी-पीवीसी के आयात पर निर्भरता कम हो गई है। एपिग्रल अपनी निर्भरता को और कम करने के लिए क्षमताओं का और विस्तार कर रहा है।

xlviii. एपिग्रल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड का उपयोग करने का प्रयास किया है और उन्हें सूचित किया है कि ग्रेड ठीक से काम नहीं कर रहा है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने एपिग्रल को उत्पाद की आपूर्ति करने से मौखिक रूप से इनकार कर दिया था।

xlix. घरेलू उद्योग ने छिद्रिलता के संबंध में विरोधाभासी अनुरोध किए हैं। डीसीडब्ल्यू द्वारा आयातित फॉर्मोसा के बड़े पैमाने पर पीवीसी ग्रेड में भी उच्च पोरोसिटी, संकीर्ण कण वितरण और सी-पीवीसी के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कम महीन पाउडर हैं।

l. एपिग्रल द्वारा प्रदान की गई छवि यह स्पष्ट करती है कि एस65सी की आकृति विज्ञान एकसमान क्लोरीनीकरण का समर्थन करता है।

li. पेटेंट संख्या यूएस6,384,149 बी2 दिनांक 7 मई, 2002, जो सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए पीवीसी की आवश्यकता के संदर्भ में है, में औसत कण आकार, पोरोसिटी, श्यानता, ताप स्थिरता, मुक्त प्रवाह गुण, अवसादन प्रवृत्ति, कण आकार वितरण आदि के महत्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

lii. जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड पाइप ग्रेड और फिटिंग ग्रेड का उत्पादन करता है, सी-पीवीसी निर्माण के लिए कोई एकल ग्रेड नहीं है।

liii. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास अक्टूबर 2022 से जून 2024 के बीच बीआईएस लाइसेंस नहीं था।

liv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई परीक्षण रिपोर्टों की प्रामाणिकता संदिग्ध है क्योंकि नमूने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए हैं और घरेलू उद्योग प्रयोगशाला को प्रदान किए गए नमूनों में हेरफेर कर सकता है।

lv. डीसीडब्ल्यू ने दावा किया है कि ग्रेड पीआर 065 और पीआर 057 का उत्पादन केवल कैप्टिव उपयोग के लिए किया जाता है। इसलिए, ऐसे ग्रेड व्यापारिक बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।

lvi. परिशिष्ट के प्रारंभिक जांच परिणाम में, यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि में कोई वाणिज्यिक विनिर्माण नहीं हुआ। जांच परिणामों से यह स्पष्ट है कि डीसीडब्ल्यू ने जाँच अवधि में किसी अन्य निर्माता द्वारा एस-पीवीसी की खपत नहीं की है और कैप्टिव रूप से खपत किया गया एस-पीवीसी केवल परीक्षण के लिए है। इसके अलावा, याचिका के अनुसार डीसीडब्ल्यू का कोई कैप्टिव अंतरण नहीं था।

lvii. जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह समान वस्तु का निर्माण करता है, किसी भी घरेलू उत्पादक ने एपिग्रल को यह ग्रेड नहीं दिया है। प्राधिकारी ने इस तथ्य पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि क्या डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ग्रेड भारत में आयातित विशेष ग्रेड के समान वस्तु हैं।

lviii. परिशिष्ट के प्राथमिक जांच परिणामों से यह स्पष्ट है कि चूँकि डीसीडब्ल्यू का उत्पाद तकनीकी कारणों से अनुसंधान एवं विकास के अधीन था, इसलिए वे मुख्य रूप से आयात पर निर्भर थे।

lix. आवेदक द्वारा आरोपित नया संयंत्र वर्तमान में मौजूद नहीं है और निकट भविष्य में भी मौजूद में नहीं होगा। तब तक डीसीडब्ल्यू के ग्रेड का उपयोग सी-पीवीसी के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है।

lx. एसआईसीएआरटी (एनएबीएल मान्यता प्राप्त) द्वारा प्रदान की गई परीक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि फॉर्मोसा एस65सी ग्रेड और डीसीडब्ल्यू पीआर 065 ग्रेड के कण आकार वितरण में अंतर है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये समान वस्तुएँ नहीं हैं और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

lxi. घरेलू उद्योग ने इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि उसके एस-पीवीसी से निर्मित सी-पीवीसी को गर्म पानी के अनुप्रयोग के लिए भारतीय सी-पीवीसी पाइप निर्माताओं को व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है।

lxii. सी-पीवीसी पाइप और फिटिंग गर्म पेयजल की आपूर्ति और संवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। संबद्ध सामानों के विशेष ग्रेड यह सुनिश्चित करते हैं कि अंतिम उत्पाद सुरक्षित और गैर-खतरनाक हों।

lxiii. सी-पीवीसी के लिए विशेष पीवीसी को पोलीमराइजेशन फॉर्मूला और उत्पाद संकेतकों में विशेष रूप से समायोजित किया जाता है, जो सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए समर्पित है, न कि साधारण एस-पीवीसी के लिए। चूँकि घरेलू उद्योग इसकी आपूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए इसे उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

lxiv. गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार विशेष ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। चूँकि आदेश को रद्द नहीं किया गया है, इसलिए यह अभी भी मौजूद है और प्राधिकारी को, पूर्व उदाहरण के सिद्धांत और न्यायिक अनुशासन के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रेडों को बाहर करना आवश्यक है।

lxv. एपिग्रल ने शुरू में विशिष्ट ग्रेड और बाहर करने का कारण बताए बिना ही विशेष ग्रेडों को बाहर करने का अनुरोध किया था। ग्रेड समय सीमा बीत जाने के बाद निर्दिष्ट किए गए थे।

lxvi. विचाराधीन सभी ग्रेड के उत्पादों का कोई विशेष उपयोग नहीं है और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। किसी भी विशेष ग्रेड को दी गई छूट अनुचित है और पाटनरोधी शुल्क जाँच के उद्देश्य के विरुद्ध है।

lxvii. थाई प्लास्टिक एंड केमिकल्स पीएलसी और थाई पॉलीइथिलीन कंपनी लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य निर्यातक ने छूट के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

lxviii. घरेलू उद्योग के57 और के60, जिनका उपयोग ब्लिस्टर फिल्म और कठोर फिल्म के लिए किया जाता है, और के70-के77, जिनका उपयोग कंपाउंडर, कठोर फिल्म निर्माता और लचीली फिल्म निर्माता करते हैं, की आपूर्ति नहीं करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला के67 सॉफ्ट अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों के गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता है। ऐसे ग्रेड को पाटनरोधी शुल्क से छूट दी जानी चाहिए।

lxix. एसीजी फार्मापैक प्राइवेट लिमिटेड ने दवा उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पीवीसी के विशिष्ट ग्रेड के आयात को छूट देने की मांग की है। फार्मा में पीवीसी का उपयोग टैबलेट, कैप्सूल और अन्य ठोस दवाओं की पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जो उत्पाद के जीवनकाल को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उत्पाद की नमी और रासायनिक गुणों को नियंत्रित करता है।

lxx. घरेलू स्तर पर आपूर्ति की जाने वाली पीवीसी रेज़िन, पीवीसी रेज़िन में काले कणों जैसे गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मुद्दों से जूझती है, जो फिल्मों में काले धब्बे और छेद पैदा करते हैं जिससे उनके अवरोधक गुण प्रभावित होते हैं। इससे दवा उत्पादों के संदूषण और खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

lxxi. एसीजी फार्मापैक प्राइवेट लिमिटेड ने रिलायंस के साथ उत्पाद का परीक्षण किया, और कई परीक्षणों के बावजूद, रिलायंस ने स्वीकार किया कि वह उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

lxxii. विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात में से, फार्मा अनुप्रयोगों के लिए के-57 और के-60 का आयात नगण्य है। चूँकि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह ऐसे ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऐसे ग्रेड को बाहर करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को कोई राजस्व हानि नहीं होगी।

lxxiii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, कैप्रिहैंस ने के-57 की आपूर्ति के लिए सभी आवेदकों से संपर्क किया है। हालाँकि, किसी भी आवेदक ने इसकी आपूर्ति नहीं की है। कैप्रिहैंस अपनी इच्छा से के-57 का आयात नहीं कर रहा है और घरेलू बाजार में उत्पादन और आपूर्ति दोनों की कमी के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

lxxiv. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा उत्पादित के-57 दवा पैकेजिंग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बाइड तकनीक के कारण अत्यधिक अशुद्धियाँ और अन्य गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ हैं।

lxxv. कैप्रिहैंस ने पहले आरआईएल द्वारा उत्पादित के-57 का परीक्षण किया था, लेकिन उसे गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चूँकि आरआईएल घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं है, इसलिए के-57 का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए, इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

lxxvi. घरेलू उद्योग के पास बहुत कम और बहुत अधिक के-वैल्यू, विशेषकर के-57, के निर्माण की क्षमता नहीं है। फार्मा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 250 माइक्रोन की पीवीसी फिल्मों के निर्माण हेतु केवल के-57 ग्रेड का ही उपयोग किया जा सकता है।

lxxvii. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए साक्ष्य और सत्यापन साझा करने चाहिए कि घरेलू उद्योग जीवन रक्षक दवाओं में प्रयुक्त के-57 का उत्पादन करता है।

lxxviii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर में भी के-57 और के-60 को बाहर करने का अनुरोध सुनवाई से पहले किया गया था और प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच परिणाम में उस पर विचार किया गया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर है, जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन भी कहा जाता है।

ii. इमल्शन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, बल्क मास पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया और माइक्रो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

iii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में क्रॉस-लाइक्ड पीवीसी, सीपीवीसी, वीसी-वैक, पीवीसी पेस्ट रेजिन, मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी और पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन शामिल नहीं हैं।

iv. संबद्ध सामानों का निर्माण विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके किया जाता है, जिसे सस्पेंशन प्रक्रिया के माध्यम से पॉलीमराइज्ड किया जाता है। विनाइल क्लोराइड मोनोमर ईडीसी (एथिलीन) मार्ग या कार्बाइड मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में, अंतिम उत्पाद एक ही है।

v. विचाराधीन उत्पाद का एक समर्पित एचएस कोड 39041020 है। हालाँकि, जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का 17% आयात अन्य एचएस कोड के तहत किया गया है।

vi. वर्तमान जांच में पीसीएन-वार विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। पीसीएन की आवश्यकता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विपरीत अनुरोध किए गए हैं। अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किए हैं कि पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित पीसीएन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया से उत्पाद की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है और अंतर 5% से कम है।

viii. हनव्हा द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, उत्पाद की कीमत विभिन्न के-वैल्यू के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होती है।

ix. घरेलू उद्योग 57 और 75.5 के बीच के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन करता है और इसमें +/- 1 के-वैल्यू सहनशीलता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 56 से कम और 76 से अधिक के-वैल्यू वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि वे विशिष्ट उत्पाद बनाते हैं, लेकिन ऐसे उत्पाद को विशिष्ट बनाने वाले विनिर्देशन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, और जिसे घरेलू उद्योग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग के लिए भारत में आयातित उत्पाद के समान ही उत्पाद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का निर्माण किया है।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के विशिष्ट ग्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि "विशिष्ट ग्रेड" के लिए उसे हटाने की बात दी गई है, तो निर्यातक सभी चीज़ों को विशिष्ट ग्रेड के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और शुल्क से बच सकते हैं।

xii. यदि पीवीसी के कुछ "विशिष्ट ग्रेड" होते, तो ऐसे ग्रेड की उत्पादन लागत अलग होनी चाहिए थी, लेकिन एपिग्रल लिमिटेड ने ऐसे ग्रेड के लिए अलग पीसीएन के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

xiii. आयात आंकड़ों से विश्लेषण के अनुसार, एपिग्रल लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद के नियमित ग्रेड का आयात किया है, जिसका आयात भारत में अन्य उपभोक्ताओं द्वारा भी किया गया है।

xiv. चूँकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने नए संयंत्र में सी-पीवीसी का उत्पादन शुरू कर दिया है, इसलिए यह सी-पीवीसी बनाने के लिए अपने स्वयं के एस-पीवीसी का उपयोग कर रही है। इसके अलावा, कंपनी ने सी-पीवीसी बनाने के लिए विभिन्न एस-पीवीसी की उपयुक्तता का परीक्षण करने हेतु अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित एस-पीवीसी का उपयोग किया। यह सी-पीवीसी के निर्माण के लिए किसी भी विदेशी उत्पादक की सामग्री का नियमित रूप से आयात नहीं कर रही है।

डीसीडब्ल्यू सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के एस-पीवीसी का उपयोग करने की योजना बना रही है।

xv. एपिग्रल ने 2022 में उत्पादन शुरू किया, लेकिन घरेलू स्रोत विकसित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया। इसने घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों को बाजार से खरीदा, न कि सीधे उत्पादकों से और ग्रेड विकसित करने के लिए घरेलू उत्पादक को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

xvi. एपिग्रल वर्तमान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है क्योंकि उसने आयातकों की प्रश्नावली का उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

xvii. उत्पाद और इनपुट सामग्री के विनिर्देश देने के लिए बीआईएस सक्षम प्राधिकारी है। बीआईएस से परे किसी भी मांग को तकनीकी आवश्यकता के बजाय एक विकल्प माना जाना चाहिए।

xviii. जहाँ डीसीडब्ल्यू के पास सी-पीवीसी के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस है, वहीं एपिग्रल के पास ऐसा करने का लाइसेंस नहीं है। इस प्रकार, यह तर्क कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामानों के उपयोग से सी-पीवीसी का उत्पादन बीआईएस में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार नहीं होता है, सही नहीं है।

xix. एपिग्रल के पास कोई प्रौद्योगिकी प्रदाता नहीं है और इसलिए, उसे विभिन्न पीवीसी ग्रेडों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। एपिग्रल ने तकनीकी रूप से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है या प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता से कोई सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है।

xx. एपिग्रल ने केवल यह कहा कि विशेष ग्रेडों को उसके आरंभिक अनुरोधों में बिना किसी औचित्य या विशेष ग्रेडों के विनिर्देश प्रदान किए बाहर रखा जाना चाहिए।

xxi. उत्पाद की छिद्रिलता सी-पीवीसी के क्लोरीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। सी-पीवीसी के निर्माण में भूमिका निभाने वाले प्रमुख कारकों में सतह प्रतिक्रिया प्रकृति, समरूप क्लोरीनीकरण और नियंत्रक कारक शामिल हैं।

xxii. भारतीय उद्योग कई ऐसे ग्रेड का उत्पादन करता है जिनकी छिद्रिलता आयातित ग्रेड से भी अधिक होती है।

xxiii. बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष स्वतंत्र प्रयोगशाला की रिपोर्टों के अनुसार, एस65सी का वृहत् घनत्व (आभासी घनत्व) और छिद्रिलता (प्लास्टिसाइज़र अवशोषण) डीसीडब्ल्यू रेज़िन के मानों के लगभग समान है।

xxiv. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद और फॉर्मोसा से आयातित उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं है।

xxv. एपिग्रल ने फॉर्मोसा ग्रेड और डीसीडब्ल्यू ग्रेड की तुलना के लिए दिए गए आंकड़ों का स्रोत प्रदान नहीं किया है।

xxvi. एपिग्रल ने भारत में केवल एक निर्माता के एक ग्रेड की तुलना की है। भारत में उत्पादकों द्वारा कई ग्रेड का उत्पादन किया जाता है और भारत में संबद्ध सामानों के पाँच उत्पादक हैं।

xxvii. जबकि एपिग्रल ने कहा है कि उसने भारत में विभिन्न ग्रेडों का आयात किया है और कुछ ग्रेड विफल रहे हैं, उसने ऐसी विफलता का कोई कारण नहीं बताया है।

xxviii. चूंकि संबद्ध सामानों का उत्पादन बैच प्रक्रिया में किया जाता है, इसलिए प्रत्येक बैच के लिए समान विनिर्देशन रखना संभव नहीं है। इस कारण से, उत्पादकों की तकनीकी आंकड़ा तालिकाएं रेंज में दी गई हैं।

xxix. स्पष्ट थोक घनत्व सी-पीवीसी अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए उच्च उत्पादकता और आउटपुट से संबंधित नहीं है। मुख्य मापदंडों में एक्सट्रूज़न तकनीक, संलयन और प्रसंस्करण पैरामीटर शामिल हैं।

xxx. थोक घनत्व और छिद्रता के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड और आयातकों द्वारा पेश किए गए ग्रेड के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए आयात किए जा रहे ग्रेड के समान वस्तु का निर्माण करता है।

xxxi. एपिग्रल लिमिटेड के अनुरोधों के विपरीत, उच्च माध्य कण आकार एक लाभ है, न कि कोई कमी।

xxxii. पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन की जेलीकरण गति और क्लोरीनीकरण के बीच कोई संबंध नहीं है। डीसीडब्ल्यू द्वारा निर्मित संबद्ध सामाना तथाकथित विशिष्ट रेज़िन की तुलना में पहले और बेहतर संलयन (वक्र के नीचे उच्च क्षेत्र) दर्शाती हैं।

xxxiii. ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है जो दर्शाता हो कि सी-पीवीसी रेज़िन बनाने के लिए रेज़िन की कौन सी आंतरिक आकृति विज्ञान अकेले काम करेगी और क्या भारत में निर्मित किसी भी ग्रेड में पर्याप्त आकृति विज्ञान नहीं है।

xxxiv. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी का उत्पादन करने के लिए अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन का भी उपयोग किया है।

xxxv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, एपिग्रल लिमिटेड उचित मूल्य पर संबद्ध सामान आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

xxxvi. सी-पीवीसी के लिए बीआईएस मानक बताता है कि सी-पीवीसी के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री पीवीसी सस्पेंशन रेजिन है, जिसकी विशिष्टता बीआईएस मानक 17658:2021 के अनुसार है। संबद्ध सामानों के सभी घरेलू उत्पादकों के पास पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस हैं।

xxxvii. एपिग्रल लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, निवेशक कॉल में उस समय का उल्लेख किया गया था जब डीसीडब्ल्यू केवल अपने पहले संयंत्र में उत्पादन कर रहा था, जहाँ प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता ने केवल एमपीवीसी के उपयोग को मंजूरी दी थी। इसलिए, उस संयंत्र में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग नहीं किया गया है।

xxxviii. सी-पीवीसी के निर्माण के लिए डीसीडब्ल्यू का नया संयंत्र अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था, जिसमें उसने सी-पीवीसी के निर्माण के लिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग किया है।

xxxix. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक ने यह अनुरोध नहीं किया कि विचाराधीन उत्पाद पीसीएन अधिसूचना जारी करने से पहले विशेष ग्रेड को बाहर करने की आवश्यकता है।

xl. वैश्विक स्तर पर कई सी-पीवीसी उत्पादक सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एस-पीवीसी के समान ग्रेड का उपयोग करते हैं और ऐसे एस-पीवीसी को विशेष ग्रेड के रूप में योग्य नहीं मानते हैं।

xli. हनव्हा सॉल्यूशंस पीवीसी सस्पेंशन रेजिन और सी-पीवीसी दोनों का उत्पादक है और उसने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग किया है। उनका अनुरोध है कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं।

xlii. डीसीडब्ल्यू ने अपने सी-पीवीसी संयंत्र में परीक्षण के लिए जाँच अवधि के दौरान कई व्यापारियों से एस-पीवीसी खरीदा। इस समय, घरेलू उद्योग सी-पीवीसी के निर्माण के लिए एस-पीवीसी के उपयोग का परीक्षण कर रहा था।

xliii. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी के निर्माण के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित एस-पीवीसी का उपयोग किया है।

xliv. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी सी-पीवीसी के लिए एक नया संयंत्र स्थापित कर रही है और निजी तौर पर उत्पादित एस-पीवीसी का उपयोग करने की योजना बना रही है।

xlv. सी-पीवीसी से संबंधित आईएस 17988 में सी-पीवीसी के निर्माण के लिए किसी विशेष ग्रेड का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल एस-पीवीसी का उल्लेख है। इसके अलावा, एपिग्रल लिमिटेड के लिए निवेशक कॉल में भी सी-पीवीसी के लिए किसी विशेष ग्रेड का उल्लेख नहीं है।

xlvi. संबद्ध सामानों के सभी घरेलू उत्पादकों के पास पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस हैं और वे निर्दिष्ट मानकों का पालन करते हैं।

xlvii. बीआईएस मानकों में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की आवश्यक विशेषताओं में से एक के रूप में छिद्रिलता या ताप स्थिरता का उल्लेख नहीं है।

xlviii. जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास सीपीवीसी के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस है, एपिग्रल लिमिटेड के पास इस संबंध में बीआईएस लाइसेंस भी नहीं है।

xlix. एपिग्रल लिमिटेड सी-पीवीसी के केवल 2 ग्रेड, अर्थात् एमएम67के और एमएम57के का उत्पादन करता है और उसने विभिन्न निर्माताओं से बड़े पैमाने पर पीवीसी के साथ-साथ सस्पेंशन पीवीसी का भी आयात किया है। यह सी-पीवीसी के निर्माण के लिए विभिन्न सस्पेंशन रेजिन की विनिमेयता स्थापित करता है।

l. चूँकि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्माण बैचों में किया जाता है, इसलिए किसी भी दो बैच के विनिर्देश बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, जो कि बीआईएस और टीडीएस में निर्दिष्ट रेंज से स्पष्ट है। इस प्रकार, एपिग्रल ने सीपीवीसी के निर्माण के लिए विभिन्न विनिर्देशों वाले पीवीसी का उपयोग किया है।

lx. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड एस-पीवीसी के केवल 2 ग्रेड का उत्पादन करती है, जिन्हें व्यापारिक बाजार में बेचा गया है और साथ ही सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से उपयोग किया गया है।

lxi. घरेलू उद्योग ने सी-पीवीसी के निर्माण के लिए आयातित ग्रेड के साथ अपने उत्पाद की वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के प्रमाण प्रदान किए हैं। यह स्वयं तकनीकी प्रतिस्थापनीयता स्थापित करता है।

lxii. जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में उल्लेख किया गया है, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी के निर्माण के लिए अपने स्वयं के और केमप्लास्ट के ग्रेड सहित कई ग्रेड का उपयोग किया है। डीसीडब्ल्यू ने हाल ही में रिलायंस के ग्रेड का भी उपयोग किया है और सफलतापूर्वक सी-पीवीसी का निर्माण किया है।

lxiii. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा आयात वाणिज्यिक कारणों से किया जाता है, तकनीकी कारणों से नहीं। जांच अवधि के बाद डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा किए गए आयात से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हितों को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि उसे ऐसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क भी देना होगा।

lxiv. लागू बीआईएस मानक के अनुसार सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए उच्च छिद्रिलता या थोक घनत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के ग्रेड का उपयोग करता है।

lxv. एपिग्रल लिमिटेड के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने परिशिष्ट निष्कर्षों में पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की पेशकश की है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

lxvi. जबकि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि उसने अपने स्वयं के एस-पीवीसी और आयातित एस-पीवीसी का उपयोग करके सी-पीवीसी का परस्पर निर्माण किया है, एपिग्रल यह साबित करने में विफल रहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित ग्रेड का उपयोग सी-पीवीसी के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है।

lxvii. एपिग्रल के अनुरोधों के विपरीत, इसने यह नहीं दर्शाया है कि उसने अपने ग्रेड के उपयोग के संबंध में एस-पीवीसी के घरेलू निर्माता को प्रतिक्रिया प्रदान की है। एपिग्रल का गलत इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने घरेलू रूप से निर्मित एस-पीवीसी व्यापारियों से खरीदा था, न कि निर्माता से।

lxviii. जबकि एपिग्रल ने तर्क दिया है कि वह डीसीडब्ल्यू के ग्रेड का उपयोग करने में असमर्थ था, डीसीडब्ल्यू ने तर्क दिया है कि उसने सी-पीवीसी का उत्पादन करने के लिए उसी ग्रेड का उपयोग किया था। इस प्रकार, एपिग्रल के सामने समस्या तकनीकी क्षमता की कमी के कारण है, क्योंकि उसने उत्पादन तकनीक नहीं खरीदने और आंतरिक विशेषज्ञता पर भरोसा करने का निर्णय लिया है।

lxix. एपिग्रल द्वारा अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुचें है कि डीसीडब्ल्यू के ग्रेड अनुसंधान एवं विकास किया जा रहा है।

lxx. एपिग्रल ने एसआईसीएआरटी की राय के संबंध में देर से अनुरोध दायर किए हैं। एसआईसीएआरटी के पास परीक्षण सुविधा नहीं है और इसलिए, दी गई राय को तकनीकी रिपोर्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एपिग्रल ने इस संबंध में मनगढ़ंत साक्ष्य प्रदान किए हैं।

lxxi. थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल पीएलसी के अनुरोधों के विपरीत, इसके उत्पाद की विनिर्देश-तालका में उल्लेख है कि इन ग्रेडों का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसे ग्रेडों के आयात की अधिकांश मात्रा उन व्यापारियों द्वारा की जाती है जो सी-पीवीसी के उत्पादन में शामिल नहीं हैं।

lxxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

lxxiii. डीसीडब्ल्यू ने जून 2023 से अपने नए संयंत्र में उत्पादन शुरू कर दिया है और सी-पीवीसी के निर्माण के लिए अपने स्वयं के ग्रेड का उपयोग किया है।

lxxiv. एम-पीवीसी और एस-पीवीसी अलग-अलग उत्पाद हैं और इसलिए, एम-पीवीसी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है।

lxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, इमल्शन पॉलीमराइजेशन, मास पॉलीमराइजेशन और माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन अलग-अलग उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। एस-पीवीसी पर कई जांच हुई हैं, जिनमें ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित पीवीसी को प्राधिकारी द्वारा बाहर रखा गया है। यहाँ तक कि बीआईएस भी इन्हें अलग-अलग उत्पाद मानता है।

lxxvi. अति-उच्च और अति-निम्न के वैल्यू वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है क्योंकि इनके लिए समान वस्तु का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा था।

lxxvii. वान्हुआ समूह के तर्कों के विपरीत, भारत में सी-पीवीसी के उत्पादकों ने स्वयं यह दावा नहीं किया है कि ऐसे उत्पादक द्वारा उत्पादित ग्रेड तथाकथित विशेष ग्रेड है। उत्पादक द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई विनिर्देशन-तालिका उपलब्ध नहीं कराई गई है कि ऐसे ग्रेड के अलग-अलग विनिर्देशन हैं।

lxxviii. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में के-57 के साथ-साथ के70-75 की नियमित रूप से आपूर्ति की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इन ग्रेडों की विनिर्देशन आवश्यकताओं पर प्रकाश नहीं डाला है। भारत में सभी उत्पादक बीआईएस मानक के अनुसार उत्पादन करते हैं और इसलिए, इस संबंध में किसी को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।

lxxix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने अपना रुख कायम रखा है और साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने व्यापारिक बाजार में +/- 1 की सहनशीलता के साथ 57 और 75.5 के बीच के-वैल्यू वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन और आपूर्ति की है। अन्य हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित के-57 और अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त के-57 से भिन्न उत्पाद की विशेषताएं प्रदान करने में विफल रहे हैं।

lxxx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्रेडों को बाहर करने की स्थिति में राजस्व हानि की जांच की अनुमति देता हो।

lxxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने के-57 की बिक्री दर्शाने वाले बीजक प्रदान किए हैं। चूंकि ऐसे बीजक व्यवसाय के प्रति संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अपने बीजकों का खुलासा नहीं किया है।

lxxxii. जबकि एजीसी फार्मापैक ने कहा है कि उसने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर में उत्पाद को बाहर करने का अनुरोध किया है, घरेलू उद्योग को इसकी कोई गोपनीय प्रति प्राप्त नहीं हुई है। प्राधिकारी ऐसे प्रयोक्ता को असहयोगी मानें।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को "विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर" माना था, जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन या एस-पीवीसी भी कहा जाता है। इस प्रकार के रेज़िन में विभिन्न पॉलीमर श्रृंखलाएँ होती हैं जो एक-दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। विचाराधीन उत्पाद को "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) रेज़िन", "सस्पेंशन ग्रेड" या "पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन" भी कहा गया है।

7. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन के संबंध में 30 अप्रैल 2024 को एक बैठक आयोजित की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने और उनकी जाँच करने के बाद, 13 मई 2024 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को संशोधित किया गया ताकि कुछ उत्पाद प्रकारों को इसमें शामिल न किया जा सके। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद पर निम्नलिखित रूप में विचार किया है।

"विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है, 55 से ऊपर और 77 तक के-वैल्यू के साथ सस्पेंशन पोलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है।"

8. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क. अति-निम्न के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 55 तक)

ख. अति-उच्च के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 77 से अधिक)

ग. क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी

घ. क्लोरीनयुक्त पीवीसी (सीपीवीसी),

ङ. विनाइल क्लोराइड-विनाइल एसीटेट कोपोलिमर (वीसी-वीएसी),

च. पीवीसी पेस्ट रेजिन/इमल्शन रेजिन

छ. मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी

ज. पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन।

इसके अलावा, इमल्शन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन, बल्क मास पॉलीमराइजेशन के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन, और माइक्रो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

9. एस-पीवीसी का उत्पादन सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है। संबद्ध सामानों के उत्पादन हेतु, विनाइल क्लोराइड मोनोमर ("वीसीएम") को पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से विनाइल पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है। वीसीएम का उत्पादन या तो एथिलीन डाइक्लोराइड ("ईडीसी") या कैल्शियम कार्बाइड ("कार्बाइड") का उपयोग करके किया जाता है। एथिलीन और कार्बाइड दोनों तरीकों से उत्पादित एस-पीवीसी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।

10. जाँच के दौरान, कई हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जाँच में पीसीएन की आवश्यकताओं के संबंध टिप्पणियाँ दायर की हैं। अधिकातर हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जाँच में पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नोट किया गया था कि विगत में विभिन्न देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की कई जाँचें की गई हैं। अत:, प्राधिकारी ने विगत किसी भी जाँच में पीसीएन को नहीं अपनाया है।

11. जिन हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन पद्धति को अपनाने का अनुरोध किया था, उन्होंने इसे के-वैल्यू और उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित किया था। हालाँकि, विदेशी उत्पादकों ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी है कि विभिन्न के-वैल्यू वाले उत्पादित उत्पादों की लागत में पर्याप्त अंतर है। रिकॉर्ड में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, विभिन्न के-वैल्यू के बीच उत्पाद की लागत और कीमत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद की कीमतें उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर भिन्न नहीं होती हैं क्योंकि दोनों

मार्गों का उपयोग करके निर्मित अंतिम उत्पाद एक ही होता है और प्रयोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। तदनुसार, वर्तमान जाँच में पीसीएन को अपनाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

12. हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादित कुछ ग्रेडों को इस आधार पर बाहर करने की भी माँग की है कि घरेलू उद्योग ने उनका उत्पादन नहीं किया है। बाहर किए किए जाने के लिए ऐसे अनुरोधों की जाँच प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर की गई है कि क्या ऐसे ग्रेड भारत को निर्यात किए गए थे और क्या घरेलू उद्योग ने उनके समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है।

13. हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ के-वैल्यू वाले पीवीसी रेज़िन को बाहर करने की माँग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि वह के-वैल्यू 57 और 75.5 वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन करता है। प्राधिकारी ने अति-निम्न और अति-उच्च के-वैल्यू वाले उन ग्रेडों को सूची से बाहर रखा है जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अति-निम्न के-वैल्यू और अति-उच्च के-वैल्यू वाले निर्दिष्ट ग्रेडों को उक्त उत्पादों को बाहर करने साथ स्वतः ही सूची से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद में शामिल के-वैल्यू की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रेडों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे ग्रेड के लिए समान वस्तु की आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की गई है और इसलिए, ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने न तो उनके अनुरोधों पर ध्यान दिया है और न ही उनके द्वारा पहचाने गए विशिष्ट ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों को प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले ही दर्ज कर लिया गया है और एक विस्तृत जांच की जा चुकी है। इसके अलावा, यद्यपि प्राधिकारी ने अपनी जाँच में निर्यातकों के नामों का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी अनुरोध किए गए बाहर करने के उत्पाद 55 और 77 के बीच के-वैल्यू वाले ग्रेड का था। चूंकि घरेलू उद्योग ने ऐसे ग्रेडों के समान वस्तु की आपूर्ति की थी, इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया गया है।

15. ऑफ-ग्रेड पीवीसी को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑफ-ग्रेड उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता। ऑफ-ग्रेड उत्पाद किसी विनिर्माता द्वारा विशिष्ट रूप से उत्पादित नहीं किया जाता है, बल्कि किसी भी वस्तु की सामान्य उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम होता है। केवल इसलिए कि किसी उत्पाद को ऑफ-ग्रेड उत्पाद के रूप में बेचा गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने लगातार यह माना है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का निर्णय लेने के लिए केवल गुणवत्ता में अंतर ही महत्वहीन है। इसके अतिरिक्त, ऑफ-ग्रेड पीवीसी को बाहर करने से पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होने की संभावना है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शान करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि ये निम्न गुणवत्ता वाले ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।

16. कई हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सी-पीवीसी के विनिर्माण में प्रयुक्त एस-पीवीसी का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में सी-पीवीसी के केवल दो उत्पादक हैं, अर्थात् डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और एपिग्रल लिमिटेड। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड वर्तमान जाँच में आवेदक भी है। रिकॉर्ड में प्रस्तुत सूचना और प्राधिकारी द्वारा किए गए संयंत्र सत्यापन के अनुसार, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी के उत्पादन हेतु स्वयं द्वारा निर्मित एस-पीवीसी के साथ-साथ भारत में अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ विदेशी उत्पादकों द्वारा निर्मित एस-पीवीसी का भी उपयोग किया है।

17. विशेष रूप से, एपिग्रल लिमिटेड ने फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए एस65सी जैसे विशिष्ट ग्रेड को इस आधार पर बाहर रखने की मांग की कि यह डीसीडब्ल्यू द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड से तकनीकी रूप से भिन्न है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि ऐसी सूचना के स्रोत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने एनएबीएल/आईएसओ मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदान की है। उक्त प्रयोगशाला द्वारा बीआईएस मानकों के अनुसार किए गए परीक्षणों

के अनुसार, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किया गया ग्रेड थोक घनत्व और छिद्रिलता के संदर्भ में तुलनीय है।

विवरण	**ग्रेड का नाम**	**थोक घनत्व**	**प्लास्टिसाइज़र अवशोषण (छिद्रिलता)**
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	पीआरओ 65	0.53	21%
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	पीआरओ 57	0.51	15.45%
फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	एस65सी	0.53	21.8%
थाई पॉलीएथिलीन	एसएफ58एस	0.50	16%
थाई पॉलीएथिलीन	एस66जे	0.51	19.7%

18. घरेलू उद्योग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के विनिर्देशन-तालिका भी उपलब्ध कराई है। तथापि, एपिग्रल ने तर्क दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एपिग्रल का तर्क यह था कि कथित विशेष उत्पाद भारत में उत्पादित नहीं होता है, जो कि सच नहीं है। इसके अलावा, एपिग्रल ने स्वयं कहा है कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ग्रेड खरीदा है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने ऊपर डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा उत्पादित ग्रेड और भारत में आयातित ग्रेड की तुलना की है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, जो घरेलू उद्योग का एक हिस्सा है, द्वारा उत्पादित ग्रेड में थोक घनत्व और प्लास्टिसाइज़र अवशोषण के संबंध में कथित विशेष ग्रेड के समान विशेषताएं हैं।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड एस-पीवीसी के केवल दो ग्रेडों का उत्पादन करता है, जिन्हें व्यापारिक बाजार में बेचा जाता है और साथ ही सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए दो संयंत्र हैं। पुराने संयंत्र में, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड शुष्क प्रक्रिया का उपयोग करके संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है, जिसमें वह कच्चे माल के रूप में एम-पीवीसी का उपयोग करता है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा चालू किया गया नया संयंत्र आर्द्र प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें आवेदक एस-पीवीसी और एम-पीवीसी दोनों का उपयोग करके सी-पीवीसी का उत्पादन करता है।

20. एपिग्रल ने डीसीडब्ल्यू के निवेशक आह्वान पर भरोसा जताया है, जिसमें उसने कहा है कि सी-पीवीसी के निर्माण के लिए विशेष गुणवत्ता वाले पीवीसी की आवश्यकता होती है। उत्तर में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि निवेशक आह्वान डीसीडब्ल्यू द्वारा सी-पीवीसी के पहले संयंत्र का उल्लेख करते हैं, जिसमें वह सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए केवल बड़े पैमाने पर पीवीसी रेजिन का उपयोग कर रहा था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उस संयंत्र में भारी मात्रा में पीवीसी रेजिन का प्रयोग प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित तकनीकी बातों और गारंटियों से नियंत्रित होता है। तदनुसार, वह उस संयंत्र में सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग करने में असमर्थ था।

21. इसके अतिरिक्त, इस संबंध में, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित बातें नोट करते हैं:

> *"डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बाजार की अनुकूल परिस्थितियों में अपने स्वयं के एस-पीवीसी (सस्पेंशन पीवीसी) को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की इसकी क्षमता में निहित है। यह क्षमता सीपीवीसी उत्पादन के लिए इनपुट की निरंतर गुणवत्ता और आपूर्ति की गारंटी देती है, जिससे बाजार में कंपनी की स्थिति और मजबूत होती है।"*

22. इस तर्क के संबंध में कि याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा कोई कैप्टिव खपत नहीं बताई गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 28 मई 2025 को दायर अद्यतन आंकड़ों में डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड दोनों के लिए कैप्टिव खपत की सूचना दी थी।

विवरण*	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड	एमटी	0	0	0	0
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	एमटी	0	0	***	***
घरेलू उद्योग के लिए कुल	एमटी	***	***	***	***
घरेलू उद्योग के लिए कुल (एनसीवी में प्रदान किया गया)	एमटी	100	119	138	161

* घरेलू उद्योग द्वारा दायर कैप्टिव खपत के आंकड़े।

23. एपिग्रल लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि डीसीडब्ल्यू द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का औसत कण आकार फॉर्मोसा द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की तुलना में अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि फॉर्मोसा प्लास्टिक्स लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत उत्पाद का औसत कण आकार भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड के औसत कण आकार से बड़ा है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में एपिग्रल लिमिटेड और फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा विरोधाभासी अनुरोध किए गए हैं।

24. थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी और थाई पॉलीइथिलीन कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि ग्रेड एसजी66जे और एसएफ58एस का उपयोग विशेष रूप से सी-पीवीसी में रूपांतरण के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे ग्रेडों के विनिर्देशन-तालिका के अनुसार, इन ग्रेडों का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। एपिग्रल लिमिटेड द्वारा संलग्न ग्रेड एसएफ58एस और एसजी66जे के लिए तकनीकी आंकड़ा-तालिका में कहा गया है कि इन ग्रेडों का उपयोग ग्राहकों की संतुष्टि के संबंध में सामान्य उद्देश्यों से लेकर विशेष उत्पादों तक के लिए किया जा सकता है।

"एससीजीसी पीवीसी एसएफ58एस एक पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलीमर है जिसका आणविक भार कम और छिद्रता अधिक होती है। एसएफ58एस एक सफ़ेद और मुक्त-प्रवाही रेजिन है जो सस्पेंशन पोलीमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इस रेजिन का उपयोग क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) बनाने के लिए क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रक्रिया में करने की अनुशंसा की जाती है। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए इसके अनुप्रयोग सामान्य प्रयोजन से लेकर विशेष उत्पादों तक विस्तृत हैं।"

"एससीजीसी पीवीसी एसजी66जे एक मध्यम आणविक भार वाला पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलीमर है। एसजी66जे एक सफ़ेद और मुक्त-प्रवाही रेजिन है जो सस्पेंशन पोलीमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इस रेजिन को कई अनुप्रयोगों में आवश्यक वांछित गुण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के योजकों के साथ आसानी से मिश्रित किया जा सकता है। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए इसके अनुप्रयोग सामान्य प्रयोजन से लेकर विशेष उत्पादों तक विस्तृत हैं।"

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सी-पीवीसी के विनिर्माण हेतु कई विशिष्ट ग्रेडों की पहचान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सी-पीवीसी के विनिर्माण हेतु एस-पीवीसी के किसी विशिष्ट ग्रेड का उपयोग नहीं किया जाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचाने गए ग्रेड मुख्यतः उन आयातकों द्वारा आयात किए जाते हैं जो सी-पीवीसी के उत्पादन में शामिल नहीं हैं। ग्रेड एसजी66जे और एसएफ85एस के संबंध में, 92% आयात उन आयातकों द्वारा किया जाता है जो सी-पीवीसी उत्पादन में शामिल नहीं हैं और जाँच अवधि के दौरान केवल 8% का आयात सी-पीवीसी उत्पादन के लिए किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तथाकथित विशिष्ट ग्रेड, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे केवल सी-पीवीसी उपयोग

के लिए उपयुक्त हैं, का अन्य अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया गया है।

क्र.सं.	**आयातक**	**एसजी 66जे और एसएफ85एस के लिए मात्रा एमटी में**	**हिस्सा**
1	एपिग्रल लिमिटेड	***	1%
2	एमके इंडस्ट्रीज	***	7%
3	अन्य	***	92%
4	कुल	***	100%

26. संयंत्र सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड सी-पीवीसी के निर्माण के लिए अपने स्वयं के एस-पीवीसी ग्रेड पीआरओ65 का उपयोग कर रहा था। गहन जाँच और पूरी उत्पादन प्रक्रिया देखी गई। इसके अलावा, प्राधिकारी ने डीसीडब्ल्यू लिमिटेड सहित विभिन्न उत्पादकों द्वारा निर्मित एस-पीवीसी के उपयोग के संबंध में संगत सूचना भी एकत्रित और सत्यापित की, जिसका उपयोग सी-पीवीसी के निर्माण के लिए किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में कैप्टिव रूप से उत्पादित एस-पीवीसी का प्रयोग किया है।

क्र. सं.	**ग्रेड का नाम**	**उत्पादक का नाम**	**खपत की गई मात्रा (एमटी)**		
			जांच की अवधि	**2023-24**	**अप्रैल'24-जन.'25**
1	पीवीसी रेज़िन (सस्पेंशन ग्रेड)-065	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	***	***	***
2	पीवीसी रेज़िन (बोतल ग्रेड)-057	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	***	***	***
3	पीवीसी रेज़िन सस्पेंशन ग्रेड-एलएस 100 एच	एलजी केम लिमिटेड	***	-	-
4	सस्पेंशन पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्रेड एफएस-6701	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	-	-
5	पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन, ग्रेड एसजी-660	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	***	-	-
6	सस्पेंशन पीवीसी रेज़िन के6701	केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड	-	***	***
7	फॉर्मोसा बी57	फॉर्मोसा प्लास्टिक्स	***	***	-
8	पीवीसी वेस्टलेक 1091	वेस्टलेक केमिकल कॉर्पोरेशन	***	***	-
9	पीवीसी वेस्टलेक 123ओपी	वेस्टलेक केमिकल कॉर्पोरेशन	***	***	***
10	पीवीसी रेज़िन पी225	ऑक्सीविनाइल	***	***	***
11	पीवीसी रेज़िन पी1000 एसB	हन्वा सॉल्यूशंस	***	***	***
12	पीवीसी रेज़िन एसजी66जे	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स	***	***	***
13	पीवीसी रेज़िन एसएफ58एस	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स	***	***	***
14	पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन ग्रेड एफ-जे-65आर	असाहिमास केमिकल्स	***	***	-
15	पीवीसी रेज़िन फिटिंग ग्रेड 8010	केमोन	-	***	-
16	सस्पेंशन पीवीसी रेज़िन एस65सी	फॉर्मोसा प्लास्टिक्स	-	-	***
17	पीवीसी रेज़िन फिटिंग ग्रेड पी 700	हन्वा सॉल्यूशंस	-	***	-

18	रिओन पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन क 67	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	-	***
	कुल	-	***	***	***
	कैप्टिव खपत का हिस्सा	-	19%	15%	53%

27. चूँकि डीसीडब्ल्यू ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एस-पीवीसी के घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रेड के साथ-साथ आयातित ग्रेड का भी उपयोग किया है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू ग्रेड और आयातित ग्रेड का परस्पर उपयोग किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से ऐसे किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

28. प्राधिकारी नोट करते है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने सी-पीवीसी से संबंधित "आईएस 17988:2022" जारी किया है। उक्त मानक का संगत सार नीचे दिया गया है।

"5.1 मूल रेजिन: सीपीवीसी रेजिन का निर्माण पीवीसी होमोपॉलीमर के क्लोरीनीकरण द्वारा किया जाता है जो आईएस 17658 के अनुरूप है।"

प्राधिकारी नोट करते है कि यह मानक सी-पीवीसी के निर्माण के लिए एस-पीवीसी के किसी विशेष ग्रेड का उल्लेख नहीं करता है।

29. घरेलू स्तर पर उत्पादित एस-पीवीसी का उपयोग करके उत्पादित सी-पीवीसी की गुणवत्ता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता में अंतर को उत्पाद की समानता या परस्पर परिवर्तनीयता पर विवाद के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया है कि भारत में सभी घरेलू उत्पादक बीआईएस मानकों के अनुसार एस-पीवीसी का उत्पादन करते हैं और सभी घरेलू उत्पादकों के पास एस-पीवीसी के उत्पादन के लिए बीआईएस लाइसेंस हैं। इसके अतिरिक्त, केवल डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए बीआईएस लाइसेंस है। चूँकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड बीआईएस मानकों के अनुसार एस-पीवीसी और सी-पीवीसी का उत्पादन कर रही है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एस-पीवीसी की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है।

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सी-पीवीसी का उपयोग उन पाइपों के उत्पादन में किया जाता है जिनका उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है और इसलिए, एस-पीवीसी के विशेष ग्रेड को बाहर करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि घरेलू उद्योग सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त संबद्ध सामानों के समान वस्तु की पेशकश करता है। इसके अलावा, सभी घरेलू उत्पादकों के पास 2021 के 17658 के तहत बीआईएस लाइसेंस हैं, जिसमें कहा गया है कि उत्पाद का उपयोग खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और पेयजल के संपर्क में किया जा सकता है। इसलिए, किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

31. मास पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, इमल्शन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया और माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित पीवीसी को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच में, प्रारंभिक मद विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करना है, जो देश में पाटित किया जा रहा उत्पाद है। वर्तमान जांच में, विचाराधीन परिभाषित उत्पाद निलंबन प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलीमर है। विचाराधीन परिभाषित उत्पाद के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तु का निर्धारण किया जाता है।

"(घ) "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटित किए जाने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन सामानों के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।"

इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में उन उत्पादों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जिन्हें देश में पाटित किया जा रहा है और जिससे उसकी समान वस्तु के उत्पादन में लगे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मास पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, इमल्शन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया और माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित पीवीसी इस क्षेत्र में समान उत्पाद नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है कि इन्हें भारत में पाटित किया जा रहा है और क्षति हो रही है। इसलिए, प्राधिकारी मास पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, इमल्शन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया और माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित पीवीसी को क्षेत्र में शामिल करने के अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है।

32. अति-निम्न और अति-उच्च के-वैल्यू पीवीसी को बाहर करने के संबंध में किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि इसे बाहर रखा गया था क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया था कि वह उक्त ग्रेड के समान वस्तु की पेशकश नहीं करता है। तथापि, सी-पीवीसी के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त एस-पीवीसी के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद का उपयोग सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए परस्पर रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे ग्रेडों के समान वस्तु की पेशकश की है और ऐसे ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि धारा 9क(1) के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल न होने वाली किसी भी वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में शामिल नहीं किए गए उत्पादों पर वर्तमान जांच में विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सी-पीवीसी के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त एस-पीवीसी वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में शामिल है।

34. एपिग्रल द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एसआईसीएआरटी के साथ एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें एसआईसीएआरटी ने कहा है कि उनकी परीक्षण सुविधा में केवल थोक घनत्व मूल्यांकन ही संभव है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने अपना निर्णय इस तथ्य पर आधारित किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित एस-पीवीसी (कैप्टिव और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित दोनों) के साथ-साथ आयातित एस-पीवीसी का परस्पर उपयोग किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के साथ प्रतिस्थापनीय हैं।

35. एपिग्रल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एस-पीवीसी सी-पीवीसी आवश्यकता के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदर्शित उस उद्देश्य के लिए वास्तविक उपयोग के तथ्य के आलोक में उसे मानने में असमर्थ हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि घरेलू उद्योग वास्तव में घरेलू स्तर पर उत्पादित एस-पीवीसी का उपयोग करके सी-पीवीसी का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयातित ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

36. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच और रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कोई विशिष्ट, स्पष्ट रूप से पहचान योग्य श्रेणी नहीं है जो सी-पीवीसी रेजिन के निर्माण के लिए अद्वितीय हो। एपिग्रल लिमिटेड द्वारा सी-पीवीसी रेजिन के निर्माण के लिए विशेष रूप से दावा किए गए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और ऐसे अन्य पीवीसी रेजिन भी हैं जिनका उपयोग सी-पीवीसी रेजिन के निर्माण के लिए किया गया है। इसे देखते हुए, दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं। अतः, प्राधिकारी यह

मानने का प्रस्ताव करते हैं कि एपिग्रल लिमिटेड द्वारा दावा किए गए ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किए जाने का औचित्य नहीं रखते हैं।

37. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सी-पीवीसी के उत्पादन में प्रयुक्त ग्रेड को बाहर रखा जाना चाहिए, इस अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय के निर्देश का क्रियान्वयन अस्थायी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करके आगे कोई निर्णय नहीं ले लेता।

38. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के-57, के-60 और के-70 - के-77 का उत्पादन नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद का उत्पादन किया है और व्यापारिक बाजार में बेचा है। अतः, इसे बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

39. भारत में के-57 की उपलब्धता के संबंध में कैप्रिहैंस द्वारा प्रदान किए गए पत्र के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार का पत्र गोपनीय आधार पर प्रत्युत्तर अनुरोधों में प्रदान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने एथिलीन-आधारित उत्पादन पद्धति का उपयोग करके के-57 का उत्पादन किया है और जाँच अवधि के दौरान इसे घरेलू बाजार में वाणिज्यिक मात्रा में बेचा गया है। कैप्रिहैंस ने उत्पाद के औषधीय उपयोग के लिए आवश्यक कोई अन्य विनिर्देशन प्रदान नहीं किए हैं और यह भी निर्दिष्ट नहीं किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद द्वारा वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से कैसे प्रतिस्थापनीय हैं।

40. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि डीसीएम श्रीराम द्वारा उत्पादित के-57, प्रयुक्त कैल्शियम कार्बाइड प्रौद्योगिकी के कारण औषधीय अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि विभिन्न प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पाद की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन होता है। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, के-57 का उत्पादन डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा एथिलीन उत्पादन पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इस प्रकार, यह अनुरोध कि के-57 का निर्माण भारत में कैल्शियम कार्बाइड पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अतिरिक्त, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने जाँच अवधि के दौरान के-57 की पर्याप्त मात्रा बेची है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं है।

	विवरण	मात्रा (एमटी)
1.	जांच की अवधि में डीसीडब्ल्यू द्वारा के-57 की बिक्री	***
2.	जांच की अवधि में डीसीडब्ल्यू द्वारा कुल बिक्री	***
3.	के-57 की बिक्री का हिस्सा	38%

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चूँकि घरेलू उद्योग के-57 का निर्माण नहीं कर रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग को कोई राजस्व हानि नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान के-57 का उत्पादन किया है। इसके अतिरिक्त, के-57 ग्रेड का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के अलावा अन्य अनेक अनुप्रयोगों में किया जाता है। संबद्ध देशों से आयातित के-57 ग्रेड, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अतः, प्राधिकारी इस कारण उसे बाहर करने का कोई आधार नहीं पाते।

42. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा के-57 के उत्पादन और बिक्री के लिए किए गए साक्ष्य और सत्यापन को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि

ऐसी सूचना व्यवसाय के प्रति संवेदनशील प्रकृति की है। ऐसी सूचना के प्रकटन से सबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

43. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित क्षेत्र का निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं।

"विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर, जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन भी कहा जाता है, सस्पेंशन पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक होता है।

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. अति-निम्न के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (के-वैल्यू 55 तक)

ii. अति-उच्च के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (के-वैल्यू 77 से अधिक)

iii. क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी

iv. क्लोरीनयुक्त पीवीसी (सीपीवीसी),

v. विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर (वीसी-वीएसी),

vi. पीवीसी पेस्ट रेज़िन/इमल्शन रेज़िन

vii. मास पॉलीमराइज़ेशन पीवीसी

viii. पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेज़िन।

इसके अलावा, इमल्शन पॉलीमराइज़ेशन द्वारा निर्मित पीवीसी रेज़िन, बल्क मास पॉलीमराइज़ेशन द्वारा निर्मित पीवीसी रेज़िन, और माइक्रो सस्पेंशन पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित पीवीसी रेज़िन भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।"

44. संबद्ध सामान सीमा शुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि विचाराधीन उत्पाद का आयात एचएस कोड 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 और 3904 21 10 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तदनुसार, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ 4-अंकीय स्तर के एचएस कोड, अर्थात् 3904, पर विचार किया जाए। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

45. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित सामानों के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक गुण-धर्मो, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि संबद्ध सामानों के उत्पादन में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, फिर भी अंतिम उत्पाद के विनिर्देश तुलनीय हैं और उनका उपयोग प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से भारत में आयातित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से करते हैं। इसी के मद्देनजर, नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

46. वर्तमान जाँच पूरी करने की वैधानिक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अंतिम जांच परिणाम जारी किए जा रहे हैं। प्रस्तावित निर्णय इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

47. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी को सभी घरेलू उत्पादकों को यह स्पष्ट करने का निर्देश देना चाहिए कि वे याचिका का समर्थन कर रहे हैं या नहीं और क्षति मानदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें।

ii. डीसीडब्ल्यू ने व्यापारियों से आयातित उत्पाद खरीदा है, जिसका अर्थ है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सामानों का आयात किया है। डीसीडब्ल्यू की पात्रता की पुनः जाँच की जानी चाहिए।

iii. आवेदकों ने जाँच अवधि के दौरान किए गए आयातों का खुलासा नहीं किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की पर्याप्तता और सटीकता की जांच नहीं की है।

iv. आवेदकों ने जांच की अवधि के बाद सीधे विशेष ग्रेड का आयात करना शुरू कर दिया है, जो जाँच अवधि के दौरान संबद्ध कंपनियों के माध्यम से आयात किए जा रहे थे। यह पाटनरोधी नियमावली का उल्लंघन है।

v. भाग लेने वाले घरेलू उद्योग का उत्पादन में हिस्सा 34% है, जबकि भाग न लेने वाले उत्पादकों का कुल उत्पादन में 66% हिस्सा है। चूँकि उद्योग विखंडित नहीं है और लगभग 14 वर्षों से शुल्क लागू है, इसलिए केवल 50% से अधिक के हिस्से को ही प्रमुख अनुपात माना जाना चाहिए।

vi. रिलायंस और फिनोलेक्स को घरेलू उद्योग से बाहर रखना अनुचित है क्योंकि उनके आयात, संबद्ध आयात, मांग और उत्पादन की तुलना में नगण्य हैं और ऐसे उत्पादक संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

vii. रिलायंस जहां पहले की जांच में आवेदक था, वहीं फिनोलेक्स पीवीसी पेस्ट की चल रही जांच में समर्थक है। वर्तमान जांच में उनकी अपात्रता नहीं मानी जा सकती।

viii. हालांकि भारतीय बाजार में आरआईएल की दोहरी भूमिका है, अर्थात उत्पाद का उत्पादक और अपने नेटवर्क के माध्यम से वितरण के लिए उत्पाद का आयातक, फिर भी इसने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इसके कारण प्राधिकारी को भारत में बाजार की स्थितियों, कीमत निर्धारण व्यवहार और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की पूरी और सटीक समझ नहीं है।

ix. प्राधिकारी ने पहले भी कई मामलों में उन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में योग्य माना है जिन्होंने संबद्ध सामानों का आयात किया था।

x. रिलायंस और फिनोलेक्स की अयोग्यता पर निर्णय लेने से पहले, प्राधिकारी को (i) घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात की मात्रा की निरपेक्ष रूप से और कुल आयात के प्रतिशत के रूप में, (ii) कंपनी की आवश्यक वाणिज्यिक प्रकृति, चाहे वह उत्पादक हो या आयातक, (iii) आयात का कारण और (iii) घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति पर आयात के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

xi. रिलायंस और फिनोलेक्स संबद्ध सामानों के दो सबसे बड़े निर्माता हैं और इसलिए, उन्हें वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए अपनी सूचना प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि प्लेन एमडीएफ बोर्ड और पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड के मामलों में किया गया था।

xii. रिलायंस और फिनोलेक्स का क्षति का अनुभव होने पर व्यापार सुधारात्मक उपाय करने का एक सुस्थापित इतिहास रहा है और इस प्रकार, वर्तमान मामलों में उनकी अनुपस्थिति कथित क्षति के संबंध में चिंता उत्पन्न करती है।

xiii. रिलायंस और फिनोलेक्स द्वारा पहले प्रदान किए गए आयातों के विवरण पर विचार नहीं किया गया है। प्रकटन में की गई यह टिप्पणी कि रिकॉर्ड में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है, गलत है। इसके अलावा, जबकि प्राधिकारी ने माना है कि आरआईएल और फिनोलेक्स द्वारा किए गए आयातों की जांच की गई है, आयातों का विस्तृत मूल्यांकन और उसके आधार का खुलासा नहीं किया गया है।

xiv. यद्यपि प्राधिकारी ने डीसीडब्ल्यू को उसके द्वारा किए गए आयातों के बावजूद पात्र माना है, आरआईएल और फिनोलेक्स को उनके आयातों के कारण अपात्र माना गया है। प्राधिकारी ने विरोधाभासी रुख अपनाया है क्योंकि डीसीडब्ल्यू और आरआईएल/फिनोलेक्स के क्रियाकलाप समान हैं। जबकि प्राधिकारी ने नोट किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने तकनीकी विचार के लिए नहीं बल्कि वाणिज्यिक विचार के लिए आयात किया है, आरआईएल और फिनोलेक्स ने भी वाणिज्यिक विचार के लिए आयात किया है।

xv. सीमलेस पाइप और ट्यूबों के आयात की पाटनरोधी जांच में, प्रमुख उत्पादक द्वारा सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण प्राधिकारी ने जांच समाप्त कर दी।

xvi. चूंकि यह उत्पादकों के एक ही समूह द्वारा चौथा आवेदन-पत्र है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने से पहले रिलायंस और फिनोलेक्स की स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करना प्राधिकारी का दायित्व है।

xvii. इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि क्या आवेदकों के संबद्ध पक्षकार, जो निचले स्तर के सामानों के उत्पादन में लगे हैं, ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात किया है।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

48. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह आवेदन-पत्र केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii. भारत में दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अन्य घरेलू उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इस प्रकार, ऐसे उत्पादकों को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग मानने के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए।

iii. आवेदकों के पास अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों के संबंध में सूचना नहीं है। प्राधिकारी फिनोलेक्स और आरआईएल द्वारा किए गए आयातों की जांच कर सकते हैं।

iv. केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ईडीसी मार्ग का उपयोग करके संबद्ध सामानों का उत्पादन करते हैं, जबकि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड कार्बाइड मार्ग का उपयोग करके संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है।

v. आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी भी आयातक या संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं।

vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदकों के पास ऐसे कोई संबंधित पक्षकार नहीं हैं जो आयातक हो सकते हैं।

vii. डीसीडब्ल्यू ने जांच की अवधि के दौरान पाटित वस्तु का आयात नहीं किया है, और केवल घरेलू बाजार में व्यापारियों से एस-पीवीसी खरीदा है। डीसीडब्ल्यू ने ऐसे सामानों के लिए प्रवेश बिल दायर नहीं किए, और उनका आयात आवेदक के निर्देशों के तहत नहीं किया गया था। इसलिए, वह नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत "आयातक" नहीं हैं।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आरआईएल/फिनोलेक्स द्वारा आयात और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा खरीद के उद्देश्य की जांच करना आवश्यक है। जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने निचले स्तर के उत्पाद के निर्माण के लिए विचाराधीन उत्पाद खरीदा है, आरआईएल और फिनोलेक्स ने भारत में व्यापार के लिए उत्पाद का आयात किया है।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने सीमलेस पाइप और ट्यूब के आयात की जांच समाप्त कर दी क्योंकि एमएसएल लिमिटेड द्वारा समर्थन पत्र में दायर आंकड़ों में कोई क्षति नहीं दिखाई गई। हालाँकि, रिकॉर्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है जो दर्शाती हो कि रिलायंस और फिनोलेक्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।

x. यह आरोप कि डीसीडब्ल्यू द्वारा एस-पीवीसी की खरीद के तथ्य को छिपाया गया था, उचित नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी द्वारा किसी निर्धारित प्रारूप या अन्यथा के तहत ऐसी सूचना नहीं मांगी गई थी।

xi. यह आरोप कि एमके इंडस्ट्रीज डीसीडब्ल्यू लिमिटेड का एकमात्र व्यापारी है, सही नहीं है, क्योंकि डीसीडब्ल्यू ने पूर्व द्वारा आयातित मात्रा का केवल [***%] ही खरीदा है, जबकि शेष अन्य ग्राहकों को बेच दिया गया है।

xii. चूँकि डीसीडब्ल्यू ने सीपीवीसी के उत्पादन के लिए निजी तौर पर आयातित एस-पीवीसी का उपभोग किया है, इसलिए इसने पाटन में योगदान नहीं दिया है या खुद को इससे बचाया नहीं है। एपिग्रल ने भी अपने अनुरोधों में इसे स्वीकार किया था।

xiii. व्यापारियों से डीसीडब्ल्यू द्वारा खरीदी गई मात्रा भारत में उत्पादन, खपत और आयात के संबंध में नगण्य थी।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए आयात के उद्देश्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। आरआईएल और फिनोलेक्स ने वर्तमान मामले में पाटन से लाभ उठाने के लिए उत्पाद का आयात किया है।

xv. आरआईएल और फिनोलेक्स द्वारा वर्तमान जाँच में भाग लेने से इनकार करना, पाटित वस्तुओं का आयात जारी रखने के निहित स्वार्थ को दर्शाता है।

xvi. यदि अन्य घरेलू उत्पादकों को अपात्र माना जाता है, तो आवेदकों का भारत में समान वस्तु के उत्पादन में 100% हिस्सा है।

xvii. यदि अन्य घरेलू उत्पादकों को अपात्र नहीं माना जाता है, तो भी आवेदकों का भारत में घरेलू उत्पादन में प्रमुख उत्पाद है और इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 के अनुसार अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

xviii. प्राधिकारी ने पिछली कई जाँचों में उत्पादन में 30% हिस्सेदारी को प्रमुख अनुपात माना है। पिछली निर्णायक समीक्षा में भी, वर्तमान आवेदकों को घरेलू उद्योग माना गया था। ल्यूब्रिजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में न्यायाधिकरण ने माना कि प्रमुख अनुपात कोई गणितीय गणना नहीं है, बल्कि एक ऐसे हिस्से को दर्शाता है जो कुल भारतीय उत्पादन में महत्वपूर्ण और काफी है।

xix. यह तथ्य कि अन्य घरेलू उत्पादक पिछली जाँच या किसी अन्य उत्पाद की जाँच में आवेदक या समर्थक थे, वर्तमान जाँच के लिए अप्रासंगिक है।

xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जिस अवधि के लिए शुल्क लागू रहे हैं, वह घरेलू उद्योग बनने के लिए संगत नहीं हैं।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

49. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

50. केमप्लास्ट कुड्डालोर प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने वर्तमान पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

51. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों और आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर भरोसा किया है। चूँकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के आयात में शामिल हैं, इसलिए प्राधिकारी उन्हें आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से अपात्र मानने का प्रस्ताव करते हैं। यह नोट किया जाता है कि फिनोलेक्स द्वारा आयात उनके उत्पादन का [***]% है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आयात उनके उत्पादन के [***]% के बराबर है।

52. इसके अतिरिक्त, यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाता है, तब भी आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख उत्पाद है। इस प्रकार, आवेदक घरेलू उद्योग बने रहेंगे, भले ही फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पात्र माना जाए।

53. इस अनुरोध के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से आयात किया है और इस प्रकार, उसे घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं माना जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने घरेलू बाजार में व्यापारियों से एस-पीवीसी खरीदा है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि ऐसे उत्पाद का उपयोग सी-पीवीसी संयंत्र में परीक्षण उद्देश्यों के लिए किया गया है और जाँच की अवधि के दौरान कोई प्रत्यक्ष आयात नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद घरेलू बाजार से खरीदा है और उसका आयात नहीं किया है। यदि ऐसी खरीद को आयात माना भी जाता है, तो रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि भारत में कुल मांग, भारत में कुल उत्पादन और भारत में कुल आयात की तुलना में ऐसी खरीद नगण्य हैं।

विवरण	**यूनिट**	**मात्रा**
व्यापारियों से एस-पीवीसी की कुल खरीद	एमटी	***
भारत में कुल मांग	एमटी	37,14,880
मांग के सापेक्ष खरीद	%	0.1% से कम
भारत में कुल उत्पादन	एमटी	14,21,344
उत्पादन के सापेक्ष खरीद	%	0.1% से कम
भारत में कुल आयात	एमटी	24,92,603
आयात के सापेक्ष खरीद	%	0.1% से कम

54. कुछ पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने एमके इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक विशिष्ट करार के तहत आयात किया है। हालाँकि, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने एमके इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए कुल आयात का केवल [***]% ही खरीदा है। जाँच अवधि के दौरान डीसीडब्ल्यू द्वारा घरेलू स्तर पर खरीदा गया कुल एस-पीवीसी [***] एमटी है, जिसमें से [***] एमटभ् एमके इंडस्ट्रीज से खरीदा गया था। इस प्रकार, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और एमके इंडस्ट्रीज के बीच कोई विशेष करार नहीं हो सकता।

विवरण	यूनिट	कुल	डीसीडब्ल्यू को बेचा गया	अन्यों को बेचा गया
एमके इंडस्ट्रीज द्वारा जांच अवधि में आयात	एमटी	***	***	***
	%	100%	9%	91%

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरआईएल और फिनोलेक्स के आयात विवरण उपलब्ध कराए हैं और उक्त उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। इसके

अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि आयात के बावजूद डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को पात्र माना गया है, जबकि आरआईएल और फिनोलेक्स को अपात्र माना गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू बाजार में व्यापारियों से संबद्ध सामानों की खरीद की है और उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरआईएल और फिनोलेक्स द्वारा आयात की प्रकृति और उद्देश्य की जांच करना आवश्यक है। यद्यपि डीसीडब्ल्यू ने निचले स्तर के उत्पाद के विनिर्माण के लिए संबद्ध सामानों की खरीद की है, परंतु इसने घरेलू बाजार में उत्पाद का व्यापार नहीं किया है। इसकी तुलना में, आरआईएल और फिनोलेक्स ने विचाराधीन उत्पाद का व्यापार किया है और भारत में पाटन से खुद को बचाया है/इसमें योगदान किया है। इसके अतिरिक्त, दोनों घरेलू उत्पादकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करना पसंद किया है।

56. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा खरीदी गई संबद्ध सामानों की मात्रा नगण्य है। इस प्रकार, जबकि डीसीडब्ल्यू को घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना गया है, घरेलू बाजार से खरीद, संबद्ध सामानों की खरीद का उद्देश्य और आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी आरआईएल और फिनोलेक्स को अपात्र मानने का प्रस्ताव करते हैं।

57. किसी भी स्थिति में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि आरआईएल और फिनोलेक्स पर विचार भी किया जाता है, तो आवेदको का कुल उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इस अनुरोध के संबंध में कि 50% को प्रमुख अनुपात माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख अनुपात का अर्थ महत्वपूर्ण, गंभीर या काफी है। इस प्रकार, प्रमुख अनुपात को गणितीय गणना नहीं माना जा सकता। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने लुब्रीज़ोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005 (187) ई.एल.टी. 402 (ट्राई-डेल)] के मामले में यह माना कि प्रमुख अनुपात बनने के लिए 50% से अधिक होना आवश्यक नहीं है।

> *15.1 यहाँ हम ध्यान दें कि नियम 2(ख) में 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करने वाले "कुल उत्पादन का प्रमुख अनुपात" शब्दों का अर्थ कुल उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात या महत्वपूर्ण भाग भी लगाया जा सकता है, जो आवश्यक रूप से 50% से अधिक नहीं हो सकता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, "प्रमुख अनुपात" शब्द का अर्थ "महत्वपूर्ण, गंभीर या काफी" है। इस संदर्भ में, "अनुपात" शब्द का अर्थ हिस्सा होगा। इसलिए, घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संदर्भ में, "प्रमुख अनुपात" शब्द का अर्थ काफी या महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है और इसके अनुसार, कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा, जो 31% से अधिक है, निस्संदेह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अर्थात उसका एक प्रमुख अनुपात। "कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात" शब्दों को किसी समग्र के विभिन्न भागों के तुलनात्मक माप या आकार से संबंधित गणितीय योग को हल करने के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। यह वाक्यांश घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और इसकी व्यापक व्याख्या की जा सकती है ताकि इसके व्यापक सामूहिक अर्थ को शामिल किया जा सके। ऐसा उत्पादन जो नियम 2(ख) के अनुसार, विनिर्माण में लगे उत्पादकों या ऐसे उत्पाद के विनिर्माण से जुड़ी किसी गतिविधि में लगे उत्पादकों द्वारा उत्पादित कुल घरेलू उत्पादन का एक महत्वपूर्ण या प्रमुख हिस्सा बनता है..."*

58. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की यह सतत् परिपाटी रही है कि वे प्रमुख अनुपात को महत्वपूर्ण अनुपात मानते हैं, न कि केवल उत्पादकों को, जो कुल घरेलू उत्पादन का 50% या उससे अधिक हिस्सा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के आयातों पर अपनी पिछली जाँचों में वर्तमान आवेदकों को घरेलू उद्योग माना है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसमें भाग नहीं लिया है।

59. आवेदकों की संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए आयातों के बारे में किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच करने पर उन्हें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि आवेदकों की संबंधित कंपनियों ने उत्पाद का आयात किया है।

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं।

61. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग हैं और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

62. गोपनीयता के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी द्वारा जारी प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के वास्तविक आंकड़े प्रकट नहीं किए गए हैं, भले ही घरेलू उद्योग द्वारा इनका खुलासा किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं किसी भी सूचना को गोपनीय होने का दावा नहीं कर सकते।

ii. आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि वे बिक्री मूल्य, कैप्टिव खपत के लिए बिक्री मूल्य और कीमत, पीबीआईटी, ब्याज और वित्तीय लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय और क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य की गणना के लिए समग्र आंकड़े साझा करने में विफल रहे हैं।

iii. आवेदकों ने दो अलग-अलग शीर्षों, अर्थात् घरेलू बिक्री - एसएसआई और एसएसआई के अलावा घरेलू बिक्री - के तहत बिक्री मात्रा, कीमत और मूल्य प्रदान नहीं किया है।

iv. घरेलू उद्योग ने उस उत्पादक का नाम प्रकट नहीं किया है जिसकी सूचना का उपयोग चीन को छोड़कर अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए किया गया है।

v. जबकि आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है, आयातों की सूचना प्रोफार्मा IV-क में दी गई है, जिसे गोपनीय बताया गया है।

vi. प्रभाव की गणना के लिए विचारित पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया है।

vii. आवेदकों ने याचिका में संपूर्ण वाक्यों को गोपनीय बताया है, जिसके कारण अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत सूचना को समझने में असमर्थ हैं।

viii. घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र में उठाई गई धनराशि का विवरण नहीं दिया है।

ix. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित सूचना प्रदान न करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है: (i) आयात आंकड़े, (ii) तकनीकी विनिर्देशन, (iii) आवेदक की बिक्री क्षमता और उत्पादन, (iv) भारत में वास्तविक मांग, (v) विचाराधीन उत्पाद का वास्तविक आयात और (vi) अनुमानित वृद्धि और वास्तविक मंदी सिद्ध करने के लिए साक्ष्य। ऐसी कुछ सूचना वार्षिक रिपोर्ट में आसानी से उपलब्ध है।

x. जबकि आवेदक का संपूर्ण अनुरोध वास्तविक मंदी के दावे पर आधारित है, परियोजना रिपोर्ट के संबंध में दावा की गई पूर्ण गोपनीयता हितबद्ध पक्षकारों को अनुमानों की शुद्धता और वैधता के बारे में टिप्पणी करने से रोकती है।

xi. शटडाउन के संबंध में सूचना को पूरी तरह से गोपनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

xii. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और उत्पादन लागत के निर्धारण हेतु विस्तृत और गोपनीय गणनाओं का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी गणना के लिए किस सूचना का उपयोग किया जाता है।

xiii. रिलायंस और फिनोलेक्स द्वारा किए गए आयातों का विवरण किसी भी अनुरोध में नहीं दिया गया है।

xiv. लेन-देन-वार आयात आंकड़े, जिस रूप में उसे रिकॉर्ड में लिया गया था, सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिए जाने चाहिए, जैसा कि एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टैट द्वारा माना गया है।

xv. जिस वर्ष शटडाउन हुआ था, वह दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संभव है कि घरेलू उद्योग शटडाउन के कारण हुए नुकसान से उबर रहा हो। यूरोपीय संघ (फुटवियर) चीन मामले में पैनल के निर्णय के अनुसार, प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पादक आंकड़ों का एक उपयुक्त अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

63. गोपनीयता के दावे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में देर से अनुरोध किए हैं।

ii. कई विदेशी उत्पादकों ने भारत में अपने उत्पाद का निर्यात करने वाले व्यापारियों और निर्यातकों के नाम गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. कई उत्पादकों/निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने वितरण और विपणन चैनल के साथ-साथ संबंधित कंपनियों के विवरण, समायोजन के रूप में दावा किए गए व्यय की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया और कच्ची सामग्री के नाम का खुलासा नहीं किया है।

iv. उत्पाद सूची और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची, जिसे नियमित रूप से ग्राहकों के साथ साझा किया जाता है, को गोपनीय बताया गया है।

v. कई पक्षकारों ने व्यापार सूचना 01/2013 के अनुसार गोपनीयता का औचित्य नहीं बताया है।

vi. कई उत्पादकों और निर्यातकों ने कंपनी संबद्धता, शेयरधारिता और उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादकों के नाम को गोपनीय बताया है।

vii. बीजक के बाद दी गई छूट का विवरण और प्रकृति को गोपनीय बताया गया है।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकता का पालन नहीं किया है।

ix. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड ने घरेलू उद्योग को इकाई के कामकाज में चीन सरकार की भागीदारी पर टिप्पणी करने में सक्षम बनाने के लिए संगठन चार्ट और संरचना प्रदान नहीं की है। शेयरधारकों की सूची, चीन में स्थित संबद्ध या असंबद्ध कंपनी से कच्ची सामग्री और यूटिलिटयों की खरीद की गई है या नहीं, कार्मिकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया और शासकीय कानूनों का विवरण गोपनीय रखा गया है।

x. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के वास्तविक आंकड़े प्राधिकारी द्वारा साझा किए जा सकते हैं।

xi. घरेलू उद्योग के पास डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों तक पहुंच नहीं है और इसलिए, इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान नहीं किया जा सकता है। बाजार आसूचना आंकड़े तीसरे पक्षकार की सूचना है और इसलिए, इसे साझा नहीं किया जा सकता है। एक अगोपनीय आयात सारांश साझा किया गया है।

xii. घरेलू उद्योग ने पहले ही तकनीकी विनिर्देशन, वास्तविक क्षमता और उत्पादन, वास्तविक मांग और वास्तविक वृद्धि साझा कर दी है।

xiii. चूँकि वर्तमान जाँच में कोई वास्तविक मंदी नहीं है, इसलिए ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा साझा किया जा सके।

xiv. संयंत्र बंद होने के विवरण में वाणिज्यक स्वामित्व संबंधी सूचना शामिल है और इसलिए इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया जा सकता।

xv. सीजीपीसी, सीजीपीसी पॉलिमर और फॉर्मोसा ने मात्रा में अंतर के समायोजन के संबंध में सूचना का खुलासा नहीं किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को इस संबंध में अनुरोध करने से रोकना है।

xvi. ताइयो जैसे पक्षकारों ने दावा किया है कि उनके तर्क भी गोपनीय हैं, जिससे घरेलू उद्योग की प्रभावी उत्तर देने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है।

xvii. जबकि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत और पाटन मार्जिन के लिए गोपनीय गणनाओं को निर्यातकों के साथ साझा करने पर आपत्ति नहीं करता है, क्षति मार्जिन की गणनाएँ घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित हैं और उनका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं है। घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना आंकड़ों पर भरोसा किया है और उसका अगोपनीय सारांश सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया गया है।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान असामान्य शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ा।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

64. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

65. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर देने का निर्देश दिया गया था।

66. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

67. घरेलू उद्योग द्वारा कुछ मानदंडों को साझा न करने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ मानदंड व्यापार सूचना संख्या 05/2021 द्वारा अधिसूचित आवश्यकताओं का हिस्सा नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट न की गई कीमत निर्धारण संबंधी सूचना के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसी सूचना व्यापारिक स्वामित्व वाली प्रकृति की है और इसके प्रकटन से बाजार में उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आवेदकों द्वारा अन्य घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं से ली जा रही कीमतों और उनके द्वारा रखे जा रहे मार्जिन का अनुमान उपलब्ध होगा। ऐसे औसत कीमत निर्धारण के प्रकटन से ग्राहकों को उनके द्वारा भुगतान की जा रही कीमतों की तुलना बाजार में औसत कीमत से करने का अवसर भी मिलेगा। अतः, प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है।

68. इस अनुरोध के संबंध में कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के वास्तविक आंकड़े साझा किए जाने चाहिए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन्हें प्रकटन विवरण के साथ-साथ वर्तमान जांच परिणामों में भी साझा किया गया है। प्रारंभिक जांच परिणामों में ऐसी सूचना साझा न करने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा इसे पहले ही साझा किया जा चुका है। किसी भी स्थिति में, सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया था क्योंकि प्रकटन विवरण में इसका खुलासा किया गया था।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जाँच में गोपनीयता पर देर से टिप्पणियाँ दायर की हैं। जाँच की शुरूआत करने की अधिसूचना के अनुसार, जो भी हितबद्ध पक्षकार गोपनीयता पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें अगोपनीय अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर ऐसा करना था। हालाँकि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने केवल लिखित अनुरोधों में ही टिप्पणियां दायर की हैं। इसलिए, वे अनुरोध समय-सीमा पार कर चुके हैं।

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ ऐसी सूचनाओं के प्रकटन की माँग की है, जो व्यापारिक स्वामित्व वाली प्रकृति की हैं, या तीसरे पक्षकारों से प्राप्त की गई थीं और जिनका प्रकटन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को संयंत्र बंद होने की अवधि जैसी सूचनाओं को गोपनीय बताने के लिए उचित कारण मौजूद लगते हैं। इसी प्रकार, क्षति मार्जिन, जो क्षति-रहित कीमत पर आधारित है, का प्रकटन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि घरेलू उद्योग ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को आयात आँकड़ों का एक उपयुक्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान किया है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया है और इसलिए, वर्तमान जाँच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।

71. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा किया है और उसे साझा किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति से संबंधित है, न कि वास्तविक मंदी से। घरेलू उद्योग ने न तो परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराई है और न ही उस पर भरोसा किया है। अतः, इस पर गोपनीयता का कोई दावा नहीं है।

72. आरआईएल और फिनोलेक्स द्वारा आयातों का विवरण साझा किए जाने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग द्वारा ऐसी सूचना प्रदान नहीं की गई है। प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का उपयोग करके ऐसी सूचना का विश्लेषण किया गया है। चूंकि ऐसी सूचना अन्य घरेलू उत्पादकों की गोपनीय सूचना होती है, इसलिए इसे घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया जा सकता।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदकों द्वारा दायर किए गए आयात आंकड़ों को, जिस रूप और तरीके से रिकॉर्ड में लिया गया था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

ii. आवेदकों को प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की अधिसूचना में विचार की गई जांच अवधि के लिए अद्यतन याचिका प्रस्तुत और परिचालित करनी चाहिए।

iii. वर्तमान जांच की शुरुआत निराधार है क्योंकि आवेदकों ने पाटनरोधी शुल्क शुरू करने की शर्त को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं।

iv. आवेदक पाटनरोधी शुल्क का अनुचित लाभ उठा रहे हैं क्योंकि उत्पाद लंबे समय से पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन रहा है।

v. जांच की लंबी अवधि का चयन करने की आवश्यकता है क्योंकि आधार वर्ष के दौरान पीवीसी की कीमतें कम थीं और कोविड-19 के कारण काफी बढ़ गईं। कीमतें केवल 2023 में ही स्थिर हुई हैं।

vi. यदि प्राधिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित समझें, तो नमूना उत्पादकों की भारित औसत दर के आधार पर सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड और यिबिन हैफेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड के लिए शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए। क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड और तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को अंतिम जांच परिणामों में भी सहयोगी उत्पादक माना जाना चाहिए।

vii. उत्तरदाता उत्पादकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग से एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि पहुँच मूल्य क्षतिरहित कीमत से कम नहीं है।

viii. प्रारंभिक जांच परिणामों में निर्यातक को "सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि इसे "सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड" होना चाहिए। निर्यातक ने पहले ही इस तरह के सुधार का अनुरोध किया है।

ix. उत्पाद पर लगभग 14 वर्षों से शुल्क था, और घरेलू उद्योग ने शुल्क की समाप्ति के 2 वर्षों के भीतर शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। वर्तमान जाँच प्रभावी रूप से एक तीसरी निर्णायक समीक्षा है और इसलिए शुल्क लगाना एक लंबी सुरक्षा होगी। यदि प्राधिकार द्वारा शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो यह 30 महीने से कम समय के लिए होना चाहिए, जैसा कि दूसरी निर्णायक समीक्षा में किया गया था।

x. यूएस-ओसीटीजी में अपीलीय निकाय ने माना है कि पाँच वर्ष की अवधि से अधिक समय तक शुल्क जारी रहना एक अपवाद होना चाहिए। केवल कुछ समय बीत जाने के बाद, संबंधित आयातों पर फिर से शुल्क लगाना उचित नहीं है।

xi. 24 जून 2025 से लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, विचाराधीन उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित करेगा। जबकि चीन के कई उत्पादक बीआईएस लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं, सरकार उनके लिए प्रमाणन की प्रक्रिया नहीं कर रही है।

xii. कई देशों को निर्यात के बावजूद, संबंधित सामानों के निर्यात पर अन्य देशों द्वारा पाटनरोधी जाँच के शायद ही कोई उदाहरण हैं।

xiii. आशीर्वाद पाइप्स को संबंधित सामानों के आयात के संबंध में किसी भी कदाचार या गैरकानूनी परिपाटियों की सूचना नहीं है, न ही वह इसमें शामिल है या इससे जुड़ा है।

xiv. अपने प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने केवल पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में ही निष्कर्ष निकाला है। प्राधिकारी ने इस बात की जाँच नहीं की है कि क्या जाँच प्रक्रिया के दौरान क्षति को रोकने के लिए अनंतिम शुल्क लगाना अनिवार्य है, जैसा कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7.1 में अपेक्षित है।

xv. प्रारंभिक जांच परिणामों "किसी" या "सभी" मामलों में जारी नहीं किए जा सकते, बल्कि केवल "उपयुक्त मामलों" में ही जारी किए जा सकते हैं, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में अपेक्षित है। जी.एम. एक्सपोर्ट्स में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार, उन मामलों

को समझने के लिए पाटनरोधी करार का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जो शुल्क लगाने के लिए "उपयुक्त" हैं।

xvi. निर्यातकों के नामों को सही किया जाना चाहिए क्योंकि प्रारंभिक जांच परिणामों में उनका गलत उल्लेख किया गया है।

xvii. निर्धारित शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि आयात अधिक कीमत पर होने पर भी प्रयोक्ता को यह शुल्क चुकाने के लिए बाध्य किया जाएगा। चूँकि आयात अपरिहार्य हैं, इसलिए संदर्भ कीमत शुल्क, यदि कोई हो, लगाया जाना चाहिए। संदर्भ कीमत तंत्र के दुरुपयोग संबंधी अनुरोध निराधार हैं क्योंकि इसके लिए प्रभावी निगरानी तंत्र मौजूद हैं।

xviii. क्षति मार्जिन की सीमा तक निश्चित कोटा या शुल्क लगाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार कम कीमत वाले घटिया माल से अटा न पड़े। शुल्क के ट्रिगर कीमत रूप को लगाया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ न हो।

xix. पाटन मार्जिन तालिका में, "शिन दाई-इची विनाइल कॉर्पोरेशन" के नाम को "टोकुयामा कॉर्पोरेशन" से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों कंपनियों का विलय हो गया है और टोकुयामा अब उत्पादक है।

xx. प्राधिकारी ने समय से पहले सुनवाई की क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एपिग्रल उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों के आधार पर प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xxi. याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी जाँच शुरू करने की शर्त को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है।

xxii. वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकारी ने नियम 17 के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई जांच परिणाम जारी नहीं किया है। जांच की समयावधि बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार का कोई आदेश प्रकाशित नहीं हुआ है।

xxiii. प्रयोक्ता संघों के लिए प्रयोक्ता या आयातक प्रश्नावली के उत्तर के रूप में सूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों से सूचना के लिए नोटिस जारी करने का विवेकाधिकार है, तथापि, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

च.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

74. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लंबे समय से लगाया जा रहा था क्योंकि विदेशो के उत्पादकों ने भारत में उत्पाद का लगातार पाटन किया है।

ii. इस अनुरोध का कोई आधार नहीं है कि वर्तमान जाँच एक तीसरी निर्णायक समीक्षा है। किसी भी स्थिति में, मूल जाँच में पाटनरोधी शुल्क लगाने का मानक निर्णायक समीक्षा की तुलना में अधिक है।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, प्राधिकारी ने पिछली निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही थी। तथापि, वर्तमान जाँच में, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, विदेशी उत्पादकों की पाटन परिपाटियों के कारण भारत में पाटनरोधी शुल्क का लंबा इतिहास रहा है। चूंकि वर्तमान जांच एक मूल जांच है, इसलिए इसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का वास्तविक साक्ष्य है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्यूसीओ का उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, न कि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की स्थिति से निपटना। इसके अलावा, कई विदेशी उत्पादकों को क्यूसीओ के तहत पहले ही लाइसेंस मिल चुके हैं।

vi. अन्य देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के उदाहरणों का वर्तमान जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जहां पाटन और परिणामी क्षति सिद्ध हो चुकी है।

vii. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में प्रयोक्ताओं द्वारा किसी भी कदाचार में संलिप्तता का दावा नहीं किया है।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की तीव्रता पर एक विस्तृत प्रारंभिक जांच परिणाम दिया है, जो स्वयं ही अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कानून प्रारंभिक जांच परिणामों जारी करने से पहले किसी विशेष परिस्थिति को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई देशों में प्राथमिक जांच परिणामों को नियम के रूप में दर्ज करने की परिपाटी है।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में एक प्राथमिक जांच परिणाम जारी किया है।

xi. वर्तमान मामले में संदर्भ कीमत शुल्क उपयुक्त नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चा माल कच्चे तेल का व्युत्पन्न है जो उतार-चढ़ाव के अधीन है। यदि कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, तो शुल्क प्रभावी नहीं होगा और यदि कच्चे माल की कीमत घटती है, तो प्रयोक्ताओं को दंडित किया जाएगा क्योंकि उन्हें अधिक कीमत चुकानी होगी। प्रचालन परिपाटियों के मैनुअल में उल्लेख है कि संदर्भ कीमत शुल्क उन मामलों के लिए उपयुक्त नहीं है जहाँ कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है।

xii. एआईपीएमए और ओपीपीआई ने जाँच में भाग लिया है, जिसमें एआईपीएमए ने 22,000 प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। हालाँकि, दोनों संघों एसोसिएशनों ने जांच में अपने प्रमाण सिद्ध नहीं किए हैं, जिससे यह पता चले कि उनके सदस्य उत्पाद के प्रयोक्ता हैं, और वे अपने अधिकांश सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xiii. न्यायाधिकरण ने यह भी माना है कि पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष अपने साख प्रमाण-पत्र दर्शाए जाना आवश्यक है।

xiv. एसोसिएशनों ने बिना कोई सत्यापन योग्य आंकड़ा प्रदान किए अनुरोध किए हैं, जिससे जाँच प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाया गया है। एसोसिएशनों के कम से कम कुछ सदस्यों को जाँच में आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे।

xv. केमप्लास्ट कुड्डालोर, प्लेक्सकॉन्सिल का सदस्य है और उसने अनुरोध किया है कि वह अपने द्वारा प्रस्तुत अनुरोध वापस ले, और सदस्यों से इनपुट प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्रवाई करे। उत्तर में प्लेक्सकॉन्सिल ने कहा कि उसे रक्षोपाय जाँच में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन उसने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसे पाटनरोधी जाँच में भाग लेने की अनुमति है। यह स्पष्ट है कि कुछ सदस्य अपने स्वार्थ के लिए एसोसिएशन के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं।

xvi. प्लेक्सकॉन्सिल को वर्तमान जाँच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्थिति प्राप्त नहीं है क्योंकि यह निर्यातकों की एक एसोसिएशन है। आयातकों या प्रयोक्ताओं के नहीं, और ऐसी ऐसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xvii. प्लेक्सकॉन्सिल अपनी वेबसाइट पर विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों को दिए गए अपने अभ्यावेदनों को अपडेट करता है, लेकिन पाटनरोधी जाँच में दिए गए अनुरोध वेबसाइट पर प्लेक्सकॉन्सिल के अभ्यावेदन के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं। इससे पता चलता है कि दिए गए अभ्यावेदन अधिकृत नहीं थे, बल्कि प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग करने वाले कुछ सदस्यों द्वारा किए गए हैं।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यह सुनवाई समय से पहले नहीं कही जा सकती क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जाँच पर रोक नहीं लगाई है। एपिग्रल लिमिटेड फ़ोरम शॉपिंग में संलग्न है, इसलिए वह उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्राधिकारी के समक्ष भी यही अनुरोध कर रहा है।

xix अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जांच केवल उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद ही शुरू की गई है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

75. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को आयात आँकड़े साझा करने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र दायर करते समय अपनी बाजार आसूचना पर भरोसा किया है और आयात आँकड़ों का सारांश सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आयात आँकड़ों के अगोपनीय रूपांतर में निहित सूचना का खंडन करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

76. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को प्राधिकारी द्वारा जाँच की शुरुआत की अधिसूचना में तय की गई जाँच अवधि के आधार पर अद्यतन याचिका दायर करना आवश्यक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा विचारित जाँच अवधि के आधार पर अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत और परिचालित किए हैं। जाँच की शुरुआत अधिसूचना के बाद घरेलू उद्योग के लिए अद्यतन याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाटनरोधी जाँच शुरु करने के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत याचिका दायर की जाती है। तथापि, जाँच आरंभ होने के बाद, नियम 6 लागू हो जाता है, जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योग को याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी स्थिति में, अद्यतन आँकड़े सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित कर दिए गए हैं और इसलिए, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।

77. इस अनुरोध के संबंध में कि जाँच शुरू करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। प्रस्तुत साक्ष्य की *प्रथम दृष्टया* जाँच करने और प्रस्तुत साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता पर स्वयं को पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद ही प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच शुरू की। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है जिससे प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकें कि उनके द्वारा तैयार की गई *प्रथम दृष्टया* राय गलत थी।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में पूर्ण प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने वाले सभी उत्पादकों को सहयोगी माना गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए निर्धारित मार्जिन नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत पर आधारित है।

79. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार सुधारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न जाँचों में संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। प्रत्येक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने संगत मानदंडों की जाँच की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निर्यातकों ने पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होकर घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी।

80. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान जाँच को तीसरी निर्णायक समीक्षा माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच एक मूल जाँच है। विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क फरवरी 2022 में समाप्त हो गया था और उस समय निर्णायक समीक्षा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी, निर्णायक समीक्षा जाँच में, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण करते हैं, भले ही जाँच अवधि के दौरान कोई वास्तविक पाटन या क्षति न हुई हो। तथापि, वर्तमान जाँच में, प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण किया है।

81. इस अनुरोध के संबंध में कि उत्पाद पर लंबे समय से पाटनरोधी शुल्क लागू है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक जाँच अपने आप में एक स्वतंत्र आधार रखती है और प्राधिकारी प्रत्येक मामले में कानून में

परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार जाँच के अनुसरण में सिफारिशें करते हैं। प्राधिकारी इस सामान्य अनुरोध को समझने में असमर्थ हैं, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो यह 30 महीने से कम अवधि के लिए होना चाहिए जैसा कि निर्णायक समीक्षा में किया गया था, और शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि और जब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान मामले में शुल्क लगाने की आवश्यकता है, तो वे उस अवधि और उसके स्वरूप पर विचार करेंगे जिसके लिए शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

83. इस अनुरोध के संबंध में कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होगा और भारत में आयातों को प्रतिबंधित करेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य अलग-अलग है। जबकि क्यूसीओ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाजार में बेचे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता जारी मानकों के अनुसार हो और घरेलू उत्पादकों पर समान रूप से लागू हो, वहीं पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति की स्थिति का समाधान करना है।

84. इस अनुरोध के संबंध में कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात अनेक देशों को किया जा रहा है, फिर भी किसी अन्य देश ने पाटनरोधी जांच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि अन्य देशों में की गई जांच से विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाए गए मूल्य भेदभावपूर्ण व्यवहार का संकेत मिल सकता है; ऐसी जांचों के अभाव का अर्थ भारत में पाटन का अभाव नहीं है।

85. आयातकों या प्रयोक्ताओं द्वारा कदाचार से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है।

86. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय, प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच की है। प्रारंभिक जांच परिणामों में इन खातों की इनके निमित्त विस्तृत जांच निहित है। प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के कारण जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी थे। प्राथमिक जांच परिणामों की विषयवस्तु अपने आप में अंतरिम उपाय लागू करने के लिए पर्याप्त औचित्य सिद्ध करती है।

87. इस अनुरोध के संबंध में कि प्रारंभिक जांच परिणाम "सभी" मामलों में जारी नहीं किए जा सकते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम का जारी होना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7 द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 7 में निर्धारित एकमात्र शर्तें हैं: (क) यह जाँच करार के अनुसार शुरू की गई थी, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को उचित सूचना और अपने हितों की रक्षा का अवसर दिया गया था, (ख) पाटन और परिणामी क्षति के संबंध में प्रारंभिक सकारात्मक निर्धारण किया गया है, (ग) जाँच के दौरान होने वाली क्षति को रोकने के लिए उपायों को लागू करना आवश्यक है। चूँकि वर्तमान जाँच में उक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करना उचित था।

88. प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में, जहाँ लागू हो, निर्यातकों के नामों में सुधार किया है।

89. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जांच अवधि के बाद घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। बिक्री कीमत में केवल उतार-चढ़ाव यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत में संबद्ध सामानों का पाटन बंद हो गया है और घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

90. प्रयोक्ता एसोसिएशनों की भागीदारी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसोसिएशन के सदस्य प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तरों या आयातक प्रश्नावली के उत्तरों के रूप में सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एसोसिएशनों ने कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना अनेक अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी ने सभी प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट कर लिया है और उन अनुरोधों

को रिकॉर्ड में ले लिया है, जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं। तथापि, जहां पक्षकारों ने बिना किसी सहायक सूचना के व्यापक बयान दिए हैं, प्राधिकारी ने ऐसे बयानों पर भरोसा करना उचित नहीं पाया है।

91. इस अनुरोध के संबंध में कि जाँच में समय से पहले सुनवाई की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जाँच समयबद्ध होती है और चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने वर्तमान जाँच में स्थगन आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी जाँच की कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं।

92. प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने अनुरोध किया है कि प्रयोक्ताओं या आयातकों की प्रश्नावली के उत्तर के रूप में सूचना प्रदान करना उन पर कोई दायित्व नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल उन्हीं अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य या आंकड़ों द्वारा समर्थित हों।

93. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान जाँच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एक वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं किए गए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा 6 महीने का समय बढ़ाया गया था।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

94. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।

ii. चीन को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता। चीन को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था मानने की परिपाटी 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाली थी।

iii. यूरोपीय संघ के विरुद्ध फास्टनर मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट ने इस बात का मज़बूत औचित्य प्रदान किया है कि चीन जन.गण. को स्वतः ही बाज़ार-अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त हो जाना चाहिए।

iv. "पैक्टा संट सर्वंदा" के सिद्धांतों का पालन करते हुए, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीन जन.गण. को एक बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता देने के लिए बाध्य है। चीन के अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि कोई भी देश 11 दिसंबर 2016 के बाद चीन जन.गण. को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था नहीं मान सकता। भारत के पास इसके विपरीत करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

v. नमूनाकरण अधिसूचना पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।

vi. वानहुआ केमिकल (फ़ुज़ियान) कंपनी लिमिटेड और वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि नमूनाकरण प्रक्रिया आरंभ की तारीख से 80 दिनों की समाप्ति के बाद की गई है। इसलिए, मैनुअल में निर्धारित समय सीमा को देखते हुए, नमूनाकरण में देरी हुई है।

vii. यदि नमूनाकरण किया भी जाता है, तो वानहुआ का नमूना लिया जाना चाहिए क्योंकि इसका उच्च गुणवत्ता वाला एथिलीन-आधारित पीवीसी रेज़िन भारत को उच्च कीमतों पर निर्यात किया जाता है। वर्तमान में नमूना लिए गए उत्पादकों का भारित औसत वानहुआ पर लागू करने से भारतीय ग्राहकों के लिए आपूर्ति चैनलों की स्थिरता और गुणवत्ता को नुकसान होगा। इसके अलावा, वानहुआ द्वारा निर्यात की गई मात्रा नमूना लिए गए उत्पादकों के बराबर है।

viii. तियानजिन का अलग मार्जिन के लिए नमूना लिया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय बाजार में इसकी काफी हिस्सेदारी है, यह संबद्ध सामानों का नियमित आपूर्तिकर्ता है, और इसके निर्यात नमूनाकृत निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात के बराबर हैं।

ix. तियानजिन और फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, नमूना कंपनियों के विपरीत, 100% एफडीआई कंपनियां हैं और बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में काम करती हैं। फॉर्मोसा ने एक बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली भी दायर की है।

x. चीन के लिए अधिसूचित नमूना कंपनियां उत्तरी चीन में स्थित हैं। यिबिन हाइफेंग हेरुई कंपनी (अपने संबद्ध व्यापारियों के साथ) दक्षिण चीन में स्थित हैं और अलग-अलग लागतों और बिक्री कीमतों पर काम करती हैं। यूबिन हेरुई, यिबिन तियानयुआन और यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स को नमूने में शामिल किया जाना चाहिए।

xi. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10.2 के अनुसार, प्राधिकारी को स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।

xii. नमूना पद्धति केवल निर्यात मात्रा पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार की कंपनियों या उनकी परिचालन स्थितियों को ध्यान में नहीं रखती है।

xiii. प्राधिकारी ने 69 भाग लेने वाली कंपनियों में से केवल तीन उत्पादकों का चयन किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक विषम और गैर-प्रतिनिधित्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। जूट उत्पादों के आयात की जाँच में, प्राधिकारी ने भारत को निर्यात मात्रा के उच्चतम, मध्यम और निम्न बैंडों में उत्तरदाता निर्यातकों से नमूने चुने, और कुल 19 निर्यातकों का चयन किया। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने केवल 3 सबसे बड़े निर्यातकों पर विचार किया है।

xiv. तोकुयामा कॉर्पोरेशन ने नमूनाकरण अधिसूचना पर अनुरोध दाखिल करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे अनुचित पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। किसी भी स्थिति में, तोकुयामा ने अलग मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध करते हुए अनुरोध दायर किए, जिन पर प्राधिकारी द्वारा न तो विचार किया गया और न ही उनका समाधान किया गया।

xv. प्राधिकारी ने अमेरिका और जापान के भाग लेने वाले समूहों की संख्या में समानता के बावजूद, अमेरिका के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नमूनाकरण नहीं किया है। जापान के उत्पादकों का नमूनाकरण, न कि अमेरिका का, नियम 17(3) के अंतर्गत दायित्व के विपरीत विवेकाधिकार को दर्शाता है।

xvi. नमूनाकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध सामान कई ग्रेडों के हैं, जिनका उत्पादन सभी उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है।

xvii. कई संबद्ध देशों के साथ पिछली जाँचों में नमूनाकरण नहीं किया गया था।

xviii. ताइवान, चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और अमेरिका से पीवीसी की निर्णायक समीक्षा जांच में, केवल चीन के उत्पादकों के लिए नमूनाकरण किया गया था।

xix. यदि प्राधिकारी तियानजिन एलजी बोहाई को नमूना उत्पादकों के भाग के रूप में मानने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पर लागू शुल्क लगा सकते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि निर्यातक भारत के लिए उच्च कीमतें बनाए रखता है। वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की गणना के लिए एथिलीन आधारित उत्पादकों और कोयला आधारित उत्पादकों के बीच विभाजन कर सकते हैं क्योंकि ऐसे उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन अलग-अलग होने की संभावना है।

xx. चूंकि प्राधिकारी ने ताइयो विनाइल को असहयोगी माना है, इसलिए टोकुयामा कॉर्पोरेशन के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी पर अनावश्यक रूप से बोझिल नहीं होगा।

xxi. शिनफा ने 49 निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिनमें से 13 ने वर्तमान जाँच में सहयोग किया है। शेष निर्यातकों को भाग लेने के लिए बाध्य करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल छोटी मात्रा में निर्यात किया है, और सभी की भागीदारी की आवश्यकता अनुचित है। असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात के लिए पहुँच कीमत और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उपलब्ध सूचना के आलोक में संशोधित की जानी चाहिए।

xxii. विभिन्न उत्पादकों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, इस संदर्भ में कि क्या निर्यात कीमत उत्पादक द्वारा संबंधित निर्यातक को, या संबंधित निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहक पर लगाए जाने वाली कीमत पर आधारित होगी।

xxiii. यद्यपि फॉर्मोसा ताइवान ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है, लेकिन इसके संबद्ध पक्षकार फॉर्मोसा यूएसए ने जाँच अवधि के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को निर्यात नहीं किया है और इसलिए, कोई प्रतिक्रिया दायर करने में विफल रहा है।

xxiv. फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से थोड़ी मात्रा में निर्यात किया है। निर्यातक ने सहयोग की पुष्टि करने के बावजूद, एफपीसी ताइवान की तीसरे देश की कीमत को नुकसान पहुँचाने के प्रयास में जानबूझकर भाग नहीं लिया है। कृपया ऐसे निर्यातों के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विचार न करें।

xxv. इटोचू द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को उन उत्पादकों के लिए पहुँच कीमत की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए जिनसे उसने विचाराधीन उत्पाद प्राप्त किया है।

xxvi. प्राधिकारी को ताइयो विनाइल को अपने प्रश्नावली के उत्तरों को सुधारने और उत्पादक के लिए अलग मार्जिन निर्धारित करने की अनुमति देनी चाहिए जैसा कि जिप्सम बोर्ड, टाइल्स, टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर और ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स के मामलों में किया गया है।

xxvii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे टोकुयामा कॉर्पोरेशन, ताइयो विनाइल, शिन-एत्सु, कनेका, पीटी. असाहिमास, एसीजी विनीथाई, पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक्स, टीपीसी टीपीई, वेस्टलेक, शिनटेक और ऑक्सी विनाइल के लिए अलग मार्जिन निर्धारित करें।

xxviii. विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान बाजार कीमत मौजूदा बाजार गतिशीलता के अनुरूप है और यह पाटन नहीं है।

xxix. ऐतिहासिक कीमतों के बजाय वर्तमान बाजार वास्तविकताओं के आधार पर कीमत निर्धारण करना महत्वपूर्ण है।

xxx. जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान निर्यात किए गए संबद्ध सामानों के पाटन में हनव्हा शामिल नहीं है।

xxxi. हनव्हा अपने आंकड़ों के ऑन-साइट सत्यापन के लिए तैयार है।

xxxii. प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलना में प्रकटन विवरण में नमूना उत्पादकों के निर्यात कीमत और पहुँच कीमत में परिवर्तन हुआ है। प्राधिकारी ने इस परिवर्तन का कोई कारण नहीं बताया है।

xxxiii. कोरियाई मूल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगना चाहिए। पिछली पाटनरोधी जांच और निर्णायक समीक्षा में भी, कोरियाई उत्पादकों को भारत में पाटन नहीं करते पाया गया था। कोरिया में घरेलू बिक्री कीमत अधिक है क्योंकि बाजार अल्पाधिकार वाला है और घरेलू मांग पूरी तरह से घरेलू उत्पादकों द्वारा पूरी की जाती है। एलजी केम भारतीय बाजार में उच्च कीमत बनाए रखता है और एलजी केम के लिए सकारात्मक मार्जिन केवल ग्रेड-वार तुलना के अभाव के कारण है। चूँकि एलजी और हन्वा घरेलू बाजार और भारत को निर्यात में समान कीमतें रखते हैं, इसलिए हन्वा के मार्जिन एलजी केम पर भी लागू होने चाहिए।

xxxiv. एलजी केम के दावों के विपरीत, एलजी केम की उत्पादन लागत हन्वा से अधिक है क्योंकि यह हन्वा की तुलना में कम क्षमता उपयोग पर प्रचालित होती है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि एलजी केम की घरेलू बिक्री घाटे में चल रही है। इसलिए, हन्वा के लिए निर्धारित मार्जिन एलजी केम पर लागू नहीं हो सकते।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

95. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य [***] की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

iii. अन्य संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य [***] की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

iv. आवेदकों ने कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय माल ढुलाई के संबध में समायोजन किया है।

v. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

vi. चीन के 28 उत्पादकों/निर्यातकों और जापान के 5 उत्पादकों/निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार सूची के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं, जो अलग निर्धारण की अनुमति देने के लिए एक बड़ी संख्या है।

vii. कुछ पक्षकारों द्वारा निर्यात कीमत की कम मात्रा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उनके उत्पाद प्रोफ़ाइल और निर्यात पैटर्न, उत्पाद प्रोफ़ाइल और समयावधि दोनों के संदर्भ में, भारत में निर्यात का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

viii. अतीत में, चीनी उत्पादक, जिनकी जाँच अवधि में निर्यात मात्रा नगण्य रही है, व्यक्तिगत रूप से कम शुल्क मिलने के बाद, भारतीय बाजार में बाढ़ ला देते हैं, जैसा कि पीईटी रेजिन के मामले में होता है।

ix. नमूनाकरण में वैश्विक मानदंड अधिकतम तीन कंपनियों पर विचार करना है:

क. भारत से सिरेमिक टाइल्स में, यूरोप ने मूल रूप से तीन कंपनियों पर विचार किया और चौथे स्थान पर स्थित कंपनी के आक्रामक प्रतिनिधित्व के बाद भी नमूनाकरण का आकार चार कंपनियों तक बढ़ाने से इनकार कर दिया।

ख. कनाडा से वुड पल्प में, एमओएफसीओएम ने तीसरे स्थान पर स्थित कंपनी के लिए अलग रूप से पाटन मार्जिन निर्धारित करने से इनकार कर दिया, भले ही पहले तीन स्थानों पर स्थित कंपनियां लगभग समान मात्रा में निर्यात कर रही थीं।

ग. सिरेमिक टाइल्स और सैनिटरीवेयर में, जीसीसी ने दो कंपनियों को आरक्षित रखते हुए तीन कंपनियों का नमूना लिया, जैसा कि जीसीसी में परिपाटी का मानक है।

घ. संयुक्त राज्य अमेरिका दो से अधिक कंपनियों को 'अनुचित रूप से बोझिल' मानता है। भारत से क्वार्ट्ज़ सरफेस के मामले में, विचाराधीन 50 कंपनियों में से केवल दो कंपनियों के लिए ही पाटन मार्जिन की जाँच और निर्धारण किया गया था, जिसके परिणाम अन्य कंपनियों पर भी लागू किए गए थे।

x. स्वैच्छिक आधार पर प्रश्नावली का उत्तर दायर करना अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, नमूनाकरण करने के लिए कानून में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, विशिष्ट ग्रेड का निर्यात नमूनाकरण में शामिल करने का आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उत्पाद की लागत में कोई अंतर नहीं होता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विषय-वस्तु में कोई पीसीएन नहीं है।

xiii. स्वैच्छिक उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान जाँच में उत्तरों की संख्या बहुत अधिक है।

xiv. नमूनाकरण करने के लिए कंपनियों के प्रकार और उनकी प्रचालनात्मक स्थितियों पर विचार करना प्राधिकारी का दायित्व नहीं है।

xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नमूना उत्पादकों की तुलना पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की कुल संख्या से की है और नमूना उत्पादकों से निर्यात के लिए शामिल निर्यातकों की संख्या को नजरअंदाज कर दिया है।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, चूंकि ताइयो विनाइल के संबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, इसलिए उक्त उत्पादक को कोई अलग शुल्क नहीं दिया जाना चाहिए।

xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, इस स्तर पर नमूनाकरण में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, नमूनाकरण इस आधार पर नहीं किया जाता है कि कुछ उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन अधिक है या कम। यह कथन कि निर्यातक उच्च कीमतें बनाए रखता है, केवल एक स्व-घोषणा है क्योंकि प्राधिकारी ने प्रतिक्रिया को सत्यापित नहीं किया है।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका से केवल तीन उत्पादकों ने भाग लिया है जबकि जापान से पाँच उत्पादकों ने भाग लिया है।

xix. चूंकि प्राधिकारी ने नमूनाकरण किया है, इसलिए अलग निर्धारण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

xx. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, किसी उत्पादक द्वारा दायर प्रतिक्रिया केवल तभी स्वीकार की जा सकती है जब वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले निर्यातक और व्यापारी प्राधिकारी के साथ सहयोग करें। यह बात प्रचालन परिपाटियों के मैनुअल से भी सिद्ध है। पाटनरोधी करार में भी पाटन को किसी उत्पाद को उसके सामान्य मूल्य से कम पर दूसरे देश के वाणिज्य में पेश किए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे वितरण चैनल में निर्यातकों और व्यापारियों द्वारा वसूली गई कीमत पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। यह वह कीमत भी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है।

xxi. निर्यात कीमत का निर्धारण उत्पादक द्वारा असंबद्ध या संबद्ध उत्पादक से ली गई कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। संबद्ध उत्पादक की कीमत पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह दर्शाता हो कि ऐसा निर्यातक, निर्यातक की व्यापारिक शाखा मात्र है।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उन कानूनी प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है जिनके अंतर्गत एफपीसी निंग्बो को नमूनाकरण में शामिल किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसने भारत को कुल निर्यात का 0.25% से कम निर्यात किया हो।

xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पिछली जाँचों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन का वर्तमान जाँच में मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कोरिया के घरेलू बाजार में किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के कारण कीमतों में वृद्धि को भारत में आयातों पर पाटनरोधी शुल्क न लगाने के लिए नहीं माना जा सकता है। चूँकि प्राधिकारी द्वारा कोई पीसीएन नहीं बनाया गया है, इसलिए इस स्तर पर ग्रेड के अंतर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

xxiv. चीन के असहयोगी उत्पादकों पर कम शुल्क निर्धारित करके उन्हें असहयोग के लिए पुरस्कृत किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य सभी क्षेत्राधिकार गैर-भागीदारी के लिए उच्च अवशिष्ट शुल्क पर विचार करते हैं।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

96. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया था। प्रश्नावली के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अनुरोध किए गए हैं।

क. एजीसी विनीथाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी

ख. कैन्को मार्केटिंग

ग. सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन

घ. केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड

ङ. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड

च. चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

छ. चाइना साल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

ज. चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड

झ. चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड

ञ. सीएनएसआईजी जिलानताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड

ट. कॉसमॉस वू लिमिटेड

ठ. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड

ड. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

ढ. जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी लिमिटेड

ण. ग्रैंड डिग्निटी

त. ग्रैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

थ. गुआंग्शी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड

द. हनवा कॉर्पोरेशन

ध. हेनान पुलिते आयात और निर्यात व्यापार कंपनी लिमिटेड

न. इनर मंगोलिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

प. इनर मंगोलिया एर्दोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड

फ. इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

ब. इटोचु (थाईलैंड) लिमिटेड

भ. इटोचु कॉर्पोरेशन

म. इतोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

य. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड

कक. जियाली बायो ग्रुप (क़िंगदाओ) लिमिटेड

खख. जेओसी इंटरनेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

गग. कनेका कॉर्पोरेशन

घघ. कनेमात्सु कॉर्पोरेशन

डड. एलजी केम लिमिटेड

चच. मारुबेनी कॉर्पोरेशन

छछ. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन

जज. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड

झझ. ऑर्डोस जुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

ञञ. पीटी. असाहिमास केमिकल

टट. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड

ठठ. क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड

डड. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड

ढढ. शानक्सी बेयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी

णण. शेडोंग शिनफा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

तत. शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड

थथ. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड

दद. सिमोसा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड

धध. सोजित्ज़ एशिया प्राइवेट लिमिटेड

नन. स्टेवियन केमिकल जेएससी

पप. सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

फफ. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन

बब. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड

भभ. थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी.

मम. थाई पॉलीइथाइलीन कंपनी लिमिटेड

यय. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट्स

ककक. तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी लिमिटेड

खखख. तोकुयामा कॉर्पोरेशन

गगग. तोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड

घघघ. तोसोह निक्केमी कॉर्पोरेशन

डडड. टीएस कॉर्पोरेशन

चचच. तुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

छछछ. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड

जजज. वानहुआ केमिकल (फ़ुज़ियान) कंपनी लिमिटेड

झझझ. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड

ञञञ. वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड

टटट. झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-क्षार कंपनी लिमिटेड

ठठठ. झिंजियांग झोंगताई आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड

डडड. यिबिन हाइफ़ेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड

ढढढ. यिबिन तियानयुआन समूह कंपनी लिमिटेड

णणण. यिबिन तियानयुआन सामग्री उद्योग समूह लिमिटेड

ततत. यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड

थथथ. झोंग ताई अंतर्राष्ट्रीय विकास (एचके) लिमिटेड

97. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, यद्यपि प्राधिकारी उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, प्राधिकारी उत्तर को सीमित संख्या में उत्पादकों तक सीमित करके नमूनाकरण का सहारा ले सकते हैं। इस संबंध में नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान हैं।

17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जांचाधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात संबंधित निर्यातक या उत्पादक के लिए एक अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहाँ निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या सम्मिलित सामानों के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो, वह अपने निष्कर्षों को या तो चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके हितबद्ध पक्षकारों या सामानों की उचित संख्या तक सीमित कर सकते हैं, ये संबंधित देश से निर्यात की

मात्रा के उस अधिकतम प्रतिशत तक सीमित कर सकते हैं जिसकी उचित रूप से जाँच की जा सकती है, और इस परंतुक के अंतर्गत निर्यातकों, उत्पादकों या सामानों के प्रकारों का कोई भी चयन, अधिमानतः संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों के परामर्श और उनकी सहमति से किया जाएगा:

इसके अतिरिक्त *बशर्ते कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए, यद्यपि प्रारंभ में चयनित न हो, जो आवश्यक सूचना समय पर प्रस्तुत करता है, एक अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे, सिवाय इसके कि जहाँ निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि अलग जाँच अत्यधिक बोझिल हो और जाँच के समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न करे।*

98. बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, प्राधिकारी ने उत्पादकों के नमूने लेने पर विचार किया। यह 28 अगस्त 2024 की अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद, नमूना उत्पादकों को 23 सितंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। विचारित नमूना भारत को निर्यात की मात्रा पर आधारित था, और सबसे अधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने का हिस्सा माना गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि नमूने में केवल तीन उत्पादकों का चयन किया गया है, फिर भी उन उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या, जिनके लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा, बहुत अधिक है। नमूना उत्पादक चीन के सहयोगी उत्पादकों की मात्रा का [***]% और जापान के सहयोगी उत्पादकों की मात्रा का [***]% हैं।

99. इस अनुरोध के संबंध में कि जापान के मामले में नमूना लेने और संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में नमूना न लेने के संबंध में दृष्टिकोण में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, केवल तीन उत्पादक समूहों (अर्थात, उत्पादक और उनके सहयोगी) द्वारा प्रतिक्रिया दायर की गई है। तथापि, जापान के मामले में, 5 उत्पादकों द्वारा प्रत्युत्तर दायर किया गया है। अतः, यद्यपि प्राधिकारी ने जापान के लिए नमूनाकरण किया था, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नमूनाकरण का कोई कारण नहीं था।

100. इस आधार पर शामिल करने के अनुरोध के संबंध में कि कंपनी ने विशिष्ट उत्पादों की आपूर्ति की है या नमूने का हिस्सा बनने वाले उत्पाद का प्रोफ़ाइल व्यापक होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 17(3) के अंतर्गत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विशिष्ट ग्रेड की आपूर्ति का तथ्य ऐसी कंपनी को व्यक्तिगत निर्धारण के लिए शामिल करने का औचित्य नहीं देता है। यह नोट किया जाता है कि सभी टिप्पणियों की जाँच के बाद, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में पीसीएन को स्वीकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जहाँ पीसीएन पद्धति को अपनाना आवश्यक नहीं समझा गया, आपूर्ति किए गए उत्पाद प्रकार के आधार पर किसी उत्पादक को नमूने के भाग के रूप में विचार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में, नियमावली प्राधिकारी को निर्धारण को कुछ उत्पाद प्रकारों तक सीमित करने की भी अनुमति देती है।

101. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने अतीत में अन्य जाँचों में बहुत बड़ी संख्या में उत्पादकों या निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का अलग निर्धारण किया है। हालाँकि, यह तथ्य कि अतीत में बड़ी संख्या में उत्पादकों की जाँच की गई थी, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में नमूनाकरण का सहारा लेने से रोका गया है।

102. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में भी कोई दम नहीं लगता कि दायर स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर विचार करना और ऐसे सभी निर्यातकों को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करना अनिवार्य दायित्व है। नियम 17(3) और उसके प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी जाँच को समय पर पूरा करने के हित में, जहाँ आवश्यक हो, जाँच को कुछ निर्यातकों तक सीमित कर सकते हैं।

103. तियानजिन एलजी बोहाई ने दावा किया है कि वह एक 100% एफडीआई कंपनी है, और इसलिए, उसे गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में काम करने वाले उत्पादकों के बराबर नहीं माना जा सकता। हालाँकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तियानजिन ने वर्तमान मामले में बाज़ार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है।

104. फॉर्मोसा के इस दावे के संबंध में कि वह भी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाला देश है और उसने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान सहकारी उत्पादकों द्वारा भारत को किए गए कुल निर्यात में उसके निर्यात का हिस्सा 0.5% से भी कम है। इसलिए, फॉर्मोसा की अलग जाँच पर विचार करना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार विचाराधीन नमूने के निर्धारण का आधार नहीं बन सकता।

105. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने नमूनाकरण करते समय भौगोलिक स्थिति पर विचार नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पादकों के उपयुक्त नमूने के निर्धारण में निर्यातकों की भौगोलिक स्थिति पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

106. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकरण में देरी हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) उत्पादकों/निर्यातकों के नमूने लेने की अनुमति देता है। पाटनरोधी जाँच में उत्पादकों/निर्यातकों के नमूने लेने के लिए नियमावली में कोई समय-सीमा नहीं है।

107. इस अनुरोध के संबंध में कि चूंकि वान्हुआ ने उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्य वाले उत्पाद का निर्यात किया है, उसका नमूना लिया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नमूने का चयन निर्यात की मात्रा के आधार पर किया गया है। नमूनाकरण पद्धति के आधार पर, भारत के तीन सबसे बड़े निर्यातकों का चयन किया गया है।

108. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकरण पद्धति विभिन्न प्रकार की कंपनियों या उनकी परिचालन स्थितियों को ध्यान में नहीं रखती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को नमूनाकरण के समय कंपनी के प्रकार या प्रचालनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए बाध्य करता हो।

109. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकरण पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय-विस्तार नहीं दिया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जाँच समयबद्ध होती है और इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों को नमूनाकरण पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा विस्तार नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, बाद में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिले कि जाँच के लिए कोई अन्य नमूना चुना जाना चाहिए था।

110. इस अनुरोधों के संबंध में कि केवल 3 उत्पादकों को नमूने के रूप में चुना गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में उन उत्पादकों की संख्या निर्दिष्ट नहीं है जिन्हें नमूने के रूप में चुना जा सकता है। नमूनाकरण जाँच के तथ्यों के अनुसार किया जाता है। चूँकि वर्तमान जाँच में उत्पादकों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए प्राधिकारी ने 3 उत्पादकों का नमूना चुना है। फिर भी, कई संबद्ध और असंबद्ध निर्यातक हैं जो नमूना उत्पादकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते हैं।

111. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर, अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए चीन जन.गण. और जापान के तीन उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों का चयन किया। प्राधिकारी द्वारा चीन से निम्नलिखित उत्पादकों के नमूने लिए गए:

क. क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड

ख. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ग. चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

112. प्राधिकारी द्वारा जापान से निम्नलिखित उत्पादकों के नमूने लिए गए:

क. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड, जापान

ख. कनेका कॉर्पोरेशन, जापान

ग. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन, जापान

113. प्रारंभिक जांच परिणाम में, ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) द्वारा दायर उत्तर को कमियों के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। डेस्क सत्यापन के दौरान, ताइयो विनाइल द्वारा दायत उत्तर की विस्तृत जाँच की गई और निर्यातक ने यह दर्शाया कि दायर उत्तर सभी दृष्टियों से पूर्ण और सटीक था। तदनुसार, प्राधिकारी ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना निम्नानुसार की गई है।

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर आंकड़ों का सत्यापन किया। आंकड़ों के सत्यापन के बाद, कुछ उत्पादकों/निर्यातकों की पहुँच कीमत और निर्यात कीमत में प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलना में परिवर्तन हुआ है।

115. इस अनुरोध के संबंध में कि हनवा के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क एलजी केम पर भी लागू किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन दोनों उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक उत्पादक के लिए निर्धारित मार्जिन के आधार पर दूसरे उत्पादक के लिए शुल्क का परिमाण निर्धारित करने की अनुमति देता हो।

116. कोरिया में बाजार संरचना के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि कोरिया में कीमत कम है क्योंकि मांग पूरी तरह से घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती है। हालाँकि, चूँकि कोरिया में देश की मांग की तुलना में अधिक उत्पादन होता है, इसलिए सामान्य बाजार स्थिति में, कीमतें कम होती हैं, अधिक नहीं। इसके अतिरिक्त, कोरियाई उत्पादक, एलजी केम ने पीसीएन-वार तुलना का अनुरोध किया है। हालाँकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि वर्तमान जाँच में कोई पीसीएन नहीं बनाया गया है और उत्पाद के ग्रेड में परिवर्तन के कारण लागत में परिवर्तन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इस स्तर पर पीसीएन-वार तुलना नहीं की जा सकती।

117. इस अनुरोध के संबंध में कि एथिलीन मार्ग और कार्बाइड मार्ग से उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिए अलग-अलग भारित औसत मार्जिन के निर्धारण पर विचार करने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा निर्धारण उचित नहीं होगा, जब उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर पीसीएन की आवश्यकता प्रदर्शित नहीं की गई हो।

118. जाँच के दौरान उत्तरदाता उत्पादकों की उत्पादन लागत और कीमत निर्धारण संबंधी सूचना का सत्यापन किया गया। वर्तमान जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ ऐसी सत्यापित सूचना पर विचार किया गया है। सत्यापित उत्पादन लागत की तुलना घरेलू बाजार में कारखानागत बिक्री कीमत से की गई। जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभप्रद पाई गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। जहाँ 20% से अधिक बिक्री कीमत लागत से कम थी,, वहाँ प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में लाभप्रद बिक्री की कीमत पर विचार किया है। तथापि, जहाँ लाभप्रद बिक्री की मात्रा बहुत कम थी, वहाँ प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं पाया है। ऐसी स्थितियों में, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें लाभ और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को उचित रूप से जोड़ा गया है।

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निर्यात कीमत निर्धारण के लिए अपनाए गए विभिन्न तरीकों के संबंध में अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी नोट करते है कि उन्होंने सभी निर्यातकों के लिए, असंबद्ध ग्राहक से उत्पादक द्वारा ली गई कीमत को ही लगातार लिया है। इसलिए, निर्यात कीमत निर्धारण के तरीके में कोई असंगति नहीं है।

120. इस अनुरोध के संबंध में कि असंबद्ध निर्यातकों के असहयोग के कारण उपलब्ध तथ्यों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ भारत को निर्यात के संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का सटीक निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं। प्राधिकारी की यह स्थापित परिपाटी रही है कि प्राधिकारी निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण तभी करते हैं जब संबंधित उत्पादक और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर देते हैं। चूँकि असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यात कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

121. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत निर्धारण वर्तमान बाजार गतिशीलता पर आधारित है और पाटन नहीं माना जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन का निर्धारण भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा दाखिल दायर की गई सूचना दर्शाती है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद को भारत को उनके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया है। इस प्रकार, भारत को ऐसे निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जाँच अवधि के लिए पाटन का आकलन किया गया है।

छ.3.1 <u>चीन के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

चीन के लिए सामान्य मूल्य

122. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

एससीएम करार के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य

हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे , बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

123. आवेदकों ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और की संबंधी सूचना बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

124. वर्तमान मामले में, नमूनाकृत किसी भी उत्पादक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया है।

"गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सहित तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रश्नगत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलबध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहा लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समायावधि दी जाएगी।"

125. यद्यपि आवेदकों ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 में सूचीबद्ध आधारों के अतिरिक्त कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके।

126. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार

पर या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर किया जाएगा, या जहाँ यह संभव न हो, वहाँ किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में चुकाई गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वर्तमान जाँच में शामिल संबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात की मात्रा कम है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

127. अतः, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण "भारत में देय कीमत" के रूप में किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय, तथा लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

128. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्राधिकारी ने अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों पर विचार किया।

क्र.सं.	उत्पादकों का नाम	संबद्ध/असंबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों का नाम
1.	क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड	केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कॉसमॉस वू लिमिटेड हान्वा कॉर्पोरेशन इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड मारुबेनी कॉर्पोरेशन एसएआर ओवरसीज लिमिटेड टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड ट्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड यूएसए यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड झेजियांग हेंगडियन (हांगकांग) आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	टियांजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कॉसमॉस वू लिमिटेड हान्वा कॉर्पोरेशन मारुबेनी कॉर्पोरेशन एसएआर ओवरसीज लिमिटेड स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड ट्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड

		यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
3.	चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड	चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कॉसमॉस वू लिमिटेड हान्वा कॉर्पोरेशन इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जियाली बायो ग्रुप (किंगदाओ) लिमिटेड एसएआर ओवरसीज लिमिटेड शांडोंग शिनफा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड टुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड

क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

129. क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड (क़िंगदाओ हैवान) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान का सीधे और *** एमटी असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है। कुल शामिल निर्यातकों में से, केवल निम्नलिखित निर्यातकों ने क़िंगदाओ हैवान द्वारा उत्पादित सामानों के निर्यात के संबंध में उत्तर दिया है।

i. केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड
ii. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
iii. कॉसमॉस वू लिमिटेड
iv. हनव्हा कॉर्पोरेशन
v. इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
vi. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
vii. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
viii. सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
ix. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
x. ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड, यूएसए
xi. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड
xii. यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
xiii. झेजियांग हेंगडियन (हांगकांग) आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड

130. यह नोट किया जाता है कि झेजियांग हेंगडियन (हांगकांग) आयात एवं निर्यात कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर नहीं दिया है और केवल परिशिष्ट 3क प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यापारियों, जिन्होंने क़िंगदाओ-हाईवान से भारत को विषयगत संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने असंबद्ध सहयोगी व्यापारियों/निर्यातकों के लाभप्रदता विवरणों की जाँच की है और जिन मामलों में किसी असंबद्ध निर्यातक ने हानि उठाकर माल को पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक की हानि को समायोजित किया गया है।

131. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण क़िंगदाओ-हाईवान द्वारा भारत को सीधे या असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से की गई बिक्री के लिए ली जाने वाली बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। असंबद्ध निर्यातक की हानि के अतिरिक्त, जैसा भी लागू हो, कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बैंक शुल्कों के लिए समायोजन किए गए है। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुँच कीमत का निर्धारण किया गया है। हालाँकि, असहयोगी निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

तिआनजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

132. तिआनजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (तिआनजिन बोहुआ) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का सीधे और *** एमटी का निर्यात असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है। कुल शामिल निर्यातकों में से, केवल निम्नलिखित निर्यातकों ने तिआनजिन बोहुआ द्वारा उत्पादित सामानों के निर्यात के संबंध में उत्तर दिया है।

i. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
ii. कॉसमॉस वू लिमिटेड
iii. हनवा कॉर्पोरेशन
iv. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
v. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
vi. स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
vii. सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
viii. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
ix. ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड
x. यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड

133. यह नोट किया जाता है कि तियानजिन बोहुआ से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करने वाले कुछ व्यापारियों ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने असंबद्ध सहयोगी व्यापारियों/निर्यातकों के लाभप्रदता विवरणों की जाँच की है और जिन मामलों में किसी असंबद्ध निर्यातक ने घाटे में माल को पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

134. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण तियानजिन बोहुआ द्वारा भारत को सीधे या असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से की गई बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के समायोजन किया गया है ताकि कारखानागत कीमत निर्धारित की जा सके, साथ ही असंबद्ध निर्यातक की हानि को भी समायोजित किया जा सके। पहुँच कीमत का निर्धारण अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड की निर्यात कीमत

135. चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड (चिपिंग शिनफा) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और उसने भारत को **एमटी संबद्ध सामानों का सीधे निर्यात किया है और शेष एक संबद्ध निर्यातक, अर्थात् शांदोंग शिनफा आयात एवं निर्यात कंपनी लिमिटेड, और 49 असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है। तथापि, इनमें से केवल निम्नलिखित निर्यातकों ने चिपिंग शिनफा द्वारा उत्पादित सामानों के निर्यात के संबंध में उत्तर दिया है।

i. चेऔंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
ii. कॉसमॉस वू लिमिटेड
iii. हनवा कॉर्पोरेशन
iv. इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
v. जियाली बायो ग्रुप (किंगदाओ) लिमिटेड
vi. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
vii. शेडोंग शिनफा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड (संबंधित)
viii. स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
ix. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
x. टुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
xi. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड
xii. यू शीउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
xiii. झेजियांग हैंगडियान (एचके) इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

136. यह नोट किया जाता है कि चिपिंग शिनफा से भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात करने वाले कुछ व्यापारियों ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने असंबद्ध व्यापारियों/निर्यातकों के लाभप्रदता विवरणों की जाँच की है और जिन मामलों में किसी असंबद्ध सहयोगी निर्यातक ने घाटे में माल को पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

137. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण चिपिंग शिनफा द्वारा भारत को सीधे या असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से की गई बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। असंबद्ध निर्यातक की हानि के अतिरिक्त, जैसा भी लागू हो, कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए है। पहुँच कीमत का निर्धारण अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। जहाँ उत्पादक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा से मेल नहीं खाती, वहाँ ऐसी मात्रा के लिए पहुँच कीमत और निर्यात कीमत भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन.गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए

138. अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन, सहयोगी नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2. इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

पीटी. असाहिमास केमिकल्स के लिए सामान्य मूल्य

139. पीटी. असाहिमास केमिकल्स (असाहिमास) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की

गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। असाहिमास ने कमीशन, माल ढुलाई लागत, बीमा, भंडारण लागत, लाइसेंस शुल्क, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के आधार पर मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। असाहिमास के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स के लिए सामान्य मूल्य

140. पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स (टीपीसी) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभप्रद बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। टीपीसी ने माल ढुलाई लागत, बीमा, बैंक शुल्क और ऋण लागत के आधार पर मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। टीपीसी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

इंडोनेशिया में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

141. इंडोनेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

पीटी. असाहिमास केमिकल के लिए निर्यात कीमत

142. असाहिमास ने निम्नलिखित तीन असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

असाहिमास → आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

असाहिमास → इटोचू (थाईलैंड) लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

असाहिमास → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जांच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुनर्बिक्री की है।

143. तदनुसार, निर्यात कीमत पीटी द्वारा लगाए गए बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। असाहिमास केमिकल द्वारा असंबद्ध निर्यातकों को बिक्री के लिए। कमीशन, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बीमा, लाइसेंस शुल्क, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत में समायोजन करके कारखानागत कीमत निर्धारित की गई है। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स के लिए निर्यात कीमत

144. टीपीसी ने भारत को सीधे *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए टीपीसी द्वारा बिक्री के लिए ली गई कीमत पर विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत और अन्य खर्चों में समायोजन करके कारखानागत कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

इंडोनेशिया में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

145. इंडोनेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.3. जापान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

जापान के लिए सामान्य मूल्य

146. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्राधिकारी ने अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों पर विचार किया है।

क्र. सं.	उत्पादकों का नाम	संबद्ध/असंबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों का नाम
1.	शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड	इटोचू कॉर्पोरेशन मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
2.	कनेका कॉर्पोरेशन	इटोचु कारपोरेशन कानेमात्सु कॉर्पोरेशन मारुबेनी कॉर्पोरेशन मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
3.	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	इटोचू कॉर्पोरेशन कानेमात्सु कॉर्पोरेशन मारुबेनी कॉर्पोरेशन मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड सोजित्ज़ कॉर्पोरेशन तोकुयामा सेकिसुई कं. लिमिटेड

कनेका कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

147. कनेका कॉर्पोरेशन (कनेका) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामाना बेचे हैं, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। कनेका ने संबद्ध सामान घरेलू बाजार में अपनी सहयोगी कंपनियों को बेचा है, साथ ही टोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड के साथ स्वैप करार के तहत सेकिसुई केमिकल को भी बेचा है। प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटता के आधार पर किए गए थे, और उन लेन-देनों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर रखा जो निकटतम कीमतों पर नहीं पाए गए, क्योंकि वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर थे। ऐसे लेन-देनों को बाहर रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

148. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। कनेका ने छूट, माल ढुलाई लागत, भंडारण लागत, कमीशन और क्रेडिट लागत के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों को अनुमति दे दी गई है। कनेका के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

149. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड (एसईसीएल) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामाना बेचा है, जबकि उसने भारत को *** एमटी सामानों का निर्यात किया है। तथापि, एसईसीएल ने संबद्ध सामाना घरेलू बाजार में सहयोगी कंपनियों को बेचा है, साथ ही टोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड के साथ स्वैप करार के तहत सेकिसुई केमिकल को भी बेचा है। प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटता के आधार पर किए गए थे, और उन लेन-देनों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर रखा जो निकटतम कीमतों पर नहीं पाए गए, क्योंकि वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर थे। ऐसे लेन-देनों को बाहर रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

150. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। एसईसीएल ने छूट, क्रेडिट नोट, माल ढुलाई लागत, बीमा, हैंडलिंग शुल्क, भंडारण लागत, पैकिंग लागत और क्रेडिट लागत के आधार पर मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। एसईसीएल के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

151. ताइयो विनाइल ने जाँच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान निर्यात किए हैं। तथापि, ताइयो विनाइल ने संबद्ध सामाना घरेलू बाजार में सहयोगी कंपनियों को बेचा है, साथ ही टोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड के साथ स्वैप करार के तहत भी बेचा है। प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटतम आधार पर किए गए थे, और उन लेन-देनों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर रखा जो निकटतम कीमतों पर नहीं पाए गए, क्योंकि वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर थे। ऐसे लेन-देनों को बाहर रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

152. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामान की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। ताइयो विनाइल ने क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, माल ढुलाई लागत, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागत और अन्य खर्चों के आधार पर कीमत समायोजन का दावा किया है। डेस्क सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, ताइयो विनाइल के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए अनुसार निर्धारित किया गया है।

जापान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

153. अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन, सहकारी नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

कनेका कारपोरेशन के लिए निर्यात कीमत

154. कनेका ने भारत को सीधे तौर पर *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और निम्नलिखित पाँच असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से *** एमटी का निर्यात किया है।

कनेका → इटोचू कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

कनेका → कनेमात्सु कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

कनेका → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

कनेका → मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

कनेका → मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुनर्बिक्री की है। जहाँ किसी असंबद्ध निर्यातक ने माल को घाटे पर पुन: बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

155. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण कनेका द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन किया गया है ताकि

कारखानागत कीमत निर्धारित की जा सके, साथ ही असंबद्ध निर्यातक की हानि को भी समायोजित किया जा सके। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुँच कीमत का निर्धारण किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

156. एसईसीएल ने निम्नलिखित दो असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

एसईसीएल → इटोचू कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

एसईसीएल → मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है। जहां किसी असंबद्ध निर्यातक ने घाटे में माल पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित कर दिया गया है।

157. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण एसईसीएल द्वारा असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए ली जाने वाली बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन किया गया है ताकि कारखानागत कीमत निकाली जा सके, साथ ही असंबद्ध निर्यातक की हानि को भी समायोजित किया जा सके। पहुंच कीमत का निर्धारण अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली जाने वाली कीमत के आधार पर किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात कीमत

158. ताइयो विनाइल ने भारत को सीधे तौर पर *** एमटी और निम्नलिखित छह असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

ताइयो विनाइल → इटोचू कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ताइयो विनाइल → कानेमात्सु कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ताइयो विनाइल → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ताइयो विनाइल → मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ताइयो विनाइल → मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ताइयो विनाइल → सोजित्ज़ कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है।

159. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण ताइयो विनाइल द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों को और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए शिपिंग लागत, सर्वेक्षक लागत, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, विलंब शुल्क और अवरोध शुल्क, अंतर्देशीय भाड़ा, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, ऋण लागत और अन्य खर्चों के लिए समायोजन किए गए हैं। निर्यात कीमत का निर्धारण अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

160. इस अनुरोध के संबंध में कि चूँकि ताइयो विनाइल को असहयोगी माना गया है, तो तोकुयामा कॉर्पोरेशन के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने जापानी निर्यातकों के दो उत्तरों की पहले ही जाँच कर ली है। इसके अतिरिक्त, ताइयो विनाइल द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, तोकुयामा कॉर्पोरेशन के लिए अलग मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता। तोकुयामा कॉर्पोरेशन के लिए मार्जिन, नमूनाकृत सहयोगी निर्यातकों के लिए भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

जापान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

161. अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन, सहयोगी नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.4. कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

एलजी केम लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

162. एलजी केम लिमिटेड (एलजी) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान निर्यात किए हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामान की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 20% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। एलजी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार की गई है।

हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

163. हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन (एचएससी) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामान बेचे है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामान की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण घाटे वाले लेनदेन को हटाकर किया गया है और सामान्य मूल्य की गणना के लिए केवल लाभ कमाने वाले लेनदेन पर ही विचार किया गया है। एचएससी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

कोरिया गणराज्य में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

164. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

एलजी केम लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

165. एलजी ने *** एमटी संबंधित सामान का सीधे और *** एमटी निम्नलिखित दो असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है।

एलजी → कैंको मार्केटिंग → भारत में असंबद्ध ग्राहक

एलजी → टीएस कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने असंबद्ध व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की भी जाँच की, और जिन मामलों में किसी असंबद्ध निर्यातक ने घाटे में माल को पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

166. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण एलजी द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, बंदरगाह व्यय, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन किया गया है ताकि कारखानागत कीमत निकाली जा सके, साथ ही असंबद्ध निर्यातक के घाटे को भी समायोजित किया जा सके, जैसा लागू हो। उत्पाद ने शुल्क वापसी के लिए समायोजन का भी दावा किया था। हालाँकि, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

हन्वा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात कीमत

167. हन्वा ने भारत को सीधे तौर पर *** एमटी और निम्नलिखित चार निर्यातकों के माध्यम से *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

हन्वा → हन्वा कॉर्पोरेशन (संबंधित) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

हन्वा → इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (असंबंधित) →भारत में असंबद्ध ग्राहक

हन्वा → एनएच इंटरनेशनल (असंबंधित) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

हन्वा → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड (असंबंधित) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने असंबद्ध व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की भी जाँच की, और जिन मामलों में किसी असंबद्ध निर्यातक ने घाटे में माल की पुन बिक्री की है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

168. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण एचएससी द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों और संबद्ध/असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। संबद्ध/असंबद्ध निर्यातक की हानि के अतिरिक्त, जैसा भी लागू हो, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन एवं सार-संभाल व्यय, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन किया गया है ताकि कारखानागत कीमत निर्धारित की जा सके। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

कोरिया गणराज्य में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

169. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.5. ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

चाइना जनरल प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन और सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

170. चाइना जनरल प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन (सीजीपीसी) और सीजीपीसी पॉलीमर कॉर्पोरेशन (सीजीपीसीपी) ताइवान में संबद्ध सामानों के संबद्ध उत्पादक हैं। जबकि जाँच अवधि के दौरान, सीजीपीसी ने घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। तथापि, सीजीपीसीपी ने संबद्ध पक्षकारों को भी कम मात्रा में बिक्री की है। प्राधिकारी ने यह जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटम आधार पर किए गए थे, और पाया कि संबद्ध पक्षकारों को बिक्री की कीमत असंबद्ध पक्षकारों को बिक्री की कीमत से वास्तविक रूप से भिन्न नहीं थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में है।

171. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि सीजीपीसी द्वारा 20% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। चूँकि सीजीपीसीपी द्वारा 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। सीपीजीसी और सीजीपीसीपी ने अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और तकनीकी सहायता विभाग की लागत के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। इस प्रकार, सीपीजीसी और सीजीपीसीपी के लिए कारखानागत स्तर पर भारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

172. फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन (फॉर्मोसा) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। फॉर्मोसा

ने घरेलू बाजार में संबद्ध कंपनियों को संबद्ध सामाना बेचा है। प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटतम आधार पर किए गए थे, और उन लेन-देनों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर रखा जो निकटतम कीमतों पर नहीं पाए गए, क्योंकि वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर थे। ऐसे लेन-देनों को बाहर रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यातों की तुलना में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

173. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। फॉर्मोसा ने अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत और ऋण लागत के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। फॉर्मोसा के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ओशन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

174. ओशन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड (ओपीसी) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 20% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। ओपीसी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ताइवान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

175. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ताइवान के लिए निर्यात कीमत

चाइना जनरल प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन और सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात कीमत

176. सीजीपीसी ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिनमें से *** एमटी सीधे निर्यात किया गया, और शेष निम्नलिखित 3 असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया।

सीजीपीसी → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

सीजीपीसी → ग्रैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

सीजीपीसी → मैग्नेट मर्चेंट लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

उपरोक्त में से, मैग्नेट मर्चेंट लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। तथापि, निर्यातक सीजीपीसी के कुल निर्यात का एक नगण्य हिस्सा है। प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध सहयोगी निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है।

177. सीजीपीसीपी ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिनमें से *** एमटी सीधे निर्यात किया गया था, और शेष निम्नलिखित 4 असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया था।

सीजीपीसी → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

सीजीपीसी → ग्रैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

सीजीपीसी → सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

सीजीपीसी → अल कनूज़ एंटरप्राइज एलएलसी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

उपर्युक्त में से, अल कनूज़ एंटरप्राइज एलएलसी ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड ने भाग लिया है, निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा उत्पादक

द्वारा बताई गई मात्रा से मेल नहीं खाती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सीजीपीसीपी द्वारा निर्यात की गई मात्रा के संबंध में ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड के उत्तर पर विचार नहीं किया है। तथापि, ये दोनों निर्यातक सीजीपीसीपी के कुल निर्यात का एक नगण्य हिस्सा हैं। प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुनः बेचा है।

178. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबद्ध ग्राहकों को और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए सीजीपीसी और सीजीपीसीपी द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए छूट, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन और सार-संभाल प्रभार, बंदरगाह सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, कम सल्फर अधिभार, पैकिंग लागत, कमीशन और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किया गया है। उत्पादक ने मात्रा में अंतर के लिए समायोजन का भी दावा किया है। हालाँकि, प्राधिकारी ने ऐसे समायोजनों की अनुमति नहीं दी है। पहुँच कीमत का निर्धारण अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण किया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

फॉर्मोसा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

179. फॉर्मोसा ने भारत को सीधे तौर पर *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, और निम्नलिखित चार असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से *** एमटी का निर्यात किया है।

फॉर्मोसा → सिमोसा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

फॉर्मोसा → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

फॉर्मोसा → रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

फॉर्मोसा → रेणुका एजेंसीज लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

तथापि, उपरोक्त में से, रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड और रेणुका एजेंसीज लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ भागीदारी नहीं की है। इसके अलावा, डेस्क सत्यापन में, ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा का निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा से मिलान किया था। फॉर्मोसा द्वारा किए गए कुल निर्यात की तुलना में असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात नगण्य है। प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि सहयोगी असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है।

180. तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण फॉर्मोसा द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात के लिए ली जाने वाली बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, ब्रोकरेज और दस्तावेज़ीकरण शुल्क, बंदरगाह सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, एलसी बातचीत ब्याज, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। उत्पादक ने मात्रा में अंतर के लिए समायोजन का भी दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने ऐसे समायोजनों की अनुमति नहीं दी है। पहुँच कीमत का निर्धारण भारत में ग्राहक से अंतिम निर्यातक द्वारा ली जाने वाली कीमत के आधार पर किया गया है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य कीमत का निर्धारण किया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

ओशन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

181. ओपीसी ने जाँच अवधि के दौरान भारत को सीधे *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। तदनुसार, निर्यात कीमत ओपीसी द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों, तथा ऋण लागत के लिए समायोजन करके कारखानागत कीमत निकाली गई है। पहुँच कीमत भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

ताइवान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

182. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.6. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

183. एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एजीसी) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामान बेचा, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभप्रद बिक्री की कीमत के आधार पर किया गया है। एजीसी ने छूट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अंतर्देशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के आधार पर कीमत समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। एजीसी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

थाई प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

184. थाई प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड (टीपीसी) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। टीपीसी ने घरेलू बाजार में सहयोगी कंपनियों को संबद्ध सामान बेचा है। प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटतम आधार पर किए गए थे, और पाया कि संबद्ध कंपनियों को बिक्री निकटतम कीमतों पर की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

185. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने हेतु साधारण व्यापार प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। टीपीसी ने समुद्री भाड़ा, ऋण लागत और अन्य खर्चों के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। दावा किए गए समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। टीपीसी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

186. वर्तमान जाँच में भाग नहीं लेने वाले अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत

एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

187. जाँच अवधि के दौरान एजीसी ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इसमें से *** एमटी सीधे निर्यात किया गया है, जबकि शेष निम्नलिखित चार निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया है।

एजीसी → मारुबेनी कॉर्पोरेशन (असंबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

एजीसी → मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड (असंबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

एजीसी → जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी (संबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

एजीसी → पीटीटी ग्लोबल केमिकल पीसीएल (संबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है।

188. एजीसी द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए, निर्यात कीमत का निर्धारण असंबद्ध ग्राहक से बिक्री के लिए एजीसी द्वारा ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। तथापि, संबद्ध निर्यातक द्वारा की गई बिक्री के मामले में, निर्यात कीमत का निर्धारण असंबद्ध ग्राहक को बिक्री के लिए असंबद्ध निर्यातक द्वारा ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, हैंडलिंग शुल्क, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन करके कारखानागत कीमत निकाली गई है। निर्यात कीमत का निर्धारण अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली जाने वाली कीमत के आधार पर किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

थाई प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

189. टीपीसी ने जाँच अवधि के दौरान, अपने संबद्ध व्यापारी थाई पॉलीएथिलीन कंपनी लिमिटेड (टीपीई) के माध्यम से भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इसमें से, टीपीई ने *** एमटी सीधे निर्यात किया है, और शेष निम्नलिखित तीन असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है।

टीपीसी → टीपीई → एसएआर ओवरसीज लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

टीपीसी → टीपीई → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

टीपीसी → टीपीई → टुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

टुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। तथापि, टुन वा के माध्यम से निर्यात टीपीसी द्वारा किए गए कुल निर्यात की तुलना में नगण्य है। प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है।

190. टीपीई द्वारा सीधे भारत को और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से की गई बिक्री के लिए, निर्यात कीमत का निर्धारण संबद्ध निर्यातक, टीपीई द्वारा असंबद्ध ग्राहक को की गई बिक्री के लिए ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। कारखानागत गत कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक शुल्क, ऋण लागत और अन्य खर्चों के लिए समायोजन किए गए है। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुँच कीमत का निर्धारण किया गया है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का निर्धारण किया है। निर्धारित निर्यात कीत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

191. वर्तमान जाँच में भाग नहीं लेने वाले अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख.3.7. <u>संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य</u>

ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी. के लिए सामान्य मूल्य

192. ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी. (ऑक्सी विनाइल्स) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारित करने के लिए व्यापार की साधारण प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभप्रद बिक्री की कीमत के आधार पर किया गया है। ऑक्सी विनाइल्स ने अंतर्देशीय भाड़ा, भंडारण लागत, ऋण लागत और अन्य खर्चों के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, ऑक्सी विनाइल्स के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए अनुसार निर्धारित किया गया है।

शिनटेक, इंक. और शिनटेक लुइसियाना एलएलसी के लिए सामान्य मूल्य।

193. शिन्टेक ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। शिन्टेक ने घरेलू बाजार में संबद्ध कंपनियों को

संबद्ध सामानों की बिक्री की है। प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या ऐसे लेन-देन निकटतम आधार पर किए गए थे, और पाया कि संबद्ध कंपनियों को बिक्री निकटतम कीमतों पर की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में साधारण व्यापार प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

194. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने हेतु साधारण व्यापार प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। शिन्टेक ने क्रेडिट नोट्स, अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत और क्रेडिट लागत के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। शिन्टेक के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी, वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलपी और वेस्टलेक विनाइल्स, इंक के लिए सामान्य मूल्य

195. वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी (डब्ल्यूकेम), वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलपी (डब्ल्यूवीआईएनसी) और वेस्टलेक विनाइल्स, इंक (विनवी), जिन्हें आगे सामूहिक रूप से वेस्टलेक ग्रुप कहा जाएगा, ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में क्रमशः *** एमटी, *** एमटी और *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है। वेस्टलेक ग्रुप ने संबद्ध सामानों को घरेलू बाजार में संबद्ध कंपनियों को बेचा है। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या ऐसे लेनदेन निकटतम आधार पर किए गए थे, और उन लेनदेन को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से बाहर होने के कारण निकटतम कीमतों पर नहीं पाए गए। ऐसे लेनदेन को बाहर रखने के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

196. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। डब्ल्यूकेम और डब्ल्यूविंक के मामले में, चूँकि 20% से कम बिक्री लाभ पर हुई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। तथापि, डब्ल्यूविनी के मामले में, चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर हुई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। डब्ल्यूविनी ने अंतर्देशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, वर्षांत छूट, क्रेडिट लागत और अन्य व्ययों के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। वेस्टलेक समूह के लिए एक भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। शिन्टेक के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

197. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात कीमत</u>

ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी. के लिए निर्यात कीमत

198. ऑक्सी विनाइल्स ने जाँच की अवधि के दौरान अपने संबद्ध निर्यातक, ऑक्सी विनाइल्स एक्सपोर्ट सेल्स, इंक. (ओवीईएस) के माध्यम से भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। बदले में, ओवीईएस ने निम्नलिखित 13 चैनलों से निर्यात किया है।

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कॉन्टिनेंटल इंड ग्रुप इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → केमेक्स इंक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप यूएसए → कोपैप इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप यूएसए → कोपैप यूरोप → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप यूएसए → कोपैप ट्रेडिंग इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप यूएसए → सिग्मा ट्रेड फाइनेंस इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → आईसीसी केमिकल कॉर्पोरेशन

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → मारुबेनी अमेरिका कॉर्पोरेशन → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → मित्सुबिशी इंटरनेशनल पॉलिमर ट्रेड कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → ऑक्सीड केमिकल्स, इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → ट्राइकॉन ड्राई केमिकल्स, एलएलसी →ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → विनमार इंटरनेशनल एलएलसी

199. निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में ग्राहक को बेचा है। निर्यात कीमत को कारखानागत कीमत निकालने के लिएए उचित रूप से समायोजित किया गया था। प्रत्येक चैनल के लिए दावा किए गए अनुसार, कारखानागत कीमत निकालने के लिए डेबिट/क्रेडिट नोट्स, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत, क्रय छूट, सार-संभाल प्रभार, कमीशन, देयता लागत, कूरियर शुल्क, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क, एलसी छूट शुल्क, एलसी शुल्क, छूट शुल्क, विक्रेता जोखिम बीमा, ब्याज व्यय, क्रेडिट लागत और अन्य व्यय के लिए दावा किए गए अनुसार समायोजन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ओवीईएस को छोड़कर, बिक्री चैनल का हिस्सा बनने वाले निर्यातकों/व्यापारियों के बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को समायोजित किया गया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

शिनटेक इंक और शिनटेक लुइसियाना एलएलसी के लिए निर्यात कीमत।

200. शिनटेक ने जाँच अवधि के दौरान, अपने संबद्ध व्यापारी शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड (एसईसीएल) के माध्यम से भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एसईसीएल ने बदले में, निम्नलिखित 2 असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

शिनटेक → एसईसीएल → इटोचू कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

शिनटेक → एसईसीएल → आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जाँच की और पुष्टि की कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुन: बेचा है।

201. निर्यात कीमत का निर्धारण संबद्ध निर्यातक, एसईसीएल द्वारा असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री के लिए ली गई कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पैकिंग लागत, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। अंतिम निर्यातक द्वारा भारत में ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित है।

वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी, वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलपी और वेस्टलेक विनाइल्स, इंक. के लिए निर्यात कीमत

202. वेस्टलेक ने निम्नलिखित 12 चैनलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

वेस्टलेक समूह → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → कॉन्टिनेंटल इंडस्ट्रीज → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → कोपैप यूएसए → कोपैप इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → कोपैप यूएसए → सिग्मा ट्रेड फाइनेंस इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → मारुबेनी अमेरिका कॉर्पोरेशन → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → रिलायंस इंटरनेशनल

वेस्टलेक समूह → रेजिन टेक्नोलॉजी

वेस्टलेक समूह → एसएआर ओवरसीज लिमिटेड

वेस्टलेक समूह → स्टेवियन केमिकल जेएससी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक समूह → विनमार इंटरनेशनल एलएलसी - भारत में असंबद्ध ग्राहक

उपरोक्त में से, रिलायंस इंटरनेशनल और रेजिन टेक्नोलॉजी ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, एसएआर ओवरसीज लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है, लेकिन उसने वेस्टलेक समूह द्वारा उत्पादित सामानों के भारत में किसी भी निर्यात की सूचना नहीं दी है। यह भी नोट किया जाता है कि सीओपीएपी यूएसए, सीओपीएपी इंक और सिग्मा ट्रेड फाइनेंस इंक एक-दूसरे से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मारुबेनी अमेरिका कॉर्पोरेशन और मारुबेनी कॉर्पोरेशन एक-दूसरे से संबद्ध हैं।

203. निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में ग्राहक को बेचा है। निर्यात कीमत को कारखानागत कीमत निकालने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया था। निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रत्येक चैनल के लिए दावा किए गए अनुसार, डेबिट/क्रेडिट नोट, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, भंडारण लागत, कूरियर शुल्क, देयता राशि, सर्वेक्षक लागत, पैकिंग लागत, कमीशन, एलसी छूट शुल्क, एलसी शुल्क, छूट शुल्क, विक्रेता जोखिम बीमा, ब्याज व्यय, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत और अन्य व्यय के लिए समायोजन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिक्री चैनल का हिस्सा बनने वाले निर्यातकों/व्यापारियों की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को समायोजित किया गया है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यातित मात्रा के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

204. वर्तमान जाँच में भाग नहीं लेने वाले अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.8. पाटन मार्जिन

205. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.स.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		यूएसडा./एमटी	यूएसडा./एमटी	यूएसडा./एमटी	%	रेंज (%)
क. चीन						
1	चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड	***	***	***	***	60-70%
2	चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड					
3	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35%
4	क़िंगदाओ हैवान केमिकल	***	***	***	***	25-35%

क्र.स.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	कंपनी लिमिटेड					
5	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	30-40%
6	अन्य	***	***	***	***	45-55%
ख. इंडोनेशिया						
7	पीटी. असाहिमास केमिकल	***	***	***	***	5-15%
8	पीटी. टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स	***	***	***	***	15-25%
9	अन्य	***	***	***	***	35-45%
ग. जापान						
10	कनेका कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	80-90%
11	शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	35-45%
12	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	40-50%
13	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	50-60%
14	अन्य	***	***	***	***	95-105%
घ. कोरिया						
15	एलजी केम, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60%
16	हन्वा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	(***)	(***)	(0-10)%
17	अन्य	***	***	***	***	60-70%
ड. ताईवान						
18	चाइना जनरल प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	25-35%
19	सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन					
20	ओशन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
21	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	15-25%
22	अन्य	***	***	***	***	65-70%
च. थाइलैंड						
23	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी	***	***	***	***	5-15%
24	एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
25	अन्य	***	***	***	***	25-35%
छ. यूएसए						
26	वेस्टलेक केमिकल्स एंड	***	***	***	***	145-

क्र.स.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	विनाइल्स एलएलसी					155%
27	वेस्टलेक विनाइल्स इंक.					
28	वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी					
29	शिनटेक इनकॉर्पोरेटेड	***	***	***	***	60-70%
30	शिनटेक लुइसियाना एलएलसी					
31	ऑक्सी विनाइल्स, एलपी	***	***	***	***	105-115%
32	अन्य	***	***	***	***	125-135%

ज. <u>क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

206. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, जिसके लिए शुल्क लगाना आवश्यक हो। शुल्क लगाने के लिए, प्रमाणित साक्ष्यों के साथ 'वास्तविक क्षति' की मौजूदगी होनी चाहिए, न कि केवल 'संभावना'।

ii. घरेलू बाजारों में वास्तविक क्षति के दावे निराधार हैं, और कीमत निर्धारण एवं माँग पर वैश्विक बाजार स्थितियों के प्रभावों को नहीं दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं पर भरोसा किया है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है कि ऐसी अतिरिक्त क्षमताएँ क्षति को जारी रखेंगी।

iii. संबद्ध आयातों का संचयी विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि आयातों और आयातों तथा समान वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ समान नहीं हैं। जापान से आयात की कीमत अन्य सभी आयातों से अधिक है।

iv. जापान को छोड़कर, चीन से आयात की कीमतें सभी आयातक देशों में सबसे अधिक थीं। अन्य संबद्ध देशों द्वारा उत्पन्न क्षतिकारक प्रभावों को अलग किया जाना चाहिए।

v. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्राथमिक कारण चीन से होने वाला आयात है, न कि जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अमेरिका से होने वाला आयात, जैसा कि केमप्लास्ट सनमार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में स्वीकार किया है और क्रिसिल ने केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड पर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

vi. मांग में वृद्धि घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि से अधिक हो गई है। देश में मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए आयात किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं की जा सकती।

vii. जैसा कि चीन में अपीलीय निकाय - जीओईएस द्वारा नोट किया गया है, केवल आयात में वृद्धि, काफी होने पर भी, मात्रा प्रभाव का साक्ष्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी या क्षमता उपयोग पर आयात के प्रभाव को देखा जाना चाहिए।

viii. यद्यपि प्राधिकारी ने नोट किया है कि आयात में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक दर से वृद्धि हुई है, फिर भी इस बात की अनदेखी की गई है कि घरेलू उद्योग पहले से ही 90% उपयोग पर प्रचालन कर रहा है।

ix. मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का सामना करना पड़ा होगा।

x. कीमत कटौती नगण्य है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बाजार में प्रचलित मूल्य के अनुसार निर्धारित करता है।

xi. प्राधिकारी को संपूर्ण क्षति अवधि के लिए कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

xii. चीन से आयात की पहुँच कीमत में गिरावट संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट और उत्पादन प्रौद्योगिकी को अनुकूलन बनाए जाने, जिससे ऊर्जा की बचत होती है, के कारण है।

xiii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत पिछले वर्ष की तुलना में उसकी बिक्री कीमत से अधिक कम हो गई है। यदि आयातों से कोई कीमत दबाव होता, तो घरेलू उद्योग लागत में संपूर्ण गिरावट का भार उपभोक्ताओं पर डालने के लिए बाध्य होता।

xiv. वीसीएम की कीमतों की तुलना पीवीसी की कीमतों से की जानी चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि क्या उनमें समान कीमत वृद्धि हुई है।

xv. प्राधिकारी ने नोट किया है कि कच्ची सामग्री की लागत (वीसीएम) में वृद्धि हुई है जबकि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट आई है। तथापि, साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं कि संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत में वीसीएम की कीमतों में गिरावट के अनुरूप गिरावट आई है।

xvi. एक प्रतिष्ठित विदेशी एजेंसी, केमोरबिस.कॉम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि भारत में पीवीसी की कीमतें अन्य एशियाई देशों की तुलना में सबसे अधिक हैं। केमोरबिस.कॉम से प्राप्त सूचना यह भी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की कीमतें अन्य एशियाई देशों की कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

xvii. प्राधिकारी ने नोट किया है कि यह नहीं माना जा सकता कि भारत में कीमतें सबसे अधिक हैं। तथापि, कीमतों का निर्धारण माँग-आपूर्ति अंतराल का एक प्रकार्य है। चूँकि वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त आपूर्ति है, इसलिए विदेशी उत्पादक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत को निर्यात कर रहे हैं। कीमतों में गिरावट कच्चे माल की लागत में कमी के साथ हुई है, न कि घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने के इरादे से।

xviii. अन्य उत्पादकों (गैर-याचिकाकर्ता) के आयात और आपूर्ति भारत में घरेलू उद्योग के संबद्ध सामानों की कीमत संरचना को आकार दे रहे हैं।

xix. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, प्राथमित जांच परिणामों में इन घटनाक्रमों को कोई सकारात्मक महत्व नहीं दिया गया, जबकि 2022-23 और जाँच की अवधि के दौरान होने वाले नुकसानों को अनुचित महत्व दिया गया है।

xx. भारत में माँग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास क्षमता के अभाव के कारण घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कम हो गई है।

xxi. कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता के संदर्भ में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

xxii. मालसूची में वृद्धि खराब उत्पाद गुणवत्ता, ग्राहक मांग की कमी, अधिक उत्पादन या आंतरिक संभारिकी अदक्षताओं के कारण हो सकती है।

xxiii. चूँकि भारत में माँग-आपूर्ति अंतराल है, इसलिए भारत में कीमतें निर्यातकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ऐसे निर्यातक ऊँची कीमतें वसूलते हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतें आयात की कीमतों से प्रभावित नहीं हुई हैं और लाभप्रदता में कोई भी गिरावट लागत में वृद्धि के कारण है।

xxiv. घरेलू उद्योग को होने वाली काफा हानियां विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण नहीं हो सकती हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग 2020-21 में अधिक लाभप्र था, जब यह कोविड-19 से प्रभावित था। घाटे में कमी बिक्री कीमत में गिरावट से संबंधित नहीं है।

xxv. घरेलू उद्योग के ब्याज कवरेज अनुपात में गिरावट घरेलू उद्योग की वित्तीय संरचना और बढ़त को दर्शाती है। उच्च ब्याज लागत को आयात कीमत निर्धारण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxvi. यद्यपि आवेदकों ने उन 35 देशों में से 7 पर शुल्क लगाने की मांग की है, जहाँ से विचाराधीन उत्पाद आयात किया जाता है; यह अवश्य जांचा जाना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग भारत में अन्य उत्पादकों के साथ-साथ आयातों से उचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है।

xxvii. विचाराधीन उत्पाद कई देशों से तुलनीय कीमतों पर निर्यात किया गया है। यह संभव नहीं है कि सभी देश पाटन कर रहे हों। यदि 14 वर्षों तक संरक्षण प्राप्त करने के बावजूद घरेलू उद्योग को अभी भी क्षति का सामना करना पड़ रहा है, तो क्षति का कारण उद्योग में अंतर्निहित है।

xxviii. चूँकि याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता के अलावा सभी आर्थिक मानदंड सुधार दर्शा रहे हैं, इसलिए यह अवश्य जांचा जाना चाहिए कि क्या अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं।

xxix. यदि घरेलू उद्योग को क्षति का सामना करना पड़ रहा है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह महत्वपूर्ण निवेश कैसे कर रहा है।

xxx. चीन से आयात की कीमतें मेक्सिको, नॉर्वे, ब्राजील, जर्मनी, कोलंबिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र आदि जैसे गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमतों की तुलना में लगातार अधिक हैं और इस प्रकार, ये पाटित/क्षतिकारक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में शुल्क लगाने से संबद्ध देशों से आयात अन्य देशों में स्थानांतरित हो जाएगा।

xxxi. ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आयात ही घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण है। प्राधिकारी को लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारकों की भी जाँच करनी चाहिए।

xxxii. घरेलू उत्पादकों का कार्य-निष्पादन आंतरिक अक्षमताओं, क्षमता विस्तार से जुड़ी प्रचालनात्मक लागतों, अन्य बाजार गतिशीलता, निराशाजनक बाजार स्थितियों, कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष से प्रभावित होता है।

xxxiii. घरेलू उद्योग के लाभ में कमी क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि के कारण है। इस प्रकार, आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है।

xxxiv. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड किया है कि डीसीडब्ल्यू के निर्धारित कीमत संविदाओं का कोई साक्ष्य नहीं है। तथापि, डीसीडब्ल्यू ने दावा किया है कि उसके वीसीएम आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक संविदाएं थी। घरेलू उद्योग को होने वाली हानियां प्रचालनात्मक लचीलेपन की कमी और अकुशल संविदागत शर्तों के कारण है।

xxxv. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अन्य बाजारों पर कब्जा करने के लिए कम कीमत पर संबद्ध सामानों का निर्यात करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि उनके उत्पादन का 90% उनके घरेलू बाजार में खपत हो जाता है।

xxxvi. यह संभव नहीं है कि संबद्ध देशों के उत्पादक अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर भारत को निर्यात कर रहे हों, जिसका अर्थ है कि भारत में उत्पादन लागत अन्य देशों में उत्पादन लागत से अधिक है।

xxxvii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत कोविड परिस्थितियों के कारण बढ़ी है और उसके बाद, जांच की अवधि तक दो वर्षों में स्थिर हो गई। इसे आयात का कीमत प्रभाव नहीं माना जा सकता।

xxxviii. डीसीएम की तुलना में फिनोलेक्स संबद्ध सामानों के लिए अधिक कीमत वसूलता है, जो दर्शाता है कि डीसीएम को हुई क्षति स्व-प्रभावित है न कि संबद्ध आयातों के कारण।

xxxix. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध सामानों की कैप्टिव खपत के कारण है। इस संबंध में, प्रोफार्मा IV-क में बताई गई लागतों के मूल्य को अवश्य देखा जाना चाहिए क्योंकि कैप्टिव उत्पादन के लिए लागतों का कम आबंटन प्रति इकाई बिक्री लागत में वृद्धि का कारण बन सकता है।

xl. यह संभव है कि घरेलू उद्योग बंदी के कारण हुई हानियों से उबर रहा हो।

xli. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया 950-1000 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी की क्षतिरहित कीमत अत्यधिक बढ़ाई गई है, क्योंकि यह क्षतिरहित कीमत गैर-संबद्ध देशों से आयात से भी अधिक है।

xlii. नियोजित पूंजी पर 22% आय 1987 में तैयार की गई थी जब ब्याज दरें और कॉर्पोरेट कर दरें अलग-अलग थीं। वर्तमान अवधि में ऐसी आय उचित नहीं है। ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट ने माना कि निवेश पर 22% आय को अपनाने से क्षति का निर्धारण प्रभावित हुआ है। ह्योसंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में, सीईएसटीएटी सेस्टैट ने माना कि नियोजित पूंजी पर उचित आय वह होनी चाहिए थी जो घरेलू उद्योग द्वारा उन वर्षों में अर्जित की गई थी जब पाटन का कोई आरोप नहीं था। यहां तक कि यूरोपीय आयोग भी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक आय के आधार पर उचित आय निर्धारित करता है।

xlii. नियोजित पूंजी पर 22% की आय नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी आय नियोजित पूंजी के ऋण हिस्से पर भी दी जा रही है और वैश्विक मंदी के दौर में यह बहुत अधिक है। नियोजित पूंजी पर 22% की आय ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर 27.15% से 41.41% के निवल मूल्य पर प्रभावी लाभ को दर्शाता है।

xliv. निर्धारित क्षतिरहित कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है क्योंकि 22% आय पर विचार किया गया है जो गलत है क्योंकि वैश्विक मंदी इतनी उच्च आय की अनुमति नहीं देती है और नियोजित पूंजी पर आय, जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए, निवल मूल्य पर प्रभावी आय 22% से कहीं अधिक है। नियोजित पूंजी पर उचित आय को उद्योग द्वारा वास्तव में अर्जित उस आय के रूप में माना जाना चाहिए जब देश में कोई पाटन नहीं था।

xlv. यूरोपीय संघ में परिपाटी है, जैसा कि यूरोपीय उर्वरक निर्माता संघ बनाम परिषद के मामले में यूरोपीय न्यायालयों द्वारा भी पुष्टि की गई है, कि माना जाने वाला लाभ मार्जिन उस अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ मार्जिन पर आधारित होना चाहिए जिसमें पाटित किए गए या सब्सिडी वाले आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

xlvi. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड 18.69% की आय अर्जित कर रहा है, जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड 18.09% की आय अर्जित कर रहा है, जिसे क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

xlvii. रिलायंस और फिनोलेक्स की भागीदारी उनके अधिक लागत-कुशल ढांचे के कारण बेहतर क्षति मानदंड और कम एनआईपी दर्शाएगी।

xlviii. पूर्वव्यापी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा पूर्वव्यापी शुल्क का अनुरोध करने वाले अनुरोधों में साक्ष्य का अभाव है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

xlix. आवेदकों ने दावा किया है कि चूंकि आयात 2022 तक पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन थे, इसलिए भारत में पाटन का इतिहास है। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर शुल्क वास्तविक पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के आधार पर नहीं, बल्कि संभावना के आधार पर जारी रखा गया था। प्राधिकारी ने क्षति के अभाव और क्षति की संभावना के कारण थाईलैंड से आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा। प्राधिकारी ने पाटन के अभाव के कारण जापान, कोरिया, ताइवान और थाईलैंड से आयात पर दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू नहीं की। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में पाटन का इतिहास है।

I. घरेलू उद्योग यह प्रमाण देने में विफल रहा है कि आयातकों को इस बात की जानकारी थी कि निर्यातक भारत में उत्पाद का पाटन कर रहे हैं।

Ii. आवेदक अल्प अवधि में भारी मात्रा में पाटन को प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जिसके लिए पूर्वव्यापी शुल्क लगाना आवश्यक हो। आवेदकों ने यह भी नहीं दर्शाया है कि यदि पूर्वव्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तो पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कम हो जाएँगे।

Iii. आवेदक अनंतिम शुल्कों का अनुरोध करने में विफल रहे हैं, जो पूर्वव्यापी शुल्क लगाने की एक पूर्व शर्त है।

Iiii. अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को शुल्कों के अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करने का अधिकार देता हो।

Iiv. आवेदकों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे जाँच अवधि के बाद निर्यातकों के माहवार निर्यात आँकड़े एकत्र करें। हालाँकि, चूँकि वर्तमान जाँच एक मूल जाँच है, इसलिए अधिनियम या नियमावली जाँच अवधि के बाद के आँकड़ों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं देते हैं।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

207. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग को पिछले तीन वर्षों से क्षति हो रही है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे शीघ्र अंतिमत जांच परिणाम जारी करें।

ii. पाटन मार्जिन, आयात की मात्रा और प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए क्षति का संचयी मूल्यांकन उचित है।

iii. इस तर्क के प्रत्युत्तर में कि संबद्ध देशों से आयात कीमत पाटित और क्षतिकारक नहीं हैं क्योंकि तीसरे देशों से आयात कीमत भी समान है, यह अनुरोध किया गया कि संबद्ध आयात कीमत की तुलना गैर-संबद्ध आयात कीमत से करना यह आकलन करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि क्या ऐसी कीमत पाटित और क्षतिकारक है। चीन से आयात के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

iv. आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा निरपेक्ष रूप से संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

v. जांच अवधि के दौरान, संबद्ध आयात भारत में आयात का 93% था।

vi. संबद्ध आयात की मात्रा भारत में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी को संचयन के लिए पूर्व शर्त के रूप में मात्रा और कीमत का देश-दर-देश विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

viii. यह तथ्य कि एक देश से आयात कीमत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक है, वि-संचय का कारण नहीं है।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, सभी संबद्ध देशों से आयात की कीमत समान रेंज में है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रही है।

x. घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमतों पर आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप और घरेलू उद्योग की कीमतों के ह्रास और न्यूनीकरण के कारण क्षति हुई है।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, भारत में आयात मांग-आपूर्ति अंतराल से कहीं अधिक है। भारत में मांग-आपूर्ति अंतराल से अधिक आयात में वृद्धि हुई है।

xii. घरेलू उद्योग को ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपनी कीमतों को कम करके, कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। परिणामस्वरूप, जहाँ आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, वहीं कीमत कटौती कम है।

xiii. कीमत कटौती तब भी सकारात्मक है जब घरेलू उद्योग ने टे में बेचा है।

xiv. यह दावा कि कोई कीमत प्रभाव नहीं है, अतार्किक है क्योंकि पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग घाटे में बेचने को मजबूर है। जहाँ बिक्री लागत बढ़ी है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

xv. वीसीएम कीमतों के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किए गए आंकड़े अविश्वसनीय है क्योंकि ऐसे आंकड़ों के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है। चूँकि वीसीएम के लिए कोई समर्पित कोड नहीं है, इसलिए आयात आंकड़ों के आधार पर कीमतों की पहचान नहीं की जा सकती। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल लिमिटेड, जो वीसीएम का आयात करते हैं, के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, पहुँच कीमत और वीसीएम कीमतों के बीच अंतर कम हुआ है। घरेलू उद्योग के लिए वीसीएम की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित हैं।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का उत्पाद की मांग से कोई संबंध नहीं है।

xvii. आयातों ने घरेलू उद्योग की मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के साथ-साथ पूंजी निवेश बढ़ाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xviii. प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों के मात्रात्मक प्रभाव की पहले ही जांच कर ली है। उद्योग की प्रकृति ऐसी है कि उसे निरंतर उत्पादन करना पड़ता है, भले ही उसे घाटे में बेचना पड़े। परिवहन के लिए आवश्यक विशिष्ट कंटेनरों के कारण, घरेलू उत्पादकों के पास आपूर्तिकर्ताओं और शिपिंग कंपनियों के साथ वीसीएम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक संविदांए हैं। यदि कोई घरेलू उत्पादक उत्पादन स्थगित करता है, तो वे अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कच्ची सामग्री की मालसूची में वृद्धि का सामना करते हैं। अतः, उत्पादन कम करना घरेलू उद्योग के लिए विकल्प नहीं है।

xix. घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वह घाटे में बेच रहा है।

xx. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग का हिस्सा घटा है।

xxi. घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा हुआ है।

xxii. नकद लाभ में गिरावट आई है और वह नकद घाटे में बदल गया है। जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवेश पर आय सबसे कम थी।

xxiii. घरेलू उद्योग का ब्याज कवरेज अनुपात क्षति अवधि के दौरान कम हुआ है और जाँच अवधि के दौरान सबसे कम था। घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए भी ब्याज से पहले पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं किया है।

xxiv. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो क्षति की जाँच के लिए संबद्ध देशों और भारत में उत्पादन लागत की तुलना की अनुमति देता हो। जबकि घरेलू उद्योग को अन्य घरेलू उत्पादकों से आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, तथापि प्राधिकारी को केवल यूएस - जापान से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपायों में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट और यूरोपीय समुदायों - भारत से कॉटन-टाइप बेड लिनन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में पैनल रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उद्योग बनने वाले घरेलू उत्पादकों के संबंध में क्षति विश्लेषण करने की ही आवश्यकता है।

xxv. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुए घाटे में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग तब लाभप्रद था जब पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थी।

xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकार चीन में क्षमता उपयोग के संबंध में साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे हैं। चीन में क्षमता 25 मिलियन एमटी के आसपास है और 10% क्षमता उपयोग भारत में 73% मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

xxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग उचित बाजार स्थिति में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, जो स्पष्ट है कि जब भारतीय बाजार में कोई पाटन नहीं था, तब घरेलू उद्योग का निष्पादन काफी बेहतर था।

xxviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के, उत्पाद में किए गए निवेश अल्पकालिक निर्णय नहीं हैं। घरेलू उद्योग को 2020-21 और 2021-22 में कोई क्षति नहीं हुई थी और घरेलू उद्योग को हुई क्षति हाल ही की है।

xxix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा पाटन की मात्रा निर्धारित की गई है। इस प्रकार, यह तर्क कि कोई पाटन नहीं हुआ है, गलत है। ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

xxx. अन्य देशों से आयात की मात्रा चीन से आयात की तुलना में बहुत कम है। चूँकि एस-पीवीसी एक कमोडिटी उत्पाद है, इसलिए भारत में पाटन पर रोक लगने के बाद अन्य देशों से कीमतें भी बढ़ने की संभावना है।

xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकार अन्य संभावित कारकों को दर्शाने में विफल रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो सकती है।

xxxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत कि घरेलू उद्योग को होने वाली संभावित क्षति को नहीं, बल्कि वास्तविक क्षति को देखा जाना चाहिए, वर्तमान मामला एक निर्णायक समीक्षा नहीं है, और घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के संबंध में सूचना प्रदान की है।

xxxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति क्षमता विस्तार के कारण नहीं हो सकती क्योंकि आवेदकों में से केवल एक ने ही क्षमता का विस्तार किया है, लेकिन अन्य आवेदकों को नुकसान हुआ है।

xxxiv. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो घरेलू उत्पादकों के निष्पादन की परस्पर तुलना की अनुमति देता हो। क्षति का आकलन करने के लिए कंपनी के प्रचालन पर विचार करने की आवश्यकता है। डीसीएम जहां व्यापारिक बाजार के लिए उत्पादन करती है, वहीं फिनोलेक्स मुख्य रूप से कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करती है।

xxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, डीसीडब्ल्यू के क्रेताओं के साथ निश्चित कीमत संविदाएं नहीं हैं। संविदाएं मात्रा के संदर्भ में तय होती हैं, न कि कीमत के संदर्भ में।

xxxvi. क्षति कच्ची सामग्री की लागत में उतार-चढ़ाव के कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे उतार-चढ़ाव उद्योग की प्रकृति में अंतर्निहित हैं। पाटन के अभाव में, कच्चे माल की लागत में वृद्धि से उत्पाद बिक्री कीमत और पहुँच कीमत में भी तदनुरूप वृद्धि होगी।

xxxvii. क्षति कैप्टिव खपत के कारण नहीं है, जैसा कि अन्य पक्षकारों द्वारा आरोप लगाया गया है, क्योंकि केवल एक आवेदक ने ही संबद्ध सामानों की कैप्टिव रूप से खपत की और वह कैप्टिव खपत संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन की तुलना में काफी कम थी।

xxxviii. इस तर्क के संबंध में कि क्षति का दावा निराधार है और कीमत निर्धारण या मांग पर वैश्विक बाजार स्थितियों के प्रभावों को नहीं दर्शाता है, यह अनुरोध किया गया कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वैश्विक कीमतों या मांग के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकारी पहले ही घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विस्तृत विश्लेषण के साथ एक प्राथमिक जांच परिणाम दे चुके हैं।

xxxix. यह आरोप लगाते हुए कि 22% की आय निवल मूल्य पर अत्यधिक उच्च आय की अनुमति देता है, हितबद्ध पक्षकारों ने एक अवास्तविक ऋण इक्विटी अनुपात मान लिया है। यदि वास्तविक अनुपात पर विचार किया जाए, तो 22% की आय निवल मूल्य पर बहुत कम आय की अनुमति देता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य की भी अनदेखी की है कि आवेदकों को अर्जित लाभ पर कर का भुगतान करना आवश्यक है और कुछ ऐसे व्यय हैं जिन पर आय की अनुमति दी जानी चाहिए, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा गैर-लागत व्यय माना जाता है। अर्जित लाभ ऐसे व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

xl. यदि प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान उच्चतम लाभ पर विचार करता है, तो वह क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा लगातार विचार किए गए लाभ से बहुत अधिक था।

xli. यूरोपीय संघ की परिपाटी पर भरोसा करना अनुचित है क्योंकि यूरोपीय संघ कच्चे माल, यूटिलिटियों और उत्पादन क्षमताओं के अनुकूलन के लिए समायोजन किए बिना, घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन लागत के आधार पर क्षतरहित कीमत निर्धारित करता है। यदि आय निर्धारित करने में यूरोपीय संघ की परिपाटी को अपनाया जाना है, तो इसे पूरी लागत पर विचार करते समय भी अपनाया जाना चाहिए।

xlii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विपरीत, डीसीएम और डीसीडब्ल्यू दोनों के निवेश पर आय पिछले वर्षों में 22% से अधिक है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

208. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतिवादों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

209. आशीर्वाद पाइप्स द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि वास्तविक क्षति होनी चाहिए, संभावित क्षति नहीं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के कारण वास्तविक पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जाँच की है।

210. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि क्षति निराधार है और वैश्विक बाजार स्थितियों के प्रभावों को नहीं दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

211. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा निवेश किए जाने के कारण कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश अल्पकालिक निर्णय नहीं हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि पाटन से पहले घरेलू उद्योग का प्रदर्शन बेहतर था, जब ऐसे निर्णय लिए गए थे। वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति का मामला हाल ही का है।

212. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चीनी उत्पादकों के लिए कम कीमतों पर बिक्री करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि उनके उत्पादन का 90% घरेलू बाजार में खपत हो जाता है। हालाँकि, रिकॉर्ड में मौजूद तथ्य दर्शाते हैं कि चीनी उत्पादकों ने घरेलू बाजार में काफी मात्रा में बिक्री की है। इसके अलावा, ऐसे आयातों की कीमतें कम हैं और पाटन को दर्शाती हैं। अन्य संबद्ध देशों से आयात भी पाटित कीमतों पर पाए गए। इसलिए, घरेलू बाजार में बेची गई मात्रा के बावजूद, यह एक तथ्य है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने भारतीय बाजार में पाटन किया है।

213. इस अनुरोध के संबंध में कि गैर-याचिकाकर्ता उत्पादकों की कीमतें भारत में संबद्ध सामानों की कीमत संरचना को आकार दे रही हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का भारत में बड़ा बाजार हिस्सा है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत न केवल बिक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संबद्ध आयात भारत में कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा कोई साक्ष्य या सूचना रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है जिससे प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालें कि घरेलू उद्योग की कीमतें गैर-याचिकाकर्ता उत्पादकों द्वारा प्रभावित हो रही हैं।

214. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध सामानों की कीमत भारत में सबसे अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दायर आंकड़ों के अनुसार, पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। चूँकि संबद्ध देशों के उत्पादक भारत को विचाराधीन उत्पाद अपने सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर बेच रहे हैं, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि भारत में कीमतें सबसे अधिक हैं।

215. इस अनुरोध के संबंध में कि वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त आपूर्ति है और विदेशी उत्पादक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत को निर्यात कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतराल है। मांग-आपूर्ति अंतराल के बाद भी, घरेलू उद्योग भारत में पाटन के कारण विचाराधीन उत्पाद को अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बेच रहा है। इस प्रकार, कीमतों को प्रतिस्पर्धी नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों द्वारा दायर उत्तरों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। चूँकि पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आयात उचित कीमतों पर हैं।

216. इस अनुरोध के संबंध में कि भारत में उत्पादन लागत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति को वर्तमान स्थिति के अनुसार ही देखा जाना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली में संबद्ध देशों और भारत में लागत के बीच तुलना की आवश्यकता नहीं है।

217. पूर्वव्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में पूर्वव्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ज.3.1 <u>क्षति का संचयी मूल्यांकन</u>

218. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात पर एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करते है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

219. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में परस्पर तुलनीय गुण हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए और समान ग्राहक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

220. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध देशों में से एक से आयात कीमत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के संचयी मूल्यांकन के लिए इसका आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन सभी जाँचों में जहाँ एक से अधिक देशों से आयात का एक साथ आकलन किया जा रहा है, एक देश से आयात कीमत हमेशा दूसरे देश से अधिक होगी। यदि संचयी मूल्यांकन के लिए ऐसी तुलना आवश्यक होती, तो किसी भी जाँच में आयातों का संचयी मूल्यांकन करने की कोई संभावना नहीं होती।

221. इस तथ्य के संबंध में कि चीन से आयात कीमत गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत से अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना गैर-संबद्ध देशों से करने को अनिवार्य बनाता हो। गैर-संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम हैं और इसलिए, ऐसे आयातों को वर्तमान जाँच में संबद्ध आयात नहीं माना जा सकता है।

222. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जाँच में आयातों को संचित करना उचित होगा:-

क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का भारत में पाटन किया जा रहा है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित *न्यूनतम सीमा* से अधिक है।

ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा अलग अलग रूप से कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश से आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

ज.3.2. <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

क) <u>मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत</u>

223. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	4,10,587	4,54,477	4,70,734	4,81,280
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	115	117
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	7,75,586	7,71,140	7,94,595	7,40,996
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	102	96
संबद्ध आयात	एमटी	10,29,546	12,51,861	19,97,000	23,23,183
अपाटित आयात (हन्वा)	एमटी				93,466
अन्य आयात	एमटी	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
कुल माँग	एमटी	24,92,103	25,93,601	34,10,483	37,14,880
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	137	149

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है और जाँच अवधि के दौरान यह सर्वाधिक थी।

ख) <u>संबद्ध देशों से आयात की मात्रा</u>

225. आयात मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	10,29,546	12,51,861	19,97,000	22,29,717
चीन जन.गण.	एमटी	88,995	2,82,101	7,71,817	8,08,326
इंडोनेशिया	एमटी	15,839	58,524	67,425	1,14,045
जापान	एमटी	3,57,780	3,38,146	3,61,072	4,04,597
कोरिया गणराज्य	एमटी	2,09,254	1,93,786	1,81,813	1,58,167
ताइवान	एमटी	2,49,544	2,60,851	3,24,390	3,69,959
थाईलैंड	एमटी	67,312	1,09,792	1,21,946	1,25,325

यूएसए	एमटी	40,823	8,662	1,68,536	2,49,299
अपाटित आयात (हन्वा)					93,466
अन्य आयात	एमटी	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
कुल आयात	एमटी	13,05,930	13,67,984	21,45,155	24,92,603
निम्नलिखत के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	76%	88%	134%	157%
खपत	%	41%	48%	59%	60%
कुल आयात	%	79%	92%	93%	93%

226. यह नोट किया जाता है कि -

i. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है।

ii. यद्यपि संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है, परंतु क्षति अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात में कमी आई है।

iii. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारत में अधिकांश खपत को पूरा करते हैं।

iv. इसके अतिरिक्त, जबकि आयात की मात्रा कुल घरेलू उत्पादन से कम थी, जो कुल घरेलू उत्पादन का केवल तीन-चौथाई थी, अब यह घरेलू उत्पादन का लगभग 1.57 गुना है।

v. यद्यपि आधार वर्ष के दौरान भारत में किए गए आयात में संबद्ध आयातों का योगदान 79% था, जांच अवधि के दौरान आयात का लगभग संपूर्ण हिस्सा संबद्ध देशों से आयातों का था।

vi. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में मांग में 49% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 117% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक गति से वृद्धि हुई है।

227. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि संबद्ध आयातों में भारत में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है, किन्तु ऐसा केवल घरेलू उद्योग की मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने की क्षमता के अभाव के कारण हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि के दौरान अतिरिक्त आयातों में वृद्धि हुई है। अतः, आयातों में इस वृद्धि को केवल भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण नहीं माना जा सकता।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
भारत में क्षमता	एमटी	14,63,500	14,77,000	15,18,667	15,27,000
मांग	एमटी	24,92,103	25,93,601	34,10,483	37,14,880
मांग-आपूर्ति अंतराल	एमटी	10,28,603	11,16,601	18,91,816	21,87,880
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	10,29,546	12,51,861	19,97,000	22,29,717
अपाटित आयात (हन्वा)	एमटी				93,466
अन्य देशों से आयात	एमटी	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
अतिरिक्त आयात	एमटी	2,77,326	2,51,383	2,53,339	3,04,723

228. इस अनुरोध के संबंध में कि केवल आयात में वृद्धि पर्याप्त नहीं है और इसके प्रभाव की जाँच करने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। ऐसा घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के सीवीएम के आपूर्तिकर्ताओं और शिपिंग कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आवेदक नियमित आधार पर वीसीएम की मात्रा उठाने और उसे विशेष भंडारण स्थानों में संग्रहीत करने के लिए बाध्य हैं। चूँकि भंडारण सीमित है, इसलिए घरेलू उद्योग उत्पादन को स्थगित या कम नहीं कर सकता, भले ही उसे घाटे में बेचना पड़े। इसके कारण, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

229. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री केवल इसलिए बढ़ा पाया है क्योंकि वह घाटे में बिक्री कर रहा था। चूँकि एस-पीवीसी एक कमोडिटी उत्पाद है, इसलिए घरेलू उद्योग इस उत्पाद की बिक्री जारी नहीं रख पाएगा यदि वह अपने उत्पाद की कीमत उसकी बिक्री लागत से अधिक रखता है क्योंकि पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है।

ज.3.3. <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

230. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों के कारण भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क) कीमत कटौती

231. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है।

विवरण	यूनिट	राशि
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी	75,846
कीमत कटौती	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	0-10%

232. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, और यह कीमत कटौती सकारात्मक एवं काफभ् है। घरेलू उद्योग आयातों की पहुँच कीमत के कारण कीमतों में कमी करने के लिए बाध्य हुआ है और जाँच अवधि के दौरान घाटे में बिक्री कर रहा है। फिर भी, पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

233. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत कटौती का आकलन चार वर्षों के लिए किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी जाँच कानूनन या विगत परिपाटी के अनुसार आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की जाँच की है।

234. इस अनुरोध के संबंध में कि नगण्य कीमत कटौती यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग उत्पाद की कीमत बाजार के अनुसार निर्धारित करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान एक वस्तु उत्पाद हैं, और एस-पीवीसी के सभी उत्पादक अपने उत्पादों की कीमत बाजार के अनुसार निर्धारित करते हैं। चूँकि भारत में संबद्ध आयातों का बाज़ार में अधिकांश हिस्सा है और संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की

बिक्री लागत से कम है, इसलिए घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस कारण, जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

235. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना है या अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	101	86
बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	123	105
पहुंच कीमत	रु./एमटी	82,169	1,24,033	95,518	75,846
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	116	92

236. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में वृद्धि से कम थी। 2022-23 में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में कमी आई, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट अधिक थी। जाँच अवधि के दौरान, बिक्री लागत और बिक्री कीमत में और कमी आई। जाँच अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी, जिससे घरेलू उद्योग को लागत से कम होने के बावजूद अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आधार वर्ष की तुलना में, जहाँ बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और कीमत वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा होती।

237. अन्य हितधारक पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कीमत ह्रास/न्यूनीकरण मांग में वृद्धि के कारण हो सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत ह्रास/न्यूनीकरण घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत का विश्लेषण है, और यह मांग का कारक नहीं है। हालाँकि, अन्यथा भी, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है और यह देश की क्षमता से अधिक है। ऐसी स्थिति में, मांग-आपूर्ति आर्थिकी के परिणामस्वरूप बाजार में कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए थी। इसके विपरीत, लागत में वृद्धि के बावजूद कीमतों में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति को मांग में उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जो अच्छी गति से बढ़ी है।

238. इस अनुरोध के संबंध में कि चीन जन.गण. से पहुँच कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमत में गिरावट और उत्पादन प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध सामानों के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट या प्रौद्योगिकी में किए गए परिवर्तनों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, जबकि घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, पहुँच कीमत में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
पहुंच कीमत	रु./एमटी	82,169	1,24,033	95,518	75,846
पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	151	116	92
कच्ची सामग्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
कच्ची सामग्री लागत	सूचीबद्ध	100	155	125	106

239. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत वीसीएम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुरूप बढ़ी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार घरेलू उद्योग की वीसीएम कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त वीसीएम का आयात केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत की तुलना केमप्लास्ट और डीसीडब्ल्यू की वीसीएम की कीमत से की है। यह नोट किया जाता है कि पहुंच कीमत और वीसीएम की कीमत के बीच अंतर में गिरावट आई है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि वीसीएम की कीमत में तद्नुरूपी गिरावट के बिना पहुंच कीमत में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वीसीएम की कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
वीसीएम की कीमत	सूचीबद्ध	100	157	120	101
पहुंच कीमत	रु./एमटी	82,169	1,24,033	95,518	75,846
पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	151	116	92
डेल्टा	रु./एमटी	***	***	***	***
डेल्टा	सूचीबद्ध	100	131	103	64

240. इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत, यदि कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट की प्रतिक्रिया में ही गिरावट आई होती तो पहुंच कीमत में पाटन नहीं दर्शाया होता। तथापि, प्राधिकारी ने यह पाया है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा स्वयं दी गई सूचना पाटन दर्शाती है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आयात कीमतें कम कच्ची सामग्री कीमतों के कारण कम हैं।

241. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि बिक्री कीमत और लागत कोविड के कारण प्रभावित हुई थी और जांच की अवधि में ही स्थिर हुई हैं और इस प्रकार, कोई कीमत प्रभाव नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग की लागत और कीमत पर कोविड का संभावित प्रतिकूल प्रभाव दर्शाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष और 2021-22 में उस समय लाभप्रद था जब संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

242. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि उन उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच क्षति के निर्धारण में शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणमाी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा और उन तत्वों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित सभी तत्व शामिल होंगे।

243. क्षति मापदंडों की जांच विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण ढंग से की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

244. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	4,63,500	4,77,000	5,18,667	5,27,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	112	114
उत्पादन	एमटी	4,02,473	4,61,616	4,78,088	4,80,406
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	119	119
क्षमता उपयोग	%	87%	97%	92%	91%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	106	105
घरेलू बिक्री	एमटी	4,10,487	4,54,477	4,70,734	4,81,820
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	115	117

245. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। इस कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

246. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति ऐसी है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन जारी रखना आवश्यक है, भले ही उसे घाटे में बेचना पड़े। घरेलू उद्योग कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और शिपिंग कंपनियों के साथ वीसीएम की खरीद के लिए संविदात्मक दायित्व से बंधा हुआ है। चूँकि वीसीएम को क्रायोजेनिक तापमान पर विशेष भंडारण टैंकों में भंडारित किया जाता है, इसलिए आवेदकों के पास वीसीएम के लिए सीमित भंडारण उपलब्ध है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने घाटे में बिक्री की है, लेकिन अपने उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि जारी रखी है।

ख) बाजार हिस्सा

247. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयातों और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	16%	18%	14%	13%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	84	79
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	31%	30%	23%	20%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	75	64
संबद्ध आयात	%	41%	48%	59%	60%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	142	146
अपाटित आयात (हन्वा)	%				93,466
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध				100
अन्य आयात	%	11%	4%	4%	5%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	39	41

248. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के साथ-साथ समग्र रूप से भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

ii. अन्य देशों से आयात की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

iii. मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, और संबद्ध आयातों का बाजार में 60% हिस्सा है। संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर भी कब्ज़ा कर लिया है।

ग) मालसूची

249. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
औसत मालसूची	एमटी	8,919	4,308	6,795	8,798
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	76	99

250. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में गिरावट आई और उसके बाद 2022-23 और जाँच अवधि में वृद्धि हुई।

251. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि मालसूची में वृद्धि खराब गुणवत्ता, माँग की कमी, अति उत्पादन या आंतरिक संभारकीय अदक्षताओं के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों की काफी मात्रा बेची है। गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की स्थिति में, घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों को बेचने में सक्षम नहीं होता। इसके अतिरिक्त, चूँकि भारत में माँग-आपूर्ति अंतराल है, इसलिए कोई अति-उत्पादन या माँग की कमी नहीं है। संभारकीय अदक्षताओं के संबंध में, रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय

252. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं: -

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	123	105
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	101	86
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रु./एमटी	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	-4	-9
कुल लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	-5	-10
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	4	-1
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	% सूचीबद्ध	100	91	14	14

253. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जबकि घरेलू उद्योग 2020-21 और 2021-22 में लाभ कमा रहा था, उसे 2022-23 और जाँच की

अवधि में वित्तीय घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई है।

ख. जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के कुल घाटे में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, बिक्री की अतिरिक्त मात्रा के साथ, घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हो रही है।

ग. नकद लाभ में उल्लेखनीय गिरावट आई है और इस हद तक कि जाँच अवधि के दौरान यह ऋणात्मक थी।

घ. घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर आय में भी यही प्रवृत्ति रही है। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

254. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि ब्याज लागत में वृद्धि के कारण ब्याज कवरेज अनुपात में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की ब्याज लागत में वास्तव में गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पीबीआईटी में भी इस अवधि में भारी गिरावट आई है। इसलिए, लाभप्रदता में गिरावट को ब्याज लागत के कारण नहीं माना जा सकता।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
पीबीआईटी	सूचीबद्ध	100	121	17	12
ब्याज	लाख रु.	***	***	***	***
ब्याज	सूचीबद्ध	100	98	76	76

ड. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

255. 256. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	555	571	567	577
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	102	104
मजदूरी	लाख रु.	7,491	8,607	9,060	8,786
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	117
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	1,220	1,399	1,449	1,456
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	119	119
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	725	808	843	833
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	116	115

256. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस मानदंड पर किसी क्षति का दावा नहीं किया है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	15%	4%	0%
घरेलू बिक्री	%	-	11%	4%	2%
लाभ/हानि	%	-	16%	-104%	-109%

नकद लाभ	%	-	27%	-96%	-125%
नियोजित पूंजी पर आय	%		-9%	-85%	-0.46%

257. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों ने क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में वृद्धि हुई है। हालाँकि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों ने 2022-23 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, जो जाँच अवधि के दौरान और भी बिगड़ गई है।

छ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

258. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। ऐसी कम कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। इसने घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकद हानियां हुई हैं। आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती। इसलिए, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

259. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयात कीमत से प्रभावित नहीं होतीं, क्योंकि निर्यातक अधिक कीमतें वसूलते हैं और भारत में कीमत निर्धारित करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और क्षति-रहित कीमत से कम थी। इसके अतिरिक्त, जब घरेलू उद्योग ने घाटे में भी बिक्री की है, तब भी कीमत कटौती सकारात्मक है। इस प्रकार, भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज) पाटन की मात्रा

260. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का भारत में पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

261. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय और नकद घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग की कुल हानियाँ घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि के साथ बढ़ी हैं। घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान ब्याज लागतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहा है। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

262. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चे न लगाए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल नियोजित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और दी जा रही है।

263. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत का निर्धारण किया है।

264. इस तर्क के संबंध में कि नियोजित पूंजी पर 22% आय अनावश्यक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण नियोजित पूंजी पर उचित आय, जो 22% है, के आधार पर करना

प्राधिकारी की एक सतत परिपाटी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समान वस्तु पर उचित विचार किए बिना कंपनी स्तर के प्रतिफल के आधार पर प्रतिफल की गणना करने या अन्य को छोड़कर आवेदकों में से किसी एक को प्रतिफल की बेंचमार्किंग करने या कुछ अवधियों के लिए प्रतिफल की गणना करने संबंधी अनुरोध, जिनके चयन को उचित ठहराना कठिन है, प्राधिकारी के लिए अपनी स्थापित परिपाटी से विचलित होने का ठोस आधार नहीं हैं।

265. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्रचलित ब्याज दरों और कर दरों सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति के आलोक में 22% का प्रतिफल उचित नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति-रहित कीमत के निर्धारण हेतु नियोजित पूँजी पर 22% की आय देना प्राधिकारी की सतत् परिपाटी है। ब्रिजस्टोन मामले में माननीय सेस्टैट की टिप्पणियाँ कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण में 22% आरओसीई के उपयोग के संबंध में थीं, न कि क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की गणना में इसकी उपयुक्तता के संबंध में। इसके अतिरिक्त, ब्रिजस्टोन का निर्णय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के लागू होने से पहले का है, जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस पर निर्भरता अनुचित हो जाती है। बाद के मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स मामले में, सेस्टैट ने 22% आरओसीई लागू करने की प्राधिकारी की परिपाटी को बरकरार रखा। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22% आय पर विचार करने के बाद भी, एक घरेलू उत्पादक की आय उसके द्वारा वहन की गई ब्याज लागत से कम है, जिससे ब्याज और इक्विटी पर आय की पर्याप्त वसूली नहीं होती। इसे देखते हुए, प्राधिकारी को 22% आय नहीं मिलती।

266. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति-रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और यह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: -

क्र.स.	**उत्पादक का नाम**	**क्षति रहित कीमत**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**
		यूएसडा./एमटी	यूएसडा./एमटी	यूएसडा./एमटी	%	रेंज (%)
क. चीन						
1	चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड	***	***	***	***	15-25%
2	चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड					
3	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15%
4	क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
5	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	10-20%
6	अन्य	***	***	***	***	25-35%
ख. इंडोनेशिया						
7	पीटी. असाहिमास केमिकल	***	***	***	***	0-10%
8	पीटी. टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स	***	***	***	***	0-10%
9	अन्य	***	***	***	***	20-30%
ग. जापान						
10	कनेका कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	0-10%
11	शिन-एत्सु केमिकल कंपनी	***	***	***	***	0-10%

	लिमिटेड					
12	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	5-15%
13	गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादक	***	***	***	***	0-10%
14	अन्य	***	***	***	***	10-20%
घ. कोरिया						
15	एलजी केम, लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
16	हन्वा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	(***)	(***)	(0-10%)
17	अन्य	***	***	***	***	15-25%
ड. ताईवान						
18	चाइना जनरल प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	0-10%
19	सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन					
20	ओशन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
21	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	0-10%
22	अन्य	***	***	***	***	15-25%
च. थाइलैंड						
23	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी	***	***	***	***	0-10%
24	एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
25	अन्य	***	***	***	***	20-30%
छ. यूएसए						
26	वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी	***	***	***	***	10-20%
27	वेस्टलेक विनाइल्स इंक.					
28	वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी					
29	शिनटेक इनकॉर्पोरेटेड	***	***	***	***	0-10%
30	शिनटेक लुइसियाना एलएलसी					
31	ऑक्सी विनाइल्स, एलपी	***	***	***	***	15-25%
32	अन्य	***	***	***	***	40-50%

ञ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क</u>

267. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी जांचना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञात कारक भी हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि इन अन्य

कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

268. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात, मात्रा में इतने काफी नहीं हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाएँ या पहुँचाने का खतरा हो।

ख. मांग में संकुचन

269. यह नोट किया गया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

270. संबद्ध सामानों के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

271. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्म परिपाटितयां नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

272. इस अनुरोध के संबंध में कि इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है और फिनोलेक्स उच्च कीमतों पर बिक्री कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब भारत में कोई पाटन नहीं था, तब घरेलू उद्योग का निष्पादन बेहतर था। तथापि, देश में पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई। फिनोलेक्स की कीमत निर्धारण रणनीति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फिनोलेक्स और आवेदकों की लागत संरचनाएँ भिन्न हो सकती हैं क्योंकि आवेदक व्यापारिक बाजार में बेचने के लिए संबद्ध सामानों का उत्पादन करते हैं जबकि फिनोलेक्स मुख्य रूप से कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करता है।

ङ. खपत के पैटनै में परिवर्तन

273. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, खपत के पैटर्न में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

च. उत्पादकता

274. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन में सुधार के साथ, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः, उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

275. ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

276. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आँकड़ों की जाँच की है। इसलिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. कोविड-19

277. इस अनुरोध के संबंध में कि हानियां आयात के कारण नहीं हैं क्योंकि घरेलू उद्योग कोविड-19 के दौरान लाभप्रद था और हानियों में गिरावट का बिक्री कीमत में गिरावट से सह-संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई है और इसमें कमी नहीं आई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ञ. घरेलू उद्योग में अंतर्निहित कारक

278. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद सभी देशों से तुलनीय कीमतों पर आयात किया जा रहा है और क्षति घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताओं, आंतरिक अकुशलताओं, क्षमता विस्तार से जुड़ी लागतों और अन्य बाजार गतिशीलता सहित अन्य कारकों के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयात पाटित किए जा रहे हैं। यह प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद एक कमोडिटी उत्पाद होने के कारण, कीमतें समान श्रेणी में रहने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसके अतिरिक्त, केवल एक आवेदक ने क्षति अवधि में क्षमता विस्तार किया है। जबकि ऐसे आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट आई है, अन्य दो आवेदकों को जाँच अवधि में घाटा हुआ है। जब भारत में पाटन नहीं हो रहा था तब घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी और उसका निष्पादन काफी बेहतर था। इस प्रकार, क्षति पाटन के कारण है न कि घरेलू उद्योग में अंतर्निहित किसी कारक के कारण है। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग में अंतर्निहित कारकों, जो इस अवधि में अपरिवर्तित रहे हैं, के लिए कोई गैर-आरोपण विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग को क्षति को उसी स्थिति में देखे जाने की आवश्यकता है, जिस स्थिति में वह है।

ट. कैप्टिव खपत

279. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति कैप्टिव खपत के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल एक आवेदक ने संबद्ध सामानों की कैप्टिव रूप से खपत की है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कैप्टिव खपत उक्त आवेदक द्वारा कुल उत्पादन का केवल ***% है और इस प्रकार, क्षति को कैप्टिव खपत के कारण नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के 1% से भी कम की कैप्टिव खपत की गई है। अत:, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को कैप्टिव खपत के कारण क्षति हुई है।

ठ. कच्चे सामग्री की कीमतों की प्रकृति

280. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अनुरोध किया है कि क्षति कच्ची सामग्री की अस्थिर प्रकृति और डीसीडब्ल्यू के निश्चित कीमत संविदाओं के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के लिए कच्ची सामग्री वीसीएम है जो कच्चे तेल का व्युत्पन्न है। चूँकि कच्चे तेल की प्रकृति ऐसी है कि कीमत में उतार-

चढ़ाव होता रहता है, इसलिए संबद्ध सामानों की कच्ची सामग्री की कीमत में भी उतार-चढ़ाव होता रहता है। तथापि, सामान्य व्यापारिक परिदृश्य में, संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत में कच्ची सामग्री की कीमत के अनुसार उतार-चढ़ाव होना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं देखा गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्पाद की कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं आयातों की कीमत में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अन्य पक्षकारों द्वारा आरोप लगाया गया है, डीसीडब्ल्यू के निश्चित कीमत की संविदाओं का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड और संविदाओं पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, संविदा एक निश्चित अवधि में वीसीएम की विशिष्ट मात्रा की खरीद के संदर्भ में तय किए जाते हैं। हालाँकि, कच्चे माल की कीमत संविदा के अनुसार तय नहीं की जाती है। कीमतें एक सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ड. बंदी

281. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को बंदी के कारण क्षति हो रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में किसी भी असामान्य बंदी का सामना नहीं करना पड़ा।

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे</u>

ट.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

282. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद की कीमत आयात कीमत से लगातार अधिक है, जिसके कारण निचले स्तर के उद्योगों को प्लास्टिक उत्पादों के आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है।

ii. ऑफ-ग्रेड पीवीसी सस्पेंशन के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातित पीवीसी फ़्लोरिंग की तुलना में तैयार उत्पाद अव्यवहारिक और अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

iii. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उत्पाद का भारी आयात होगा, जिससे सैकड़ों निचले स्तर के उत्पादक बर्बाद हो जाएँगे।

iv. जब तक भारत इस उत्पाद के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

v. माँग-आपूर्ति में उल्लेखनीय अंतर है, और आवेदकों ने 14 वर्षों के संरक्षण के बावजूद घरेलू माँग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। आवेदकों ने पिछले 10 वर्षों में केवल 1,00,000 एमटी क्षमता में वृद्धि की है।

vi. ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जो प्राधिकारी के लिए मांग-आपूर्ति में अंतर होने पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाना अनिवार्य बनाता हो।

vii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में सामानों की उपलब्धता प्रभावित होगी और यह आम जनता के हित में नहीं होगा।

viii. उत्पाद की अपर्याप्त घरेलू आपूर्ति और उत्पादन में गुणवत्ता संबंधी समस्या के कारण, भारत में उत्पाद की भारी कमी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि डीसीडब्ल्यू ने जाँच अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से आयात किया और जाँच अवधि के बाद प्रत्यक्ष रूप से आयात किया।

ix. प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित विस्तार योजनाएँ काल्पनिक हैं और उनमें प्रतिबद्धताओं का अभाव है। आईओसीएल की क्षमता विस्तार की योजनाएँ अनिश्चित हैं। यदि आरआईएल और अडानी भी अपने विस्तार को अनुमानित रूप से पूरा कर लेते हैं, तब भी यह भारत के आपूर्ति घाटे की भरपाई नहीं कर पाएगा।

x. आवेदक एकाधिकारवादी और प्रतिस्पर्धा-विरोधी परिपाटियों को अपनाने के लिए पाटनरोधी जाँच का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी जाँच एपिग्रल के कच्ची सामग्री के आयात को लक्षित करने के लिए है, जो सी-पीवीसी के निर्माण के लिए डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के साथ प्रतिस्पर्धा में है।

xi. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग घरेलू उत्पादकों को अनुचित लाभ देने और बाजार में एकाधिकार की स्थिति बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

xii. प्रारंभिक जांच परिणामों से, यह स्पष्ट है कि डीसीडब्ल्यू और आरआईएल सी-पीवीसी उत्पादन के लिए विशेष रूप से इन-हाउस पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुल्क लगाने से भारतीय पाइप और फिटिंग निर्माताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए पीवीसी रेज़िन की कमी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में काफी बाधाएँ आएंगी।

xiii. प्रोफाइल (21%), पाइप (6%), कैलेंडरिंग (10%), शीट (16%), और तार और केबल (9%) जैसे क्षेत्रों में मांग में काफी वृद्धि देखी जा रही है। हर घर जल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी सरकारी परियोजनाओं के साथ मिलकर पीवीसी पाइपों की खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है। शुल्क लगाने से महत्वपूर्ण परियोजनाएँ आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो सकती हैं।

xiv. शुल्क लगाने से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी असर पड़ेगा। अतिरिक्त लागत उनके उत्पादों को दीर्घावधि में टिकाऊ नहीं बनाएगी।

xv. शुल्कों के कारण इनपुट लागत में वृद्धि से नौकरियाँ जाएँगी और एमएसएमई का आर्थिक विकास प्रभावित होगा।

xvi. प्रमुख सामग्रियों पर शुल्क के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि से निर्यात प्रतिस्पर्धा कम होगी।

xvii. प्राधिकारी ने पहले ही एआईपीएमए और ओपीपीआई के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क या प्रतिकारी शुल्क लगा दिया है या लगाने की प्रक्रिया में है, जैसे; पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन, पीवीसी पेस्ट रेज़िन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें, इफेक्ट पर्लसेंट पिगमेंट या मीका पर्लसेंट पिगमेंट, एज़ो पिगमेंट और कम घनत्व वाली पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई)। वर्तमान जाँच में शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादन और रोज़गार सृजन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस क्षेत्र की क्षमताएँ प्रभावित होंगी, खासकर इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में सदस्य एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं।

xviii. बाजार में मांग-आपूर्ति की गतिशीलता के कारण, पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के घरेलू उत्पादकों ने जाँच शुरू होने के बाद से अपनी कीमतों में 14 रु. प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है।

xix. पीवीसी रेज़िन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से दवा उद्योग के साथ-साथ आम आदमी और समग्र स्वास्थ्य उद्योग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

xx. इन पाटनरोधी उपायों के लागू होने से दवा पैकेजिंग की लागत में लगभग 30-40% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो जेनेरिक दवाओं की लागत में 10% की वृद्धि के बराबर है।

xxi. अपनी बड़ी उत्पादन क्षमता के बावजूद, आरआईएल और फिनोलेक्स आयात पर निर्भर हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग गुणवत्ता के मामले में बाजार की मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

xxii. आयातित निचले स्तर के उत्पाद घरेलू उत्पाद की तुलना में 15-20% सस्ता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह अंतर और बढ़ेगा और स्थानीय निचले स्तर के उद्योग को नुकसान होगा जो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं।

xxiii. प्राधिकारी को शुल्कों के प्रभाव का परिमाणन सूचना के आधार पर करना चाहिए न कि इस तथ्य के आधार कि विगत में शुल्क का निचले स्तर के उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxiv. 2.5 मिलियन एमटी आयात पर 10-20% क्षति मार्जिन का अर्थ विभिन्न निचले स्तर के उद्योगों के लिए 19-38 रु. बिलियन की वार्षिक लागत का अतिरिक्त बोझ होगा।

xxv. घरेलू उद्योग द्वारा पहचाना गया परिदृश्य वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा सकता है क्योंकि क्षति की अवधि कोविड अवधि के साथ मेल खाती है जिसमें उद्योग जीवित रहने और वाणिज्यक रूप से अर्थक्षम बने रहने की कोशिश कर रहा था।

xxvi. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन निचले स्तर के उत्पाद में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 10-20% का पाटनरोधी शुल्क का तैयार उत्पाद पर कम से कम 4-8% प्रभाव पड़ेगा। आयातित निचले स्तर के

उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण निचले स्तर के उद्योग ऐसी बढ़ी हुई लागतों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा।

xxvii. बड़ी संख्या में प्रयोक्ता हैं जो एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा हैं लेकिन सामूहिक रूप से देश के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान करते हैं।

xxviii. भारत सरकार विचाराधीन उत्पाद के लिए अनिवार्य बीआईएस मानकों को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिससे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी और निचले स्तर के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार चीनी निर्माताओं के लिए बीआईएस लाइसेंस के आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पाटनरोधी शुल्क के किसी भी कार्यान्वयन से प्रयोक्ताओं पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

283. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अतीत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.1% से कम है।

iii. चूँकि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है, इसलिए यह निचले स्तर के उद्योग द्वारा वहन किए जाने की संभावना है और प्रयोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।

iv. बाजार में उचित कीमत बनाई रखी जाएगी क्योंकि भारत में पर्याप्त पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है।

v. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता है।

vi. चूँकि संबद्ध सामान दीर्घकालिक संविदाओं के तहत नहीं बेचे जाते हैं, इसलिए प्रयोक्ता आवश्यकता पड़ने पर आसानी से आपूर्तिकर्ता बदल सकते हैं।

vii. विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमताएँ हैं, इसलिए बाजार में उत्पाद की प्रचुर आपूर्ति है।

viii. भारत में पाटन का इतिहास रहा है, इसलिए निर्यातक भारत में उचित कीमत पर उत्पाद नहीं बेच पा रहे हैं।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, माँग-आपूर्ति का अंतर भारत में पाटन या पाटनरोधी शुल्क न लगाने का आधार नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि केवल यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे आयात उचित कीमत पर किए जाते हैं।

x. भारतीय उद्योग माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। यदि भारत में स्थिति नहीं बदलती है, तो ऐसे निवेश अव्यवहारिक हो जाएँगे।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है और भारत में पाटन जारी रहता है, तो घरेलू उद्योग के प्रचालन गैर अर्थक्षम हो सकते हैं और घरेलू उद्योग को भारत में उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे भारत में केवल माँग और कोई घरेलू आपूर्ति नहीं होने की स्थिति पैदा हो जाएगी।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जांच अवधि के दौरान एपिग्रल की आवश्यकता भारतीय खपत का केवल 0.23% थी और कोई भी उद्योग आयात की इतनी नगण्य मात्रा को लक्षित करने के लिए आवेदन-पत्र दायर नहीं करेगा। इसके अलावा, आवेदन-प-त्र तीन आवेदकों द्वारा दायर किया गया है और आवेदकों में से केवल एक ही सी-पीवीसी का उत्पादक है और एपिग्रल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड एस-पीवीसी और एम-पीवीसी का उपयोग करके सी-पीवीसी का उत्पादन करता है और इसे जारी रखने का इरादा रखता है। भले

ही डीसीडब्ल्यू लिमिटेड सी-पीवीसी के निर्माण के लिए विशेष रूप से अपने स्वयं के एस-पीवीसी का प्रयोग करता है, इससे भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने विदेशी उत्पादकों और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ-साथ जांच अवधि के बाद भी अपने स्वयं के ग्रेड का प्रमुख रूप से उपयोग किया है। इस प्रकार, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि भारत में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या है।

xv. निचले स्तर के उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता को विचाराधीन उत्पाद की पाटन कीमतों पर निर्भर नहीं कहा जा सकता।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एलडीपीई के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है और उत्पाद पर कोई जांच भी नहीं चल रही है।

xvii. एआईपीएमए के 22,000 सदस्य हैं, ऐसे सभी सदस्य एस-पीवीसी के प्रयोक्ता नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ प्रयोक्ता किसी एक उत्पाद पर शुल्क से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन एआईपीएमए द्वारा सूचीबद्ध सभी उत्पादों पर नहीं।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि निचले स्तर का उद्योग भारत से उत्पाद के निर्यात में लगा हुआ है। किसी भी स्थिति में, निर्यात करने के लिए, निचले स्तर के उद्योग पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात कर सकता है।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कच्ची सामग्री की लागत और बिक्री की लागत में वृद्धि के आलोक में बिक्री कीमत में वृद्धि की जांच की जानी है।

xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उनके द्वारा दावा किए गए शुल्कों के 30-40% प्रभाव के लिए गणना प्रदान नहीं की है। किसी भी स्थिति में, जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें भारत में अधिक थीं, तो प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।

xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने उच्च क्षमता उपयोग पर काम किया है और अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बेचने में सक्षम रहा है। अन्य उत्पादकों ने खुद को पाटन से बचाने के लिए आयात किया है।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, निचले स्तर के उद्योग के वास्तविक आकार के संदर्भ में 19-38 रु. बिलियन का प्रभाव नगण्य है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई प्रभाव गणना के अनुसार, प्रभाव 2.16 रु. प्रति किग्रा जितना कम है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

284. प्राधिकारी करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति उपाय करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार अक्षुण्ण रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों का लागू होना पाटन परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित होने से रोकने का काम करता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक पहुँच को सुरक्षित करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता हैं।

285. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयात कीमत से अधिक हैं, जिससे निचले स्तर के उद्योग के मार्जिन पर दबाव पड़ता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में

घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ-साथ आयातों की पहुँच कीमत में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। विगत में कीमतें काफी अधिक थीं। चूँकि विगत में इतनी अधिक कीमतों के कारण निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

286. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार बढ़ेगा और प्रयोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में केवल उचित कीमत सुनिश्चित होते हैं और यह आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता या रोक नहीं लगाता। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के आधार पर किया है, न कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर। ऐसे मामले में, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उचित बाजार कीमतें सुनिश्चित होंगी।

287. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार सुधारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अतीत में कई बार लगाया गया है। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की विस्तृत जाँच की है और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए उपायों की संख्या, संबद्ध देशों में उत्पादकों के कीमत निर्धारण और अनुचित व्यापार परिपाटी को दर्शाती है।

288. इस अनुरोध के संबंध में कि भारत में माँग-आपूर्ति में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माँग-आपूर्ति में अंतर भारत में पाटन का औचित्य नहीं है। प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है। इसके अलावा, भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने से नहीं रोकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हानियां हुई हैं। यदि घरेलू उद्योग को कोई उपाय प्रदान नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हानियां जारी रहने की संभावना है और इसके प्रचालन की व्यवहार्यता प्रभावित होगी। इससे मांग-आपूर्ति के अंतर में वृद्धि होगी।

289. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग क्षमता बढ़ाने में विफल रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य निर्यातकों के कीमत भेदभावपूर्ण व्यवहार को संतुलित करना है। यह कोई रक्षोपाय नहीं है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन को सुगम बनाना हो। यद्यपि रक्षोपायों को लागू करने में यह पूर्वधारणा होती है कि घरेलू उद्योग द्वारा कुछ कारकों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि वह आयातकों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बन सके; पाटनरोधी शुल्क लगाने के मामले में ऐसी कोई पूर्वधारणा नहीं है। पहले लगाया गया शुल्क विदेशी उत्पादकों द्वारा पहले किए गए पाटन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए लगाया गया था, और इस प्रकार, इसका इच्छित उद्देश्य प्राप्त हुआ। किसी भी दशा में, भारत में क्षमताएँ बढ़ी हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान भी अपनी क्षमताएँ बढ़ाई हैं।

290. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जब तक भारत संबद्ध सामानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व में कई उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है जहाँ भारत में माँग-आपूर्ति का अंतर था। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को समान अवसर मिलने की संभावना है। वर्तमान परिदृश्य में, घरेलू उद्योग का कुल घाटा बढ़ा है। अतः, बिक्री में किसी भी वृद्धि और क्षमता विस्तार से घाटे में वृद्धि होने की संभावना है और कोई भी उद्योग ऐसे बाज़ार में निवेश करने को तैयार नहीं होगा।

291. आवेदकों ने, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, अनुरोध किया है कि भारतीय उद्योग भारत में माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। चूँकि पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए बाज़ार की स्थिति माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने हेतु किसी भी

निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। इस प्रकार, भारत में उचित बाजार स्थिति स्थापित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षमता (एमटी)	वर्ष में उम्मीद
1.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	12,00,000	2025-26
2.	अदानी पेट्रोकेमिकल्स	10,00,000	2026-27
3.	आईओसीएल, पारादीप	6,00,000	2027-28
4.	आईओसीएल, बड़ौदा	2,00,000	2027-28
5.	कुल	30,00,000	

292. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि विस्तार योजनाएँ केवल काल्पनिक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि विस्तार योजनाएँ काल्पनिक भी हों, तो भी भारत में माँग-आपूर्ति अंतर होने पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाने पर कोई रोक नहीं है। संबद्ध देशों के उत्पादक विचाराधीन उत्पाद को भारत में पाटित कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त, मांग-आपूर्ति अंतर होने के बावजूद, इस उत्पाद पर पूर्व में भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। चूँकि आयात बंद नहीं हुआ और पिछले पाटनरोधी शुल्क के दौरान विचाराधीन उत्पाद की कोई कमी नहीं थी, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी विचाराधीन उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी।

293. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उत्पाद के अत्यधिक आयात होंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में लंबे समय तक संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है। इस दौरान, निचले स्तर के उद्योग को निचले स्तर के उत्पाद के आयात के कारण कोई प्रतिकूल नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में, वर्तमान उपायों के लागू होने से निचले स्तर के उद्योग को संभवतः नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उपायों के लागू होने के बाद निचले स्तर के उत्पाद भारत में पाटित होने लगते हैं, तो निचले स्तर के उद्योग पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

294. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार सुधारात्मक जाँच का दुरुपयोग कर रहा है, और यह पूरी प्रक्रिया एपिग्रल लिमिटेड के कच्ची सामग्री के आयात को लक्षित करने के लिए है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का आवेदन-पत्र संबद्ध सामानों के तीन घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों में से केवल एक ही सी-पीवीसी का उत्पादक है और एपिग्रल लिमिटेड के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में है। अन्य दो उत्पादक सी-पीवीसी का उत्पादन नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, जाँच अवधि के दौरान एपिग्रल लिमिटेड द्वारा किए गए कुल आयात भारत में किए गए कुल आयात की तुलना में नगण्य थे। इस प्रकार, वर्तमान जाँच को किसी अलग प्रयोक्ता द्वारा आयात को लक्षित करने के रूप में नहीं समझा जा सकता।

295. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यह तर्क कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में केवल उचित कीमतें सुनिश्चित होंगी और भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे, सही है। एपिग्रल लिमिटेड, संबद्ध देशों से उचित कीमत पर संबद्ध सामानों का आयात कर सकेगा और इस प्रकार, उसकी लाभप्रदता प्रभावित नहीं होगी।

296. इस अनुरोध के संबंध में कि आरआईएल और डीसीडब्ल्यू, संबद्ध सामानों का कैप्टिव रूप से प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो ऐसा सुझाव दे। यद्यपि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, संबद्ध सामानों का कैप्टिव रूप से प्रयोग करता है, तथापि एस-पीवीसी की

क्षमता सी-पीवीसी की तुलना में बहुत अधिक है। इस प्रकार, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद डीसीडब्ल्यू लिमिटेड घरेलू व्यापारिक बाजार में आपूर्ति नहीं करेगा।

297. इस अनुरोध के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उसने जांच अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, घरेलू उत्पादकों से खरीदा है और जांच की अवधि के बाद सी-पीवीसी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के ग्रेड का उपयोग किया है। चूँकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रमुख खपत उसका अपना ग्रेड है, इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं है।

298. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग अलाभप्रद हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग आयातों की पाटित कीमतों के आधार पर अपनी अर्थक्षमता का दावा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आयात कीमत जांच की अवधि की तुलना में बहुत अधिक थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह बताए कि उस समय प्रयोक्ता उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
पहुंच कीमत	रु./एमटी	82,169	1,24,033	95,518	76,156

299. निचले स्तर के उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निचले स्तर के उद्योग के पास अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत बिना पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए संबद्ध वस्तुओं सामानों का आयात करने का विकल्प है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के निर्यातोन्मुखी उद्योग के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

300. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार का सृजन होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के पाँच उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों का उत्पादन गैर-संबद्ध देशों में भी किया जाता है और ऐसे देशों से पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना इनका आयात किया जा सकता है।

301. एक प्रयोक्ता एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि उसके सदस्यों द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले अनेक उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसोसिएशन अनेक शुल्कों से प्रभावित उत्पाद या निचले स्तर के उद्योग की पहचान करने में विफल रहा है। एसोसिएशन के 20,000 से अधिक सदस्य विभिन्न कच्ची सामग्री का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों का निर्माण करते हैं। यह संभव है कि कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग कह जाने वाली कुछ कच्ची सामग्री पर शुल्क लगता हो। हालाँकि, विभिन्न चिन्हित उत्पादों पर लगाए गए सभी पाटनरोधी शुल्क अलग अलग प्रयोक्ताओं द्वारा उत्पादित किसी भी निचले स्तर के उत्पाद पर प्रभाव नहीं डालते हैं।

302. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के बाद अपनी कीमतों में वृद्धि की है। हालाँकि, इस दावे को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। किसी भी स्थिति में, बिक्री कीमत में वृद्धि की जाँच बिक्री लागत में परिवर्तन से अलग करके नहीं की जा सकती।

303. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का अधिकांश उपयोग पीवीसी पाइपों के निर्माण में होता है। तदनुसार, आवेदक ने पीवीसी पाइपों की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणन किया है। यह

नोट किया जाता है कि निचले स्तर के उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा।

304. यह तर्क कि वर्तमान परिदृश्य सही स्थिति को नहीं दर्शाता है क्योंकि क्षति अवधि कोविड अवधि के साथ मेल खाती है, गलत है। जाँच अवधि में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखा गया है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर पिछले वर्ष की तुलना में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, वर्तमान परिदृश्य घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा को दर्शाता है।

305. इस तर्क के संबंध में कि बीआईएस मानक लागू किए जा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत सरकार द्वारा लंबे समय से बीआईएस मानकों पर काम किया जा रहा है। इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, बीआईएस का कार्यान्वयन इस तथ्य को गलत नहीं ठहराता है कि घरेलू उद्योग को भारत में पाटन के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। बीआईएस लाइसेंस प्रदान करने में किसी भी कथित देरी से संबंधित चिंताओं की जाँच करने के लिए प्राधिकारी उपयुक्त मंच नहीं है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

306. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित नए अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी जांच पूरी करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध केवल एक वर्ष की समाप्ति से पहले किया जा सकता है। अंतिम जांच परिणाम जारी करने की समय-सीमा 25 मार्च 2025 को समाप्त हो गई है, और कार्यालय ज्ञापन देर से और गैर-कानूनी है। वर्तमान मामले में पाटनरोधी जांच करने का प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है।

ii. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसलिए, यह प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।

iii. के-57 का आयात आवश्यक है क्योंकि काले कण, पिन होल और अन्य विनिर्देशन जैसे मुद्दे वैश्विक स्तर पर फार्मा उद्योग को उनकी दवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं हैं। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के लिए प्रदान की गई विनिर्देशन-तालिकाओं से पता चलता है कि के-57 के विनिर्देशन प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने प्रयोक्ता द्वारा भेजे गए ईमेल का उत्तर नहीं दिया है जिससे पता चलता है कि वे उक्त उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

iv. यद्यपि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास बीआईएस लाइसेंस है, लेकिन दवा उत्पाद में उपयोग के लिए आवश्यक मानक उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या ऐसे उत्पाद की आपूर्ति किसी ऐसे कनवर्टर को की गई है जिसने दवा उद्योग को निचले स्तर का उत्पाद उपलब्ध कराया है।

v. प्रयोक्ता उद्योग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पाद का परीक्षण किया है और गुणवत्ता की कमी के कारण, उसे आरआईएल से खरीद बंद करनी पड़ी।

vi. वर्तमान जाँच पीवीसी पाइपों के विनिर्माण में प्रयुक्त संबद्ध सामानों के लिए विशिष्ट है और दवा पैकेजिंग उत्पादों में प्रयुक्त संबद्ध सामानों से संबंधित नहीं है। अतः, प्रयोग-आधारित छूट प्रदान की जानी चाहिए।

vii. यद्यपि प्राधिकारी ने थोक घनत्व और प्लास्टिसाइज़र अवशोषण के संबंध में एनएबीएल प्रयोगशाला रिपोर्ट पर भरोसा किया है, कण आकार वितरण, छिद्रता, जेलेशन व्यवहार और क्लोरीनीकरण दक्षता जैसे मापदंड समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और फॉर्मोसा द्वारा उत्पादित ग्रेड की तुलना करते समय प्राधिकारी द्वारा इन मापदंडों पर विचार नहीं किया गया है।

viii. प्राधिकारी यह टिप्पणी कि एपिग्रल और फॉर्मोसा द्वारा कण आकार के संबंध में विरोधाभासी दावे किए गए हैं, गलत है। जबकि एपिग्रल ने डीसीडब्ल्यू के ग्रेड के औसत कण आकार की तुलना

फॉर्मोसा के ग्रेड से की है, फॉर्मोसा ने अपने ग्रेड की तुलना डीसीडब्ल्यू के ग्रेड से नहीं बल्कि के-65 के सामान्य ग्रेड से की है।

ix. हनव्हा ने सी-पीवीसी के निर्माण के लिए एस-पीवीसी के पी-700 और पी-1000 ग्रेड का उपयोग किया है। ऐसे ग्रेड भारत को निर्यात किए गए और प्रयोक्ताओं द्वारा केबल कवर और पीवीसी पाइप के निर्माण के लिए खरीदे गए। एस-पीवीसी का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और केवल सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए कोई विशेष रूप से निर्दिष्ट उपयोग नहीं है।

x. प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकारों के नाम गलत बताए गए हैं, इसे ठीक किया जाए।

xi. यद्यपि प्राधिकारी ने नोट किया है कि आरआईएल और फिनोलेक्स ने भारत में संबद्ध सामानों का व्यापार किया है और डीसीडब्ल्यू ने उनकी कैप्टिव रूप से खपत की है, ऐसी सूचना का आधार प्रदान नहीं किया गया है। चूंकि आरआईएल और फिनोलेक्स को वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी के पास इस संबंध में विश्वसनीय सूचना नहीं है।

xii. चूँकि भारत में माँग-आपूर्ति का अंतर है, इसलिए प्राधिकारी को इस जाँच में या तो कीमत प्रतिबद्धताओं पर विचार करना चाहिए या शुल्कों के मानक स्वरूप की सिफ़ारिश करनी चाहिए।

xiii. प्राधिकारी को निश्चित कीमत के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफ़ारिश करनी चाहिए क्योंकि उत्पाद के कई ग्रेड हैं जिनकी पैकेजिंग और कीमत निर्धारण अलग-अलग हैं और सभी ग्रेड के लिए एक ही मानक उपयुक्त नहीं है। उत्पाद की कच्ची सामग्री कच्चे तेल पर आधारित है और इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है और मानक शुल्कों के अनुपालन और प्रवर्तन में चुनौतियाँ हैं।

xiv. माँग-आपूर्ति का अंतर मानक शुल्क लगाने का औचित्य नहीं हो सकता क्योंकि निश्चित शुल्कों के मामले में भी आयात प्रतिबंधित नहीं होते।

xv. असहयोगी निर्यातकों, विन्नमार, केमेक्स और आईसीसी के माध्यम से ऑक्सी विनाइल्स द्वारा निर्यात की मात्रा को ऑक्सी विनाइल्स द्वारा दायर प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्यातकों को बेची गई कुल मात्रा है। वास्तव में भारत को पुनः निर्यात की गई मात्रा बहुत कम है।

xvi. ऑक्सी विनाइल्स के लिए उल्लिखित वितरण चैनल में कुछ निर्यातकों के नामों में सुधार की आवश्यकता है।

xvii. कोपैप ट्रेडिंग इंक. के माध्यम से ऑक्सी विनाइल्स द्वारा निर्यात की मात्रा को दो बार गिना गया है, ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप ट्रेडिंग इंक. और ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप यूएसए → कोपैप ट्रेडिंग इंक. → असंबद्ध भारतीय ग्राहकों के माध्यम से निर्यात।

xviii. पहले प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में ऑक्सी विनाइल्स द्वारा दायर अनुरोधा पर विचार करने में प्राधिकारी की विफलता ने निर्यातक को अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता से वंचित कर दिया है, और जाँच की सत्यनिष्ठा को कमजोर किया है।

xix. जबकि विनमार और केमेक्स ने वास्तव में उनके द्वारा भारत को पुनः निर्यात की गई मात्रा दायर की है, आईसीसी ने एक पत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पीवीसी के संबंध में अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं और इसीलिए, उनके पास जाँच की अवधि के लिए आंकड़ों तक पहुँच नहीं है।

xx. ऑक्सी विनाइल्स ने निर्यात कीमत, पहुँच कीमत और विचाराधीन व्यापारी/निर्यातक श्रृंखला के निर्धारण की पद्धति का खुलासा करने की मांग की थी, लेकिन उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

xxi. यद्यपि एलजी केम के पहुँच कीमत और निर्यात कीमत के आंकड़े प्राथमिक जांच परिणामों, प्रथम प्रकटन विवरण और द्वितीय प्रकटन विवरण के बीच नहीं बदले हैं, अत: पाटन मार्जिन में वृद्धि देखी गई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सामान्य मूल्य और उत्पादन लागत भी दोनों प्रकटन विवरणों के बीच अपरिवर्तित रही है।

xxii. प्रथम और द्वितीय प्रकटन विवरण के बीच ताइयो विनाइल की पहुँच कीमत में गिरावट आई है। प्रथम प्रकटन में प्रकट की गई पहुंच कीमत की अंतिम जांच परिणामों के लिए पुष्टि की जानी चाहिए। पहुँच कीमत में गिरावट के कारणों का खुलासा ताइयो विनाइल को किया जाना चाहिए।

xxiii. यद्यपि शिनटेक इंक और शिनटेक लुइसियाना एल.एल.सी. ने बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा नहीं किया है, प्रकटन विवरण उसी के लिए समायोजन दर्शाता है। ऐसा कोई अनुचित समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

xxiv. शिनटेक लुइसियाना एल.एल.सी. का नाम अंतिम जांच परिणामों में भी दर्ज किया जाना चाहिए।

xxv. केवल इसलिए कि वेस्टलेक ने घरेलू बाजार में संबद्ध पक्षकारों को माल बेचा, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बिक्री निकटम आधार पर नहीं थी। संबद्ध और असंबद्ध कीमतों पर बेचे गए सामानों की कीमतों की तुलना से पता चलेगा कि संबंधित पक्षकारों को बिक्री की कीमतें बाजार कीमतों को दर्शाती हैं। प्राधिकारी वेस्टलेक को इस संबंध में साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य थे।

xxvi. भारत को निर्यात में 92% निर्यातकों के सहयोग के बावजूद, प्राधिकारी ने असहयोगी व्यापारियों, रिलायंस इंटरनेशनल और रेजिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्यात के संबंध में उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है। यह मैनुअल के अनुरूप नहीं है क्योंकि असहयोगी व्यापारियों का भारत को निर्यात की कुल मात्रा में 30% से भी कम हिस्सा है।

xxvii. जांच की अवधि के दौरान, वान्हुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड की परिसंपत्तियों और कार्मिकों को वान्हुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड की एक अन्य 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, वान्हुआ केमिकल ग्रुप (यंताई) ओलेफिन्स कंपनी लिमिटेड में अंतरित किया गया था। उत्पादन पते, उपकरण, प्रौद्योगिकी, उत्पादन लागत, परिसंपत्ति उपकरण, कार्मिक या अंतिम नियंत्रक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, अंतिम जांच परिणामों में वान्हुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड के स्थान पर, वान्हुआ केमिकल ग्रुप (यंताई) ओलेफिन्स कंपनी लिमिटेड का उपयोग किया जाए।

xxviii. क्षति अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयात का हिस्सा कम रहा है। ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इसलिए, इंडोनेशिया से आयात के विरुद्ध वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

xxix. डीसीएम श्रीराम ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में जांच अवधि के बाद मुनाफे में वृद्धि दिखाई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को आयात के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

xxx. डीसीएम श्रीराम की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी कैल्शियम कार्बाइड मार्ग में होने वाली उच्च ऊर्जा लागत को कम करने के लिए प्रयासरत है। इसलिए, घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उद्योग के महंगे विनिर्माण मार्ग के कारण है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

307. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित नए अनुरोध किए हैं:

i. एपिग्रल द्वारा प्रस्तुत एक विश्वविद्यालय की रिपोर्ट अविश्वसनीय है क्योंकि विश्वविद्यालय ने बाद में पुष्टि की है कि उसके पास एस-पीवीसी का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षण सुविधा नहीं है।

ii. यह तर्क कि सी-पीवीसी पाइपों का उपयोग पेयजल पाइप बनाने के लिए किया जाता है, गलत है। सी-पीवीसी पाइप का लाभ केवल उच्च तापमान को सहन करने की इसकी क्षमता है। इस प्रकार, सी-पीवीसी पाइपों का उपयोग केवल नहाने के लिए वॉटर हीटर से नल तक गर्म पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है, पेयजल के लिए नहीं। इसके अलावा, ऐसे दावे पाइप निर्माताओं द्वारा नहीं, बल्कि केवल एक रेजिन निर्माता द्वारा किए गए हैं।

iii. एपिग्रल फॉर्मोसा से एम-पीवीसी का आयात करता है। फॉर्मोसा के बीआईएस लाइसेंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एम-पीवीसी खाद्य पदार्थों, दवाओं और पेयजल के संपर्क में आने वाले उत्पाद के लिए उपयुक्त नहीं है।

iv. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि के-57 के संबंध में प्राधिकारी को पत्र दिए गए हैं, इसे घरेलू उद्योग के साथ साझा नहीं किया गया है।

v. घरेलू उद्योग ने पहले ही साक्ष्य प्रदान कर दिया है कि वह एथिलीन मार्ग का उपयोग करके के-57 ग्रेड का निर्माण करता है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की विनिर्देशन-तालिका से पता चलता है कि वह के-57 और के-60 दोनों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, दोनों ग्रेड की विशेषताएं एक-दूसरे के समान हैं और इसलिए, ये समान वस्तुएं हैं।

vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने के-57 को छोड़कर विनिर्देशन प्रदान नहीं किए हैं जो फार्मास्युटिकल उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। चूंकि, घरेलू उद्योग ने के-57 का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए उसने घरेलू बाजार में समान वस्तु बेची है और इसे बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

vii. डीसीएम श्रीराम ने चिकित्सा उद्देश्यों के लिए के-75 बेचा है। इसलिए, के-57 चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र ग्रेड नहीं है।

viii. यद्यपि यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर व्यापार सुधारात्मक जाँच का अभाव है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में मिस्र और अमेरिका से एस-पीवीसी के आयातों पाटनरोधी जाँच पूरी की है और यूरोपीय संघ में आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

ix. संदर्भ कीमत शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाने से कर चोरी का जोखिम उत्पन्न होता है क्योंकि निर्यातक संदर्भ कीमत शुल्कों के मामले में अधिक बिलिंग में लिप्त हो जाते हैं। चूँकि विचाराधीन उत्पाद की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ घटती-बढ़ती रहती हैं, इसलिए संदर्भ कीमत शुल्क वर्तमान जाँच के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

x. घरेलू उद्योग को 3 वर्षों की अवधि से क्षति हो रही है। पाटनरोधी शुल्क यथा-शीघ्र लगाए जाने की आवश्यकता है।

xi. पाटनरोधी शुल्क लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान जाँच में ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनके कारण 5 वर्ष से कम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता हो।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

308. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध की जांच की है और नोट करते हैं कि कई अनुरोध पुनरावृति के हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जाँच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और साक्ष्यों सहित प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।

309. इस अनुरोध के संबंध में कि कार्यालय ज्ञापन देर से जारी किया गया है और प्राधिकारी के पास वर्तमान जाँच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच 26 मार्च 2024 को शुरू की गई थी और अंतिम जांच परिणाम जारी करने की समय-सीमा 25 मार्च 2025 थी। तथापि, उस समय चल रहे मुकदमे के कारण, प्राधिकारी ने जाँच पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। वित्त मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2025 को समय-विस्तार प्रदान किया गया और जाँच पूरी करने की समय-सीमा 25

मई 2025 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद, प्राधिकारी द्वारा 19 मई 2025 को एक और विस्तार माँगा गया और वित्त मंत्रालय द्वारा 24 मई 2025 को 25 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए समय-विस्तार प्रदान किया गया। इस प्रकार, प्राधिकारी को जाँच पूरी करने की समय-सीमा समाप्त होने से पहले ही सभी विस्तार प्राप्त हो गए। वर्तमान पाटनरोधी जाँच में जारी जांच परिणाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हैं।

310. कैप्रिहैंस लिमिटेड द्वारा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को उपलब्ध कराए गए विनिर्देशन-तालिका के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त विनिर्देश-तालिका संबद्ध सामानों, अर्थात् एस-पीवीसी, के लिए नहीं है, बल्कि यह निचले स्तर के उत्पाद, सी-पीवीसी, से संबंधित है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा उत्पादित सी-पीवीसी के विनिर्देशनों की तुलना कैप्रेहिंस लिमिटेड द्वारा अपेक्षित एस-पीवीसी से उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में विस्तृत सत्यापन किया है। एस-पीवीसी ग्रेड के-57 का उत्पादन डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा किया जाता है और व्यापारिक बाजार में वाणिज्यिक मात्रा में आपूर्ति की जाती है। इस ग्रेड का उत्पादन एथिलीन मार्ग का उपयोग करके किया जाता है और यह भारत सरकार द्वारा जारी बीआईएस मानकों के अनुसार है। चूँकि घरेलू उद्योग ने भारत में समान वस्तु का उत्पादन किया है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से के-57 को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

311. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित के-57 ग्रेड के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसे बाहर करने का आधार नहीं बन सकता, विशेष रूप से उस स्थिति में जब घरेलू उद्योग बीआईएस द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहा हो। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि के-57 का उपयोग न केवल औषधीय अनुप्रयोगों के लिए, बल्कि कई अन्य अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। इसके विपरीत, एस-पीवीसी के अन्य ग्रेड भी चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऐसे मामले में, वर्तमान जाँच में अंतिम प्रयोग-आधारित छूट की कोई आवश्यकता नहीं है।

312. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने उसे बाहर करने की स्वीकृति न देने के लिए कुछ मापदंडों के लिए एनएबीएल परीक्षण रिपोर्ट पर विश्वास किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में समान वस्तु का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग ने वास्तव में भारत में सी-पीवीसी के विनिर्माण के लिए एस-पीवीसी का उत्पादन और उपयोग किया है। सी-पीवीसी के निर्माण हेतु कैप्टिव रूप से उत्पादित एस-पीवीसी का वास्तविक उपयोग, घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पाद की तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता को दर्शाता है, जो कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हान्वा केमिकल लिमिटेड, जो एस-पीवीसी और सी-पीवीसी दोनों का कोरियाई उत्पादक है, ने भी पुष्टि की है कि सी-पीवीसी के निर्माण के लिए एस-पीवीसी के किसी विशेष ग्रेड की आवश्यकता नहीं है। हान्वा ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के एस-पीवीसी का उपयोग किया है और भारत को उन्हीं ग्रेड का निर्यात किया है जिनकी खपत केबल कवर और पीवीसी पाइप के उत्पादकों द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एस-पीवीसी के किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

313. इन अनुरोधों के संबंध में कि फॉर्मोसा ने सामान्य के-65 ग्रेड की तुलना अपने उत्पाद से की है और एपिग्रल ने डीसीडब्ल्यू के ग्रेड की तुलना फॉर्मोसा के उत्पाद से की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फॉर्मोसा ने तर्क दिया है कि उसके द्वारा उत्पादित एस-65सी तकनीकी रूप से सामान्य के-65 ग्रेड से बेहतर है, और कहा है कि के-65 के सामान्य ग्रेड की तुलना में इसका औसत कण आकार अधिक है। इसके अतिरिक्त, एपिग्रल लिमिटेड ने कहा है कि डीसीडब्ल्यू के उत्पाद का औसत कण आकार एस-65सी से अधिक है और उच्च औसत कण आकार क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिसाइज़र की एकरूपता को बाधित कर सकता है। जबकि विदेशी उत्पादक ने कहा है कि उसका उत्पाद उच्च औसत कण आकार के कारण बेहतर है, भारतीय ग्राहक ने कहा है कि उच्च औसत कण आकार क्लोरीनीकरण प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार के अनुरोध एक दूसरे के विपरीत हैं। किसी भी स्थिति में, चूँकि घरेलू उद्योग ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के एस-पीवीसी का उपयोग प्रदर्शित किया है, इसलिए

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में समान वस्तु की आपूर्ति की है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एस-पीवीसी के किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादों की केवल वास्तविक तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता ही यह तय करने के लिए संगत है कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का उत्पादन किया है या नहीं। डीसीडब्ल्यू ने स्वयं प्रतिस्थापन के तथ्य से इसे दर्शाया है।

314. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अपने नामों में सुधार का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने इस पर उचित रूप से विचार किया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में सही नाम पर विचार किया है।

315. कंपनी के वाणिज्यक ढांचे और नाम में परिवर्तन के संबंध में वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में पहली बार प्राधिकारी को उक्त परिवर्तन के बारे में सूचित किया है, जबकि उसने दावा किया है कि उक्त परिवर्तन *** में हुआ था। प्राधिकारी का मानना है कि यह दावा वर्तमान कार्यवाही के बहुत विलम्बित चरण में है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने इस बात की पुष्टि करने वाले कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं कि यह परिवर्तन किसी अन्य कंपनी को परिसंपत्तियों के अंतरण तक सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि नाम में इस प्रकार के परिवर्तन के लिए पर्याप्त सूचना और साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और उसके बाद प्राधिकारी को ऐसी सूचना का सत्यापन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान कंपनी को दिया गया वही शुल्क दूसरी कंपनी पर भी लागू हो सकता है। अतः, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ उत्पादक का नाम नहीं बदला है। तथापि, उत्पादक को उचित परिवर्तनों के लिए प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पाटनरोधी नियमावली और व्यापार सूचनाओं के अनुसार एक अलग आवेदन-पत्र दायर करने की स्वतंत्रता है और प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

316. रिलायंस, फिनोलेक्स और डीसीडब्ल्यू की गतिविधियों के क्रियाकलापों की प्रकृति से संबंधित अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिलायंस, फिनोलेक्स द्वारा आयात और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा खरीद के संबंध में संगत खंडों में विस्तृत जांच की गई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच अवधि के दौरान डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा खरीदे गए संबद्ध सामान भारत में उत्पादन, खपत और कुल आयात के संबंध में नगण्य थे। इसके अतिरिक्त, ऐसी खरीद का उद्देश्य निचले स्तर के उत्पाद के उत्पादन हेतु आंतरिक खपत था, और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने स्वयं को पाटन से नहीं बचाया है। ऐसी स्थिति में, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना गया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि जांच अवधि के दौरान रिलायंस और फिनोलेक्स द्वारा काफी आयात किए गए थे। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए अपात्र पाया।

317. पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में शुल्क का एक निश्चित स्वरूप उपयुक्त है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री कच्चे तेल की कीमतों पर आधारित है। चूँकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव होता रहता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चूँकि भारत में माँग-आपूर्ति का अंतर है, इसलिए मानक शुल्क लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, माँग-आपूर्ति का अंतर मानक शुल्क लगाने का औचित्य नहीं है, खासकर जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अस्थिर प्रकृति की हों। ऐसे मामले में, वर्तमान जाँच के तथ्यों के आलोक में पाटनरोधी शुल्क का एक निश्चित रूप उपयुक्त है।

318. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान जाँच में कीमत वचनबद्धता स्वीकार की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी विदेशी उत्पादक ने कीमत वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है।

319. एलजी केम ने अनुरोध किया है कि उसका मार्जिन प्रारंभिक जांच परिणामों से पहले प्रकटन विवरण और उसके बाद दूसरे प्रकटन विवरण में परिवर्तित हो गया है, जबकि पहुँच कीमत या निर्यात कीमत में कोई

परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत और केवल सीमित जाँच के आधार पर सूचना पर आधारित सामान्य मूल्य पर आधारित थे। हालाँकि, डेस्क सत्यापन के अनुसरण में, उत्पादन लागत और सामान्य मूल्य में परिवर्तन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई। तथापि, पहले प्रकटन विवरण और दूसरे प्रकटन विवरण के बीच पाटन मार्जिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कि एलजी केम ने अपने समक्ष प्रकट किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से देखा है, दोनों प्रकटन विवरणों के बीच पाटन मार्जिन पूर्ण रूप से समान रहा है। केवल वह सीमा बदली है जिसमें दोनों प्रकटन में इसे दर्शाया गया था।

320. ताइयो विनाइल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पहले और दूसरे प्रकटन विवरण के बीच उसकी पहुँच कीमत में *** अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी की गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह अंतर पहले प्रकटन विवरण के चरण में हुई एक अनजाने गणना त्रुटि के कारण है, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया है। पक्षकार का यह तर्क कि अंतिम जांच परिणामों के लिए पहले प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहुँच कीमत के लिए सही आंकड़े प्रकटन विवरण में निर्यातक को बताए गए थे, और ऐसी संशोधित कीमत के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। पिछले प्रकटन विवरण पर निर्भरता को छोड़कर, ताइयो विनाइल ने दूसरे प्रकटन विवरण में प्रकट की पहुँच कीमत में किसी भी असंगति को उजागर नहीं किया है। इसे देखते हुए, अंतिम निर्धारण के लिए संशोधित पहुँच कीमत को अपनाया गया है।

321. शिनटेक ने दावा किया है कि शिनटेक इंक और शिनटेक लुइसियाना एल.एल.सी. ने किसी भी बैंक शुल्क की सूचना नहीं दी है। हालाँकि, जैसा कि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, निर्यात कीमत का निर्धारण संबंधित पक्षकार, शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा लगाई गई निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है। एसईसीएल ने बताया है कि उसने शिनटेक से खरीदे गए और इटोचू या आईवीआईसीटी के माध्यम से भारत को निर्यात किए गए माल के निर्यात के संबंध में बैंक शुल्क वहन किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, एसईसीएल और उत्पादकों द्वारा किए गए अन्य खर्चों के साथ-साथ ऐसे खर्चों को कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समायोजित किया गया है।

322. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑक्सी विनाइल्स ने दावा किया है कि उसने संबद्ध सामान केमेक्स, आईसीसी और विनमार को बेचीं, जिन्होंने भारत को केवल एक भाग ही पुनः बेचा। यह दावा किया गया है कि पहुँच कीमत और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए केवल डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार इन पक्षकारों से आयात की मात्रा पर ही विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, एक बार जब उत्पादक ने संबद्ध सामान किसी निर्यातक/व्यापारी को बेच दिया है, तो यह पता लगाना संभव नहीं है कि ऐसे सामान किसी अन्य व्यापारी को पुनः बेचे गए हैं या भारत को सीधे निर्यात किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आँकड़े बड़ी संख्या में व्यापारियों द्वारा निर्यात दर्शाते हैं। प्राधिकारी के लिए किसी उत्पादक द्वारा किसी असहयोगी व्यापारी को किए गए निर्यात को डीजी सिस्टम के आँकड़ों में शामिल करना संभव नहीं है, जिसमें व्यापारियों की भारी संख्या से आयात हैं। अकेले यूएसए के लिए, डीजी सिस्टम के आँकड़े बड़ी संख्या में व्यापारियों द्वारा भारत में आयात दर्शाते हैं। इसलिए, यह संभव है कि केमेक्स, आईसीसी और विनमार ने संबद्ध सामान अन्य व्यापारियों या निर्यातकों को पुनः बेचे, जिन्होंने संबद्ध सामान भारत को पुनः बेचे। उदाहरण के लिए, केमेक्स ने पुष्टि की है कि उसने भारत को निर्यात के लिए *** एमटी सामान बेचा। तथापि, डीजी सिस्टम केवल *** एमटी का निर्यात दर्शाता है। इसलिए, तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, डीजी सिस्टम के आँकड़ों के साथ आँकड़ों का सह-संबंध और इस मात्रा पर विचार, संबंधित पक्ष द्वारा प्रश्नावली के उत्तर का एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकारों को प्राधिकारी के साथ सहयोग करना और संगत सूचना प्रदान करना आवश्यक है। ये पक्षकार प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहे हैं और संगत सूचना नहीं दी है।

323. वेस्टलेक ने दावा किया है कि संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देन को केवल इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए थे, और संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देन की कीमत की अन्य पक्षकारों के साथ तुलना करने पर पता चलेगा कि कीमतें तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देन को, किसी भी स्थिति में, केवल संबद्ध पक्षकार के लेन-देन होने के आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं किया गया था। जैसा कि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, ये लेन-देन निकटतम आधार पर नहीं किए गए थे। उत्तर में सूचित की गई कारखानागत कीमतों की तुलना नीचे दी गई है।

उत्पादक	संबद्ध पक्षकार	असंबद्ध पक्षकार	अंतर
	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%
वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी	***	***	10-20%
वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलपी	***	***	15-25%
वेस्टलेक विनाइल्स, इंक	***	***	10-20%

324. यद्यपि वेस्टलेक ने दावा किया है कि कीमतें तुलनीय हैं, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जाँच शुरू होने के बाद से वेस्टलेक के पास कीमतों के निकटतम आधार पर होने का साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर उपलब्ध थे। हालाँकि, इसे प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इसको ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियों की पुष्टि करना उचित समझते हैं।

325. यह भी दावा किया गया है कि रिलायंस इंटरनेशनल और रेजिन टेक्नोलॉजी के असहयोग के संदर्भ में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों का प्रयोग वेस्टलेक के लिए प्रतिकूल है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यापारियों की केवल एक छोटी मात्रा थी। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध तथ्यों को केवल उस छोटी मात्रा पर लागू किया गया है जो असहयोगी व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई थी। प्राधिकारी ने वेस्टलेक द्वारा निर्यात की गई संपूर्ण मात्रा पर उपलब्ध तथ्यों को लागू नहीं किया है। प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या सहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की गई मात्रा के संबंध में दी गई सूचना को स्वीकार कर लिया है और असहयोगी पक्षकारों के माध्यम से निर्यात की जाने वाली सूचित कम मात्रा के संबंध में ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्मित की है।

326. ऑक्सी विनाइल्स ने दावा किया है कि असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात की मात्रा का निर्धारण उत्तर में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि ऐसे निर्यातकों द्वारा भारत को किए गए वास्तविक निर्यात के आधार पर किया जाना चाहिए। पुनः परीक्षण के बाद, प्राधिकारी ने पाया है कि असहयोगी निर्यातकों के मामले में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आंकड़ों पर विचार करना प्राधिकारी की एक सतत् प्रथा रही है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण जारी करते समय निर्धारित और संबंधित उत्पादक को बताए गए निर्यात मूल्य की पुष्टि करते हैं।

327. ऑक्सी विनाइल्स ने यह भी दावा किया है कि निर्यात की गई मात्रा दो चैनलों, अर्थात, के माध्यम से की गई थी। (क) ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप ट्रेडिंग इंक. और (ख) ऑक्सी विनाइल्स → ओवीईएस → कोपैप यूएसए → कोपैप ट्रेडिंग इंक. → असंबद्ध भारतीय ग्राहकों की गणना दो बार की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि चैनल का उल्लेख अनजाने में दो बार किया गया था। मात्रा पर केवल एक बार विचार किया गया है।

328. ऑक्सी विनाइल्स और वेस्टलेक ने यह भी दावा किया है कि प्रथम प्रकटन विवरण के बाद किए गए उनके अनुरोधों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है, जिससे निर्यातक को बचाव का सार्थक अवसर नहीं मिल पाता और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अपने समक्ष

विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है। प्रथम प्रकटन विवरण के बाद, अन्य पक्षकारों को एक और सुनवाई की अनुमति दी गई और उन्हें लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने एक दूसरा प्रकटन विवरण जारी किया है और हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। ऐसी टिप्पणियों पर भी प्राधिकारी द्वारा विचार और जाँच की गई है। इसलिए, सभी पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा के लिए कई अवसर प्रदान किए गए हैं। जहाँ भी हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किए हैं, उन पर प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार और जाँच की गई है। अत:, यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों को अनुरोध करने का अवसर नहीं दिया गया।

329. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने निर्यात कीमत, पहुँच कीमत और मानी गई व्यापारी/निर्यातक श्रृंखला के लिए कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पहुँच कीमत का खुलासा संबंधित उत्पादकों को पहले ही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मानी गई श्रृंखला का खुलासा प्रकटन विवरण में किया गया था।

330. इस अनुरोध के संबंध में कि इंडोनेशिया से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान ऐसे आयातों की मात्रा कम थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा न्यूनतम स्तर से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जाँच में संचयन की शर्तें पूरी हुईं। इसलिए, प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के कारण होने वाली क्षति का अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने संगत खंड में पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

331. डीसीएम श्रीराम की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट उक्त उत्पादक द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों से संबंधित हैं, न कि केवल संबद्ध सामानों से संबंधित। यह पाटनरोधी जाँच केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। इसलिए, वार्षिक रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

332. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति कैल्शियम कार्बाइड के माध्यम से उत्पादन की उच्च लागत के कारण है, प्राधिकारी नोट करते है कि केवल डीसीएम श्रीराम ही भारत में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन के उसी मार्ग का प्रयोग किया है। हालाँकि, उसे क्षति तभी हुई जब भारत में पाटन शुरू हुआ। किसी भी स्थिति में, अन्य आवेदक एथिलीन मार्ग का उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं। अन्य आवेदकों को भी भारत में पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति पाटन के कारण है, न कि उत्पादन प्रौद्योगिकी के कारण।

ड. <u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

333. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

i. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर है जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के रूप में भी जाना जाता है और इसे सस्पेंशन पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया के माध्यम से 55 से अधिक और 77 तक के-वैल्यू के साथ निर्मित किया जाता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अल्ट्रा-लो के-वैल्यू एस-पीवीसी (के-वैल्यू 55 तक), अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू एस-पीवीसी (के-वैल्यू 77 से अधिक), क्रॉस लिंक्ड पीवीसी, क्लोरीनेटेड पीवीसी, विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेज़िन/इमल्शन रेज़िन, एम-पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेज़िन शामिल नहीं हैं। इमल्शन पॉलीमराइज़ेशन, बल्क मास पॉलीमराइज़ेशन और माइक्रो सस्पेंशन पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित पीवीसी को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

iii. सी-पीवीसी के निर्माण के लिए कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने एस-पीवीसी के कई ग्रेड का उपयोग करके सी-पीवीसी का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने एस-पीवीसी का उपयोग किया है जिसका उत्पादन कैप्टिव रूप से किया जाता है, भारत में अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जाता है, और सी-पीवीसी के निर्माण के लिए एस-पीवीसी का आयात किया है। इसके अलावा, हनव्हा ने रिपोर्ट दी है कि उसने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए उसी एस-पीवीसी का उपयोग किया है जो भारत को बेचा गया है और उसने घरेलू उद्योग के इस तर्क का समर्थन किया है कि सी-पीसीवी के उत्पादन के लिए एस-पीवीसी के किसी विशेष ग्रेड की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एस-पीवीसी के कथित विशेष ग्रेड का आयात किया गया है और विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया गया है और ऐसे आयातों की मात्रा एपिग्रल द्वारा सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए आयात की मात्रा से बहुत अधिक है।

iv. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए घरेलू ग्रेड (अपने स्वयं के और अन्य घरेलू उत्पादकों से खरीदे गए) और आयातित ग्रेड का परस्पर उपयोग किया है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान आयातित ग्रेड के साथ वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए किसी भी ग्रेड को पीवीसी के विशेष ग्रेड के रूप में मानकर उसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

v. घरेलू उद्योग ने भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों के समान वस्तु का उत्पादन किया है। किसी अन्य को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

vi. भारत में सभी घरेलू उत्पादकों के पास एस-पीवीसी के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की गुणवत्ता पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

vii. भारत में केवल दो सी-पीवीसी निर्माता हैं और केवल डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास सी-पीवीसी के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस है। इस प्रकार, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड अपने स्वयं के, घरेलू स्तर पर उत्पादित और आयातित एस-पीवीसी का उपयोग करके बीआईएस मानक के अनुसार सी-पीवीसी का उत्पादन करने में सक्षम है।

viii. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में के-57 का उत्पादन और आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई के-57 बीआईएस मानकों के अनुसार है।

ix. चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए वर्तमान मामले में अंतिम-उपयोग आधारित बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

x. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद को महत्वपूर्ण मात्रा में आयात करने में शामिल हैं; और, इसीलिए, उन्हें भारत में घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र माना गया है।

xi. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत में व्यापारियों से संबद्ध सामानों की खरीद की है और उत्पाद का आयात नहीं किया है। डीसीडब्ल्यू को नियम 2(ख) के अभिप्राय से उत्पाद का "आयातक" नहीं माना जा सकता है। भले ही घरेलू खरीद को डीसीडब्ल्यू द्वारा आयात माना जाता है, ऐसी खरीद की मात्रा भारत में कुल आयात, कुल मांग और भारत में कुल उत्पादन के संबंध में नगण्य है। इस प्रकार, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।

xii. आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, भले ही फिनोलेक्स और रिलायंस को पात्र माना जाता है, और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू हैं।

xiii. प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, लेकिन उनके सदस्यों ने प्रयोक्ता प्रश्नावली या आयातक प्रश्नावली के उत्तर के रूप में संगत सूचना नहीं दी है। तथापि, प्राधिकारी ने उन सभी अनुरोधों को रिकॉर्ड में ले लिया है जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं।

xiv. चीन और जापान से बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों की भागीदारी को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में नमूनाकरण किया है।

xv. प्राधिकारी ने चीन और जापान दोनों के तीन सबसे बड़े उत्पादकों के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित किए हैं। अन्य गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए यह मार्जिन उनके संबंधित देश के नमूनाकृत उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन पर आधारित है।

xvi. अन्य देशों के सहयोगी उत्पादकों का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उनके द्वारा दायर उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

xvii. निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।

xviii. प्राधिकारी ने क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है क्योंकि वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।

xix. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत तथा भारत में कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है।

ख. कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

ग. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है और कीमत वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हुई होती। जबकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

घ. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया है और जाँच अवधि के दौरान घाटे में बिक्री की है।

ङ. उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। चूँकि घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री उठाने के लिए बाध्य है और भंडारण सीमित है, अत घरेलू उद्योग को उत्पादन शुरू करना और उसके बाद सामान बेचने की आवश्यकता है, भले ही वह घाटे में बेच रहा हो। वर्तमान उत्पाद की प्रकृति में न तो उत्पादन रोकना और न ही मालसूची रोकना घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध एक आर्थिक विकल्प है। घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प अपनी कीमतों को तद्नरूप करना और सामग्री बेचना है।

च. घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने कीमतें कम की हैं और अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बेचा है।

छ. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग, समग्र रूप से भारतीय उद्योग और गैर-संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है।

ज. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है।

झ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा हुआ है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है।

ञ. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं, जिनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं।

ट. पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

xx. निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

xxi. घरेलू उद्योग को क्षति भारतीय बाजार में पाटन के कारण हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xxii. घरेलू उद्योग को क्षति कोविड-19 के कारण नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग का निष्पादन कोविड अवधि के दौरान बेहतर था और जब भारत में कोई पाटन नहीं हुआ था।

xxiii. निष्पादन में वर्तमान गिरावट को घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताओं, कथित अंतर्निहित अदक्षताओं या क्षमता विस्तार से जुड़ी लागतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxiv. घरेलू उद्योग को किसी भी असामान्य बंदी का सामना नहीं करना पड़ा है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

xxv. पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा। प्राधिकारी इस संबंध में निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. पाटनरोध शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को उचित अवसर मिलेगा।

ख. भारतीय उद्योग मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए क्षमता विस्तार कर रहा है। तथापि, बाजार में कीमतें नए निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

ग. निर्यातक देशों में उपभोक्ता उत्पाद को उन पाटित कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कीमतों पर खरीद रहे हैं जिन पर भारतीय आयातक सामग्री का आयात कर रहे हैं। इसलिए, शुल्क लगाने से वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में प्रयोक्ता उद्योग को कोई नुकसान नहीं होगा।

घ. भारत में 5 उत्पादक हैं और संबद्ध सामानों का आयात कई देशों से किया जा सकता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार नहीं बनेगा। किसी भी स्थिति में, हितबद्ध पक्षकार नियमों के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

ङ. जांच में ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया जिससे यह पता चले कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

334. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जाँच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

335. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्का तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	**शीर्ष**	**विवरण** *	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**यूनिट**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904	पीवीसी सस्पेंशन रेजिन*	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड	177	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई	चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कं. लिमि.	177	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण *	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
				देश				
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	टियांजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड.	122	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क़िंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड.	134	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	नीचे दी गई सूची के अनुसार गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक*	140	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 5 को छोड़कर कोई उत्पादक	232	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	232	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी. असाहिमास केमिकल	55	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी. टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स	57	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 8 और 9 को छोड़कर कोई उत्पादक	204	एमटी	यूएसडॉ.
11	-वही-	-वही-	चीन	इंडोनेशिया	कोई	204	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण *	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
			जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश					
12	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	कनेका कारपोरेशन	49	एमटी	यूएसडॉ.
13	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड	68	एमटी	यूएसडॉ.
14	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	87	एमटी	यूएसडॉ.
15	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	नीचे दी गई सूची के अनुसार गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक**	66	एमटी	यूएसडॉ.
16	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	क्र.सं. 12 से 15 को छोड़कर कोई उत्पादक	148	एमटी	यूएसडॉ.
17	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	जापान	कोई	148	एमटी	यूएसडॉ.
18	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई	एलजी केम, लिमिटेड.	46	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण *	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
				देश				
19	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	हन्वा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
20	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	क्र.सं. 18 और 19 को छोड़कर कोई उत्पादक	169	एमटी	यूएसडॉ.
21	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	169	एमटी	यूएसडॉ.
22	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	चाइना जनरल प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	22	एमटी	यूएसडॉ.
23	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन	22	एमटी	यूएसडॉ.
24	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	ओशन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड	57	एमटी	यूएसडॉ.
25	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	47	एमटी	यूएसडॉ.
26	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	क्र.सं. 22 से 25 को छोड़कर कोई उत्पादक	205	एमटी	यूएसडॉ.
27	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया,	ताईवान	कोई	205	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण *	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
			जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश					
28	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी	60	एमटी	यूएसडॉ.
29	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड	78	एमटी	यूएसडॉ.
30	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्र. सं. 28 और 29 को छोड़कर कोई उत्पादक	193	एमटी	यूएसडॉ.
31	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	थाईलैंड	कोई	193	एमटी	यूएसडॉ.
32	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी	118	एमटी	यूएसडॉ.
33	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	वेस्टलेक विनाइल्स इंक.	118	एमटी	यूएसडॉ.
34	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एल.पी.	118	एमटी	यूएसडॉ.
35	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए	शिनटेक इनकॉर्पोरेटेड	72	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण *	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
				सहित कोई देश				
36	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	शिनटेक लुइसियाना एल.एल.सी.	72	एमटी	यूएसडॉ.
37	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी.	174	एमटी	यूएसडॉ.
38	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	क्र.सं. 32 से 37 को छोड़कर कोई उत्पादक	284	एमटी	यूएसडॉ.
39	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	यूएसए	कोई	284	एमटी	यूएसडॉ.

** विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के रूप में भी जाना जाता है, और जो 55 से अधिक और 77 तक के-वैल्यू के साथ सस्पेंशन पोलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित किया जाता है।*

चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची

क्र.सं.	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1.	चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
2.	सीएनएसआईजी जिलानताई क्लोर-क्षार केमिकल कंपनी लिमिटेड
3.	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
4.	गुआंग्शी हुआई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
5.	इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

6.	इनर मंगोलिया एरडोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड क्लोर-क्षार रासायनिक शाखा कंपनी
7.	इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
8.	ऑर्डोस जुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
9.	शानक्सी बेइयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी
10.	शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
11.	टियांजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी लिमिटेड
12.	वानहुआ केमिकल (फ़ुज़ियान) कंपनी लिमिटेड
13.	वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड
14.	झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड
15.	झिंजियांग झोंगताई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
16.	यिबिन हाइफ़ेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड
17.	झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लिमिटेड

<u>जापान के गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची</u>

क्र.सं.	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1.	तोकुयामा कॉर्पोरेशन

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

336. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDING

New Delhi, the 14th August, 2025

Case No. AD-OI-30/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Polyvinyl Chloride Suspension Resins" originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America.

F. No. 6/33/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Chemplast Cuddalore Private Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited (hereinafter also referred to as the "Applicants") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or "Anti-Dumping Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Polyvinyl Chloride Suspension Resins" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods"), originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/33/2023-DGTR dated 26th March 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules and the Free Trade Agreements with various members of the WTO.

b. The Authority issued a public notice dated 26th March 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification along with questionnaires to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the email addresses made available by the applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the Embassies of the subject countries in India, the known producers/exporters, importers and users in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the details of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1. China Haohua Chemical (Group) Corporation
2. Chipping Xinfa PVC Company Limited
3. Farmosa Plastics Corporation
4. Hubein Yinhua Group Company Limited
5. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Company Limited
6. Inner Mongolia Sanlian Chemical Corporation Limited
7. JM Eagle Corporation
8. JNC Corporation
9. Kaneka Corporation
10. Kingfa Sci. & Technology Company Limited
11. LG Dagu Chemical Company Limited
12. Mega Compound Company Limited
13. Ningxia Jinyuyuan Energy Chemistry Company Limited
14. Ningxia Yinglite Chemicals Company Limited
15. Ocean Plastics Company Limited
16. Ordos Zunzheng Energy & Chemical Industry Company Limited

17. Oxy Vinyl LP
18. Oxychem
19. Qingdao Haijing Chemcial (Group) Company Limited
20. Qingdoa Haiwan Chemical Company Limited
21. SAR Overseas Limited
22. SCG Chemicals Company Limited
23. Shandong Haihua Chlor-Alkali Resin Company Limited
24. Shandong Xinfa Import & Export Company
25. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Company Limited
26. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
27. Shintech Inc.
28. Sinopec Group
29. Sinopec Qilu Company
30. Suzhou Huasu Plastics Company Limited
31. Tianjin Dagu Chemical Company Limited
32. Tianjin LG Bohai Chemical Company
33. Visolit
34. Viynthai Public Co., Ltd.
35. Westlake USA Inc.
36. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Company Limited
37. Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemcial Company Limited
38. Xinjiang Zhongtai Chemical Company Limited
39. Yibin Tianyuan Group Limited
40. Yichang Yihua Pacific Cogen Company Limited
41. Zhong Tai International Development (HK) Limited

g. The following producers / exporters filed response to the exporters' questionnaire issued by the Authority.

1. AGC Vinythai Public Limited Company
2. Canko Marketing
3. CGPC Polymer Corporation
4. Chemdo Group Company Limited
5. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
6. China General Plastics Corporation
7. China Salt Chemical International Trading Co. Ltd.
8. Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd
9. Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd
10. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
11. Cosmoss Vu Limited
12. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.
13. Formosa Plastics Corporation
14. GCM Polymer Trading DMCC Company Limited
15. Grand Dignity For Wanhua
16. Grand Dignity Industrial Co. Ltd.
17. Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.

18. Hanwa Corporation
19. Henan Pulite Import And Export Trade Co.,Limited
20. Inner Mongolia Chemical Industry Company Ltd.
21. Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
22. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
23. ITOCHU (Thailand) Ltd.
24. ITOCHU Corporation
25. Itochu Plastics Pte., Ltd.
26. IVICT (Singapore) Pte. Ltd
27. Jiali Bio Group (Qingdao) Limited
28. Joc International Technical Engineering Co., Ltd.
29. Kaneka Corporation
30. Kanematsu Corporation
31. LG Chem, Ltd.
32. Marubeni Corporation
33. Mitsubishi Corporation
34. Mitsui & Co., Ltd
35. Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
36. PT. Asahimas Chemical
37. PTT Global Chemical Public Company Limited
38. Qingdao Haiwan Chemical Co. Ltd.
39. SAR Overseas Limited
40. Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co
41. Shandong Xinfa Import & Export Co., Ltd
42. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
43. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
44. Simosa International Co. Ltd.
45. Sojitz Asia Pte Limited
46. Stavian Chemical JSC
47. Sunshine International Pvt Ltd
48. Taiyo Vinyl Corporation
49. Texpo International Limited
50. Thai Plastics and Chemicals Plc.
51. Thai Polyethylene Co. Ltd
52. Tianjin Bohua Chemical Developments
53. Tianjin Lg Bohai Chemical. Co. Ltd
54. Tokuyama Corporation
55. Tokuyama Sekisui Co. Ltd
56. Tosoh Nikkemi Corporation
57. TS Corporation
58. Tun Wa Industrial Co. Ltd.
59. United Raw Material Pte. Ltd.
60. Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.
61. Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.

62. Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd.
63. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd
64. Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd
65. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
66. Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.
67. Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.
68. Yue Xiu Textiles Co., Ltd
69. Zhong Tai International Development (Hk) Limited

h. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd. has filed a response to supplementary questionnaire issued by the Authority and has claimed that it should be treated as operating in market economy conditions. No other producer from China has claimed market economy treatment.

i. The Authority sent importers' questionnaire and users' questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1. Aasu Chempoplast Private Limited
2. ABM International Limited
3. Aditya Industries
4. Amisha Vinyls Private Limited
5. Apollo Pipes Limited
6. Associated Capsules Limited
7. AVI Global Plast Private Limited
8. Avon Plastics Group
9. Caprihans India Limited
10. Chaitanya Impex Private Limited
11. Cooldeck Aqua Solutions Private Limited
12. Cosmos Corporation
13. D.R. Polymers Private Limited
14. Deluxe Kaaran Import Private Limited
15. Dhabriya Agglomerates Private Limited
16. Diamond Pipes & Tubes Private Limited
17. Dutron Plastics Private Limited
18. Fine Flow Plastic Industries Limited
19. Golden Group
20. Havells India
21. INCOM Cables Private Limited
22. Jain Irrigation Systems
23. Jewel Polymers Private Limited
24. JP Group
25. Kalpana Industries
26. Kisan Group Tex
27. KLJ Group
28. Krishna Vinyls Group
29. Kriti Industries (India) Ltd.

30. KS Plastics
31. Manish Packaging Private Limited
32. Maxx Impex Private Limited
33. Megha Industries
34. MM Plastics
35. Nouvelle Credits Private Limited
36. Omega Plasto Limited
37. Oriplast Limited
38. Oswal Cable Products Limited
39. Oxyde Chemicals & Polymers India Private Limited
40. Par Petrochem Limited
41. Poly Extrusions Private Limited
42. Polycab Cables Private Limited
43. Prakash Industries
44. Premier Polyfilm Limited
45. Prfint Crafts
46. Prince Pipes and Fittings Limited
47. R.S. Overseas Private Limited
48. Royal Cushion Vinyl Product Limited
49. Sam Polymers
50. Sandeep Organics Private Limited
51. Sankhla Industries
52. Shalimar Rexine India Limited
53. Shantilal Mahendra Kumar
54. Signet Overseas Limited
55. Sintex Industries Limited
56. Sudhakar Group
57. Supreme Industries
58. Surender Commercial
59. Tirupati Group
60. Varsha Corporation Private Limited
61. Veekay Polycoats Limited

j. The following importers/users have participated in the present investigation by filing a response to the importers' / users' questionnaires issued by the Authority.

1. Alstone Green India Private Limited
2. Asma Traexim Private Limited
3. Atalantic Polymers Unit-II Private Limited
4. Caprihans India Limited
5. Prabitha Polymers
6. Purbanchal Composite Panel (I) Private Limited
7. Shiv Industries
8. Sushila Parmar International Private Limited
9. Terra Polyplast Private Limited
10. Wanhua International (India) Private Limited

11. Yamuna Interiors Private Limited

k. The Authority issued economic interest questionnaire to all interested parties and concerned ministry. The following parties have filed a response to the economic interest questionnaire.

1. Domestic industry
2. AGC Vinythai Public Limited Company
3. Alstone Green India Pvt Ltd
4. Asma Traexim Pvt. Ltd
5. Atalantic Polymers Unit-II Pvt. Ltd.
6. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
7. China Salt Chemical International Trading Co. Ltd.
8. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
9. GCM Polymer Trading DMCC Company Limited
10. Hanwha Corporation
11. IVICT (Singapore) Pte. Ltd
12. Kaneka Corporation
13. Kanematsu Corporation
14. Marubeni Corporation
15. Mitsubishi Corporation
16. Mitsui & Co., Ltd
17. Prabitha Polymers
18. PT. Asahimas Chemical
19. PTT Global Chemical Public Company Limited
20. Purbanchal Composite Panel (I) Pvt. Ltd.
21. Qingdao Haiwan Chemical Co. Ltd.
22. SAR Overseas Limited
23. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
24. Shiv Industries
25. Sojitz Asia Pte Limited
26. Stavian Chemical JSC
27. Sunshine International Pvt Ltd
28. Sushila Parmar International Private Limited
29. Taiyo Vinyl Corporation
30. Terra Polyplast PVT LTD
31. Texpo International Limited
32. Thai Plastics and Chemicals Plc.
33. Thai Polyethylene Co. Ltd
34. Tianjin Bohua Chemical Developments
35. Tokuyama Corporation
36. Tokuyama Sekisui Co. Ltd
37. Tosoh Nikkemi Corporation
38. Yamuna Interiors Pvt. Ltd.
39. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
40. Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.

41. Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.

l. The interested parties were asked vide notification dated 25th June 2024 to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.

m. The Authority conducted a meeting dated 30th April 2024 where all the interested parties were invited to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Based on the submissions made by the interested parties, the Authority finalized the scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notification dated 13th May 2024.

n. Pursuant to initiation of investigations, and after providing due opportunity to the all interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record, having regard to the Anti-Dumping Act and the Rules, the Authority issued a preliminary finding dated 30th October 2024, provisionally concluding that product under consideration has been exported from the subject countries at a price below associated normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods, the domestic industry has suffered material injury due to such dumping and the injury to the domestic industry is caused by such dumping. The Authority recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

o. Post issuance of preliminary findings and in compliance with the direction of the Hon'ble Gujarat High Court, the Authority conducted an oral hearing dated 11th December 2024 with regard to the product scope issues raised by Epigral Limited. Post receiving submissions from all interested parties and conducting the said oral hearing, an addendum to the preliminary findings was issued by the Authority dated 16th December 2024.

p. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings.

   i. Comments were invited by all interested parties on the preliminary findings within 30 days of issuance of such findings.

   ii. It was notified that an oral hearing will be conducted in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules.

   iii. Further verification deemed necessary will be conducted.

   iv. Essential facts would be disclosed prior to issuance of the final findings.

q. A copy of the preliminary findings was sent to Central Government for their consideration of the same for imposition of interim anti-dumping duty.

r. A number of interested parties filed response/comments to the preliminary findings, which have been adequately considered in the disclosure and for the purpose of final determination.

s. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 15th January 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

t. A disclosure statement dated 17th March 2025 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation.

u. Post issuance of the disclosure statement, since the final order was not issued by the Hon'ble Gujarat High Court, the Authority sought extension for completion of the investigation from Department of Revenue, Ministry of Finance. The extension was granted till 25th May 2025.

v. The Gujarat High Court, in its final order dated 25th April 2025, directed the Authority to exclude alleged specialty grades S-PVC Resins imported by Epigral from the scope of the product under consideration. Thereafter, the domestic industry filed Special Leave Petition on 03rd May 2025 before the Hon'ble Supreme Court of India against the Gujarat High Court Order dated 25th April 2025. On 23rd May 2025, the Hon'ble Supreme Court stayed the operation of the judgement of the Gujarat High Court.

w. In order to complete the investigation, the Authority sought another extension from Department of Revenue, Ministry of Finance. The extension was granted till 25th September 2025.

x. Due to the change in the Designated Authority, a second oral hearing was conducted on 12th June 2025, which was attended by all the interested parties. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

y. A second disclosure was issued in the subject investigation on 23rd July 2025. Comments were received from all interested parties which have been considered in the present final findings.

z. Request was made to the DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

aa. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present interim anti-dumping duty would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

bb. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 Months). The injury investigation period has been considered as the period from 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the period of investigation.

cc. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the

Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

dd. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided post issuance of the preliminary findings by various interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

ee. The Authority satisfied itself of the accuracy of the information supplied by the interested parties which form the basis of this disclosure statement to the extent possible and verified the data / documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary.

ff. The present final findings are being issued in view of statutory timelines for completion of the present investigation. The proposed decision shall be subject to outcome of decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter.

gg. '***' in this final findings represents information furnished on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

hh. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 USD = ₹ 83.21

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Views of other interested parties

4. The submissions made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article are as follows:

i. While the domestic industry has claimed that K-Value is the most important parameter, no PCN has been proposed on the basis of K-Value. The cost and price of various grades of PVC ranges between 15-20%.

ii. There is a need to devise PCN based on production process.

iii. PCN-Wise assessment is not warranted in the present investigation.

iv. The product excluded from the scope of the product under consideration should be specifically mentioned in the duty table.

v. Only the grades commercially produced and sold by the domestic industry during the period of investigation should be included within the scope of the product under consideration.

vi. According to Section 9A(1), any article which has not been specifically included in the scope of the product under consideration cannot be considered for investigation and imposition of anti-dumping duty even if it has closely resembling characteristics.

vii. Grade HRTP4000, LS070, LS170 and LS300 produced by LG Chem should be excluded from the scope of the product under consideration, as it is ultra-high molecular weight PVC.

viii. Grades SG840, SM760, SM76E and SM84E produced by TPE should be excluded from the scope of the product under consideration as they contain higher K-value compared to grades produced by the domestic industry. The price of such grades is higher than the grades supplied by the domestic industry. These grades are not produced by the domestic industry and are not commercially substitutable with the grades produced by the domestic industry.

ix. Grades S-400 : KV51, S1007 : KV58, S1008 : KV61, S1004 : KV73, KS-1700 : KV77, KS-2500 : KV85 and KS-3000 : KV88 produced by Kaneka Corporation should be excluded from the scope of the product under consideration as like article for such grades is not produced by the domestic industry.

x. Grades TK-2500HE, GR-600S, GR-700S, TK-800, TK-500, TK-600, TK-1700E, TK-2000E, TK-2500LS, TK-2500HS, TK-2500PE, GR-800T, GR-1300T, GR-1300S, and GR-2500S produced by Shin-Etsu should be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce a like article to these grades.

xi. Grades ZEST 700Z, ZEST 1000Z and ZEST 1300SI produced by Tokuyama should be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce a like article to these grades.

xii. Taiyo produces Ethylene and PVC Copolymer, EVA PVC Graft Copolymer and Modified High Polymerization PVC Resin which are copolymer PVC and cross-linked PVC. Such products should be considered outside the scope of the product under consideration.

xiii. Grades TH-800, TH-1700, TH-2500, TH-2800, TH-3000 and TH-3800 produced by Taiyo should be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce a like article to these grades.

xiv. Grade TL700 should be excluded from the scope of the product under consideration as it has a very low-K value which is not produced by the domestic industry.

xv. Grade WH800 produced by Wanhua should be excluded from the scope of the product under consideration as the same falls in the range of K-Value 60-64 which is not produced by the domestic industry.

xvi. PVC resin off grade, PVC resin floor sweep, PVC resin pond resin (PVC off grade) should be excluded from the scope of the product under consideration as these are mixed with prime grades in order to produce flooring. Such product is imported in smaller quantities and is priced much lower than the prime grade.

xvii. The scope of the product under consideration may be revised as the domestic industry has the capacity to manufacture PVC Suspension Resins with K-Value from 57 to 72 only.

xviii. PVC resin produced using emulsion polymerization, mass polymerization, and micro-suspension polymerization should be included in product scope, as they are closely related to the product under consideration and may be used interchangeably in some applications.

xix. The reason for excluding mass polymerization from the scope of the product under consideration must be clarified since both are used to produce C-PVC and have similar specifications and applications.

xx. Epigral is using specialty grade of S-PVC which are similar to characteristics of mass PVC for manufacturing C-PVC. Since the domestic industry is not supplying the same or technically and commercially substitutable grade, it should be excluded from the scope of the product under consideration.

xxi. The specialty grades for C-PVC manufacturing include S65C and S57C produced by Formosa Plastics Corporation, SG66J and SF58S produced by Thai Polyethyelene Co. and M1000 produced by Shanghai Chlor Alkali Chemical Co. Ltd.

xxii. The grades imported by Epigral are of higher porosity and higher apparent density, and have a different formulation to ensure long term heat stability of C-PVC resin. Such grades are not supplied by the domestic industry

xxiii. The domestic industry also imports specialty grades for manufacturing C-PVC and does not use S-PVC manufactured by it captively. This is evident from the transcript of investors call of DCW Limited, where it admitted that special quality of PVC is required to manufacture C-PVC. Thus, such grades are not produced by the domestic industry.

xxiv. S65C of Formosa has higher apparent density than PRO65 of DCW Limited. This allows for achieving high productivity and output for end users of C-PVC. S65C offers higher plasticizer absorption as compared to PRO65. This ensures effective chlorination of C-PVC. It also has smaller mean particle size as compared to PRO65. With large particle size the homogeneity of chlorine distribution is disrupted.

xxv. The cold plasticizer absorption of S-65C is 27.9%, compared to 25.6% for Normal Grade K65 PVC, indicating its superior absorption capabilities. The mean particle size for Grade S-65C is 132 μm, while Grade K65 PVC has a mean particle size of 118 μm.

xxvi. PRO65 leads to a shorter gelation speed which is not favourable for C-PVC manufacturing.

xxvii. The specialty grades (SG66J and SF58S) produced by TCE also have higher apparent density, and have low yellow index, smaller particle size, faster absorption time, lower cold plasticizer absorption and are formulated with optimized additives that supports chlorination reaction with minimal color changes.

xxviii. General grade of S-PVC cannot be used for C-PVC manufacturing as S-PVC should have adequate internal morphology to achieve desired and homogeneous chlorination.

xxix. The domestic industry imports specialty grades through trader, MK Industries, for the manufacturing C-PVC. DCW Limited has imported S-65C of Formosa and SF58S of Thai Polyethylene. This shows that the special grade of S-PVC is not available in India and DCW cannot use its own production for production of C-PVC.

xxx. There was no production of specialty grade of S-PVC during the period of investigation which is evident from the fact that DCW commissioned its new plant post period of investigation and started using its own S-PVC.

xxxi. As opposed to the submission of the domestic industry, BIS refers to only a basic C-PVC resin. S-PVC supplied by domestic industry does not yield C-PVC as per the specifications in IS 17988.

xxxii. Epigral has imported a number of grades from a number of suppliers on trial basis to examine, experiment, conduct R&D and ascertain feasibility for production of C-PVC. While some grades have worked the others have not worked.

xxxiii. The grades imported by Epigral is miniscule as compared to the total imports into India, thus, establishing that such grades are specialty grades.

xxxiv. The applicants have not disclosed during the course of the investigation that there are different grades of S-PVC and that such grades have been imported by DCW Limited.

xxxv. There is no provision in the Anti-Dumping Rules for conducting meetings regarding PUC and PCN with officers of the Designated Authority and the same cannot be considered as a proper and adequate opportunity to all interested parties.

xxxvi. A hearing was conducting on the scope of PUC and PCN without providing adequate time for preparation of submissions.

xxxvii. In the submission dated 6th May 2024, Epigral had already stated that the applicants have themselves admitted that K-value is not the only relevant parameter but there are other parameters for specification of the product under consideration. Thus, K-value should not be the only parameter for deciding the scope of the product under consideration.

xxxviii. The applicants did not rely on the BIS standards while proposing scope of the product under consideration, and the reliance was placed at a later stage indicating that the same is an afterthought.

xxxix. While the BIS standard 17658:2021 submitted by the applicant states that S-PVC have different grades and are classed based on viscosity behaviour, particle size distribution, apparent density etc., the Authority has only considered K-value as a relevant factor for the scope of product under consideration.

xl. IS 17658:2021 specifically recognizes that there are special grades of S-PVC on account of both end-use and technical parameters. Hence, the claim that there are no specialty grades is incorrect.

xli. DCW Limited has imported S-65C from Formosa till November 2024. While Formosa exports a number of grades, only S65C which is specialized grade for C-PVC has been imported.

xlii. While DCW Limited has claimed that it already has a merchant market for specialty grade S-PVC, it has consistently purchased imported S-PVC and not used its own S-PVC for manufacturing C-PVC. While DCW's S-PVC capacity is 1,00,000 MT, their requirement is only 8,000 MT for C-PVC.

xliii. In case there was no specialty grade requirement, DCW should have consumed S-PVC manufactured by other domestic producers as well.

xliv. The Order of the High Court of Gujarat directing the Authority to provide an opportunity of hearing has not been followed in the true spirit as only the domestic industry and Epigral Limited should have been given an opportunity for submissions and hearing.

xlv. Reliance placed on grades supplied by Reliance Industries Limited is inappropriate as the said manufacturer is not part of the present investigation.

xlvi. Commercial considerations are not an excuse for permitting imports of grades of subject goods that domestic industry alleges to manufacture.

xlvii. The reliance on imports of C-PVC have reduced due to presence of Epigral in the domestic market. Epigral is further expanding capacities in order to further reduce its dependence.

xlviii. Epigral has tried using grade supplied by Reliance Industries Limited and has informed them that the grade is not running well. DCW Limited had verbally refused for supplying Epigral the product.

xlix. The domestic industry has made contradictory submissions with regard to porosity. Even the mass PVC grade of Formosa imported by DCW has high porosity, narrow particle distribution and less fine powder used for manufacturing C-PVC.

l. The image provided by the Epigral makes it clear that morphology of S65C supports uniform chlorination.

li. Patent vide No. US6,384,149 B2 dated May 7, 2002 which is with reference to PVC requirement for production of C-PVC clearly mentioned importance of average particle size porosity, viscosity, heat stability, Free flow property, sedimentation tendency, particle size distribution etc.,

lii. While DCW Limited produces pipe grade and fitting grade, there is no single grade for C-PVC manufacturing.

liii. DCW Limited did not have a BIS license between October 2022 to June 2024.

liv. The authenticity of the test reports provided by the domestic industry are doubtful as the samples have been provided by the domestic industry and the domestic industry can manipulate the samples provided to the Lab.

lv. DCW has claimed that grades PR 065 and PR 057 are produced for captive use only. Therefore, such grades are not available in merchant market.

lvi. In the addendum preliminary findings, it has been noted that there is no commercial manufacturing in the period of investigation. It is evident from the findings that DCW has not consumed S-PVC by any other manufacturer in the period of investigation and the S-PVC consumed captively is only for trial. Further, DCW did not have any captive transfer as per the petition.

lvii. While the domestic industry has claimed that it manufactures like article, none of the domestic producers have offered this grade to Epigral. The Authority has not given a finding on the fact whether the grades offered by DCW Limited are like article to specialty grades imported into India.

lviii. It is evident from the addendum preliminary findings that since DCW's product was under R&D due to technical reasons, they were primarily dependent upon imports.

lix. The new plant alleged by the applicant is not presently in existence and will not be in existence in near future. Till then DCW's grade cannot be used for manufacturing C-PVC.

lx. The test report provided by SICART (NABL accredited), shows that there is difference between the particle size distribution of Formosa S65C grade and DCW PR 065 grade which establishes these are not like articles and cannot be used interchangeably.

lxi. The domestic industry has not provided any evidence that C-PVC manufactured from its S-PVC is commercially sold to Indian C-PVC Pipe manufacturers for Hot Water Application.

lxii. C-PVC pipes and fittings are designed for supply and conduction of hot potable water. The specialty grades of subject goods ensure that the end-products are safe and non-hazardous.

lxiii. Special PVC for C-PVC is specially adjusted in polymerization formula and product indicators, dedicated to the production of C-PVC and not ordinary S-PVC. Since domestic industry is not supplying the same, it should be excluded from product scope.

lxiv. The specialty grades should be excluded from the scope of the product under consideration as per the decision of the Gujarat High Court. Since the order has not been quashed, it continues to exist and the Authority, is required , by doctrine of precedent and as per judicial discipline, to exclude the grades as per the order of the High Court.

lxv. Epigral initially requested for exclusion of specialty grades without providing the specific grades and reason for exclusion. Grades were specified after the deadlines had passed.

lxvi. All grades of products under consideration have no specially designated usage and are used to produce a variety of products. Any exemption of any specialty grade is unjustified and against the purpose of the anti-dumping duty investigation.

lxvii. No exporter other than Thai Plastic and Chemicals Plc and Thai Polyethylene Co. Ltd. filed their submissions regarding exclusion.

lxviii. The domestic industry does not supply K 57 and K60, which are used for blister films and rigid films, as well as K70 – K77, which is used by compounders, rigid film manufacturers, and flexible film manufacturers. Further, the K67 Soft supplied by the domestic industry does not meet the quality standard of international producers. Such grades should be exempted from the anti-dumping duty.

lxix. ACG Pharmapack Pvt. Ltd. has sought for exclusion of specific grades of imports of PVC used for pharmaceutical industry. PVC in pharma is used for packaging tablets, capsules and other solid medications, which helps protecting the life of the product and controls moisture and chemical properties of the product.

lxx. The domestically supplied PVC resin struggles with quality control issues like dark particles in the PVC resin, which cause black spots and pinholes in the films

compromising their barrier properties. This leads to potential contamination and spoilage of pharmaceutical products.

lxxi. ACG Pharmapack Pvt. Ltd. tested the product with Reliance, and despite several trials, Reliance admitted it was not able to supply the product.

lxxii. Out of the total volume of import of the product under consideration, the import of K-57 and K-60 for pharma application is negligible. Since the domestic industry has itself admitted that it does not produce such grades, there is no revenue loss to the domestic industry in case of exclusion of such grades.

lxxiii. As opposed to the submissions of the domestic industry, Caprihans has approached all applicants for supply of K-57. However, none of the applicants have supplied the same. Caprihans is not importing K-57 by choice and has been compelled to do so due to the lack of both production and supply in the domestic market.

lxxiv. K-57 produced by DCM Shriram Limited is not suitable for pharmaceutical packaging as it has high impurities and other quality issues due to the calcium carbide technology adopted.

lxxv. Caprihans had earlier tried K-57 produced by RIL but faced quality issues. Since RIL is not a part of the domestic industry, K-57 is not produced by the domestic industry and hence, should be excluded from the scope of the product under consideration.

lxxvi. The domestic industry does not have the capacity to manufacture very low and very high K-values and especially K-57. In order to match the requirement of the pharma sector, only K-57 grade can be used for manufacturing PVC films of 250 microns.

lxxvii. The Authority must share the evidence and verifications carried out to ensure that domestic industry produces K-57 used for life saving medicines.

lxxviii. Contrary to submissions of domestic industry, the request for exclusion of K-57 and K-60 was made before the hearing as well, in user questionnaire response and the same has been considered by the Authority in the preliminary findings.

C.2. Views of the domestic industry

5. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

i. The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resins.

ii. PVC Resins produced through emulsion polymerization process; bulk mass polymerization process and micro suspension polymerization process are excluded from the scope of the product under consideration.

iii. The scope of the product under consideration excludes cross-liked PVC, CPVC, VC-Vac, PVC Paste Resins, Mass Polymerization PVC and PVC Blending Resin.

iv. The subject goods are manufactured using vinyl chloride monomer which is polymerized through suspension process. Vinyl chloride monomer can be

obtained through either EDC (ethylene) route or carbide route. In either case, the final product is the same.

v. The product under consideration has a dedicated HS code 39041020. However, 17% of the imports of the product under consideration have been made under other HS Codes during the period of investigation.

vi. There is no need for PCN wise analysis in the present investigation. Contrary submissions have been made by the other interested parties with regard to need for PCNs. Most of the interested parties have submitted that PCNs are not required.

vii. As opposed to the submissions of the other interested parties, PCN based on production process is not required since the production process does not lead to change in price of the product and the difference is less than 5%.

viii. As opposed to the submissions made by Hanwha, the price of product does not vary significantly between various K-values.

ix. The domestic industry produces PVC Suspension Resins with K-Value between 57 and 75.5 and there is a + / - 1 K-value tolerance. Product with K value below 56 and above 76 from the scope of the product under consideration can be excluded from the scope of product under consideration.

x. The other interested parties have stated that they manufacture specialty products but have failed to provide any evidence with regard to the specification making such product specialty, and which cannot be met by the domestic industry. There is no requirement for the domestic industry to manufacture exact same product as that imported into India. The domestic industry has manufactured like article.

xi. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is nothing called a specialty grade of PVC Suspension resins. In case, an exclusion is given for "specialty grades", the exporters may classify everything as specialty grade and circumvent the duty.

xii. In case there were some "specialty grades" of PVC, the cost of production of such grades should have been different, but Epigral Limited has not filed any submission regarding different PCN for such grades.

xiii. As analysed from import data, Epigral Limited has imported regular grade of the product under consideration which has also been imported by other consumers in India

xiv. Since DCW Limited commenced production of C-PVC in the new plant, it is using its own S-PVC for making C-PVC. Further, the company used S-PVC produced by other producers to test suitability of different S-PVC for making C-PVC. It is not regularly importing any foreign producer's material for manufacturing of C-PVC. DCW plans to use its own S-PVC for production of C-PVC.

xv. Epigral started producing in 2022 but made no significant efforts to develop a domestic source. It bought domestically produced subject goods from the market and not directly from the producers and did not give any feedback to the domestic producer in order to develop the grade.

xvi. Epigral is non-cooperative in the present investigation as it has not filed an importers' questionnaire response and economic interest questionnaire response.

xvii. BIS is the competent authority to give specifications of the product and input material. Any demand beyond the BIS should be considered as a choice and not technical requirement.

xviii. While DCW has BIS license to manufacture C-PVC, Epigral does not have a license to do so. Thus, the contention that use of subject goods supplied by domestic industry leads to production of C-PVC not as per specifications stated in the BIS is not correct.

xix. Epigral does not have a technology provider and hence, struggling with different PVC grades. Epigral has not substantiated any claims technically or produced any recommendations from technology supplier.

xx. Epigral simply stated that specialty grades should be excluded in its initial submissions without providing a justification or specification of such specialty grades.

xxi. Porosity of the product does not play a significant role in chlorination to C-PVC. The major factors which play a role in manufacturing of C-PVC include surface reaction nature, homogeneous chlorination and controlling factors.

xxii. The Indian industry produces a number of grades with porosity even higher than the imported grade.

xxiii. S65C has a bulk density (Apparent density) and porosity (plasticizer absorption) almost identical to the values of DCW resin as per reports of third-party independent laboratory accredited by BIS.

xxiv. There are no differences between the product supplied by DCW Limited and those imported from Formosa.

xxv. Epigral has not provided the source of data given for comparison of Formosa grade and DCW grade.

xxvi. Epigral has made comparison to only one grade of one manufacturer in India. There are multiple grades produced by producers in India and there are five producers of the subject goods in India.

xxvii. While Epigral has stated that it has imported various grades in India and some of the grades have failed, it has not provided any reason for such failure.

xxviii. Since subject goods are produced in batch process, it is not possible to have same specification for each batch. For this reason, the technical data sheets of the producers are given in range.

xxix. Apparent bulk density is not related to high productivity and output for C-PVC end users. The main parameters include extrusion technology, fusion and processing parameters.

xxx. There is no material difference between the grades supplied by the domestic industry and those offered by the imports in terms of bulk density and porosity. The domestic industry manufactures like article to the grades being imported for production of C-PVC.

xxxi. As against the submissions of Epigral Limited, higher mean particle size is an advantage and not a drawback.

xxxii. There is no correlation between gelation speed of PVC suspension resin and chlorination. Subject goods manufactured by DCW shows earlier and better fusion (higher area under the curve) compared to the so-called specialised resin.

xxxiii. There is no conclusive evidence showing resin of what internal morphology alone will work for making C-PVC resin and whether no grade made in India has adequate morphology.

xxxiv. DCW Limited has also used PVC suspension resins manufactured by other producers in order to produce C-PVC.

xxxv. Even after imposition of anti-dumping duty, Epigral Limited is free to import the subject goods at fair prices.

xxxvi. The BIS standard for C-PVC states raw material for manufacturing C-PVC is PVC suspension resins with specification as per BIS standard 17658:2021. All domestic producers of subject goods hold BIS licenses for manufacturing PVC suspension resins.

xxxvii. As opposed to the submissions made by Epigral Limited, the investor's call referred to the time when DCW was producing only in its first plant, where technology supplier approved usage of only MPVC. Hence, PVC suspension resins have not been used in that plant.

xxxviii. The new plant of DCW for manufacturing C-PVC was commenced in October 2023 wherein, it has used PVC suspension resins to manufacture C-PVC.

xxxix. There are no specialty grades of PVC suspension resins which is evident from the fact that none of the producers of the subject goods submitted that there is a need for exclusion of specialty grade prior to issuance of PUC PCN notification.

xl. A number of C-PVC producers globally use the same grades of S-PVC for production of C-PVC and do not qualify such S-PVC as specialty grades.

xli. Hanwha Solutions is a producer of both PVC suspension resins and C-PVC and has consumed its own PVC suspension resins to produce C-PVC. It has submitted that there are no specialty grades of PVC suspension resins.

xlii. DCW purchased S-PVC from a number of traders during the period of investigation for testing the same in its C-PVC plant. At this time, the domestic industry was testing use of S-PVC for manufacturing C-PVC.

xliii. DCW Limited has used S-PVC manufactured by various suppliers for manufacturing C-PVC.

xliv. Reliance Industries Limited is also setting up a new plant for C-PVC and plans to use captively produced S-PVC.

xlv. IS 17988 related to C-PVC does not mention any specialty grade for manufacturing C-PVC but only mentions S-PVC. Further, even the investor call for Epigral Limited does not mention any specialty grade for C-PVC.

xlvi. All domestic producers of the subject goods hold BIS licenses for manufacturing PVC Suspension resins and adhere to the standards specified.

xlvii. BIS standards do not mention porosity or heat stability as one of the essential characteristics of PVC suspension resins.

xlviii. While DCW Limited holds BIS license to manufacture CPVC, Epigral Limited does not even hold a BIS license in this regard.

xlix. Epigral Limited produces only 2 grades of C-PVC, namely, MM67K and MM57K and has imported mass PVC as well as suspension PVC from various manufacturers. This establishes the interchangeability of different suspension resins for manufacturing C-PVC.

l. Since PVC suspension resins are manufactured in batches, no two batches have exact same specifications which is evident from the range specified in BIS as well as TDS. Thus, Epigral has used PVC of different specifications to manufacture CPVC.

li. SPVC supplied by the Indian industry has porosity and apparent viscosity both lower and higher than grades imported by Epigral.

lii. Epigral cannot claim its viability based on dumped prices of PVC. Since it uses Mass PVC as well which is higher priced, its viability will not be impacted due to fair prices of PVC suspension resins.

liii. Epigral has not shown that it has approached domestic producers of the product and tested their product for manufacturing CPVC and hence, found that the grades manufactured by the domestic industry are not appropriate for manufacturing CPVC.

liv. The product manufactured by the domestic industry is commercially and technically substitutable and is being used by the consumers interchangeably. Thus, product produced by the domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.

lv. A product type can be excluded only if it is imported into India and a like article is not offered by the domestic industry. No exclusion is warranted for the product types not imported into India.

lvi. The product manufactured by the domestic industry is commercially and technically substitutable and is being used by the consumers interchangeably. Thus, product produced by the domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.

lvii. The Authority has dealt with the issues regarding product under consideration at the stage of PUC PCN notification and preliminary findings. The scope of product under consideration finalised at the time of issuance of preliminary findings may be confirmed.

lviii. Submissions made by Epigral are devoid of merit which is evident from the fact that the said producer filed submissions along with specifications, 155 days post issuance of PUC PCN notification.

lix. Since S-PVC is produced in batch process, it is not possible to have the same specifications for each batch. Even the technical data sheets provided by the Indian industry and foreign producers have specification in range.

lx. DCW Limited produces only 2 grades of S-PVC which have been sold in the merchant market as well as used captively for production of C-PVC.

lxi. The domestic industry has provided evidence of commercial substitutability of its product with imported grades for manufacturing C-PVC. This itself establishes technical substitutability.

lxii. As noted in the preliminary findings, DCW Limited has used several grades including its own and Chemplast's grade to manufacture C-PVC. DCW has recently used Reliance's grade as well and successfully manufactured C-PVC.

lxiii. The imports by DCW Limited are due to commercial consideration and not technical considerations. Imports made by DCW Limited post period of investigation does not cause any prejudice to interest of any interested parties as it will also have to pay anti-dumping duty on such imports.

lxiv. There is no requirement for high porosity or bulk density to produce C-PVC as per the applicable BIS standard. DCW Limited uses its own grade to produce C-PVC.

lxv. As opposed to the submissions by Epigral Limited, the Authority has already concluded in the addendum findings that the domestic industry has offered like article and there is no need for exclusion of any grade from the scope of the product under consideration.

lxvi. While the domestic industry has established that it has interchangeably manufactured C-PVC using its own S-PVC and imported S-PVC, Epigral has failed to establish that the grade manufactured by the domestic industry cannot be used to manufacture C-PVC.

lxvii. Contrary to the submissions by Epigral, it has not demonstrated that it has provided feedback to the domestic manufacturer of S-PVC regarding usage of its grade. The ill intent of Epigral is evident from the fact that it purchased the domestically manufactured S-PVC from traders and not the manufacturer.

lxviii. While Epigral has contended that it was unable to use DCW's grade, DCW has contended that it used the same grade to produce C-PVC. Thus, the issue faced by Epigral is due to lack of technical capability due to its decision to not buy production technology and rely on internal expertise.

lxix. Contrary to the submissions by Epigral, the Authority has not concluded that DCW's grade is under R&D.

lxx. Epigral has filed belated submissions with regard to the opinion from SICART. SICART does not have testing facility and thus, the opinion given cannot be classified as a technical report. Epigral has provided fabricated evidence in this regard.

lxxi. As opposed to the submissions by Thai Plastics and Chemical Plc, the specification sheet of its product states that the grades can be used for general purposes. Majority of volumes of imports of such grades is by traders not involved in production of C-PVC.

lxxii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the order issued by the High Court has been stayed by the Supreme Court.

lxxiii. DCW has already started production in its new plant since June 2023 and has used its own grades to manufacture C-PVC.

lxxiv. M-PVC and S-PVC are different products and hence, M-PVC cannot be included in the scope of the product under consideration.

lxxv. As opposed to the submissions by the other interested parties, Emulsion polymerization, mass polymerization, and micro-suspension polymerization are

different production processes resulting in different products. There have been multiple investigations on S-PVC wherein PVC manufactured through such processes have been excluded by the Authority. Even BIS treats these as different products.

lxxvi. Ultra-high and ultra-low K value product has been excluded from the scope of the product under consideration as the like article for the same was not being produced by the domestic industry.

lxxvii. As opposed to the contentions of Wanhua Group, the producers of C-PVC in India have themselves not claimed that the grade produced by such producer is a so-called specialty grade. No specification sheet has been provided by the producer to demonstrate that such grade has different specifications.

lxxviii. The domestic industry has regularly supplied K-57 as well as K70-75 in the domestic market. The other interested parties have not highlighted the specification requirements of these grades. All producers in India produce as per the BIS standard and hence, no exclusion is warranted in this regard.

lxxix. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry has maintained its stand and has provided evidence that it has produced and supplied subject goods with K-Value between 57 and 75.5 with tolerance of +/- 1 in the merchant market. The other interested parties have failed to provide characteristics of the product different from K-57 produced by the domestic industry and K-57 used for other purposes.

lxxx. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is nothing in law that permits examination of revenue loss in case of exclusion of grades.

lxxxi. As opposed to the submissions by the other interested parties, the domestic industry has provided invoices showing sales of K-57. Since such invoices are business sensitive in nature, these cannot be shared with the other interested parties. The other interested parties have also not disclosed their invoices.

lxxxii. While AGC Pharmapack has stated that it has raised product exclusion request in the user questionnaire response, the domestic industry has not received a non-confidential copy of the same. The Authority may treat such user as non-cooperative.

C.3. Examination by the Authority

6. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the product under consideration as "Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade)" also known as PVC Suspension Resin or S-PVC. This type of resin has various polymer chains that are not linked to each other. The product under consideration has also been referred to as "Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin", "Suspension Grade" or "PVC Suspension Resin"

7. The Authority conducted a meeting dated 30th April 2024 regarding scope of the product under consideration and PCN. Post receiving comments from all the interested parties, and after examining them, the scope of the product under consideration was modified

vide notification dated 13th May 2024 to exclude certain product types. The Authority has considered the product under consideration as following for the purpose of the present investigation.

"Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-value above 55 and upto 77."

8. The product under consideration in the present investigation excludes the following
   a. Ultra-Low K-Value PVC Suspension Resins (K-value upto 55)
   b. Ultra-High K-Value PVC Suspension Resins (K-value above 77)
   c. Cross-linked PVC
   d. Chlorinated PVC (CPVC),
   e. Vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAC),
   f. PVC paste resin/emulsion resins
   g. Mass Polymerisation PVC
   h. Polyvinyl Chloride Blending Resins.

   Further, PVC resins manufactured through emulsion polymerisation, PVC resins manufactured through bulk mass polymerization, and PVC resins manufactured through micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration.

9. S-PVC is produced using suspension polymerization technology. In order to produce the subject goods, Vinyl Chloride Monomer ("VCM") is converted into Vinyl Polymer through polymerization process. VCM is either produced using ethylene dichloride ("EDC") or by using Calcium Carbide ("Carbide"). S-PVC produced vide ethylene route as well as carbide route is included within the scope of the product under consideration.

10. During the investigation, that a number of interested parties have filed comments on requirements of PCN in the present investigation. Most of the interested parties have submitted that there is no requirement of PCN in the present investigation. It was noted that there have been a number of investigations into imports of the product under consideration from various countries in the past. Therefore, the Authority did not adopt any PCN in any of the past investigations.

11. The interested parties, which requested for adoption of a PCN methodology, based the same on K-Value and the production process. However, the foreign producers did not provide any information to show that there is a substantial difference in the costs of the products produced having different K-values. As per the data available on record, the cost and price of the product does not vary significantly between different K-Values. Further, the prices of the product under consideration do not vary based on the production process as the final product manufactured using both the routes is the same and is used

by the users interchangeably. Accordingly, it was not considered necessary to adopt a PCN in the present investigation.

12. Interested parties have also sought exclusion of certain grades produced by certain foreign producers, on the basis that the domestic industry has not produced the same. Such requests for exclusion have been examined by the Authority, based on whether such grades were exported to India, and whether the domestic industry has not supplied a like article to the same.

13. The interested parties have sought exclusion of PVC resin with certain K-value. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it produces PVC Suspension Resins with K-value 57 and 75.5. The Authority has excluded ultra-low and ultra-high k-value which has not been manufactured by the domestic industry. The grades specified by the other interested parties with ultra-low K value and ultra-high K value have been automatically excluded with the said exclusions. With regard to the grades which fall within the range of K-value included in the product under consideration, the Authority notes that the like article for such grade has been supplied by the domestic industry and hence, there is no need for exclusion of such product from the scope of the product under consideration.

14. Some of the other interested parties have submitted that the Authority had neither noted their submissions nor excluded the specific grades identified by them from the scope of the product under consideration. The Authority notes that the submissions have already been recorded in the preliminary findings and a detailed examination has been made. Further, while the Authority in its examination has not mentioned the names of the exporters, the exclusion requested was of grades with K-Value between 55 and 77. Since the domestic industry had supplied like article to such grades, the same have not been excluded.

15. With regard to exclusion of off-grade PVC, the Authority notes that off-grade product cannot be excluded from the scope of the product under consideration. Off-grade product is not produced specifically by any manufacturer but is a result of the normal production process of any article. Merely because a product has been sold as off-grade product, the same does not imply that it does not constitute product under consideration. It is also noted in this regard that the Authority has consistently held that the mere difference in quality is immaterial to decide the scope of the product under consideration. Further, exclusion of off-grade PVC is likely to lead to circumvention of anti-dumping duty. The interested parties have not provided any evidence to demonstrate that these lower quality grades are not competing with the like article manufactured by the domestic industry.

16. A number of interested parties have submitted that S-PVC used for manufacturing of C-PVC are not produced by the domestic industry and should be excluded from the scope of the product under consideration. The Authority notes that there are only two producers of C-PVC in India, namely, DCW Limited and Epigral Limited. DCW Limited is also

the applicant in the present investigation. As per the information submitted on record and as per the plant verification conducted by the Authority, DCW Limited has used S-PVC manufactured by it, and also from other domestic producers in India as well as foreign producers in order to produce C-PVC.

17. In particular, Epigral Limited sought exclusion of specific grades such as S65C supplied by Formosa Plastics Corporation, on the basis that it is technically distinct from the grade supplied by DCW. However, it is noted that no evidence has been provided with regard to the source of such information. On the contrary, the domestic industry has provided lab reports of NABL/ISO Accredited Laboratory. As per the tests conducted in accordance with the BIS standards, by the said laboratory, the grade supplied by DCW Limited is comparable in terms of bulk density and porosity.

Particulars	Grade name	Bulk Density	Plasticizer Absorption (Porosity)
DCW Limited	PRO65	0.53	21%
DCW Limited	PRO57	0.51	15.45%
Formosa Plastics Corporation	S65C	0.53	21.8%
Thai Polyethylene	SF58S	0.50	16%
Thai Polyethylene	S66J	0.51	19.7%

18. The domestic industry has also provided specification sheets of product supplied by Reliance Industries Limited. Epigral has, however, contended that reliance should not be placed on grades supplied by Reliance Industries Limited as it is not a part of domestic industry. The Authority notes that the argument of Epigral was that the alleged specialty product is not produced in India, which is not the case. Further, Epigral has itself stated that it purchased grade manufactured by Reliance Industries Limited. In any case, the Authority has hereinabove compared the grades produced by DCW Limited and those imported into India. The grades produced by DCW Limited, which is a part of the domestic industry, have comparable characteristics with regard to bulk density and plasticizer absorption to those alleged as specialty grades.

19. The Authority notes that DCW Limited produces only two grades of S-PVC which are sold in the merchant market as well as used captively to produce C-PVC. Further, the Authority notes that DCW Limited has two plants for production of C-PVC. In the old plant, DCW Limited produces the subject goods using dry process wherein it uses M-PVC as the raw material. The new plant commissioned by DCW Limited is based on wet process, wherein the applicant produces C-PVC using both S-PVC and M-PVC.

20. Epigral has placed reliance on investor's call of DCW, wherein it has stated that special quality of PVC is required to manufacture C-PVC. In response, the domestic industry has clarified that the investors call refers to the first plant of C-PVC by DCW wherein it was

using only mass PVC resins to produce C-PVC. The domestic industry has submitted that use of mass PVC resins in that plant is governed by the technical considerations and guarantees laid down by the technology supplier. Accordingly, it was unable to use PVC Suspension Resins to produce C-PVC in that plant.

21. Further, in this regard, the Authority notes the following as per the press release of DCW Limited:

> *"DCW Limited's competitive edge lies in its ability to use its own S-PVC (Suspension PVC) as a raw material when market conditions are favourable. This capability guarantees a consistent quality and supply of inputs for CPVC production, further strengthening the company's position in the market."*

22. As regard the contention that there was no captive consumption reported by the domestic industry in the petition, the Authority notes that the domestic industry had reported captive consumption for both DCM Shriram Limited and DCW Limited in the updated data filed on 28th May 2025.

Particulars*	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Chemplast Cuddalore Vinyls Limited	MT	0	0	0	0
DCM Shriram Limited	MT	***	***	***	***
DCW Limited	MT	0	0	***	***
Total for domestic industry	MT	***	***	***	***
Total for domestic industry (provided in NCV)	MT	100	119	138	161

**Figures for captive consumption as filed by the domestic industry.*

23. Epigral Limited has submitted that the product supplied by DCW has higher mean particle size as compared to product supplied by Formosa. The Authority notes that the Formosa Plastics Limited has submitted that the mean particle size of the product offered it is bigger than mean particle size of the grade produced by Indian industry. Thus, the Authority notes that contradictory submissions have been made by Epigral Limited and Formosa Plastics Corporation in this regard.

24. Thai Plastics and Chemicals Plc and Thai Polyethylene Co. Ltd. have stated that grades SG66J and SF58S are exclusively used for conversion into C-PVC. On the contrary, the Authority notes that as per the specification sheets of such grades, the grades can also be used for general purposes. The technical data sheet for grade SF58S and SG66J as enclosed by Epigral Limited states that these grades can be used for general purpose to special products regarding customer's satisfactions.

"SCGC PVC SF58S is polyvinyl chloride homopolymer having low molecular weight with high porosity. SF58S is white and free- flowing resins produced by suspension polymerization process. The resin is recommended to use for chlorinated poly vinyl chloride process to produce chlorinated poly vinyl chloride (CPVC). Applications are ranging from general purpose to special products regarding customer's satisfactions."

"SCGC PVC SG66J is polyvinyl chloride homopolymer having medium molecular weight, SG66J is white and free-flowing resins produced by suspension polymerization process. The resin can easily blend with variety of additives to achieve desired qualities needed in many applications. Applications are ranging from general purpose to special products regarding customer's satisfactions."

25. The other interested parties have identified several specialty grades for manufacturing of C-PVC. The Authority notes that there are no specialty grades of S-PVC used for manufacturing of C-PVC. This is evident from the fact that the grades identified by the other interested parties are majorly imported by importers, which are not involved in production of C-PVC. With regard to Grades SG66J and SF85S, 92% imports are by importers not involved in C-PVC production and only 8% has been imported for C-PVC production during the period of investigation. This clearly demonstrates that the so-called specialty grades, claimed to be fit for C-PVC use only, have been used interchangeably in significant quantities for other applications.

SN	Importer	Quantity in MT for SG66J and SF85S	Share
1	Epigral Limited	***	1%
2	MK Industries	***	7%
3	Others	***	92%
4	Total	***	100%

26. During the plant verification, it was witnessed that DCW Limited was using its own S-PVC grade PRO65 for manufacturing of C-PVC. A thorough investigation and complete production process was witnessed. Further, the Authority also collected and verified relevant information with regard to use of S-PVC manufactured by different producers including DCW Limited which has been used for manufacturing C-PVC. The Authority notes that DCW Limited has used substantial quantities of captively produced S-PVC for production of C-PVC.

SN	Grade Name	Producer Name	Quantities Consumed (MT)		
			POI	2023-24	Apr'24-Jan'25
1	PVC resin (suspension grade)-065	DCW Limited	***	***	***
2	PVC resin (bottle grade)-057	DCW Limited	***	***	***

3	PVC resin suspension grade-LS 100 H	LG Chem Limited	***	-	-
4	Suspension polyvinyl chloride, grade FS-6701	Finolex Industries Limited	***	-	-
5	PVC suspension resin, grade SG-660	Thai Plastics and Chemicals Limited	***	-	-
6	Suspension PVC Resin K6701	Chemplast Sanmar Limited	-	***	***
7	Formosa B57	Formosa Plastics	***	***	-
8	PVC Westlake 1091	Westlake Chemical Corporation	***	***	-
9	PVC Westlake 1230P	Westlake Chemical Corporation	***	***	***
10	PVC Resin P225	Oxyvinyl	***	***	***
11	PVC Resin P1000 SB	Hanwha Solutions	***	***	***
12	PVC Resin SG66J	Thai Plastics And Chemicals	***	***	***
13	PVC Resin SF58S	Thai Plastics And Chemicals	***	***	***
14	PVC Suspension Resin Grade FJ-65R	Asahimas Chemicals	***	***	-
15	PVC Resin Fitting Grade 8010	Kemone	-	***	-
16	Suspension PVC Resin S65C	Formosa Plastics	-	-	***
17	PVC Resin Fitting Grade P 700	Hanwha Solutions	-	***	-
18	REON PVC Suspension Resin K 67	Reliance Industries Limited	-	-	***
	Total	-	***	***	***
	Share of captive consumption	-	19%	15%	53%

27. Since DCW has used domestically produced grades of S-PVC as well as imported grades of S-PVC for production of C-PVC, the Authority notes that DCW Limited has used the domestic grade and imported grade interchangeably. Thus, the Authority notes that the product under consideration imported from the subject countries is commercially and technically substitutable with the product produced by the domestic industry. Thus, the Authority proposes to hold that there is no need for exclusion of any such grade from the scope of the product under consideration.

28. The Authority notes that the Bureau of Indian Standards has issued "IS 17988:2022" related to C-PVC. The relevant extract of the said standard is as below.

"5.1 Basic Resin: CPVC resin is manufactured by chlorination of PVC Homopolymer confirming to IS 17658"

The Authority notes that the standard does not refer to any specialty grade of S-PVC for manufacturing C-PVC.

29. With regard to the quality of C-PVC produced using domestically produced S-PVC, the Authority notes that difference of quality cannot be accepted as the basis for disputing the likeness or interchangeability of the product. Nevertheless, it has been observed that all domestic producers in India produce S-PVC in accordance with BIS standards and all domestic producers hold BIS licenses for production of S-PVC. Further, only DCW Limited holds BIS license for production of C-PVC. Since DCW Limited is producing S-PVC and C-PVC as per the BIS standards, there is no doubt on the quality of the S-PVC produced by the domestic industry.

30. The other interested parties have submitted that C-PVC is used for production of pipes which are used for potable hot water applications and hence, there is a need for exclusion of special grades of S-PVC. The Authority has already noted that the domestic industry offers like article to the subject goods used for production of C-PVC. Further, all domestic producers hold BIS licenses under 17658 of 2021 which states that the product can be used in contact with foodstuff, pharmaceuticals and drinking water. Hence, there is no need for exclusion of any grade.

31. With regard to the submissions made for inclusion of PVC manufactured using Mass Polymerisation process, emulsion polymerization process and micro-suspension polymerization process, the Authority notes that in an anti-dumping investigation, the starting point is defining the product under consideration, which is the product being dumped in the country. In the present investigation, the defined product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer produced using suspension process. Based on the defined product under consideration, like article is determined as per Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

> *"(d) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."*

Thus, the scope of the product under consideration is defined to include products which are being dumped into the country, causing injury to the domestic industry engaged in production of like article thereof. The domestic industry has submitted that PVC manufactured using Mass Polymerisation process, emulsion polymerization process and micro-suspension polymerization process in the scope are not like products. There is no application by the domestic industry before the Authority that these are being dumped in India and causing injury. Therefore, the Authority is unable to accept the contention of the other interested parties to include PVC manufactured using Mass Polymerisation process, emulsion polymerization process and micro-suspension polymerization process in the scope.

32. With regard to the submissions made regarding exclusion of ultra-low and ultra-high K-Value PVC, the Authority notes that the same was excluded as the domestic industry admitted that did not offer a like article to the said grades. However, in case of S-PVC used for manufacturing of C-PVC, the Authority notes that the domestically produced product can be used interchangeably for production of C-PVC. Thus, the Authority proposes to conclude that the domestic industry has offered a like article to such grades and that there is no need for exclusion of such grades from the scope of the product under consideration.

33. The other interested parties have submitted that as per Section 9A(1), any article not included in the scope of product under consideration cannot be considered for imposition of anti-dumping duty. The Authority notes that products, which have not been covered within the definition of the product under consideration in the present investigation are not being considered for the present investigation. However, the Authority notes S-PVC used for manufacturing of C-PVC is covered within the definition of the product under consideration in the present investigation.

34. With regard to the test report submitted by Epigral, the Authority notes that the domestic industry has submitted communication with SICART wherein, SICART has stated that only bulk density evaluation is possible at their testing facility. In any case, the Authority has based its decision on the fact that the DCW Limited has used the domestically produced S-PVC (both captive and produced by other domestic producers) as well as imported S-PVC interchangeably for production of C-PVC. Thus, the Authority holds that the product produced by the domestic industry is technically and commercially substitutable with the product imported from the subject countries.

35. With regard to the report provided by Epigral Limited to substantiate that S-PVC produced by domestic industry is not appropriate for C-PVC requirement, the Authority is unable to appreciate the same in light of the fact of actual use for that purpose demonstrated by the domestic industry. The Authority notes that since the domestic industry is actually manufacturing C-PVC using domestically produced S-PVC, it is evident that the domestic industry is producing like article to the grades imported from the subject countries.

36. After examination of submissions made by all the interested parties and perusing the material placed on record, the Authority proposes to conclude that there is a no specific, clearly identifiable category of PVC suspension resin which is unique for manufacturing of C-PVC resin. PVC suspension resins claimed as special by Epigral Limited for manufacture of C-PVC resin can be used for other applications and there are other PVC resins which have been used for manufacture of the C-PVC resin. In view of this, the two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules. Hence,

the Authority proposes to hold that the grades claimed by Epigral Limited do not warrant exclusion from the scope of the product under consideration.

37. With regard to the submissions that grades used for production of C-PVC should be excluded as per the judgement of the Hon'ble High Court of Gujarat, the Authority notes that the order issued by the High Court has been stayed by the Hon'ble Supreme Court of India. In such a case, the operation of the directive of the High Court has been temporarily suspended, till such time as the Supreme Court hears and further decides on the matter.

38. With regard to the submissions that the domestic industry does not produce K-57, K-60 and K-70 – K-77, the Authority notes that as per the evidence on record, the domestic industry has produced and sold the said product in the merchant market. Hence, there is no need for exclusion of the same.

39. With regard to the communication provided by Caprihans regarding availability of K-57 in India, the Authority notes that such communication has been provided in the rejoinder submissions on confidential basis. The Authority notes that the evidence on record shows that DCW Limited has produced K-57 using ethylene-based production route and the same has been sold in commercial quantities in the domestic market during the period of investigation. Caprihans has not provided any other specifications that are required for the pharmaceutical use of the product and has not even specified how the product produced by DCW Limited is not commercially and technically substitutable by the product imported from the subject countries.

40. As regard the submissions that K-57 produced by DCM Shriram is not suitable for pharmaceutical applications due to the calcium carbide technology used, the Authority notes that there is no evidence on record that the quality of the product changes by use of different technology. In any case, as per the evidence available on record, K-57 has been produced by DCW Limited using ethylene route of production. Thus, the submission that K-57 is manufactured using calcium carbide route in India is factually incorrect. Further, DCW Limited has sold substantial quantity of K-57 during the period of investigation. Thus, the Authority notes that there are no quality issues in the subject goods produced by the domestic industry.

SN	Particulars	Quantity (MT)
1.	Sales of K-57 by DCW in POI	***
2.	Total sales by DCW in POI	***
3.	Share of sales of K-57	38%

41. The other interested parties have submitted that since the domestic industry is not manufacturing K-57, there will be no revenue loss to the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has produced K-57 during the injury period.

Further, grade K-57 is used for multiple applications other than pharmaceutical purposes. Grade K-57 imported from the subject countries is commercially and technically substitutable by the grade produced by the domestic industry. Therefore, the Authority does not find any ground for exclusion on this account.

42. With regard to the submissions that the evidence and verification carried out for production and sales of K-57 by the domestic industry should be shared with the other interested parties, the Authority notes that such information is business sensitive in nature. Disclosure of such information will adversely impact the interest of the domestic producers of the subject goods.

43. In view of the foregoing, the Authority proposes to conclude the following scope of product under consideration.

"Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-value above 55 and upto 77.

The product under consideration in the present investigation excludes the following
i. Ultra-Low K-Value PVC Suspension Resins (K-value upto 55)
ii. Ultra-High K-Value PVC Suspension Resins (K-value above 77)
iii. Cross-linked PVC
iv. Chlorinated PVC (CPVC),
v. Vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAC),
vi. PVC paste resin/emulsion resins
vii. Mass Polymerisation PVC
viii. Polyvinyl Chloride Blending Resins.

Further, PVC resins manufactured through emulsion polymerisation, PVC resins manufactured through bulk mass polymerization, and PVC resins manufactured through micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration."

44. The subject goods are classified under Chapter 39 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the Customs classification 3904 10 20. However, the product under consideration is also being imported under HS Codes 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 and 3904 21 10. Accordingly, the applicants have requested that the HS code at 4-digit level, that is, 3904 may be considered for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

45. Further, the Authority proposes to conclude that the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are

comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. The product produced by the domestic industry and imported into India from the subject country is technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry has been considered as like article to the product imported into India, in accordance with Rule 2(d) of the Rules.

46. The present final findings are being issued in view of statutory timelines for completion of the present investigation. The proposed decision shall be subject to outcome of decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of other interested parties

47. The submissions of the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

i. The Authority must direct all domestic producers to clarify as to whether they are supporting the petition or not and to submit information regarding injury parameters.

ii. DCW has purchased imported product from traders, implying it has indirectly imported the subject goods. Eligibility of DCW should be re-examined.

iii. The applicants have not disclosed the imports made during the period of investigation. The Authority has not checked the adequacy and accuracy of the information filed by the domestic industry.

iv. The applicants have started importing specialty grades directly post period of investigation which were being imported in the period of investigation through connected entities. This is circumvention of the Anti-Dumping Rules.

v. The share in production of participating domestic industry is 34%, while non-participating producers account for 66% of total production. Since the industry is not fragmented and there has already been a duty for almost 14 years, only a share of more than 50% should be considered as major proportion.

vi. Exclusion of Reliance and Finolex from domestic industry is unjustified since their imports are insignificant in relation to the subject imports, demand and production and such producers are not related to an exporter or importer of the subject goods.

vii. While Reliance was an applicant in the earlier investigations, Finolex is a supporter in the ongoing PVC Paste investigation. Their ineligibility in the present investigation cannot be presumed.

viii. While RIL has a dual role in the Indian market, that is producer of the product as well as importer of the product for distributing through its network, it has not participated in the present investigation. Due to this the Authority does not have a

complete and accurate understanding of market conditions, pricing behaviour, and the competitive landscape in India.

ix. The Authority has previously, in a number of cases considered those producers which imported subject goods as eligible to constitute domestic industry.

x. The Authority should examine (i) Volume of imports by domestic producers in absolute terms and as % of total imports, (ii) essential business nature of company whether it is producer or importer, (iii) reason for imports and (iii) impact of imports on injury to domestic industry before deciding ineligibility of Reliance and Finolex.

xi. Reliance and Finolex are the two largest manufacturers of the subject goods and thus, they must submit their information for the present injury analysis, as done in the cases of Plain MDF Board and PVC Suspension Grade.

xii. Reliance and Finolex have a well-established history of pursuing trade remedial measures whenever they perceive injury and thus, their absence in the present cases raises concerns regarding the alleged injury.

xiii. Details of imports by Reliance and Finolex provided previously have not been considered. The observation made in the disclosure that the no new facts have been placed on record is misplaced. Further, while the Authority has held that the imports by RIL and Finolex have been examined, the detailed assessment of imports and the basis of the same, has not been disclosed.

xiv. While the Authority has considered DCW eligible in spite of imports made by it, RIL and Finolex have been considered ineligible on account of their imports. The Authority has taken contradictory stand as the activities of DCW and RIL / Finolex are similar. While the Authority has noted that DCW Limited has imported for commercial consideration and not technical consideration, RIL and Finolex have also imported for commercial consideration.

xv. In the anti-dumping investigation into imports of seamless pipes and tubes, the Authority terminated the investigation due to failure of major producer to furnish information.

xvi. Since this is the fourth application by the same set of producers, it is incumbent upon the Authority to fully analyze the situation of Reliance and Finolex before recommending anti-dumping duty.

xvii. It should be examined whether related parties of the applicants, which are involved in production of downstream goods, have imported the product under consideration from subject countries.

D.2. <u>Views of the domestic industry</u>

48. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

i. The application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited.

ii. There are two other domestic producers in India, namely, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. The other domestic producers have

imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. Thus, such producers should be considered ineligible for constituting the domestic industry in the present investigation.

iii. The applicants do not have information with regard to imports by other producers. The Authority may check the imports made by Finolex and RIL.

iv. Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited produce the subject goods using the EDC Route, while DCM Shriram Limited produces the subject goods using the carbide route.

v. The applicants have not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.

vi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the applicants do not have related parties which may have importer.

vii. DCW has not imported the dumped article during the period of investigation, and has only purchased S-PVC from traders in the domestic market. DCW did not file the bills of entry for such goods, and they were not imported under instructions of the applicant. Therefore, it is not an "importer" within the provisions of Rule 2(b).

viii. Contrary to the submissions of the other interested parties, it is necessary to examine the purpose of imports by RIL/Finolex and procurement by DCW Limited. While DCW Limited has purchased the product under consideration in order to manufacture downstream product, RIL and Finolex have imported the product, for trading in India.

ix. As opposed to the submissions by other interested parties, the Authority terminated the investigation into imports of seamless pipes and tubes as the data filed in the support letter by MSL Limited did not show any injury. However, there is no information on record which shows that Reliance and Finolex are not suffering injury.

x. The allegation that the fact of procurement of S-PVC was suppressed by DCW is not appropriate, as such information was not sought by the Authority under any prescribed format or otherwise.

xi. The allegation that MK Industries is an exclusive trader for DCW Limited is not correct, as DCW has purchased only [***%] of the volume imported by the former, while the rest has been sold to other customers.

xii. Since DCW has consumed the S-PVC imported captively for production of CPVC, it has not contributed to or shielded itself from the dumping. The same was also acknowledged by Epigral in its submissions.

xiii. The volume procured by DCW from traders was negligible in relation to production, consumption and imports into India.

xiv. As opposed to the submissions of the other interested parties, it is essential to note the purpose of imports made by the domestic producers. RIL and Finolex have imported the product to benefit from dumping in the present case.

xv. The refusal to participate in the present investigation by RIL and Finolex shows a vested interest to continue to import dumped articles.

xvi. In case, the other domestic producers are considered ineligible, the applicants account for 100% production of like article in India.

xvii. In case, the other domestic producers are not considered ineligible, the applicants still account for a major proportion of domestic production in India and thus, satisfy the requirement as per Rule 2(b) and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

xviii. The Authority in a number of previous investigations have considered 30% share in production as major proportion. Even in the previous sunset review, the current applicants were considered to constitute domestic industry. The Tribunal in Lubrizol India Private Limited Vs. Designated Authority held that major proportion is not a mathematical calculation but denotes a share which is important and significant in the total Indian production.

xix. The fact that other domestic producers were applicants or supporters in previous investigation or investigation for some other product is irrelevant for the present investigation.

xx. Contrary to the submissions of the other interested parties, the period for which the duties have been in force does not have any relevant to constitution of domestic industry.

D.3. <u>Examination by the Authority</u>

49. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

50. Chemplast Cuddalore Private Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited have filed the application for initiation of the present anti-dumping investigation. The applicants have submitted that there are two other producers of the subject goods in India, that is Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited.

51. The applicants have submitted that the other domestic producers have imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. The Authority notes that the other domestic producers have not made any submissions in this regard. Accordingly, the Authority has relied upon the data received from DG Systems and the submissions made by the applicants. Since Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are involved in importing the product under consideration, the Authority proposes to consider them ineligible for the purpose of determining standing. It is noted that the imports by Finolex are [***]% of their

production, and imports by Reliance Industries are equivalent to [***]% of their production.

52. Further, even if Reliance Industries Limited and Finolex Industries Limited are considered eligible to constitute domestic industry, the applicants constitute a major proportion of total Indian production. Thus, the applicants would continue to constitute domestic industry, even if Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are considered eligible.

53. With regard to the submissions that DCW Limited has indirectly imported the product under consideration in India and thus, cannot be considered eligible to constitute domestic industry, the Authority notes that the applicant has submitted that it has purchased S-PVC from traders in the domestic market. The applicant has also submitted that such product has been used for testing purposes in C-PVC plant and there are no direct imports during the period of investigation. The Authority notes that the applicant has purchased the product under consideration from the domestic market and has not imported the same. Even if such purchases are considered as imports, the information on record shows that such purchases are negligible when compared with the total demand in India, total production in India as well as total imports into India.

Particulars	Unit	Quantity
Total purchase of S-PVC from traders	MT	***
Total demand in India	MT	37,14,880
Purchase in relation to demand	%	Less than 0.1%
Total production in India	MT	14,21,344
Purchase in relation to production	%	Less than 0.1%
Total imports into India	MT	24,92,603
Purchase in relation to imports	%	Less than 0.1%

54. Some of the parties have submitted that DCW Limited has imported via MK Industries under exclusive agreement. However, as per the information on record, the Authority notes that DCW Limited has purchased only [***]% of the total imports made by MK Industries. The total S-PVC purchased domestically by DCW is to the tune of [***] MT during the period of investigation, of which [***] MT was purchased from MK Industries. Thus, there can be no exclusive agreement between DCW Limited and MK Industries.

Particulars	Unit	Total	Sold to DCW	Sold to others
Imports by MK Industries in POI	MT	***	***	***
	%	100%	9%	91%

55. The other interested parties have submitted that the other interested parties have provided import details of RIL and Finolex and the said producers should be considered as domestic industry. Further, the other interested parties have also submitted that while DCW Limited has been considered eligible despite imports, RIL and Finolex have been considered ineligible. The Authority in this regard notes that DCW Limited has procured the subject goods from traders in the domestic market and have not imported the product. Further, it is essential to examine the nature and purpose of imports by DCW Limited and RIL and Finolex. While DCW has procured the subject goods for manufacturing of downstream product, it has not engaged in trading of the product in the domestic market. Compared to this, RIL and Finolex have traded the product under consideration and shielded themselves / contributed to dumping in India. Further, the two domestic producers have preferred not to cooperate with the Authority.

56. The Authority further notes that the volume of subject goods procured by DCW Limited is miniscule. Thus, while DCW has been considered eligible to constitute domestic industry, after taking into account, procurement from domestic market, purpose of purchase of subject goods and the quantum of imports, the Authority proposes to consider RIL and Finolex ineligible.

57. In any case, as noted above, even if RIL and Finolex are considered, the applicants account for a major proportion of total production. With regard to submissions that the 50% should be considered as major proportion, the Authority notes that major proportion as per Rule 2(b) means important, serious or significant. Thus, major proportion cannot be considered a mathematical calculation. The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in the case of Lubrizol (India) Pvt. Ltd. vs. Designated Authority [2005 (187) E.L.T. 402 (Tri. - Del.)], held that, in order to constitute major proportion, it is not necessary to exceed 50%.

> "*15.1 We may note here that the words "major proportion of the total production" in Rule 2(b) defining the 'domestic industry' are also capable of being construed so as to mean significant proportion or important part of the total production which may not necessarily exceed 50%. The word "major", as per the Oxford Dictionary, means "important, serious or significant". The word "proportion", in the context, would mean share. Therefore, the expression "major proportion" would, in the context, of total production of domestic industry, mean significant or important share. Such an interpretation is clearly permissible and going by it, the share of the petitioner in the total domestic production, being more than 31%, was undoubtedly a significant or important share i.e. a major proportion thereof. The words "major proportion of total domestic production" cannot be viewed from the angle of solving a mathematical sum involving comparative measurements or size of different parts of a whole. The phrase is used in the context of the production output of domestic producers and admits of a broad interpretation so as to take in its sweep collective output that constitutes a significant or important share of the*

total domestic production of the article by the producers engaged in the manufacture or engaged in any activity connected with the manufacture of such article, as contemplated by Rule 2(b)…"

58. Further, it is a consistent practice of the Authority to consider major proportion as a significant proportion and not just producers accounting for more than 50% or more of total domestic production. Further, the Authority in the previous investigations on imports of the subject goods has considered the current applicants as domestic industry even when Reliance Industries Limited and Finolex Industries Limited have not participated.

59. With regard to the submissions regarding imports made by the related entities of applicants, the Authority notes that upon examination it has not found any evidence that related entities of the applicants have imported the product.

60. The Authority notes that the applicants have not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.

61. In view of the foregoing, the Authority proposes to conclude that the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of other interested parties

62. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the domestic industry:

i. The preliminary findings issued by Authority does not disclose actual figures of production, capacity, capacity utilisation, sales and market share of the domestic industry, even though the same was disclosed by the domestic industry. The Supreme Court has held that the Designated Authority cannot itself claim any information as confidential.

ii. The applicants have claimed excessive confidentiality as they have failed to share aggregate data for sales value, sales value and price for captive consumption, PBIT, interest and finance cost, depreciation and amortization expenses and calculation of non-injurious price and normal value.

iii. The applicants have not provided sales quantity, price and value under two separate headings, that is, domestic sales – SSI and domestic sales – other than SSI.

iv. The domestic industry has not disclosed the name of the producer whose information has been used to calculate the normal value for countries other than China.

v. While the applicants have claimed that they have not imported the product under consideration during the period of investigation, imports have been reported in Proforma IV-A which have been claimed confidential.

vi. Quantum of anti-dumping duty considered for calculation of impact has not been disclosed.

vii. The applicants have claimed the entire sentences confidential in the petition due to which the other interested parties are unable to comprehend the information submitted.

viii. The domestic industry has not provided details of funds raised in the application.

ix. The domestic industry has claimed excessive confidentiality by not providing: (i) import data, (ii) Technical Specifications, (iii) Sales Capacity and Production of the Applicant, (iv) Actual demand in India, (v) Actual imports of the product under consideration and (vi) projected growth and evidence for establishing material retardation. Some of such information is readily available in annual report.

x. While the entire submission of the applicant is based on a claim of material retardation, the blanket confidentiality claimed with regard to project report preclude the interested parties from making comments regarding the correctness and validity of projections.

xi. Information with regard to shutdowns cannot be claimed confidential in entirety, as the same is available publicly.

xii. The Authority should disclose the detailed and confidential calculations for determination of dumping margin, injury margin and cost of production, as confidentiality cannot be claimed from the party that has submitted the information. Further, the exporters are not clear as to which information is used for such calculation.

xiii. Details of imports made by Reliance and Finolex have not been provided in any submission.

xiv. Transaction-wise import data in the manner in which it was taken on record must be provided to all interested parties, as held by the CESTAT in Exotic Décor Pvt. Ltd and Ors. v. Designated Authority.

xv. The year in which shutdown was experienced should be provided since it is possible that the domestic industry is recovering from the losses incurred due to a shutdown. In accordance with Panel decision in EU (Footwear) China, the Authority is required to ensure that producers submit an appropriate non-confidential summary of the data.

E.2. Views of the domestic industry

63. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the other interested parties.

i. The other interested parties have filed belated submissions on confidentiality.

ii. A number of foreign producers have claimed the names of traders and exporters which have exported their product to India confidential.

iii. A number of producers / exporters have claimed excessive confidentiality as they have not disclosed the distribution and marketing channel as well as details about related companies, nature of expenses claimed as adjustment, production process and names of raw material.

iv. Product catalogue and brochure as well as list of products sold which is routinely shared with the customers have been claimed confidential.

v. A number of parties have not provided justification for confidentiality in accordance with Trade Notice 01/2013.

vi. A number of producers and exporters have claimed company affiliations, shareholding and names of producers of the product exported by them as confidential.

vii. Details and nature of post invoicing discount given has been claimed confidential.

viii. The other interested parties have not adhered to the requirement of Trade Notice 10/2018.

ix. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd. has not provided the organization chart and structure to enable the domestic industry to comment upon the involvement of Government of China in the functioning of the entity. List of shareholders, details of whether raw material and utilities have been purchased from related or unrelated entity situated in China, selection procedure for recruitment of personnels and governing laws have been claimed confidential.

x. Actual figures of production, capacity, capacity utilization, sales and market share of domestic industry as a whole may be shared by the Authority.

xi. The domestic industry does not have access to DGCI&S data and hence, the same cannot be provided to other interested parties. Market intelligence data is third party information and thus, cannot be shared. A non-confidential import summary has been shared.

xii. The domestic industry has already shared technical specifications, actual capacity and production, actual demand and actual growth.

xiii. Since the present investigation is not of material retardation, there is no project report which may be shared by the domestic industry.

xiv. Details of plant shutdown contains business proprietary information and hence, cannot be shared with the other interested parties.

xv. CGPC, CGPC Polymer and Formosa have not disclosed information regarding adjustment for differences in quantities, with an intent to preclude the domestic industry from making submissions in this regard.

xvi. Parties such as Taiyo have claimed even their arguments as confidential, which severely impedes the ability of the domestic industry to provide an effective reply.

xvii. While the domestic industry does not object to sharing of confidential calculations for cost of production and dumping margin with the exporters, calculations for injury margin are based on data of domestic industry and should not be disclosed.

xviii. As opposed to the submissions made by the other interested parties, the transaction wise DGCI&S data is not available with the domestic industry. The domestic industry has relied upon market intelligence data and the non-confidential summary of the same has been provided to all the interested parties.

xix. Contrary to the submissions by the other interested parties, the domestic industry did not face abnormal shutdowns during the injury period.

E.3. Examination by Authority

64. Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

"7. Confidential Information:
(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.
(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

65. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

66. A list of all registered interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

67. With regard to the submissions that the domestic industry has not shared certain parameters, the Authority notes that certain parameters do not form part of the requirements notified vide Trade Notice No. 05/2021. With regard to the pricing information not disclosed by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has submitted that such information is business proprietary in nature and disclosure of same will adversely impact its interest in the market and provide an estimate of prices being charged and margins being retained by the applicants to other domestic

producers, exporters as well as the consumers of the product. Disclosure of such average pricing would also allow the customers to benchmark the prices being paid by them, versus the average price in the market. The Authority has hence, accepted the confidentiality claim of the domestic industry in this regard.

68. With regard to the submissions that actual figures of production, capacity, capacity utilization, sales and market share of domestic industry as a whole should have been shared, the Authority notes that the same has been shared in the disclosure statement as well as the present findings. No prejudice has been caused to the interest of any interested parties by not sharing of such information in the preliminary findings as the same was already shared by the domestic industry. In any case, an opportunity was provided to all the interested parties to comment on the same as the same was disclosed in the disclosure statement.

69. The Authority notes that the other interested parties have filed belated comments on confidentiality in the present investigation. As per the notification of initiation, any interested parties which wanted to file comments on confidentiality, the same was to be done in 7 days from date of receipt of the non-confidential submissions. However, the other interested parties have filed comments only in their written submissions. Therefore, such submissions are time barred.

70. The Authority notes that interested parties have sought disclosure of certain information, which is business proprietary in nature, or was procured from third parties and cannot be disclosed. The Authority finds good cause exists for claiming information, such as plant shutdown period, as confidential. In the same vein, injury margin, which is based on the non-injurious price, cannot be disclosed. The Authority also finds that the domestic industry has provided an appropriate non-confidential version of import data to all interested parties. In any case, the Authority has not relied upon the import data submitted by the Authority and hence, no prejudice has been caused to the interest of any interested parties in the present investigation.

71. With regard to the submission that the domestic industry has claimed confidentiality on project report and the same should be shared, the Authority notes that the present investigation is that of material injury to the domestic industry and not material retardation. The domestic industry has neither provided nor relied upon the project report. Thus, there is no confidentiality claim on the same.

72. With regard to the submissions that the details of imports by RIL and Finolex must be shared, the Authority notes that such information has not been provided by the domestic industry. Such information has been analysed by the Authority using the DGCI&S data. Since such information consists of confidential information of the other domestic producers, the same cannot be shared with the interested parties including the domestic industry.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Views of other interested parties

73. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions

i. The import data filed by the applicants in the form and manner that it was taken on record must be shared with the other interested parties.

ii. The applicants must submit and circulate updated petition for the period of investigation considered by the Authority in the initiation notification.

iii. Initiation of the present investigation is without any basis as the applicants have not presented substantive evidence to prove condition of initiation of anti-dumping duty.

iv. The applicants are taking undue advantage of anti-dumping duty as the product has been subject to anti-dumping duty for a long period of time.

v. There is a need to select a longer period of investigation as the PVC prices were low during the base year and increased significantly due to COVID-19. The prices have stabilized only in 2023.

vi. Should the Authority find it appropriate to recommend imposition of duty, a duty on the basis of weighted average rate of sampled producers should be prescribed for CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd and Yibin Haifeng Herui Co., Ltd. Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd and Tianjin Bohua Chemical Development Co. Ltd. should be treated as cooperative producer in the final findings as well.

vii. The responding producers shall separately furnish an undertaking to ensure that the landed price is not below the non-injurious price.

viii. The exporter has been listed as "CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd" in the preliminary findings whereas it should be "CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd" The exporter has already requested for such correction.

ix. There was a duty on the product for nearly 14 years, and the domestic industry has requested for duty within 2 years of expiry of the duty. The present investigation is effectively a third sunset review and hence imposition of duty would be elongated protection. The duty if recommended by the Authority should be for less than 30 months, as done in the second sunset review.

x. The Appellate Body in US – OCTG has held that continuation of duty beyond a period of five years should be an exception. It is not appropriate to impose duty on subject imports again after only a short period of time has passed.

xi. The Quality Control Order made applicable with effect from 24th June 2025 will restrict imports of product under consideration. While a number of producers from China are in process of or have filed applications for issuance of BIS license, the government is not processing the certification for them.

xii. Despite exports to multiple countries, there are hardly any instances of anti-dumping investigations by other countries on exports of the subject goods.

xiii. Ashirvad Pipes is not aware or involved or connected to any malpractice or unlawful practices with respect to import of the subject goods.

xiv. In its preliminary findings, the Authority has only concluded dumping, injury and causal link. The Authority has not examined whether imposition of provisional duties is indispensable to preclude injury during investigation process, as required in Article 7.1 of the Anti-Dumping Agreement.

xv. Preliminary Findings cannot be issued in "any" or "all" cases, but can only be issued in "appropriate cases", as required in Rule 12 of the Anti-Dumping Rules. In accordance with the observations of Supreme Court in G. M. Exports, the Anti-Dumping Agreement should be referred for understanding the cases, which are "appropriate" for imposition of duty.

xvi. The names of the exporters must be corrected as they are incorrectly mentioned in the preliminary findings.

xvii. The fixed duty should not be imposed as the users will be forced to pay this duty even if imports are at a higher price. As imports are inevitable, reference price duty should be levied, if any. Submissions on misuse of reference price mechanism is without any merit since there are effective monitoring mechanisms for the same.

xviii. Fixed quotas or duty to the extent of injury margin should be imposed, to ensure that the market is not flooded with low-priced sub-standard goods. Trigger price form of duty can be imposed, to ensure that there is no unfair gain to the domestic industry from the imposition of duty.

xix. In the dumping margin table, the name "Shin Dai-Ichi Vinyl Corporation" should be replaced with "Tokuyama Corporation", since the two companies have merged and Tokuyama is now the producer.

xx. The Authority held a pre-mature hearing as the matter is sub-judice. Epigral reserves the right to raise submissions before the Authority based on the High Court's final orders.

xxi. The petitioners have not brought forward any substantive evidence to prove the condition for initiation of the anti-dumping investigation.

xxii. The present investigation should be terminated as the Authority has not issued a finding within one year period as per Rule 17. No order of the Central Government extending the time period for the investigation has been published.

xxiii. There is no obligatory requirement for user associations to furnish information in the form of user or importer questionnaire responses. As per Rule 6(4), the Authority has the discretion to request information from interested parties through a notice, however, no such notice has been issued.

F.2. <u>Views of the domestic industry</u>

74. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions.

i. The anti-dumping duty was imposed on imports of the product under consideration for a long period as the producers in the foreign countries have consistently dumped the product in India.

ii. There is no basis of the submission that the present investigation is a third sunset review. In any case, standard for imposition of anti-dumping duty in an original investigation is higher than that in the sunset review.

iii. As opposed to the contention of the other interested parties, the Authority recommended continuation of anti-dumping duty in the previous sunset review as the domestic industry was not suffering injury. However, in the present investigation, the domestic industry has suffered material injury post expiry of the anti-dumping duty.

iv. As opposed to the submissions of the other interested parties, there has been long history of anti-dumping duty in India due to the dumping practices of the foreign producers. Since the present investigation is an original investigation, there is actual evidence of dumping, injury and causal link.

v. Contrary to the submissions of the other interested parties, QCO is meant to ensure quality of the product and not to address situation of dumping and injury to the domestic industry. Further, a number of foreign producers have already received licenses under the QCO.

vi. Instances of imposition of anti-dumping duty by other countries does not have a bearing on present investigation, where dumping and consequent injury have been established.

vii. The domestic industry has not claimed involvement of any malpractices by users in the present investigation.

viii. As opposed to the submissions by the other interested parties, the Authority has given a detailed preliminary finding on intensity of injury being suffered by the domestic industry which itself shows the need for imposition of interim anti-dumping duty.

ix. Contrary to the submissions of the other interested parties, the law does not require any special circumstances to be fulfilled prior to issuance of preliminary findings. The practice in a number of countries including the USA, Canada and European Union is to record preliminary findings as a Rule.

x. As opposed to the submissions made by the other interested parties, the Authority has issued a preliminary finding in the present investigation.

xi. Reference price duty is not appropriate in the present case as the raw material for the product under consideration is a derivative of crude which is subject to fluctuations. In case, the raw material increases, the duty will not be effective and in case, the raw material declines, the users will be penalised as they would have to pay a higher price. The Manual of Operating Practices also states that reference price duty is not appropriate for cases where raw material prices tend to fluctuate.

xii. AIPMA and OPPI have participated in the investigation, with the former claiming to represent 22,000 users. However, both the associations have not established their credentials in the investigation, to show that their members are users of the product, and that they represent the interests of majority of their members.

xiii. The Tribunal has also taken the view that parties must be required to demonstrate their credentials before the Authority.

xiv. The associations have made submissions without providing any verifiable data, making a mockery of the investigation process. At least a few members of the associations should have furnished data in the investigation.

xv. Chemplast Cuddalore is a member of Plexconcil and requested it to recall the submissions made by it, and take an action only after seeking inputs from members. In response, Plexconcil stated that it had permission to participate in the safeguard investigation, but has not confirmed it has permission to participate in the anti-dumping investigation. It is evident that some of the members are misusing the association platform for furthering self-serving purposes.

xvi. PLEXCONCIL does not have *locus standi* as an interested party in the present investigation since it is an association of exporters and not importers or users and the submissions made by such association should not be considered.

xvii. Plexconcil updates the representations made by it to various government authorities on its website, but the submissions made in the anti-dumping investigation are not listed on the website as a representation by Plexconcil. This shows that the representations made were not authorized, but has been made by a few members misusing the platform.

xviii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the hearing cannot be said to be premature as the Hon'ble High Court has not stayed the investigation. Epigral Limited is engaged in Forum Shopping as it is making the same submissions in the High Court as well as to the Authority.

xix. Contrary to the submissions of the other interested parties, the investigation has been initiated only after duly satisfying the Authority on accuracy and adequacy of the evidence provided.

F.3. <u>Examination by the Authority</u>

75. With regard to the contention that the domestic industry must share the import data, the Authority notes that the domestic industry has relied upon its market intelligence at the time of filing the application and the summary of the import data had been shared with all the interested parties. None of the interested parties have provided any cogent evidence to refute the information contained in the non-confidential version of the imports data.

76. With regard to the contention that the domestic industry is required to file updated petition based on the period of investigation decided by the Authority in the initiation notification, the Authority notes that the domestic industry has submitted and circulated updated data based on the period of investigation considered by the Authority. There is no requirement for the domestic industry to file an updated petition post initiation of investigation. A petition is filed under Rule 5 of the Anti-Dumping Rules for the purpose of initiation of anti-dumping investigation. However, once the investigation is initiated, Rule 6 becomes applicable, which does not require the domestic industry to file a petition. In any case, the updated data has been circulated to all the interested parties and hence, no prejudice has been caused to the interest of any interested party.

77. With regard to the submissions that there was no evidence for initiation of the investigation, the Authority notes that the applicants had provided prima facie evidence

of dumping, injury and causal link. Only after undertaking prima facie examination of the evidence provided and duly satisfying itself on the accuracy and adequacy of the evidence provided, the Authority initiated the present investigation. No information has been provided by other interested parties which would lead the Authority to conclude that the prima facie opinion drawn by it was erroneous.

78. The Authority notes that all producers who have filed a complete response in the present investigation have been considered as cooperative. Further, the margins determined for non-sampled producers is based on weighted average of sampled producers.

79. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that the subject goods have been subject to anti-dumping duty in various investigations. The anti-dumping duty has been recommended by the Authority on being satisfied with regard to evidence of dumping, injury and causal link. In each of the findings, the Authority has examined the relevant parameters and have come to a conclusion that the exporters have engaged in unfair trade practice of dumping causing injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty had been recommended.

80. With regard to the submission that the present investigation should be treated as a third sunset review, the Authority notes that the present investigation is an original investigation. The anti-dumping duty on imports of product under consideration expired in February 2022 and a sunset review was not conducted at that time. Further, the Authority analyses likelihood of dumping and injury in case of expiry of anti-dumping duty in a sunset review investigation even if there is no actual dumping or injury during the period of investigation. However, in the present investigation, the Authority has analysed dumping, injury and causal link.

81. With regard to the submissions that the product has been subject to anti-dumping duty for a long period of time, the Authority notes that each investigation stands on its own feet and the Authority gives recommendations in each case pursuant to an investigation as per the procedure envisaged in the law. The Authority is unable to appreciate this generic submission which is bereft of any legal basis.

82. The other interested parties have submitted that in case, anti-dumping duty is levied, the same should be for less than 30 months as done in the sunset review, and the duty should be in the form of a reference price. The Authority notes that it shall consider the tenure for which duty should be recommended and form thereof, if and when it concludes that there is a need for imposition of duty in the present case.

83. With regard to the submissions that Quality Control Order will be applicable and restrict imports into India, the Authority notes that the purpose of QCO and imposition of anti-dumping duty is different. While QCO is meant to ensure that the quality of product being sold in the domestic market is as per the standards issued and is equally applicable to

domestic producers, the purpose of anti-dumping duty is to remedy the situation of dumping and injury to the domestic industry.

84. With regard to the submissions that even though the product under consideration is being exported to multiple countries, no other country has conducted an anti-dumping investigation, the Authority notes that while investigations in other countries may indicate price discriminatory behaviour adopted by foreign producers; absence of such investigations does not mean absence of dumping in India.

85. With regards to the submissions concerning malpractices by importers or users, the Authority notes that such allegation has not been raised by any interested party including the domestic industry in the present investigation.

86. While issuing the preliminary findings, the Authority has preliminarily examined dumping, injury and causal link. The preliminary findings contained a detailed examination on these accounts. The Authority noted that the domestic industry suffered significant injury during the period of investigation due to dumping of the subject goods from the subject countries. The dumping margin and injury margin was positive and significant. The contents of the preliminary findings in itself establish sufficient justification for invoking interim measures.

87. With regard to the submissions that preliminary findings cannot be issued in "all" cases, the Authority notes that the issuance of preliminary findings is governed by Article 7 of the Anti-Dumping Agreement. The only conditions laid down in Article 7 are (a) the investigation was initiated in accordance with the Agreement, with due notice and an opportunity to defend their interests given to all interested parties, (b) there is a preliminary affirmative determination made with regard to dumping and consequent injury, (c) the imposition of measures is necessary to prevent injury being suffered during the investigation. Since all the said conditions are fulfilled in the present investigation, issuance of preliminary findings was appropriate.

88. The Authority has corrected the names of the exporters, as applicable, in the present final findings.

89. As regard the submissions that the selling price of the domestic industry has increased post the period of investigation, the Authority notes that such fact cannot be considered in isolation. Mere fluctuation in selling price is not sufficient to establish that the dumping of the subject goods in India has stopped and the domestic industry is not suffering material injury.

90. With regard to participation of user associations, the Authority notes that the members of the association have failed to furnish information in the form of user questionnaire responses or importer questionnaire responses. Further, the associations have made a number of submissions without providing any verifiable evidence. The Authority has

noted the submissions made by all user associations and have taken on record the submissions, which are backed by evidence. However, where the parties have made sweeping statements, without any supporting information to substantiate the same; the Authority has not found it appropriate to rely on such statements.

91. With regard to the submissions that a premature hearing was held in the investigation, the Authority notes that the anti-dumping investigations are time bound and as the Hon'ble High Court has not issued a stay order in the present investigation, the Authority was bound to proceed with the investigation.

92. The user associations have submitted that there is no obligation on them to provide information in form of response to users' or importers' questionnaire. The Authority notes that only those submissions which are backed up by evidence or data can be accepted by the Authority.

93. As regards the submission that the present investigation should be terminated as final findings have not been issued within a period of one year, the Authority notes that an extension of 6 months was taken by the Authority as per Rule 17 of the Anti-Dumping Rules.

Section-II

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of other interested parties

94. The other interested parties have made the following submissions with regards normal value, export price and dumping margin.

i. The dumping margin determined by the domestic industry is inflated and the actual data of the exporters must be used to determine the normal value, export price and dumping margin.

ii. China cannot be treated as a non-market economy the practice of treating China as a non-market economy was bound to expire on 11th December 2016.

iii. Appellate Body report in Fastener case against EU has provided strong justification that China PR should automatically obtain market-economy status.

iv. Following the principles of "pacta sunt servanda", India is obligated under the international law to recognize China PR as a market economy. Article 15 of China's accession protocol clearly establishes that no country can treat China PR as a non-market economy post 11th December 2016. India does not have a legal basis to do otherwise.

v. Sufficient time has not been provided to the interested parties for filing comments on sampling notification.

vi. Individual margin should be determined for Wanhua Chemical (FuJian) Co., Ltd and Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd., since the sampling procedure has been undertaken post expiry of 80 days from date of initiation. Therefore, the sampling is belated, in view of the deadline prescribed in the Manual.

vii. Even if sampling is done, Wanhua should be sampled since its high-quality ethylene-based PVC resin is exported to India at higher prices. The weighted average of presently sampled producers being applied to Wanhua would harm the stability and quality of supply channels for Indian customers. Further, the volume exported by Wanhua are comparable to the sampled producers.

viii. Tianjin must be sampled for individual margin as it has significant share in Indian market, is regular suppliers of the subject goods, and its exports are comparable to exports made by sampled exporters.

ix. Tianjin and Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd. are 100% FDI companies, unlike the sampled companies, and operate under market economy conditions. Formosa has also filed a Market Economy Treatment questionnaire.

x. The sample companies notified for China are located in North China. Yibin Haifeng Herui Co, (along with its related traders) are located in South China and operate on different costs and sales prices. Yubin Herui, Yibin Tianyuan and Yibin Tianyuan Materials must be included in the sample.

xi. As per Article 6.10.2 of the Anti-Dumping Agreement, the Authority should encourage voluntary responses.

xii. The sampling methodology relies only on export volumes and does not take into account the different types of companies or their operational conditions.

xiii. The Authority has selected only three producers from 69 participating companies, which has resulted in a skewed and unrepresentative outcome. In the investigation into imports of Jute products, the Authority selected samples from responding exporters across the highest, middle and lower bands of export volumes to India, selecting a total of 19 exporters. By contrast, in the present case, the Authority has considered the 3 largest exporters only.

xiv. Tokuyama Corporation requested extension of time for filing comments on sampling notification, but the same was denied, which has caused undue prejudice. In any case, Tokuyama filed comments requesting determination of individual margin, which were neither considered nor addresses by the Authority.

xv. The Authority has not conducted sampling for producers/exporters from USA, despite the similarity in the number of participating groups from USA and Japan. Sampling of producers from Japan and not the US, indicates discretion contrary to the obligation under Rule 17(3).

xvi. Sampling must not be undertaken as the subject goods constitute many grades, all of which are not produced by all producers.

xvii. Sampling was not undertaken in previous investigations with multiple subject countries.

xviii. In the Sunset Review Investigation of PVC from Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA, sampling was undertaken only for producers from China.

xix. In case, the Authority does not accept the request for considering Tianjin LG Bohai as part of the sampled producers, it may apply duties applicable to Tianjin Bohua Chemical Development Co. Ltd. This is necessary as the exporter maintains higher prices to India. Alternatively, the Authority may bifurcate between ethylene based producers and coal based producers for calculation of anti-dumping duty as the dumping margin for such producers are likely to be different.

xx. Since the Authority has treated Taiyo Vinyl as non-cooperative, determination of individual dumping margin for Tokuyama Corporation would not be unduly burdensome on the Authority.

xxi. Xinfa has exported the subject goods through 49 exporters to India, of which 13 have cooperated in the present investigation. It is not feasible to compel the remaining exporters to participate as they have exported only small quantities, and a requirement of participation of all is unreasonable. The landed price and export price for exports through non-cooperative exporters should not be based on facts available, but should be revised in light of available information.

xxii. Different approaches have been taken for different producers, in terms of whether the export price would be based on the price charged by producer to related exporter, or related exporter to unrelated customer.

xxiii. While Formosa Taiwan has participated in the present investigation, its related party Formosa USA has not exported to India during the period of investigation directly or indirectly and thus, has not filed a response.

xxiv. Formosa Plastics Corporation has exported a small quantity through Reliance International Limited. The exporter has intentionally not participated, despite confirming that it would cooperate, in an attempt to sabotage FPC Taiwan's third-country price. Facts available may kindly not be considered for such exports.

xxv. The data furnished by Itochu should be considered for calculation of landed value for the producers that it has sourced the product under consideration from.

xxvi. The Authority should allow Taiyo Vinyl to rectify its questionnaire responses and determine individual margin for the producer as in done in the cases of Gypsum board, Tiles, Telescopic Channel Drawer Slider and Grinding Media Balls.

xxvii. The Authority is requested to determine individual margin for Tokuyama Corporation, Taiyo Vinyl, Shin-Etsu, Kaneka, PT. Asahimas, ACG Vinythai, PT TPC Indo Plastics, TPC TPE, Westlake, Shintech and Oxy Vinyl.

xxviii. The current market price of the product under consideration are in line with existing market dynamics and do not constitute dumping.

xxix. It is important to assess the pricing based on current market realities and not historical prices.

xxx. Hanwha is not involved in the dumping of the subject goods exported during the period of investigation and the injury period.

xxxi. Hanwha is prepared for onsite verification of their data.

xxxii. The export price and landed price of the sampled producers have changed in the disclosure statement as compared to the preliminary findings. The Authority has not provided a reason for such change.

xxxiii. Imports of Korean origin should not be subject to anti-dumping duty. Even in previous anti-dumping investigation and sunset review, Korean producers were found to be not dumping in India. Domestic selling price in Korea is higher as the market is an oligopoly and domestic demand is completely met by the domestic producers. LG Chem maintains higher prices in the Indian market and the positive margins for LG Chem is only due to absence of grade wise comparison. Since LG and Hanwha maintain similar prices in domestic market and exports to India, the margins for Hanwha should be applicable to LG Chem as well.

xxxiv. As opposed to the submissions of LG Chem, the cost of production of LG Chem is higher than Hanwha as it operated at a lower capacity utilization as compared to Hanwha. This is also evident from the fact that the domestic sales of LG Chem is loss making. Therefore, the margins quantified for Hanwha cannot be applied to LG Chem.

G.2. Views of the domestic industry

95. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.

ii. The normal value for the China PR has been determined based on cost of production of [***] duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

iii. The normal value for other subject countries has been determined based on cost of production of [***] duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

iv. The applicants have made adjustments with regard to ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight in order to determine ex-factory export price.

v. The dumping margin is positive and significant.

vi. 28 producers/exporters from China and 5 producers/exporters from Japan have filed questionnaire responses as per the interested party list, which is a high number to permit individual determination.

vii. Given low volumes of exports by certain parties, it is obvious that their product profile and exports pattern is not representative of exports into India, in terms of both product profile and time period.

viii. In the past, Chinese producers who have had negligible export volumes in the period of investigation, after getting individual lower duty, flood the Indian market, such as in the case of PET resin.

ix. Global norm in sampling is to consider at most three companies:

   a. In Ceramic Tiles from India, Europe originally considered three companies and refused to extend sampling size to four companies even following aggressive representations from the company at number 4.

   b. In Wood Pulp from Canada, the MOFCOM refused to individually determine dumping margin for the company at number 3, even though the companies in the first three places were exporting almost equal volume.

   c. In Ceramic Tiles and Sanitarywares, the GCC sampled three companies while keeping a reserve of 2 companies, as is the standard of practice in the GCC.

   d. The USA considers more than two companies as 'unduly burdensome'. In the matter of Quartz Surface from India, out of 50 companies considered, investigation and determination of dumping margin was carried out only for two companies, the results of which were extended to the others.

x. Filing of questionnaire response on voluntary basis cannot be grounds to determine individual dumping margin.

xi. As opposed to the submissions made by the other interested parties, there is no timeline prescribed in law for undertaking sampling.

xii. Contrary to the submissions of the other interested parties, export of niche grade is not a ground for inclusion in sampling. Further, the cost of such product does not vary which is evident from the fact that there is no PCN in the subject matter.

xiii. Voluntary responses should not be accepted as the number of responses in the present investigation are very high.

xiv. There is no obligation on the Authority to consider types of companies and their operational conditions to undertake sampling.

xv. The other interested parties have compared the sampled producers with total number of registered interested parties and have ignored the number of exporters involved for exports from the sampled producers.

xvi. As opposed to the submissions made by the other interested parties, since the related party of Taiyo Vinyl has not participated in the present investigation, no individual duties should be granted to the said producer.

xvii. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no need to change sampling at this stage. Further, sampling is not undertaken based on the whether dumping margin for some producers is higher or lower. The statement that the exporter maintains higher prices, is merely a self-declaration as the Authority has not verified the response.

xviii. As opposed to the submissions of the other interested parties, only three producers from the USA have participated while five producers have participated from Japan.

xix. Since the Authority has undertaken sampling, request for individual determination should not be accepted.

xx. Contrary to claim of the interested parties, the response filed by a producer can be accepted only where the exporters and traders forming part of the channel of distribution cooperate with the Authority. The same is also evident from the Manual of Operating Practices. The Anti-Dumping Agreement also defines dumping as a product being introduced into the commerce of another country at less than its normal value, thereby requiring consideration of the price charged by the exporters and traders in the channel of distribution. This is also the price causing injury to the domestic industry.

xxi. The export price should be determined based on the price charged by the producer to unrelated or related producer. The price of related producer may be considered only when it shows that such exporter is merely a trading arm of the exporter.

xxii. The other interested parties have not pointed out the legal provisions under which FPC Ningbo should be considered in sampling especially when it has exported less than 0.25% of the total exports to India.

xxiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, margins quantified by the Authority in the previous investigations do not have a bearing on the margins in the present investigation. Further, any anti-competitive behaviour in the domestic market of Korea leading to higher prices cannot be considered for non-imposition of anti-dumping duty on imports into India. Since no PCN has been formed by the Authority, difference of grades cannot be considered at this stage.

xxiv. The non-cooperative producers from China have been awarded for non-cooperation by determining low duties on them. All other jurisdictions including USA, EU and Australia consider higher residual duties for non-participation.

G.3. Examination by the Authority

96. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. Responses to questionnaire response has been filed by the following producers/exporters.

a. AGC Vinythai Public Limited Company
b. Canko Marketing
c. CGPC Polymer Corporation
d. Chemdo Group Company Limited
e. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
f. China General Plastics Corporation
g. China Salt Chemical International Trading Co. Ltd.
h. Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd
i. Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd
j. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
k. Cosmoss Vu Limited
l. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.
m. Formosa Plastics Corporation
n. GCM Polymer Trading DMCC Company Limited
o. Grand Dignity
p. Grand Dignity Industrial Co. Ltd.
q. Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
r. Hanwa Corporation
s. Henan Pulite Import And Export Trade Co.,Limited
t. Inner Mongolia Chemical Industry Company Ltd.
u. Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
v. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
w. ITOCHU (Thailand) Ltd.
x. ITOCHU Corporation
y. Itochu Plastics Pte., Ltd.
z. IVICT (Singapore) Pte. Ltd
aa. Jiali Bio Group (Qingdao) Limited
bb. Joc International Technical Engineering Co., Ltd.
cc. Kaneka Corporation
dd. Kanematsu Corporation
ee. LG Chem, Ltd.
ff. Marubeni Corporation
gg. Mitsubishi Corporation
hh. Mitsui & Co., Ltd
ii. Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
jj. PT. Asahimas Chemical
kk. PTT Global Chemical Public Company Limited
ll. Qingdao Haiwan Chemical Co. Ltd.

mm. SAR Overseas Limited
nn. Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co
oo. Shandong Xinfa Import & Export Co., Ltd
pp. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
qq. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
rr. Simosa International Co. Ltd.
ss. Sojitz Asia Pte Limited
tt. Stavian Chemical JSC
uu. Sunshine International Pvt Ltd
vv. Taiyo Vinyl Corporation
ww. Texpo International Limited
xx. Thai Plastics and Chemicals Plc.
yy. Thai Polyethylene Co. Ltd
zz. Tianjin Bohua Chemical Developments
aaa. Tianjin Lg Bohai Chemical. Co. Ltd
bbb. Tokuyama Corporation
ccc. Tokuyama Sekisui Co. Ltd
ddd. Tosoh Nikkemi Corporation
eee. TS Corporation
fff. Tun Wa Industrial Co. Ltd.
ggg. United Raw Material Pte. Ltd.
hhh. Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.
iii. Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
jjj. Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd.
kkk. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd
lll. Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd
mmm. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
nnn. Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.
ooo. Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.
ppp. Yue Xiu Textiles Co., Ltd
qqq. Zhong Tai International Development (HK) Limited

97. As per the provisions of Rule 17, while the Authority shall determine individual dumping margin in respect of all those producers/exporters who have filed questionnaire responses, in a situation where a large number of producers/ exporters have filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting the response to a limited number of producers. The Rules provides as follows in this regard.

> *17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:*
>
> ***Provided** that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested*

parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned :

***Provided** further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation.*

98. In view of the large number of responses, the Authority considered sampling of producers. The same was proposed vide notification dated 28th August 2024. After receiving comments from various parties, the sampled producers were notified vide notification dated 23rd September 2024. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. The Authority notes that even though only three producers are selected within sample, the number of producers/exporters, for whom duty would be quantified, is much higher. The sampled producers constitute [***]% of the volume of cooperative producers from China and [***]% of the volume of cooperative producers from Japan.

99. With regard to the submissions that there is difference in approach with regard to sampling in case of Japan and not undertaking sampling in case of the USA, the Authority notes that in case of USA, response has been filed by only three producer groups (that is, producer and their affiliates). However, in case of Japan, response has been filed by 5 producers. Therefore, there was no cause for sampling for USA even though the Authority undertook sampling for Japan.

100. As regards the request for inclusion on the grounds that the company has supplied specialty products or the product profile forming part of the sample should be comprehensive, the Authority notes that there is no such obligation under Rule 17(3). The Authority notes that the fact of supply of a specialty grade does not justify inclusion of such company for individual determination. It is noted that post examination of all comments, the Authority has not accepted PCN in the present investigation. In a situation where adoption of a PCN methodology was not considered necessary, there can be no cause for consideration of a producer as a part of the sample based on the product type supplied. In any case, the Rules also allow the Authority to limit determination to certain product types as well.

101. Certain interested parties have contended that the Authority has undertaken individual determination of dumping margin for much larger number of producers or exporters in

the past in other investigation. However, the fact that a large number of producers were investigated in the past does not imply that the Authority is barred from resorting to sampling in the present case.

102. The Authority also does not find merit in the contention of the interested parties that there is a mandatory obligation to consider voluntary responses filed and accord an individual dumping margin to all such exporters. Rule 17(3) and its provisos make it amply clear that the Authority may limit examination to certain exporters, where necessary in the interest of timely completion of the investigation.

103. Tianjin LG Bohai has claimed that it is a 100% FDI company, and thus, cannot be equated with producers operating under non-market economy conditions. However, the Authority notes that Tianjin has not claimed market economy treatment in the present case.

104. As regards claim of Formosa that it is also a 100% FDI and has claimed market economy treatment, the Authority notes that its exports comprise less than 0.5% of the total exports by cooperative producers to India during the period of investigation. Therefore, the consideration of Formosa for individual examination would not be appropriate. Further, the basis of determination of normal value cannot form the basis for determining the sample to be considered.

105. With regard to the submissions that the Authority has not considered geographical location while undertaking sampling, the Authority notes that there is no requirement to consider geographical location of the exporters, in the determination of appropriate sample of producers to be considered.

106. With regard to the submissions that sampling is belated, the Authority notes that Rule 17(3) of the Anti-Dumping Rules allows sampling of producers / exporters. There is no deadline in the Rules for undertaking sampling of producers / exporters in an anti-dumping investigation.

107. As regards submissions that Wanhua should be sampled since it has exported higher quality and higher priced product, the Authority notes that the sample has been selected based on the volume of exports. Based on the sampling methodology, the three largest exporters to India have been selected.

108. With regard to the submissions that the sampling methodology does not take into account different types of companies or their operational conditions, the Authority notes that there is no provision in law which mandates the Authority to examine type of company or operational condition at the time of sampling.

109. With regard to submissions that extension was not provided for furnishing comments on sampling, the Authority notes that anti-dumping investigation are time bound and thus, no extension could be provided to the interested parties for offering comments on

sampling. Further, no new fact has been presented subsequently, which indicates that a different sample should have been selected for examination.

110. With regard to the submissions that only 3 producers have been selected as a sample, the Authority notes that the law does not specify the number of producers that may be selected as a sample. Sampling is done as per the facts of the investigation. Since the number of producers in the present investigation are quite high, the Authority has chosen a sample of 3 producers. Even then, there are a number of related and unrelated exporters which export the product under consideration manufactured by the sample producers.

111. In view of the foregoing, the Authority selected three producers from China PR and Japan along with their associated exporters for determining individual dumping margin, on the basis of the largest percentage of the volume of exports to India during the investigation period. The following producers were sampled by the Authority from China.
    a. Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.
    b. Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd., China PR
    c. Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co. Ltd., China PR

112. The following producers were sampled by the Authority from Japan.
    a. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, Japan
    b. Kaneka Corporation, Japan
    c. Taiyo Vinyl Corporation, Japan

113. In the preliminary findings, the response filed by Taiyo Vinyl Corporation (Taiyo Vinyl) was not accepted, on grounds of deficiencies. During the course of desk verification, the response filed by Taiyo Vinyl was examined in detail, and the exporter has demonstrated that the response filed was complete and accurate in all material respect. Accordingly, the Authority proposes to accept the response filed by Taiyo Vinyl Corporation (Taiyo Vinyl). The normal value and export price have been computed as under.

114. The Authority notes that post issuance of preliminary findings, the Authority verified the data filed by all the interested parties. Post verification of data, the landed price and export price of some of the producers / exporters have changed as compared to the preliminary findings.

115. With regard to the submission that anti-dumping duty quantified for Hanwha should be applied to LG Chem, the Authority notes that the dumping margin is determined as per the actual data provided by both the producers. Further, there is no provision in law which allows quantification of duty for one producer based on the margins quantified for the other producer.

116. As regard the market structure in Korea, the Authority notes that the other interested parties have stated that the price in Korea is lower as demand is completely met by the domestic production. However, since there is excess production in Korea as compared to

the demand in the country, in a normal market condition, the prices tend to be lower and not higher. Further, the Korean producer, LG Chem, has requested PCN wise comparison. However, the Authority notes that since no PCN has been formed in the present investigation and no evidence has been provided with regard to change in cost due to change in grade of the product, a PCN wise comparison cannot be undertaken at this stage.

117. With regard to the submissions that there is a need to consider determination of different weighted average margins for producers producing via ethylene route and carbide route, the Authority notes that such determination would not be appropriate, when the need for PCN based on production process was not demonstrated.

118. The cost of production and pricing information of the responding producers were verified during the course of the investigation. Such verified information has been considered for the purpose of the present Findings. The verified cost of production was compared with the ex-factory selling price in the home market. Where more than 80% of the sales were found to be profitable, the normal value has been determined based on average selling price in the home market. Where more than 20% of the sales were below cost, the Authority has considered the price of profitable sales in the home market. However, where the volume of profitable sales was very low, the Authority has not found it appropriate to determine normal value based on domestic selling price. In such situations, the normal value has been determined based on the cost of production of the producer, with a reasonable addition for profits and selling, general and administrative expenses.

119. The other interested parties have made submissions with regard to different approaches followed for export price determination. The Authority notes that it has consistently taken the price charged by the producer from the unaffiliated customer, for all exporters. Therefore, there is no inconsistency in the manner of export price determination.

120. With regard to the submissions that facts available should not be used due to non-cooperation of unrelated exporters, the Authority notes that in a situation where full information with regard to exports to India is not on record and when the exporter concerned has not filed questionnaire response, the Authority is not in a position to precisely determine export price and landed price for the producer concerned. It is established practice of the Authority that the Authority determines export price and landed price only when the producer and the exporters concerned have filed questionnaire responses. Since the export price from non-cooperative producers/exporters is not available, the Authority has determined net export price based on facts available.

121. With regard to the submissions that the pricing is based on current market dynamics and does not constitute dumping, the Authority notes that the dumping margin has been determined based on the responses filed by the participating producers and exporters. The Authority notes that the information filed by the producers from the subject countries shows that they have exported the product under consideration to India at prices below

their normal value. Thus, such exports to India have been made at dumped prices. Further, the dumping has been assessed for the period of investigation.

G.3.1. <u>Determination of normal value and export price for China</u>

Normal Value for China PR

122. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

123. The applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.

124. None of the sampled producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

125. While the applicants have claimed that the normal value should be determined on the basis of price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value.

126. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject countries in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume. Thus, imports into India from the market economy third country could not be considered for determination of normal value.

127. Therefore, the Authority has determined the normal value in China PR as "price payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Determination of Export Price

128. As stated above, the Authority considered the following producers and their associated exporters for the determination of individual margins.

SN	Name of the producers	Name of the associated affiliated / unaffiliated producers / exporters
1.	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	Chemdo Group Company Limited Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited Cosmoss Vu Limited Hanwha Corporation Itochu Plastics Pte Ltd Marubeni Corporation SAR Overseas Ltd Texpo International Limited Tricon Energy Ltd USA United Raw Material Pte Ltd Yue Xiu Textiles Company Limited Zhejiang Hengdian (HK) Import and Export Co. Ltd. Sunshine International Private Limited
2.	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited Cosmoss Vu Ltd Hanwha Corporation

		Marubeni Corporation SAR Overseas Ltd Stavian Chemical Joint Stock Company Sun Shine International Pvt Limited. Texpo International Limited Tricon Energy Ltd Yue Xiu Textiles Co., Ltd
3.	Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co. Ltd.	Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited Cosmoss Vu Limited Hanwha Corporation Itochu Plastics Pte.,Ltd Jiali Bio Group (Qingdao) Limited SAR Overseas Ltd Shandong Xinfa Import & Export Co., Ltd Stavian Chemical Joint Stock Company Texpo Internationai Limited Tun Wa Industrial Co,. Ltd United Raw Material Pte Ltd Yue Xiu Textiles Co.,Ltd

Export price for Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.

129. Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd. (Qingdao Haiwan) is the producer of the product under consideration and has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT through unrelated exporters. Of the total exporters involved, only the following exporters have furnished a response with respect to the export of goods produced by Qingdao Haiwan.

i. Chemdo Group Company Limited
ii. Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited
iii. Cosmoss Vu Limited
iv. Hanwha Corporation
v. Itochu Plastics Pte Ltd
vi. Marubeni Corporation
vii. SAR Overseas Ltd
viii. Sun Shine International Pvt Limited
ix. Texpo International Limited
x. Tricon Energy Ltd USA
xi. United Raw Material Pte Ltd
xii. Yue Xiu Textiles Company Limited
xiii. Zhejiang Hengdian (HK) Import and Export Co. Ltd.

130. It is noted that Zhejiang Hengdian (HK) Import and Export Co. Ltd. has not furnished a full response to the questionnaire, and has only submitted Appendix 3A. Further, some of traders who have exported subject goods to India sourced from Qingdao Haiwan have not cooperated before the Authority. The Authority has determined the export price and landed price for such exports based on the facts available. The Authority has examined the profitability statements of unrelated cooperative traders/exporters, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

131. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Qingdao Haiwan for sales to India directly, or through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, and bank charges, to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters/traders, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.

132. Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd. (Tianjiin Bohua) is the producer of the product under consideration and has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT through unrelated exporters. Of the total exporters involved, only the following exporters have furnished a response with respect to the export of goods produced by Tianjin Bohua.

i. Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited
ii. Cosmoss Vu Ltd
iii. Hanwha Corporation
iv. Marubeni Corporation
v. SAR Overseas Ltd
vi. Stavian Chemical Joint Stock Company
vii. Sun Shine International Pvt Limited.
viii. Texpo International Limited
ix. Tricon Energy Ltd
x. Yue Xiu Textiles Co., Ltd

133. It is noted that some of traders who have exported subject goods to India sourced from Tianjin Bohua have not cooperated before the Authority. The Authority has determined the export price and landed price for such exports based on the facts available. The Authority has examined the profitability statements of unrelated cooperative traders/exporters, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

134. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Tianjin Bohua for sales to India directly, or through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, and port and other related expenses to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co. Ltd.

135. Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co. Ltd. (Chiping Xinfa) is the producer of the product under consideration and has exported *** MT of the subject goods to India directly and remaining through 1 related exporter, namely Shandong Xinfa Import&Export Co., Ltd., and 49 unrelated exporters. However, of this, only the following exporters have furnished a response with respect to export of goods produced by Chiping Xinfa.

i. Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited
ii. Cosmoss Vu Limited
iii. Hanwha Corporation
iv. Itochu Plastics Pte.,Ltd
v. Jiali Bio Group (Qingdao) Limited
vi. SAR Overseas Ltd
vii. Shandong Xinfa Import & Export Co., Ltd. (related)
viii. Stavian Chemical Joint Stock Company
ix. Texpo Internationai Limited
x. Tun Wa Industrial Co., Ltd
xi. United Raw Material Pte Ltd
xii. Yue Xiu Textiles Co., Ltd
xiii. Zhejiang Hengdian (HK) Imp. & Exp. Co., Ltd.

136. It is noted that some of traders who have exported subject goods to India sourced from Chiping Xinfa have not cooperated before the Authority. The Authority has determined the export price and landed price for such exports based on the facts available. The Authority has examined the profitability statements of unrelated traders/exporters, and in cases, an unrelated cooperative exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

137. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Chiping Xinfa for sales to India directly, or through unrelated exporters. Adjustments have been made for inland transportation, port and other related expenses, and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts

available. Where the volume reported by the producer did not reconcile with the volume reported by the exporter, the landed price and export price for such volume have also been determined based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

For all other producers / exporters from China PR

138. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.2. Determination of normal value and export price for Indonesia

Normal value for Indonesia

Normal value for PT. Asahimas Chemical

139. PT. Asahimas Chemicals (Asahimas) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Asahimas has claimed price adjustments on account of commission, freight cost, insurance, warehousing cost, license fee, bank charges and credit cost. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. The normal value at ex-factory level for Asahimas has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for PT TPC Indo Plastic and Chemicals

140. PT TPC Indo Plastic and Chemicals (TPC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on price of profitable sales. TPC has claimed price adjustments on account of freight cost, insurance, bank charges and credit cost. The adjustments claimed have been

allowed after desk verification. The normal value at ex-factory level for TPC has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers / exporters in Indonesia

141. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Indonesia

Export price for PT. Asahimas Chemical

142. Asahimas has exported *** MT of the subject goods to India, through the following three unrelated exporters.

Asahimas → IVICT(Singapore) Pte. Ltd. → Unrelated customers in India
Asahimas → Itochu (Thailand) Ltd. → Unrelated customers in India
Asahimas → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

143. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by PT. Asahimas Chemical for sales to unrelated exporters. Adjustments have been made for commission, ocean freight, inland freight, insurance, license fee, bank charges, and credit cost to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for PT TPC Indo Plastic and Chemicals

144. TPC has exported *** MT of the subject goods to India directly. The price charged by TPC for sales has been considered for determination of export price. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, packing cost, commission, bank charges, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for all other producers / exporters in Indonesia

145. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.3. Determination of normal value and export price for Japan

Normal value for Japan

146. As stated above, the Authority considered the following producers and their associated exporters for the determination of individual margins.

SN.	Name of the producers	Name of the associated affiliated / unaffiliated producers / exporters
1.	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	Itochu Corporation Mitsubishi Corporation
2.	Kaneka Corporation	Itochu Corporation Kanematsu Corporation Marubeni Corporation Mitsui & Co., Ltd. Mitsubishi Corporation
3.	Taiyo Vinyl Corporation	Itochu Corporation Kanematsu Corporation Marubeni Corporation Mitsubishi Corporation Mitsui & Co., Ltd. Sojitz Corporation Tokuyama Sekisui Co., Ltd.

Normal value for Kaneka Corporation

147. Kaneka Corporation (Kaneka) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Kaneka has sold the subject goods to affiliates in the domestic market, as well as under swap agreement with Tokuyama Sekisui Co., Ltd. to Sekisui Chemical. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

148. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Kaneka has claimed price adjustments on account of rebates, freight cost, storage cost, commission and credit cost. The adjustments claimed have been allowed. The normal value at ex-factory level for Kaneka is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

149. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SECL) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. However, SECL has sold the subject goods to affiliates in the domestic market, as well as under swap agreement with Tokuyama Sekisui Co., Ltd. to Sekisui Chemical. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

150. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. SECL has claimed price adjustments on account of rebates, credit notes, freight cost, insurance, handling charges, storage cost, packing cost and credit cost. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. The normal value at ex-factory level for SECL has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Taiyo Vinyl Corporation

151. Taiyo Vinyl has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. However, Taiyo Vinyl has sold the subject goods to affiliates in the domestic market, as well as under swap agreement with Tokuyama Sekisui Co. Ltd. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

152. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Taiyo Vinyl has claimed price adjustments on account of credit notes, debit notes, freight cost, storage cost, packing cost, credit cost and other expenses. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. Accordingly, the normal value at ex-factory level for Taiyo Vinyl has been determined as shown in the dumping margin table.

Normal value for all other producers / exporters in Japan

153. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Japan

Export price for Kaneka Corporation

154. Kaneka has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT, through the following five unrelated exporters.

Kaneka → Itochu Corporation → Unrelated customers in India
Kaneka → Kanematsu Corporation → Unrelated customers in India
Kaneka → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India
Kaneka → Mitsubishi Corporation → Unrelated customers in India
Kaneka → Mitsui & Co. Ltd. → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits. Where an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

155. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Kaneka for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, storage cost, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

156. SECL has exported *** MT of the subject goods through the following two unrelated exporters.

SECL → Itochu Corporation → Unrelated customers in India
SECL → Mitsubishi Corporation → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits. Where an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

157. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by SECL for sales through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, storage cost, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Taiyo Vinyl Corporation

158. Taiyo Vinyl has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT, through the following six unrelated exporters.

Taiyo Vinyl → Itochu Corporation → Unrelated customers in India
Taiyo Vinyl → Kanematsu Corporation → Unrelated customers in India
Taiyo Vinyl → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India
Taiyo Vinyl → Mitsubishi Corporation → Unrelated customers in India
Taiyo Vinyl → Mitsui & Co. Ltd. → Unrelated customers in India
Taiyo Vinyl → Sojitz Corporation → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

159. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Taiyo Vinyl for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for shipping cost, surveyor cost, ocean insurance, handling charges, demurrage and detention charges, inland freight, storage cost, packing cost, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price so determined is mentioned in the table below.

160. As regard the submissions that since Taiyo Vinyl has been considered non-cooperative, individual margin may be determined for Tokuyama Corporation, the Authority notes that it has already examined two responses from Japanese exporters. Further, the response filed by Taiyo Vinyl is has been accepted. Therefore, an individual margin cannot be determined for Tokuyama Corporation. The margin for Tokuyama Corporation would be determined based on the weighted average margin for the sampled cooperative exporters.

Export price for all other producers / exporters in Japan

161. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.4. Determination of normal value and export price in Korea RP

Normal value for Korea RP

Normal value for LG Chem Ltd.

162. LG Chem Ltd. (LG) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 20% sales were made at profits, the normal value has been determined based on cost of production with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The normal value at ex-factory level for LG has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Hanwha Solutions Corporation

163. Hanwha Solutions Corporation (HSC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined after removing loss making transactions and only profit-making transactions were considered for computation of normal value. The normal value at ex-factory level for HSC has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers / exporters in Korea RP

164. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Korea RP

Export price for LG Chem Ltd.

165. LG has exported *** MT of the subject goods directly and *** MT through the following two unrelated exporters.

LG → Canko Marketing → Unrelated customers in India
LG → TS Corporation → Unrelated customers in India

The Authority also examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

166. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by LG for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, port expenses, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The producer had also claimed adjustment towards duty drawback. However, the same has not been allowed. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Hanwha Solutions Corporation

167. Hanwha has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT, through the following four exporters.

Hanwha → Hanwha Corporation (related) → Unrelated customers in India
Hanwha → Itochu Plastics Pte. Ltd (unrelated) → Unrelated customers in India
Hanwha → NH International (unrelated) → Unrelated customers in India
Hanwha → Tricon Energy Limited (unrelated) → Unrelated customers in India

The Authority also examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

168. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by HSC for sales to unrelated customers in India and through related/unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, port & handling expenses, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of related/unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for all other producers / exporters in Korea RP

169. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.5. Determination of normal value and export price for Taiwan

Normal value for Taiwan

Normal value for China General Plastics Corporation and CGPC Polymer Corporation

170. China General Plastics Corporation (CGPC) and CGPC Polymer Corporation (CGPCP) are affiliated producers of the subject goods in Taiwan. During the period of investigation, CGPC has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. CGPCP has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. However, CGPCP has sold a small volume of goods to affiliate parties as well. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and found that the price of sales to affiliates were not materially different than the price of sales to unaffiliated parties. The Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

171. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 20% sales were made at profits by CGPC, the normal value has been determined based on cost of production, with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. Since more than 80% sales were made at profits by CGPCP, the normal value has been determined based on average selling price. CPGC and CGPCP have claimed price adjustments on account of inland freight, packing cost, bank charges and costs of technical support department. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. Thus, the weighted normal value at ex-factory level for CPGC and CGPCP has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Formosa Plastics Corporation

172. Formosa Plastics Corporation (Formosa) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Formosa has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

173. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the

normal value has been determined based on average selling price. Formosa has claimed price adjustments on account of inland freight, packing cost and credit cost. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. The normal value at ex-factory level for Formosa has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Ocean Plastics Co., Ltd.

174. Ocean Plastics Co., Ltd. (OPC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 20% sales were made at profits, the normal value has been determined based on cost, with a reasonable addition for selling, general and administrative expenses and profits. The normal value at ex-factory level for OPC has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers / exporters in Taiwan

175. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Taiwan

Export price for China General Plastics Corporation and CGPC Polymer Corporation

176. CGPC has exported *** MT of the subject goods to India, of which *** MT was exported directly, and the balance through the following 3 unrelated exporters.

CGPC → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India
CGPC → Grand Dignity Industrial Co. Ltd. → Unrelated customers in India
CGPC → Magnate Merchant Ltd. → Unrelated customers in India

Of the above, Magnate Merchant Ltd. has not cooperated with the Authority. However, the exporter constitutes an insignificant share of the total exports of CGPC. The Authority also examined and confirmed that the unrelated cooperative exporters have resold the product under consideration at profits.

177. CGPCP has exported *** MT of the subject goods to India, of which *** MT was exported directly, and the balance through the following 4 unrelated exporters.

CGPC → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India
CGPC → Grand Dignity Industrial Co. Ltd. → Unrelated customers in India
CGPC → Sun Shine International Pvt. Limited → Unrelated customers in India

CGPC → Al Kanooz Enterprise LLC → Unrelated customers in India

Of the above, Al Kanooz Enterprise LLC has not cooperated with the Authority. Further, while Tricon Energy Limited has participated, the volume reported by the exporter does not reconcile with that reported by the producer. Accordingly, the Authority has not considered the response of Tricon Energy Limited, to the extent of volume exported by CGPCP. However, the two exporters constitute an insignificant share of the total exports of CGPCP. The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

178. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by CGPC and CGPCP for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for discount, ocean freight, inland freight, insurance, port and handling charges, harbor service fee, trade promotion fee, low sulphur surcharge, packing cost, commission and bank charges to arrive at the ex-factory price. The producer has also claimed an adjustment towards differences in quantity. However, the Authority has not allowed such adjustment. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Formosa Corporation Limited

179. Formosa has exported *** MT of the subject goods to India directly, and *** MT through the following four unrelated exporters.

Formosa → Simosa International Co. Ltd. → Unrelated customers in India
Formosa → Tricon Energy Ltd → Unrelated customers in India
Formosa → Reliance International Limited → Unrelated customers in India
Formosa → Renuka Agencies Limited → Unrelated customers in India

However, of the above, Reliance International Limited and Renuka Agencies Limited have not participated with the Authority. Further, the volume reported to having been exported through Tricon Energy Ltd. was reconciled with that reported by the exporter, in desk verification. Exports through the non-cooperative exporters are insignificant in relation to the total exports by Formosa. The Authority also examined and confirmed that the cooperative unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

180. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Formosa for sales to unrelated customers in India and for exports through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, brokerage and documentation fee, harbor service fee, trade promotion fee, LC negotiation interest, packing cost, commission, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory

price. The producer has also claimed an adjustment towards differences in quantity. However, the Authority has not allowed such adjustment. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Ocean Plastics Co., Ltd.

181. OPC has exported *** MT of the subject goods to India directly during the period of investigation. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale by OPC to unrelated customers in India. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, port and other related expenses, and credit cost to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for all other producers / exporters in Taiwan

182. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.6. <u>Determination of normal value and export price for Thailand</u>

Normal value for Thailand

Normal value for AGC Vinythai Public Co., Ltd.

183. AGC Vinythai Public Co., Ltd. (AGC) sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the price of profitable sales. AGC has claimed price adjustments on account of rebates, credit notes, debit notes, inland freight, handling charges, storage cost, packing cost, bank charges and credit cost. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. The normal value at ex-factory level for AGC has mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Thai Plastics & Company Limited

184. Thai Plastics & Company Limited (TPC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. TPC has sold the subject goods to affiliates in the domestic

market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and found that the sales to affiliates were made at arm's length prices. The Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

185. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. TPC has claimed price adjustments on account of freight cost, credit cost and other expenses. The adjustments claimed have been allowed. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. The normal value at ex-factory level for TPC has mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers / exporters in Thailand

186. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Thailand

Export price for AGC Vinythai Public Co., Ltd.

187. AGC has exported *** MT of the subject goods to India during the period of investigation. Of this, *** MT has been exported directly, while the balance has been exported through the following four exporters.

AGC → Marubeni Corporation (unrelated) → Unrelated customers in India
AGC → Mitsui & Co., Ltd. (unrelated) → Unrelated customers in India
AGC → GCM Polymer Trading DMCC (related) → Unrelated customers in India
AGC → PTT Global Chemical PCL (related) → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

188. For direct sales by AGC, and sales through unrelated exporters, the export price has been determined based on the price charged by AGC for sales from the unrelated customer. However, in case of sales made by related exporter, the export price has been determined based on the price charged by the related exporter for sales to the unrelated customer. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, storage cost, packing cost, commission, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by

the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Thai Plastics & Company Limited

189. TPC has exported *** MT of the subject goods to India during the period of investigation, through its affiliated trader Thai Polyethylene Co., Ltd. (TPE). Of this, TPE has exported *** MT directly, and the balance through the following three unrelated exporters.

TPC → TPE → SAR Overseas Limited → Unrelated customers in India
TPC → TPE → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India
TPC → TPE → Tun Wa Industrial Co. Limited → Unrelated customers in India

Tun Wa Industrial Co. Limited has not cooperated with the Authority. However, exports through Tun Wa are insignificant in relation to the total exports by TPC. The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

190. For sales made by TPE directly to India, and through unrelated exporters, the export price has been determined based on the price charged by the related exporter, TPE, for sales to the unrelated customer. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, packing cost, commission, bank charges, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for all other producers / exporters in Thailand

191. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.7. <u>Determination of normal value and export price in USA</u>

<u>Normal value for USA</u>

Normal value for Oxy Vinyls, L.P.

192. Oxy Vinyls, LP (Oxy Vinyls) sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the

cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the price of profitable sales. Oxy Vinyls has claimed price adjustments on account of inland freight, storage cost, credit cost and other expenses. The adjustments claimed have been allowed. Accordingly, the normal value at ex-factory level for Oxy Vinyls has been determined as shown in the dumping margin table.

Normal value for Shintech, Inc and Shintech Louisiana LLC.

193. Shintech has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Shintech has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and found that the sales to affiliates were made at arm's length prices. The Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

194. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Shintech has claimed price adjustments on account of credit notes, inland freight, packing cost and credit cost. The adjustments claimed have been allowed. The normal value at ex-factory level for Shintech has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Westlake Chemicals & Vinyls LLC, Westlake Vinyls Company, LP and Westlake Vinyls, Inc

195. Westlake Chemicals & Vinyls LLC (Wchem), Westlake Vinyls Company, LP (Wvinc) and Westlake Vinyls, Inc (Winvy), collectively referred hereinafter as Westlake Group, sold *** MT, *** MT and *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation respectively. Westlake Group has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.

196. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. In case of Wchem and Wvinc, since less than 20% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the cost of production, with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. However, in case of Wviny, since more than 80% of the sales were

made at profits, the normal value has been determined based on the average selling price. Wviny has claimed price adjustments on account of inland freight, handling charges, year-end rebates, credit cost and other expenses. The adjustments claimed have been allowed. A weighted average normal value was determined for Westlake Group. The normal value at ex-factory level for Shintech has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers / exporters in USA

197. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for USA

Export price for Oxy Vinyls, L.P.

198. Oxy Vinyls has exported *** MT of the subject goods to India through its affiliate exporter, Oxy Vinyls Export Sales, Inc. (OVES), during the period of investigation. OVES has, in turn, exported the subject goods through the following 13 channels.

Oxy Vinyls → OVES → Continental Ind Group Inc → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → Chemex Inc
Oxy Vinyls → OVES → COPAP USA → COPAP Inc → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → COPAP USA → COPAP Europe → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → COPAP USA → COPAP Trading Inc → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → COPAP USA → Sigma Trade Finance Inc. → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → ICC Chemical Corporation
Oxy Vinyls → OVES → Marubeni America Corporation → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → Mitsubishi International PolymerTrade Corporation → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → Oxyde Chemicals, Inc → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → Tricon Dry Chemicals, LLC → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India
Oxy Vinyls → OVES → Vinmar International LLC

199. To determine the export price and landed price, the Authority considered the price at which the ultimate exporter has sold to the customer in India. The export price was adjusted appropriately to arrive at the ex-factory price. Adjustments have been made, as claimed for each channel, for debit / credit notes, ocean freight, inland freight, insurance,

storage cost, purchase discount, handling charges, commission, liability cost, courier fee, packing cost, bank charges, LC discounting charges, LC fee, discounting charges, seller risk insurance, interest expense, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. Further, the selling, general and administrative expenses and profits of the exporters / traders forming part of the channel of sales, barring OVES, have been adjusted. The Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Shintech Inc and Shintech Louisiana LLC.

200. Shintech has exported *** MT of the subject goods to India during the period of investigation, through its affiliated trader Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SECL). SECL has, in turn, exported the subject goods to India through the following 2 unrelated exporters.

Shintech → SECL → Itochu Corporation → Unrelated customers in India
Shintech → SECL → IVICT(Singapore) Pte. Ltd. → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

201. The export price has been determined based on the price charged by the related exporter, SECL, for sales to the unrelated customers. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, packing cost, bank charges and credit cost. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for Westlake Chemicals & Vinyls LLC, Westlake Vinyls Company, LP and Westlake Vinyls, Inc

202. Westlake has exported *** MT of the subject goods to India directly or indirectly through the following 12 channels.

Westlake Group → Unrelated customers in India
Westlake Group → Continental Industries → Unrelated customers in India
Westlake Group → COPAP USA → COPAP Inc → Unrelated customers in India
Westlake Group → COPAP USA → Sigma Trade Finance Inc. → Unrelated customers in India
Westlake Group → Itochu Plastics Pte Ltd. → Unrelated customers in India
Westlake Group → Marubeni America Corporation → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India
Westlake Group → Reliance International
Westlake Group → Resin Technology
Westlake Group → SAR Overseas Limited

Westlake Group → Stavian Chemical JSC → Unrelated customers in India
Westlake Group → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India
Westlake Group → Vinmar International LLC → Unrelated customers in India

Of the above, Reliance International and Resin Technology have not cooperated before the Authority. Further, while SAR Overseas Limited has cooperated with the Authority, it has not reported any exports of goods produced by Westlake Group to India. It is further noted that COPAP USA, COPAP Inc and Sigma Trade Finance Inc. are related to each other. Further, Marubeni America Corporation and Marubeni Corporation are related to each other.

203. To determine the export price and landed price, the Authority considered the price at which the ultimate exporter has sold to the customer in India. The export price was adjusted appropriate to arrive at the ex-factory price. Adjustments have been made, as claimed for each channel, for debit/credit notes, ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, storage cost, courier fee, liability amount, surveyor cost, packing cost, commission, LC discounting charges, LC fees, discounting charges, seller risk insurance, interest expense, bank charges, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. Further, the selling, general and administrative expenses and profits of the exporters / traders forming part of the channel of sales have been adjusted. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price determined is mentioned in the table below.

Export price for all other producers / exporters in USA

204. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.8. <u>Dumping margin</u>

205. Considering the normal value and export price as determined, the dumping margin determined for the subject countries is as follows:

<u>Dumping Margin Table</u>

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
A. China						
1	Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride	***	***	***	***	60-70%
2	Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.					

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
3	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	***	***	***	***	25-35%
4	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	25-35%
5	Non – Sampled Cooperative Producers	***	***	***	***	30-40%
6	Others	***	***	***	***	45-55%
B. Indonesia						
7	PT. Asahimas Chemical	***	***	***	***	5-15%
8	PT. TPC Indo Plastic and Chemicals	***	***	***	***	15-25%
9	Others	***	***	***	***	35-45%
C. Japan						
10	Kaneka Corporation	***	***	***	***	80-90%
11	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	35-45%
12	Taiyo Vinyl Corporation	***	***	***	***	40-50%
13	Non-Sampled Cooperative Producers	***	***	***	***	50-60%
14	Others	***	***	***	***	95-105%
D. Korea						
15	LG Chem, Ltd.	***	***	***	***	50-60%
16	Hanwha Solutions Corporation	***	***	(***)	(***)	(0-10)%
17	Others	***	***	***	***	60-70%
E. Taiwan						
18	China General Plastics Corporation	***	***	***	***	25-35%
19	CGPC Polymer Corporation					
20	Ocean Plastic Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40%
21	Formosa Plastic Corporation	***	***	***	***	15-25%
22	Others	***	***	***	***	65-70%
F. Thailand						
23	Thai Plastics and Chemicals Plc.	***	***	***	***	5-15%
24	AGC Vinythai Public Company limited	***	***	***	***	10-20%
25	Others	***	***	***	***	25-35%
G. USA						
26	Westlake Chemicals & Vinyls LLC	***	***	***	***	145-155%
27	Westlake Vinyls Inc.					
28	Westlake Vinyls Company LP					
29	Shintech Incorporated	***	***	***	***	60-70%
30	Shintech Louisiana L.L.C					

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
31	Oxy Vinyls, LP	***	***	***	***	105-115%
32	Others	***	***	***	***	125-135%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Views of other interested parties

206. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. There is no injury to the domestic industry, warranting imposition of duty. There must be existence of 'real injury', with substantiated evidence, for imposition of duty and not a mere 'probability'.

ii. The claims for material injury within the domestic markets are unsubstantiated, and do not reflect the effects of global market conditions on pricing and demand. The domestic industry has relied upon excess capacities in subject countries but not provided any evidence that such excess capacities would lead to continuation of injury.

iii. The subject imports cannot be cumulatively analysed since as the conditions of competition between imports as well as imports and the like article are not same. Imports from Japan are priced higher than all other imports.

iv. The import prices from China were the highest amongst all importing countries, except for Japan. The injurious effects being caused by other subject countries should be segregated.

v. The primary cause of injury to the domestic industry is the imports from China and not those from Japan, Thailand, Indonesia and USA, as admitted by Chemplast Sanmar in their Annual Report 2022-23 and noted by CRISIL in their report on Chemplast Cuddalore Vinyls Limited.

vi. The increase in demand has outweighed the increase in capacity and production of the domestic industry. The imports are being made to meet the increase in demand in the country, which cannot be catered to by the domestic producers.

vii. As noted by the Appellate Body in China – GOES, a mere increase in imports, even if significant, is not sufficient to establish evidence of volume effect. The impact of imports on domestic sales, market share or capacity utilization must be seen.

viii. While the Authority has noted that the imports have increased at a higher rate than increase in demand, it has been overlooked that the domestic industry is already operating at 90% utilization.

ix. The domestic industry might have suffered price suppression or depression because of increase in demand.

x. The price undercutting is negligible, showing that the domestic industry aligns its prices as per the price prevailing in the market.

xi. The Authority must examine price undercutting for the entire injury period and its effect on the profitability of the domestic industry.

xii. The decline in the landed price of imports from China is due to the decline in price of main raw material used for production of subject goods, and optimization of production technology to leading to energy saving.

xiii. The cost of sales of the domestic industry has declined more than its selling price in the period of investigation as compared to the previous year. In case there was any price pressure from imports, the domestic industry would have been forced to pass on the entire decline in cost to the consumers.

xiv. Prices of VCM should be compared to prices of PVC to examine whether they have experienced similar price increases.

xv. The Authority has noted that the raw material cost (VCM) has increased while the import price for the product under consideration has declined. However, evidence has been provided that the landed price of the subject goods declined in line with decline in VCM prices.

xvi. The information available publicly from chemorbis.com, a reputed foreign agency, shows that the prices of PVC in India are highest amongst other Asian countries. Information from chemorbis.com also shows that the prices of the domestic industry are much higher compared to the prices in other Asian countries.

xvii. The Authority has noted that it cannot be considered that the prices in India are highest. However, determination of prices are a function of demand-supply gap. Since there is excess supply globally, the foreign producers are exporting to India at competitive prices. The prices have declined with decline in raw material cost and not with the intention to undercut the prices of the domestic industry.

xviii. The imports and supplies of other producers (non-petitioning) are shaping the price structure of the subject goods of the domestic industry in India.

xix. The capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased during the injury period. However, no positive weightage was given to these developments in the preliminary findings, while undue weightage has been given to losses during 2022-23 and the period of investigation.

xx. The market share of the domestic industry has reduced due to absence of capacity with the domestic industry to cater to demand in India.

xxi. There has been no injury to the domestic industry in terms of number of employees, wages and productivity.

xxii. Increase in inventory could be due to poor product quality, lack of customer demand, overproduction, or internal logistical inefficiencies.

xxiii. Since there is demand-supply gap in India, the prices in India are determined by the exporters and such exporters charge high prices. Thus, the price of domestic industry has not been impacted by price of imports and any decline in profitability is on account of increase in cost.

xxiv. The significant losses faced by the domestic industry cannot be due to the imports of the product under consideration, since the domestic industry was

more profitable in 2020-21, when it was impacted by Covid-19. The decline in losses does not correlate with the decline in selling price.

xxv. The decline in interest coverage ratio of the domestic industry reflects the financial structuring and leverage of the domestic industry. High interest costs are cannot be attributed to import pricing.

xxvi. While applicants have sought duty on 7 out of 35 countries from which product under consideration is imported; it must be examined if domestic industry is even able to withstand fair competitions from other producers in India as well as imports.

xxvii. The product under consideration has been exported from many countries at comparable prices. It is not possible that all countries have been dumping. If despite receiving protection for 14 years the domestic industry is still faced with injury, the reason for injury is something inherent to the industry.

xxviii. Since all the economic parameters are showing improvement other than the profitability of the petitioners, it must be examined whether other factors are causing injury to the domestic industry.

xxix. If the domestic industry is facing injury, it is unclear as to how it may be making significant investments.

xxx. Imports from China are priced consistently higher than import prices from non-subject countries like Mexico, Norway, Brazil, Germany, Colombia, UAE, Egypt, etc. and are thus, not dumped / injurious. Imposition of duty in such a situation would result in shift of imports from subject countries to other countries.

xxxi. There is no clear evidence that indicates that imports are the sole cause for injury to the domestic industry. The Authority should examine other factors impacting profitability and causing injury to the domestic industry.

xxxii. The performance of the domestic producers is affected by internal inefficiencies, operational costs associated with capacity expansions, other market dynamic, depressed market conditions, fluctuation in price of raw material and Russia-Ukraine Conflict.

xxxiii. The reduction in profits of the domestic industry is due to increase in cost of sales over the injury period. Thus, there is no causal link between imports and injury to the domestic industry.

xxxiv. The Authority has recorded that there is no evidence of fixed price contracts of DCW. However, DCW has claimed that it has long term contracts with VCM suppliers. The losses to the domestic industry are due to lack of operational flexibility and inefficient contractual terms.

xxxv. There is no incentive for producers/exporters from China to export subject goods at lower price to capture other markets, as 90% of their production is consumed in their domestic market.

xxxvi. It is not possible that producers in the subject countries are exporting to India at prices below their cost of production, implying that cost of production in India is higher than the cost of production in other countries.

xxxvii. The selling price and cost of the domestic industry increased due to COVID situations and thereafter, has stabilized in two years till period of investigation. The same cannot be considered as price effect of imports.

xxxviii. Finolex commands a higher price for the subject goods when compared to DCM, which indicates injury to DCM is self–inflicted and not due to subject imports.

xxxix. The Authority must examine if injury to the domestic industry is on account of the captive consumption of the subject goods. In this regard, the value of costs as reported in Proforma IV-A must be seen since lower allocation of costs towards captive production may lead to inflated per unit cost of sales.

xl. It is possible that the domestic industry is recovering from the losses incurred due to a shutdown.

xli. The non-injurious price of 950-1000 USD per MT claimed by the domestic industry is exaggerated, as such non-injurious price is also higher than imports from non-subject countries.

xlii. 22% return on capital employed was designed in 1987 when the interest rates and corporate tax rates were different. Such a return is not appropriate in the current period. The CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing & othr. Vs. DA, held that adoption of 22% return on investment has coloured the injury determination. In Hyosung Corporation V. DA, the CESTAT held that a reasonable return on capital employed should have been what was earned by the domestic industry in the years where there was no allegation of dumping. Even European Commission determines reasonable returns on the basis of actual returns earned by the domestic industry during the injury period.

xliii. A return of 22% should not be allowed on capital employed because such return is being allowed even on the debt portion of capital employed and is very high in an era of global recession. A return of 22% on capital employed implies an effective profit on net worth of 27.15% to 41.41% depending upon the debt equity ratio.

xliv. The non-injurious price determined is inflated as 22% return has been considered which is incorrect as global recession does not allow such high returns and considering return on capital employed which consists of both equity and debt, the effective return on net worth is much more than 22%. Reasonable return on capital employed should be considered as that actually earned by the industry when there was no dumping in the country.

xlv. The practice in European Union, as also affirmed by the European Courts in the case of European Fertiliser Manufacturers Association V. Council, is that the profit margin considered should be based on the profit margin earned by domestic industry in the period in which the dumped or subsidized imports did not have an adverse effect on the domestic industry.

xlvi. As per Annual Reports, DCM Shriram Ltd is earning a return of 18.69%, while DCW Ltd is earning 18.09%, which should be considered for determination of non-injurious price.

xlvii. Participation of Reliance and Finolex would show better injury parameters and a reduced NIP due to their more cost-efficient structure.

xlviii. Retrospective duties should not be imposed since the submissions made by the domestic industry requesting retrospective duties lack evidence and there is no injury to the domestic industry.

xlix. The applicants have claimed that since the imports were subject to anti-dumping duty till 2022, there is history of dumping in India. However, the duties on imports from USA were continued based on likelihood and not actual dumping and injury to the domestic industry. The Authority did not continue anti-dumping duty on imports from Thailand due to lack of injury and likelihood of injury. The Authority did not initiate a second sunset review on imports from Japan, Korea, Taiwan and Thailand due to absence of dumping. Thus, it cannot be said that there is history of dumping in India.

l. The domestic industry has failed to provide evidence that the importers had the knowledge that exporters are dumping the product in India.

li. The applicants have failed to provide evidence to demonstrate massive dumping in short period of time warranting retrospective duties. The applicants have also not demonstrated that the remedial effects of anti-dumping duty would be undermined if anti-dumping duty is not levied on retrospective basis.

lii. The applicants have failed to request provisional duties which is a pre-condition of imposition of retrospective duties.

liii. There are no provisions in the Act or the Rules that empower the Authority to recommend provisional assessment of duties.

liv. The applicants have requested the Authority to collect month-wise export data of the exporters for post period of investigation. However, since the present is an original investigation, the Act or the Rules do not confer any power to review post period of investigation data.

H.2. <u>Views of the domestic industry</u>

207. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

i. The domestic industry has been suffering injury since past three years. The Authority is requested to issue early final findings.

ii. Cumulative assessment of injury is appropriate in view of the margin of dumping, volume of imports, and conditions of competition.

iii. In response to the contention that the import price from subject countries is not dumped and injurious as the price of imports from third countries is also similar, it was submitted that comparison of price of subject imports with price of non-subject imports is not appropriate to assess whether such price is dumped and injurious. The dumping margin for imports from China is positive and significant.

iv. The volume of the subject imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India as compared to the base year as well as the previous year.

v. During the period of investigation, the subject imports accounted for 93% imports into India.

vi. The volume of the subject imports has increased at a faster pace than the increase in demand in India.

vii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the Authority is not required to conduct country-to-country analysis of volume and price as pre-condition for cumulation.

viii. The fact that the import price from one country is higher than other subject countries is not a reason for de-cumulation.

ix. As opposed to the submissions by the other interested parties, the price of imports from all subject countries is in similar range and causing injury to the domestic industry.

x. The domestic industry has suffered injury as a result of increase in imports, at prices below the prices of the domestic industry, and the imports suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

xi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the imports in India are much more than the demand-supply gap. Imports in excess of demand-supply gap have increased in India.

xii. The domestic industry has been forced to compete with the low-priced subject imports, by reducing its prices to retain customers. As a result, while the imports are undercutting the prices of the domestic industry, the price undercutting is low.

xiii. The price undercutting is positive even when the domestic industry has sold at losses.

xiv. The claim that there is no price effect is illogical as the landed price is below the cost of sales of the domestic industry due to which the domestic industry has been forced to sell at losses. While the cost of sales has increased, the selling price of the domestic industry has declined.

xv. The data relied by the other interested parties for VCM prices is unreliable as the source of such data has not been disclosed. Since there is no dedicated code for VCM, prices cannot be identified based on import data. As per the actual data of DCW Limited and Chemplast Cuddalore Vinyl Limited, which import VCM, the difference between the landed price and VCM prices have declined. The prices VCM for the domestic industry is based on international prices.

xvi. As opposed to the submissions of the other interested parties, price suppression and depression are not related to demand of the product.

xvii. The imports have adversely affected inventories, profits, cash profits and return on investment of the domestic industry, as well as its ability to raise capital investment.

xviii. The Authority has already examined the volume effect of subject imports. The nature of the industry is such that it has to undertake continuous production even if it has to sell at losses. Domestic producers have long-term contracts for supplies of VCM with suppliers and shipping companies, due to the unique containers required for transportation. If a domestic producer suspends

production, they default on their contractual obligations, or face build-up of inventories of raw materials. Therefore, slowing down production is not an option for domestic producers.

xix. The domestic industry is able to utilize its capacities only as it has been selling at losses.

xx. The market share of the subject imports has increased while that of the domestic industry and Indian industry as a whole has declined.

xxi. The domestic industry has incurred financial losses during the period of investigation.

xxii. The cash profits have declined and turned into cash losses. The return on investment of the domestic industry was the lowest during the period of investigation.

xxiii. The interest coverage ratio of the domestic industry has declined over the injury period and was the lowest during the period of investigation. The domestic industry has not earned sufficient profits before interest to even cover its present interest obligations.

xxiv. There is no provision which allows comparison cost of production in subject countries and India for examination of injury. While the domestic industry does not have objection to collection of data from other domestic producers, the Authority is only required to conduct injury analysis with regard to domestic producers constituting domestic industry as per Appellate Body report in US – Anti-dumping measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan and Panel Report in European Communities — Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton-Type Bed Linen from India.

xxv. The losses to the domestic industry have increased in the period of investigation. The domestic industry was profitable when the landed price was above the cost of sales of the domestic industry.

xxvi. The other interested parties have failed to provide evidence with regard to capacity utilization in China. The capacities in China are to the tune of 25 million MT and a 10% capacity utilization is enough to cater to 73% demand in India.

xxvii. As opposed to the submissions by the other interested parties, the domestic industry is capable of competing in fair market situation which is evident that the performance of domestic industry was much better when there was no dumping in the Indian market.

xxviii. As opposed to the submissions by the other interested parties, investments made in the product are not short-term decisions. The domestic industry was not suffering injury in 2020-21 and 2021-22 and the injury to the domestic industry is recent.

xxix. Contrary to the submissions of the other interested parties, dumping has been quantified by the Authority based on the data submitted by the exporters. Thus, contention that there is no dumping is incorrect. There are no other factors which may have caused injury to the domestic industry.

xxx. Volume of imports from other countries is much less than imports from China. Since S-PVC is a commodity product, the prices from other countries are also likely to increase once dumping in India is checked.

xxxi. The other interested parties have failed to point out other potential factors which may have caused injury to the domestic industry.

xxxii. As opposed to the submissions by the other interested parties that actual injury should be seen and not probable injury to the domestic industry, the present case is not a sunset review, and the domestic industry has provided information with regard to actual injury to the domestic industry.

xxxiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the injury cannot be due to capacity expansion as only one of the applicants has expanded capacities but the other applicants have suffered losses.

xxxiv. There is no provision which allows for comparison of performance of domestic producers inter-se. There is a need to consider the operations of the company to assess injury. While DCM produces for merchant market, Finolex majorly produces for captive consumption.

xxxv. As opposed to the submissions by the other interested parties, DCW does not have fixed price contracts with the buyers. The contracts are fixed in terms of quantity and not price.

xxxvi. The injury is not on account of fluctuations in raw material costs, since such fluctuations are inherent to the nature of the industry. In the absence of dumping, increase in raw material cost would have a corresponding increase in selling price and landed price of the product.

xxxvii. Injury is not due to captive consumption, as alleged by other parties, since only one applicant captively consumed the subject goods and such captive consumption was quite low as compared to total production of subject goods.

xxxviii. As regards the contention that the claim of injury is unsubstantiated and does not reflect effects of global market conditions on pricing or demand, it was submitted that no evidence has been provided by the other interested parties with regard to global prices or demand. The Authority has already provided a preliminary finding with detailed analysis of injury to the domestic industry.

xxxix. In alleging that a return of 22% allows inordinately high return on net worth, the interested parties have assumed an unrealistic debt equity ratio. In case, the actual ratio is considered, a return of 22% allows a much lower return on net worth. The other interested parties have also ignored the fact that the applicants are required to pay a tax on the profits earned and that there are some expenses on which the return must be allowed which are considered by the Authority as non-cost expenses. The profits earned must be sufficient to cover such expenses.

xl. In case, the Authority considers the highest profits during the injury period, the same were much higher than that considered consistently by the Authority for determination of non-injurious price.

xli. Reliance on practice of European Union is inappropriate as the European Union determines non-injurious price based on total cost of production of the domestic industry, without adjusting for optimization of raw material, utilities and

production capacities. If the practice of European Union has to be adopted in determining return, it should also be adopted in considering full cost.

xlii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the return on investment of both DCM and DCW are higher than 22% in the previous years.

H.3. Examination by the Authority

208. The Authority has examined the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

209. With regard to the submissions made by Ashirvad Pipes that there should be real injury and not probable injury, the Authority notes that it has examined actual dumping, injury and causal link due to imports of subject goods from the subject countries.

210. The other interested parties have submitted that injury is unsubstantiated and does not reflect effects of global market conditions. The Authority notes that the other interested parties have failed to provide any credible evidence in this regard.

211. As regard the submission that there is no injury as the domestic industry is making investments, the Authority notes that investments are not short-term decisions. The applicant has submitted that the performance of the domestic industry was better prior to dumping when such decisions were taken. The dumping and injury to the domestic industry is recent in the present investigation.

212. The other interested parties have submitted that there is no incentive for the Chinese producers to sell at low prices as 90% of their production is consumed in the domestic market. However, the facts on record demonstrate that the Chinese producers have sold significant quantities in the domestic market. Further, the prices of such imports are low, and show dumping. The imports from other subject countries were also found to be at dumped prices. Therefore, irrespective of the volumes sold in the domestic market, it is a fact that the producers in subject countries have engaged in dumping in the Indian market.

213. With regard to the submissions that the prices from non-petitioning producers are shaping the price structure of the subject goods in India, the Authority notes that subject imports command significant market share in India. Further, the landed price of subject imports is below not only the selling price but also the cost of sales of the domestic industry. Thus, it is evident that the subject imports are influencing the prices in India. No evidence or information has been put on record, which would lead the Authority to conclude that the prices of the domestic industry are being affected by non-petitioning producers.

214. With regards to the submission that the price of subject goods is highest in India, the Authority notes that as per the data filed by the foreign producers and exporters, the

dumping margin is positive and significant. Further, the landed price of the subject imports is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. Since the producers in the subject countries are selling the product under consideration to India at prices below their normal value, it cannot be considered that the prices in India are highest.

215. As regards the submission that there is excess supply globally and the foreign producers are exporting to India at competitive prices, the Authority notes that there is a demand-supply gap in India. Even after the demand-supply gap, the domestic industry is selling the product under consideration at prices below its cost of sales due to dumping in India. Thus, the prices cannot be considered competitive. Further, the Authority has determined the dumping margin based on the responses filed by the foreign producers. Since the dumping margin is positive and significant, it cannot be considered that the imports are at fair prices.

216. With regard to the submissions that the cost of production in India is higher than other subject countries, the Authority notes the situation of the domestic industry must be seen as it exists. The Anti-Dumping Rules do not call for comparison between the cost in subject countries and that in India.

217. With regard to request for imposition of anti-dumping duty on retrospective basis, the Authority notes that there is no need for retrospective imposition of anti-dumping duty in the present investigation.

H.3.1. <u>Cumulative assessment of injury</u>

218. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
    a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
    b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

219. In the instant case, volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than the de-minimis. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of

customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.

220. With regard to the submissions that the import price from one of the subject countries was higher than other subject countries, the Authority notes that there is no requirement to assess the same for cumulation of imports. The Authority notes that in all investigations where imports from more than one country are simultaneously being assessed, the import price from one of the country will always be higher than the other. If such a comparison were to be necessary for cumulative assessment, there will be no possibility to cumulatively assess the imports in any investigation.

221. With regard to the fact that the import price from China is higher than that from the non-subject countries, the Authority notes that there is no provision which mandates comparison of import price from subject countries to that of non-subject countries. The imports from non-subject countries are de-minimis and hence, such imports cannot be considered as subject imports in the present investigation.

222. The Authority, thus, proposes to conclude that it would be appropriate to cumulate imports in the present investigation for the following reasons:-

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
b. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

H.3.2. <u>Volume effect of the dumped imports</u>

a) <u>Assessment of demand / apparent consumption</u>

223. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	MT	4,10,587	4,54,477	4,70,734	4,81,280
Trend	Indexed	100	111	115	117

Sales of other domestic producers	MT	7,75,586	7,71,140	7,94,595	7,40,996
Trend	Indexed	100	99	102	96
Subject imports	MT	10,29,546	12,51,861	19,97,000	23,23,183
Un-dumped imports (Hanwha)	MT				93,466
Other imports	MT	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
Total Demand	MT	24,92,103	25,93,601	34,10,483	37,14,880
Trend	Indexed	100	104	137	149

224. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased in India throughout the injury period and was highest during the period of investigation.

b) <u>Import Volumes from the subject countries</u>

225. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject imports	MT	10,29,546	12,51,861	19,97,000	22,29,717
China PR	MT	88,995	2,82,101	7,71,817	8,08,326
Indonesia	MT	15,839	58,524	67,425	1,14,045
Japan	MT	3,57,780	3,38,146	3,61,072	4,04,597
Korea RP	MT	2,09,254	1,93,786	1,81,813	1,58,167
Taiwan	MT	2,49,544	2,60,851	3,24,390	3,69,959
Thailand	MT	67,312	1,09,792	1,21,946	1,25,325
USA	MT	40,823	8,662	1,68,536	2,49,299
Un-dumped imports (Hanwha)					93,466
Other imports	MT	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
Total Imports	MT	13,05,930	13,67,984	21,45,155	24,92,603
Subject imports in relation to					
Production	%	76%	88%	134%	157%
Consumption	%	41%	48%	59%	60%
Total Imports	%	79%	92%	93%	93%

226. It is noted that –

i. The imports of subject goods from the subject countries have increased throughout the injury period.

ii. While the imports from the subject countries have increased, the imports from other countries have declined over the injury period.

iii. Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period. The subject imports cater to the majority of the consumption in India during the period of investigation.

iv. Further, while the volume of imports was less than the total domestic production, being only three-fourths of the latter, they are now almost 1.57 times the domestic production.

v. While the subject imports comprised of 79% imports into India during the base year, the imports from the subject countries account for almost entirety of imports during the period of investigation.

vi. The demand in India has increased by 49% in the period of investigation as compared to the base year, while the subject imports have increased by 117% over the same period. Thus, the subject imports have increased at a pace higher than the increase in demand.

227. The Authority notes that the other interested parties have submitted that while subject imports have increased more than increase in demand in India, the same is only due to lack of capacity of the domestic industry to fulfill the demand-supply gap. The Authority notes that the subject imports are in excess of the demand-supply gap in India. Further, the excess imports have increased over the injury period. Thus, such increase in imports cannot be considered to be only due to the demand-supply gap in India.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity in India	MT	14,63,500	14,77,000	15,18,667	15,27,000
Demand	MT	24,92,103	25,93,601	34,10,483	37,14,880
Demand-supply gap	MT	10,28,603	11,16,601	18,91,816	21,87,880
Imports from subject countries	MT	10,29,546	12,51,861	19,97,000	22,29,717
Un-dumped imports (Hanwha)	MT				93,466
Imports from other countries	MT	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
Excess Imports	MT	2,77,326	2,51,383	2,53,339	3,04,723

228. With regard to the submissions that mere increase in imports is not enough and there is a need to examine the impact of the same, the Authority notes that the capacity utilization and production of the domestic industry has increased over the injury period. The same is due to the nature of the production process of the domestic industry. The Authority notes that the domestic producers have long-term contracts with the suppliers of CVM and shipping companies. The applicants are bound to lift the VCM quantities on a regular basis and store the same in specialized storage spaces. Since the storage is limited, the domestic industry cannot suspend or reduce production even if it has to sell at losses. Due to this, the production and capacity utilization of the domestic industry has increased over the injury period.

229. With regard to increase in domestic sales of the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has been able to increase its sales only due to the fact that it has been selling at losses. Since S-PVC is a commodity product, the domestic industry will not be able to continue selling the product in case, it prices its product above its cost of sales as the landed price is much below the cost of sales of the domestic industry.

H.3.3. Price effect of the dumped imports

230. With regard to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

231. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries.

Particulars	Unit	Amount
Selling price	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	75,846
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	0-10%

232. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price undercutting is positive and significant. The domestic industry has been forced to reduce prices due to landed price of imports and has been selling at losses during the period of investigation. Even then, the landed is below the selling price of the domestic industry.

233. With regard to the submissions that the price undercutting should be assessed for four years, the Authority notes that such an examination is not warranted in law or as per past practice. The Authority has examined price suppression and depression for the injury period.

234. With regard to the submissions that the negligible price undercutting shows that domestic industry aligns the price of the product as per the market, the Authority notes that the subject goods are a commodity product, and all the producers of S-PVC price their

products according to the market. Since subject imports account for majority of market share in India and the landed price of subject imports is below the cost of sales of the domestic industry, the domestic industry has been forced to sell at prices below its cost of sales. Due to this, the domestic industry has incurred losses in the period of investigation.

b) Price suppression/depression

235. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	101	86
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	123	105
Landed Price	₹/MT	82,169	1,24,033	95,518	75,846
Trend	Indexed	100	151	116	92

236. The Authority notes that in 2021-22, both the cost of sales and selling price of the domestic industry increased. However, the increase in selling price was lower than increase in cost of sales. In 2022-23, the selling price and cost of sales of the domestic industry decreased, but the decline in selling price was higher. During the period of investigation, the cost of sales and selling price reduced further. The landed price of imports from the subject countries was below the cost of sales and selling price of the domestic industry during the period of investigation, forcing the domestic industry to reduce its prices, despite being below cost. As compared to the base year, while the cost of sales has increased, the selling price of the domestic industry has declined. The imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

237. The other interested parties have submitted that the price suppression/depression may be due to increase in demand. The Authority notes that price suppression/depression is an analysis of cost of sales and selling price of the domestic industry, and is not a factor of demand. However, even otherwise, it is an undisputed fact that the demand for the subject goods has increased and exceeds the capacity in the country. In such a situation, the demand-supply economics should have resulted in an increase in the prices in the market. On the contrary, the prices have declined, despite an increase in cost. Such a trend cannot be attributed to the movement in demand, which has increased at a healthy pace.

238. With regard to the submissions that the decline in landed price from China PR is due to decline in price of raw material and optimization of production technology, the Authority notes that the other interested parties have not provided any evidence with regard to decline in prices of raw material for the subject goods or changes made to technology. The Authority notes that as per the evidence on record, while the raw material prices of the domestic industry have increased over the injury period, the landed price has declined.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Landed price	₹/MT	82,169	1,24,033	95,518	75,846
Landed price	Indexed	100	151	116	92
Raw material cost	₹/MT	***	***	***	***
Raw material cost	Indexed	100	155	125	106

239. With regard to the submissions that the landed price of the product under consideration has moved in tandem with the international price of VCM, the Authority notes that as per the evidence on record, the VCM prices of the domestic industry are based on international prices. Further, VCM is imported by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited. The Authority has compared the landed price of the subject goods with price of VCM of Chemplast and DCW. It is noted that the difference between the landed price and price of VCM has declined. Thus, the Authority proposes to conclude that the landed price has declined without commensurate decline in price of VCM.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Price of VCM	₹/MT	***	***	***	***
Price of VCM	Indexed	100	157	120	101
Landed price	₹/MT	82,169	1,24,033	95,518	75,846
Landed price	Indexed	100	151	116	92
Delta	₹/MT	***	***	***	***
Delta	Indexed	100	131	103	64

240. Further, contrary to the submission of the interested parties, if the landed price would have declined only in response to decline in raw material prices, the former should not have shown dumping. However, the Authority has found that the information provided by the foreign producers itself shows dumping. In such a situation, it cannot be considered that the import prices are low, because of low raw material prices.

241. The other interested parties have submitted that the selling price and cost was impacted due to COVID and has stabilized only in the period of investigation and thus, there is no price effect. The Authority notes that there is no evidence on record which shows possible adverse impact of COVID on the cost and price of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry was profitable in the base year and 2021-22 when the

landed price of the subject goods was above the cost of sales and selling price of the domestic industry.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

242. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the prices of the domestic industry. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

243. The injury parameters have been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

244. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity	MT	4,63,500	4,77,000	5,18,667	5,27,000
Trend	Indexed	100	103	112	114
Production	MT	4,02,473	4,61,616	4,78,088	4,80,406
Trend	Indexed	100	115	119	119
Capacity Utilization	%	87%	97%	92%	91%
Trend	Indexed	100	111	106	105
Domestic Sales	MT	4,10,487	4,54,477	4,70,734	4,81,820
Trend	Indexed	100	111	115	117

245. The Authority notes that the capacity, production, domestic sales, and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period. The domestic industry has not suffered injury on this account.

246. The Authority further notes that the nature of the production process is such that the domestic industry is required to continue production even if it has to sell at losses. The domestic industry is bound by contractual obligation from the raw material supplier and shipping companies for purchase of VCM. Since VCM is stored in specialized storage tanks at cryogenic temperatures, there is limited storage for VCM available with the

applicants. Accordingly, the domestic industry has sold at losses but has continued to increase its production and capacity utilization.

b) Market share

247. The market share of the domestic industry, other domestic producers, subject imports and imports from the other countries are given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	%	16%	18%	14%	13%
Trend	Indexed	100	106	84	79
Sales of other Indian producers	%	31%	30%	23%	20%
Trend	Indexed	100	96	75	64
Subject imports	%	41%	48%	59%	60%
Trend	Indexed	100	117	142	146
Un-dumped imports (Hanwha)	%				93,466
Trend	Indexed				100
Other imports	%	11%	4%	4%	5%
Trend	Indexed	100	40	39	41

248. The Authority notes that:

i. The share of the domestic industry as well as the Indian industry as a whole has declined over the injury period.

ii. The share of imports from other countries has also declined.

iii. The share of the subject imports in demand has increased, and the subject imports account for 60% share of the market. The subject imports have taken over the market share of the Indian industry as well as imports from other countries.

c) Inventories

249. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Average Inventory	MT	8,919	4,308	6,795	8,798
Trend	Indexed	100	48	76	99

250. The Authority notes that the inventories of the domestic industry declined in 2021-22 as compared to the base year and increased thereafter in 2022-23 and the period of investigation.

251. The other interested parties have submitted that increase in inventory is due to poor quality, lack of demand, overproduction, or internal logistical inefficiencies. The Authority notes that the domestic industry has sold significant volume of subject goods in India. In case of quality issues, the domestic industry would not have been able to sell the subject goods. Further, since there is a demand-supply gap in India, there is no overproduction or lack of demand. With regard to logistical inefficiencies, there is no evidence on record regarding the same.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

252. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	123	105
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	101	86
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	116	-4	-9
Total Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	129	-5	-10
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	127	4	-1
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	% Indexed	100	91	14	14

253. The Authority notes that:

a. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. While the domestic industry was earning profits in 2020-21 and 2021-22, it has incurred financial losses in 2022-23 and the period of investigation. Further, the losses of the domestic industry have increased in the period of investigation.

b. While the sales of the domestic industry have increased, the total losses of the domestic industry have also increased. Thus, with additional volume of sales, the losses of the domestic industry are growing.

c. The cash profit has fallen significantly and to such an extent that it was in negative during the period of investigation.

d. The return on capital employed of the domestic industry has also followed the same trend. The return on capital employed has declined significantly over the injury period.

254. The other interested parties have submitted that the interest coverage ratio has declined due to increase in interest costs. The Authority notes that the interest cost of the domestic industry has actually declined over the injury period. Further, the PBIT of the domestic industry has also declined steeply over the period. Therefore, the deterioration in profitability cannot be attributed to the interest cost.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
PBIT	₹ Lakhs	***	***	***	***
PBIT	Indexed	100	121	17	12
Interest	₹ Lakhs	***	***	***	***
Interest	Indexed	100	98	76	76

e) Employment, productivity and wages

255. Employment, productivity and wages of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No of Employees	Nos	555	571	567	577
Trend	Indexed	100	103	102	104
Wages	Rs/Lacs	7,491	8,607	9,060	8,786
Trend	Indexed	100	115	121	117
Productivity per day	MT/Days	1,220	1,399	1,449	1,456
Trend	Indexed	100	115	119	119
Productivity per employee	MT/No.	725	808	843	833
Trend	Indexed	100	111	116	115

256. The Authority notes that the number of employees, wages and productivity of the domestic industry has increased over the injury period. The domestic industry has not claimed any injury on this parameter.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Production	%	-	15%	4%	0%
Domestic Sales	%	-	11%	4%	2%
Profit/Loss	%	-	16%	-104%	-109%
Cash profits	%	-	27%	-96%	-125%
Return on capital employed	%		-9%	-85%	-0.46%

257. The Authority notes that the volume parameters of the domestic industry have shown a positive growth over the injury period. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have increased in 2021-22, as compared to the base year. However, the profitability parameters of the domestic industry have shown a negative growth during 2022-23, deteriorating even further during the period of investigation.

g) Factors affecting prices

258. The price of the subject imports is lower than the selling price as well as cost of sales of the domestic industry. Such lower prices have created a strain on the prices of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below their cost, resulting in financial and cash losses. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred. Therefore, the imports are impacting the prices of the domestic industry.

259. With regard to the submissions that the prices of the domestic industry are not impacted by import price as exporters charge higher prices and determine the price in India, the Authority notes that the import price was below the cost of sales and non-injurious price of the domestic industry in the period of investigation. Further, even when the domestic industry has sold at losses, the price undercutting is positive. Thus, the selling price of the domestic industry has been adversely impacted due to dumping of subject imports in India.

h) The magnitude of dumping

260. It is noted the subject goods from the subject countries are being dumped in India and the dumping margin is positive and significant.

i) Ability to raise capital investments

261. The Authority notes that the domestic industry has incurred financial losses and cash losses in the period of investigation. The total losses of the domestic industry have increased with increase in sales of the domestic industry. The domestic industry is not earning sufficient profits to discharge its present interest costs. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

262. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject

countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

263. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

264. As regard the contention that 22% return on capital employed is unwarranted, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. The Authority notes that submissions on reckoning returns on the basis of company level returns without due consideration to the like article or benchmarking returns to one of the applicants to the exclusion of others or to certain periods, the selection of which is difficult to justify, are not sound grounds for the Authority to deviate from its established practice.

265. Some of the interested parties have contended that a return of 22% is not appropriate in light of the present economic situation, including prevailing interest rates and tax rates. The Authority notes it is the consistent practice of the Authority to allow a return of 22% on capital employed for the determination of non-injurious price. The observations of the Hon'ble CESTAT in the Bridgestone case were specific to the use of 22% ROCE in determining price underselling, not its appropriateness in computing the Non-Injurious Price (NIP). Moreover, the Bridgestone decision predates the introduction of Annexure-III to the Anti-Dumping Rules, rendering reliance on it by other interested parties unjustified. In the subsequent Merino Panel Products case, the CESTAT upheld the practice of the Authority of applying a 22% ROCE. Moreover, the Authority notes that even after consideration of a return of 22% on capital employed, the return for one of the domestic producers remains lower than the interest cost incurred by it, thereby not allowing sufficient recovery towards interest and a return on equity. In view of the same, the Authority does not find that a return of 22%

266. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
A. China						
1	Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride	***	***	***	***	15-25%
2	Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.					
3	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	***	***	***	***	5-15%
4	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20%
5	Non – Sampled Cooperative Producers	***	***	***	***	10-20%
6	Others	***	***	***	***	25-35%
B. Indonesia						
7	PT. Asahimas Chemical	***	***	***	***	0-10%
8	PT. TPC Indo Plastic and Chemicals	***	***	***	***	0-10%
9	Others	***	***	***	***	20-30%
C. Japan						
10	Kaneka Corporation	***	***	***	***	0-10%
11	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10%
12	Taiyo Vinyl Corporation	***	***	***	***	5-15%
13	Non-Sampled Cooperative Producers	***	***	***	***	0-10%
14	Others	***	***	***	***	10-20%
D. Korea						
15	LG Chem, Ltd.	***	***	***	***	0-10%
16	Hanwha Solutions Corporation	***	***	(***)	(***)	(0-10%)
17	Others	***	***	***	***	15-25%
E. Taiwan						
18	China General Plastics Corporation	***	***	***	***	0-10%
19	CGPC Polymer Corporation					
20	Ocean Plastic Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10%
21	Formosa Plastic Corporation	***	***	***	***	0-10%
22	Others	***	***	***	***	15-25%
F. Thailand						
23	Thai Plastics and Chemicals Plc.	***	***	***	***	0-10%
24	AGC Vinythai Public Company Limited	***	***	***	***	0-10%
25	Others	***	***	***	***	20-30%
G. USA						
26	Westlake Chemicals & Vinyls LLC	***	***	***	***	10-20%
27	Westlake Vinyls Inc.					
28	Westlake Vinyls Company LP					

29	Shintech Incorporated	***	***	***	***	0-10%
30	Shintech Louisiana L.L.C					
31	Oxy Vinyls, LP	***	***	***	***	15-25%
32	Others	***	***	***	***	40-50%

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CASUAL LINK

267. As per the Rules, is the Authority, inter alia, is required to be examine that any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

a. Volume and price of imports from third countries

268. The imports from countries, other than the subject countries, are not significant in volume so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand

269. It is noted that the demand for the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it is concluded that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

c. Development of Technology

270. There has been no change in technology for production of the subject goods which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

271. The Authority notes that there are no trade restrictive practices which could have caused injury to the domestic industry.

272. As regard the submission that it must be examined whether the domestic industry is capable to withstand fair competition and Finolex is selling at higher prices, the Authority notes that the performance of the domestic industry was better when there was no dumping in India. However, the dumping into the country resulted in deterioration in performance of the domestic industry. With regard to pricing strategy of Finolex, the Authority notes that the cost structures of Finolex and the applicants may be different as

the applicants produce the subject goods to sell in the merchant market while Finolex produces majorly for captive consumption.

e. Changes in pattern of consumption

273. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

f. Productivity

274. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period, with improvement in production. Thus, decline in productivity cannot be a reason for injury to the domestic industry.

g. Export Performance of the domestic industry

275. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products

276. The Authority has examined data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicants are not a possible reason for injury to the domestic industry.

i. COVID-19

277. With regard to the submissions that the losses are not due to imports as domestic industry was profitable during COVID-19 and decline in losses does not correlate to decline in selling price, the Authority notes that the losses of the domestic industry have increased in the period of investigation and have not declined. Further, none of the interested parties have provided any evidence of impact of COVID-19 on the performance of the domestic industry.

j. Factors Inherent to the domestic industry

278. With regard to the submissions that the product under consideration is being imported at comparable prices from all countries and the injury is due to other factors including inherent features of the domestic industry, internal inefficiencies, costs associated with capacity expansion and other market dynamics, the Authority notes that the imports are being dumped from all the subject countries. This is evident from the data submitted by the responding producers and exporters. Further, the product under consideration being a commodity product, the prices tend to remain in the similar range. Further, only one of the applicants has undertaken capacity expansion in the injury period. While the profitability of such applicant has declined, the other two applicants have incurred losses in the period of investigation. The domestic industry was not suffering injury when there was no dumping in India and its performance was much better. Thus, injury is due to dumping and not due to any factor inherent to the domestic industry. In any case, there

is no non-attribution analysis required to be conducted for factors inherent to the domestic industry, which have remained unchanged over the period. The injury to the domestic industry is required to be seen as it exists.

k. Captive Consumption

279. With regard to the submissions that the injury may be on account of captive consumption, the Authority notes that only one of the applicants captively consumed the subject goods. Further, such captive consumption is only ***% of the total production by the said applicant and thus, injury cannot be attributed to captive consumption. Further, over the injury period, less than 1% of the production has been used captively by the domestic industry. Thus, it cannot be considered that the domestic industry has suffered injury due to captive consumption.

l. Nature of raw material prices

280. The other interested parties have also submitted that injury is due to fluctuating nature of raw material and fixed price contracts of DCW. The Authority notes that the raw material for the subject goods is VCM which is a derivative of crude. Since the nature of crude is such that the price is fluctuating, the raw material price of the subject goods also fluctuates. However, in a normal business scenario, the selling price of the subject goods should fluctuate in accordance with the price of the raw material. The same has not been observed in the present case. As noted hereinabove, while raw material cost of the product has increased, the price of imports has declined. Further, there is no evidence of fixed price contracts of DCW on record, as alleged by other parties. As per the evidence on record and contracts submitted by the domestic industry, the contracts are fixed in terms of procurement of specific quantity of VCM over a period of time. However, the price of the raw material is not fixed as per the contract. The prices are derived by a formula which is based on international prices. Therefore, injury to the domestic industry cannot be attributed to the raw material prices.

m. Shutdown

281. With regard to the submissions that the domestic industry is suffering injury due to shut down, the Authority notes that the domestic industry did not face any abnormal shutdowns in the injury period.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1. Submissions by other interested parties

282. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The price of the product under consideration is consistently higher than the import price, due to which the downstream industry struggles to compete with imports of plastic products.

ii. Imposition of anti-dumping duty on imports of off-grade PVC Suspension will make the finished product unviable and uncompetitive compared to imported PVC flooring.

iii. Imposition of anti-dumping duty on the product under consideration will lead to huge imports of downstream product, which will destroy hundreds of downstream producers.

iv. Anti-dumping duty should not be imposed on imports of the product under consideration till India becomes self-sufficient for the product.

v. There is a significant demand-supply gap, and the applicants have not attempted to increase its capacity sufficiently to meet domestic demand despite 14 years of protection. The applicants have increased capacity only by 1,00,000 MT in the last 10 years.

vi. There is no legal basis which makes it mandatory for the Authority to levy anti-dumping duty even if there is a demand-supply gap.

vii. The imposition of the anti-dumping duty will affect the availability of goods in India and not be in the interest of the public at large.

viii. Due to inadequate domestic supply of the product and quality issue in production, there is severe shortage of the product in India. This is evident from the fact that DCW has indirectly imported in the period of investigation and directly imported post period of investigation.

ix. The expansion plans noted by the Authority are speculative and lacks commitments. Plans of IOCL to expand capacities are uncertain. Even if RIL and Adani complete their expansion as projected, it will still not offset India's supply deficit.

x. The applicants are trying to abuse the anti-dumping investigation to undertake monopolistic and anti-competitive practices and the entire investigation is to target raw material imports of Epigral, which is in competition with DCW Limited for manufacturing C-PVC.

xi. Anti-dumping duty should not be used to give undue advantage to domestic producers and create a monopoly position in the market.

xii. From the preliminary findings, it is evident that DCW and RIL plan to exclusively use in-house PVC suspension resin for C-PVC production. Imposition of duty in such a situation could lead to shortage of PVC resins for Indian pipe and fitting manufacturers/processors which would result in significant supply constraints.

xiii. Sectors such as profiles (21%), pipes (6%), calendaring (10%), sheets (16%), and wire and cables (9%) are witnessing considerable demand growth. Coupled with government projects like the Har Ghar Jal Yojna and Pradhan Mantri Krishi Sinchaayee Yojana are expected to drive the increased consumption of PVC pipes. Imposition of duty could lead to critical projects becoming economically unviable.

xiv. The imposition of duties will also impact the competitiveness of MSMEs. The additional costs would make their products unsustainable in the long run.

xv. An increase in input costs due to the duties will lead to job losses and affect and economic development of MSMEs.

xvi. Higher production costs because of the duties on key materials will lead to reduced export competitiveness.

xvii. The Authority has already imposed or in process of imposition of anti-dumping duties or Countervailing duties on several key products used by members of AIPMA and OPPI namely; PVC Suspension Resin, PVC Paste Resin, Titanium Dioxide, Plastics Processing Machines, Effect Pearlescent Pigments or Mica Pearlescent Pigments, Azo Pigments and Low-Density Polyethylene (LDPE). The imposition of duties in the present investigation will negatively impact both domestic production and job creation and stifle the sectors potential, particularly since a large number of members belong to MSME sector.

xviii. The domestic producers of PVC suspension resin have raised their prices by ₹ 14 per kg, since the initiation of investigation, due to demand supply dynamics in the market.

xix. Imposition of anti-dumping duties on PVC resin could significantly impact pharmaceutical industry as well as the common man and overall health industry.

xx. The expected impact of the imposition of these anti-dumping measures on the cost of pharmaceutical packaging is an increase of around 30-40%, which is an increase of 10% in the cost of generic medication.

xxi. Despite their large production capacity, RIL and Finolex are dependent on imports, which clearly shows that the domestic industry is unable to match market demand in terms of quality.

xxii. The imported downstream product is 15-20% cheaper than the domestic product. Imposition of anti-dumping duty will widen this gap and harm the local downstream industry which are a part of unorganized sector.

xxiii. The Authority should quantify the impact of duties based on information on record and not based on the fact that the duty in the past did not have any adverse impact on the downstream industry.

xxiv. 10-20% injury margin on 2.5 million MT imports would mean an additional burden of ₹19-38 billion of annual cost for various downstream industries.

xxv. The scenario identified by the domestic industry may not reflect the true state as the injury period coincides with COVID period in which the industry was trying to survive and remain commercially viable.

xxvi. PVC Suspension Resins constitutes a significant share in the downstream product and anti-dumping duty to the tune of 10-20% will have an impact of at least 4-8% on the finished product. The downstream industry will not be able to pass on such increased costs due to competition with imported downstream product.

xxvii. There are large number of users which are a part of MSME sector but collectively contribute immensely to the GDP of the country.

xxviii. The Government of India is in process of implementing mandatory BIS standards for the product under consideration which will lead to increase in prices of the product and adversely impact the downstream industry. The Indian government is not processing application for the BIS licenses for Chinese manufacturers. Any implementation of anti-dumping duty will further impact the users.

K.2. Submissions by the domestic industry

283. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. There will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty which is evident from the fact that there has been no adverse impact of anti-dumping duty in the past.

ii. Impact of imposition of anti-dumping duty is less than 0.1%.

iii. Since the impact of anti-dumping duty is minimal, it is likely to be borne by the downstream industry and not passed on to the users.

iv. Fair prices will be maintained in the market as there is sufficient inter se competition in India.

v. Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India.

vi. Since the subject goods are not sold under long-term contracts, the users can easily switch suppliers, if required.

vii. There are global overcapacities for the product under consideration and hence, there is abundant supply of the product in the market.

viii. There is history of dumping in India, hence, the exporters are not able to sell the product in India at fair prices.

ix. As opposed to the submissions of the other interested parties, demand-supply gap is not a ground for dumping in India or non-imposition of anti-dumping duty. Imposition of anti-dumping duty will not restrict imports into India but only ensure that such imports are made at fair price.

x. The Indian industry is expanding its capacities in order to bridge the demand-supply gap. In case, the situation does not change in India, such investments will turn unviable.

xi. As opposed to the submissions of the other interested parties, if the situation does not improve and dumping continues in India, the operations of the domestic industry may become unviable, and force the domestic industry to cease production in India. This will lead to a situation of only demand and no domestic supply in India.

xii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the requirement of Epigral during the period of investigation was only 0.23% of the Indian consumption and no industry will file an application to target such negligible volume of imports. Further, the application has been filed by three applicants and only one of the applicants is a producer of C-PVC and competing with Epigral.

xiii. As opposed to the submissions by the other interested parties, DCW Limited produces C-PVC using S-PVC and M-PVC and intends to continue the same. Even if DCW Limited uses its own S-PVC exclusively for manufacturing C-PVC, it will not create scarcity of subject goods in India.

xiv. Contrary to the submissions of the other interested parties, DCW Limited has majorly used its own grade even post period of investigation along with the product produced by foreign producers and other domestic producers. Thus, it cannot be contended that there are any quality issues in India.

xv. Economic viability of the downstream industry cannot be said to be dependent upon dumped prices of the product under consideration.

xvi. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no anti-dumping duty on imports of LDPE and no ongoing investigation on the product.

xvii. There are 22,000 members of AIPMA, all of such members may not be users of S-PVC. Some of such users may be impacted by duty on one of the products but not all the products as listed by AIPMA.

xviii. The other interested parties have not provided any evidence that the downstream industry is involved in exporting the product from India. In any case, in order to export, the downstream industry can import under advance authorisation without payment of anti-dumping duty.

xix. Contrary to the submissions of the other interested parties, increase in selling price has to be examined in light of increase in raw material cost and cost of sales.

xx. The other interested parties have not provided calculations for 30-40% impact of duties claimed by them. In any case, there was no adverse impact on the users when the prices of the product under consideration were higher in India.

xxi. As opposed to the submissions by the other interested parties, the domestic industry has operated at a high capacity utilization and has been able to sell a large part of its production. The other producers have imported to shield themselves from dumping.

xxii. As opposed to the submissions of the other interested parties, an impact of ₹ 19-38 billion is negligible in the context of the actual size of the downstream industry. According to the impact calculations given by the other interested parties, the impact is as low as ₹ 2.16 / kg.

K.3. Examination by the Authority

284. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duty is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby, fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

285. The other interested parties have submitted that the prices of the domestic industry are higher than import price, which causes a strain on the margins of the downstream industry. The Authority notes, that the prices of the domestic industry as well as landed

price of imports have declined significantly in the period of investigation. The prices were much higher in the past. Since there was no adverse impact on the performance of downstream industry in the past due to such high prices, there likely will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty.

286. With regard to the contention that imposition of anti-dumping duty will lead to monopoly and higher prices for users, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty only ensures fair prices in India and does not restrict or bans imports. The Authority has determined the dumping margin and injury margin based on the responses filed by the exporters and not as per the facts available. In such a case, imposition of anti-dumping duty will ensure fair market prices in India.

287. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that the anti-dumping duty has been imposed on imports of the product under consideration multiple times in the past, as a result of dumping of the product. The Authority has conducted detailed examination of dumping, injury and causal link and thereafter recommended imposition of anti-dumping duty. The number of measures on imports of the product under consideration shows the pricing and unfair trade practice of the producers in the subject countries.

288. With regard to the submissions that there is demand-supply gap in India, the Authority notes that demand-supply gap is not a justification for dumping in India. The Authority has determined the dumping margin based on the response filed by the foreign producers and exporters. The dumping margin is positive and significant. Further, demand-supply gap in India does not bar the Authority from recommending imposition of anti-dumping duty. The Authority further notes that the domestic industry has incurred losses due to dumping in India. If no remedy is provided to the domestic industry, the domestic industry is likely to continue to suffer and the viability of its operations would be affected. This will lead to increase in demand-supply gap.

289. With regard to the contention that the domestic industry has failed to increase capacities even though anti-dumping duty was in force, the Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty is to offset the price discriminatory behaviour of the exporters. It is not a safeguard measure, intended to facilitate adjustment by the domestic industry. While the imposition of safeguard measures presupposes that there are factors required to be addressed by the domestic industry, in order to allow it to become competitive versus the imports; there is no such presumption in case of imposition of anti-dumping duty. The duty imposed earlier was intended to counteract the injurious effects of dumping earlier by the foreign producers, and thus, achieved its intended purpose. In any case, the capacities in India have increased. The domestic industry has increased capacities even over the injury period.

290. The other interested parties have submitted that anti-dumping duty should not be imposed till India is self-sufficient in production of the subject goods. The Authority notes that

the same is not a requirement for imposition of anti-dumping duty. The Authority in the past has imposed anti-dumping duty on a number of products where there was demand-supply gap in India. Imposition of anti-dumping duty is likely to provide a level playing field to the Indian industry. In the current scenario, the total losses of the domestic industry have increased. Thus, any increase in sales and capacity expansion is likely to lead to increase in losses and no industry would be willing to invest in such a market.

291. The applicants have submitted as shown in table below that the Indian industry is expanding capacities in order to bridge the demand-supply gap in India. Since the landed price is below the cost of sales of the domestic industry, the market situation is not conducive for any investment to bridge the demand-supply gap. Thus, there is a need for imposition of anti-dumping duty in order to establish fair market situation in India.

SN	Name of producer	Capacity (MT)	Expected in
1.	Reliance Industries Limited	12,00,000	2025-26
2.	Adani Petrochemicals	10,00,000	2026-27
3.	IOCL, Paradeep	6,00,000	2027-28
4.	IOCL, Baroda	2,00,000	2027-28
5.	Total	30,00,000	

292. The other interested parties have stated that the expansion plans are only speculative. The Authority notes even if the expansion plans are speculative, there is no bar on imposition of anti-dumping duty even when there is demand-supply gap in India. The producers from the subject countries are dumping the product under consideration into India which is causing material injury to the domestic industry. Further, the product has been subject to anti-dumping duty in the past, even though there was a demand-supply gap. Since imports did not cease and there was no scarcity of the product under consideration during the last anti-dumping duty in force, there likely will be no scarcity of the product under consideration post imposition of anti-dumping duty.

293. With regard to the contention that imposition of anti-dumping duty will lead to excessive imports of downstream product, the Authority notes that there was anti-dumping duty on imports of the subject goods for a long period of time in India. During such time, the downstream industry has not suffered adversely due to imports of the downstream product. Such being the case, the downstream industry will likely not suffer due to imposition of current measures. Further, in case, the downstream product starts getting dumped in India post imposition of measures, the downstream industry is free to make an application for initiation of anti-dumping investigation.

294. With regard to the submissions that the domestic industry is abusing the trade remedial investigation, and the entire exercise is to target raw material imports of Epigral Limited, the Authority notes that the application of imposition of anti-dumping duty is filed by three domestic producers of the subject goods. Only one of the domestic producers of the

subject goods is a producer of C-PVC and is in direct competition with Epigral Limited. The other two producers do not produce C-PVC. Further, the total imports by Epigral Limited during the period of investigation were negligible in comparison to total imports into India. Thus, the present investigation cannot be construed as targeting the imports by an individual user.

295. The Authority further notes that the contention that imposition of anti-dumping duty will only ensure fair prices in India and not restrict imports into India. Epigral Limited will be able to import the subject goods from the subject countries at fair prices and thus, its profitability will not be hampered.

296. With regard to the submissions that RIL and DCW plan to captively use the subject goods, the Authority notes that there is no evidence in record which suggests the same. While DCW Limited uses the subject goods captively, the capacity of S-PVC is much more than that of C-PVC. Thus, there is nothing to indicate that DCW Limited would not supply in the domestic merchant market after imposition of anti-dumping duty.

297. As regard the submission that there are quality issues with the product produced by DCW Limited as it has imported the product under consideration post period of investigation, the Authority notes that the domestic industry has submitted that DCW Limited has imported the product under consideration, procured from domestic producers and majorly used its own grade to manufacture C-PVC post the period of investigation. Since the major consumption of DCW Limited remains its own grade, the Authority proposes to conclude that there are no quality issues in the subject goods manufactured by the domestic industry.

298. The other interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty will make the downstream industry unprofitable. The Authority notes that the user industry cannot claim its viability based on dumped prices of imports. Further, the import price during 2020-21 and 2021-22 was much higher than the period of investigation. There is no evidence on record which suggests that there was an adverse impact on the user industry at this time.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Landed price	₹/MT	82,169	1,24,033	95,518	76,156

299. With regard to the export competitiveness of the downstream industry, the Authority notes that the downstream industry has an option to import the subject goods under advance authorization without payment of anti-dumping duty. Thus, imposition of anti-dumping duty will not impact the interest of the downstream export-oriented industry.

300. There is no evidence on record to show that imposition of anti-dumping duty will lead to creation of monopoly in India. The Authority notes that there are five producers of

subject goods in India. Additionally, the subject goods are also produced in non-subject countries and can be imported from such countries without payment of anti-dumping duty.

301. One of the user associations submitted that anti-dumping duty has been levied on multiple products used as raw materials of its members. However, the Authority notes that the association has failed identify the product or downstream industry affected by multiple duties. There are more than 20,000 members of the association manufacturing different products using different raw materials. It is possible that certain raw materials used by some of the users attract duty. However, all anti-dumping duties imposed on various identified products do not impact a single downstream product produced by individual users.

302. The other interested parties have claimed that the domestic industry has increased its prices post period of investigation. However, there is no information on record to substantiate such a claim. In any case, increase in selling price cannot be examined in isolation with the change in cost of sales.

303. The Authority notes that the majority of use of the product under consideration is in manufacturing of PVC Pipes. The applicant has, accordingly, quantified the impact of anti-dumping duty on the prices of PVC pipes. It is noted that the impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry will be negligible.

304. The contention that the current scenario does not reflect correct situation as the injury period coincides with COVID period is incorrect. There was no impact of COVID-19 in the period of investigation. It is seen that the profitability parameters of the domestic industry have been adversely impacted in the period of investigation as compared to even the previous year. Thus, the present scenario reflects the extent of injury to the domestic industry.

305. With regard to the contention that BIS standards are being imposed, the Authority notes that the BIS standards are being worked out by the Government of India since a long period of time. The same have not been implemented yet. Further, implementation of BIS does not vitiate the fact that the domestic industry is suffering material injury due to dumping in India. The Authority is not the appropriate forum to examine concerns regarding any alleged delay in granting of BIS licenses.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1. Submissions by other interested parties

306. The other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

i. The request for extension of time period to conclude an anti-dumping investigation can only be made before the expiry of one year. The time limit for issuance of final findings expired on 25th March 2025, and the office memorandum is belated and illegal. The jurisdiction of the Authority to conduct anti-dumping investigation in the present matter has lapsed.

ii. The judgement issued by the Gujarat High Court is temporarily stayed by the Hon'ble Supreme Court. Hence, it remains binding on the Authority.

iii. Imports of K-57 are necessary as issues such as black particles, pin holes and other specifications are not acceptable to Pharma industry globally for their medicines. The specification sheets provided for DCW Limited shows that the specifications of K-57 offered are not as per the requirement of the users. Further, DCW Limited has not replied to the email sent by the user which shows that they are not producing the said product.

iv. While DCW Limited has the BIS License, the standard required for use in pharmaceutical product is missing. The Authority should check whether such product has been supplied to a converter which has provided the downstream product to pharmaceutical industry.

v. The user industry has tried product of Reliance Industries Limited and due to lack of quality, had to stop procurement from RIL.

vi. The present investigation is specific to subject goods used for manufacturing of PVC pipes and is not concerned with subject goods used for pharma packaging products. Thus, a use-based exemption should be provided.

vii. While the Authority has relied upon NABL lab report regarding bulk density and plasticizer absorption, parameters such as particle size distribution, porosity, gelation behaviour, and chlorination efficiency are equally important. These parameters have not been considered by the Authority at the time of comparing grade produced by DCW Limited and Formosa.

viii. The observation of the Authority that contradictory claims have been made by Epigral and Formosa with regard to particle size is incorrect. While Epigral has compared mean particle size of DCW's grade with Formosa's grade, Formosa compared its grade with normal grade of K-65 and not DCW's grade.

ix. Hanwha has used P-700 and P-1000 grades of S-PVC for manufacturing C-PVC. Such grades were exported to India and purchased by users for manufacturing cable covers and PVC pipes. S-PVC can be used for multiple application and there is no specially designated usage for production of C-PVC only.

x. The names of the interested parties have been stated wrongly in the disclosure statement, the same may be corrected.

xi. While the Authority has noted that RIL and Finolex have traded the subject goods in India and DCW has consumed the same captively, the basis of such information has not been provided. Since RIL and Finolex have not been invited to participate in the present investigation, the Authority does not have credible information in this regard.

xii. Since there is a demand-supply gap in India, the Authority should either consider price undertakings in this investigation or recommend benchmark form of duties.

xiii. The Authority should recommend anti-dumping duty in form of fixed price since there are multiple grades of the product having different packaging and pricing and a single benchmark for all grades is not appropriate. The raw material of the product is crude based and tends to fluctuate and there are challenges in compliance and enforcement of benchmark duties.

xiv. The demand-supply gap cannot be a justification for imposition of benchmark form of duty as the imports are not restricted even in case of fixed form of duties.

xv. The volume of exports by Oxy Vinyls through non-cooperative exporters, Vinnmar, Chemex and ICC, should not be taken as per the response filed by Oxy Vinyls, since that is the total volume sold to the exporters. The volume actually re-exported to India is much lower.

xvi. There is a need for correction in names of certain exporters in the channel of distribution mentioned for Oxy Vinyls.

xvii. The volume of exports by Oxy Vinyls through Copap Trading Inc. have been counted twice, as exports through Oxy Vinyls → OVES → COPAP Trading Inc. and Oxy Vinyls → OVES → COPAP USA → COPAP Trading Inc. → unrelated Indian customers

xviii. The failure of the Authority to consider the submissions filed by Oxy Vinyls in its comments to the first Disclosure Statement has deprived the exporter of its ability to defend its interests, and undermines the integrity of the investigation.

xix. While Vinmar and Chemex have filed the volume actually re-exported to India by them, ICC has filed a letter stating that they have ceased their operations with respect to PVC and therefore, they do not have access to data for the period of investigation.

xx. Oxy Vinyls had sought disclosure of the methodology for determining the export price, landed price and the trader/exporter chain considered, but did not receive a reply.

xxi. Even though the figures for landed price and export price for LG Chem have not changed between the preliminary findings, first Disclosure Statement and the second Disclosure Statement, the dumping margin has shown an increase. This is despite the fact that the normal value and cost of production has also remained unchanged between the two Disclosure Statements.

xxii. There is a decline in landed price for Taiyo Vinyl between the first and second Disclosure Statement. The landed price disclosed in the first Disclosure should be confirmed for the final findings. Reasons for decline in landed price should be disclosed to Taiyo Vinyl.

xxiii. Even though Shintech Inc and Shintech Louisiana L.L.C. have not claimed adjustment for bank charges, the Disclosure Statement shows an adjustment towards the same. No such unwarranted adjustment should be made.

xxiv. The name of Shintech Louisiana L.L.C. should be recorded in the final findings as well.

xxv. Merely because Westlake sold goods to affiliated parties in home market is not sufficient to consider that the sales were not on arm's length basis. A comparison of prices of goods sold to related and unrelated prices would show that the price of sales to related parties are reflective of market prices. The Authority was obligated to provide Westlake with ample opportunity to provide evidence in this regard.

xxvi. Despite cooperation by exporters constituting 92% of the exports to India, the Authority has applied facts available in respect of the exports through non-cooperating traders, Reliance International and Resin Technology. The same is not consistent with the Manual as the non-cooperative traders constitute less than 30% of the total volume of exports to India.

xxvii. During the period of investigation, the assets and personnels of Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd were transferred to another 100% owned subsidiary of Wanhua Chemical Group Co., Ltd., namely, Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins Co., Ltd. There has been no change in the production address, equipment, technology, production cost, asset equipment, personnel or ultimate controller. Hence, in place of Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd., Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins Co., Ltd., may be used in the final findings.

xxviii. The share of imports from Indonesia have remained low throughout the injury period. Such imports have not caused any injury to the domestic industry and thus, the present investigation should be terminated against imports from Indonesia.

xxix. DCM Shriram, in its annual reports, has shown an increase in profits post period of investigation. Thus, the domestic industry is not suffering injury due to imports.

xxx. As per the annual reports of DCM Shriram, the company is making effort to improvise the higher energy cost incurred in the Calcium Carbide Route. Hence, the injury to the domestic industry is due to the expense manufacturing route of the domestic industry.

L.2. <u>Submissions by domestic industry</u>

307. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

i. The report from a university submitted by Epigral is unreliable as the university has later confirmed that it has no testing facility to test S-PVC.

ii. The contention that C-PVC pipes are used for making potable water pipes is incorrect. The advantage of C-PVC pipe is only its ability to handle higher temperature. Thus, C-PVC pipes are only used for conveying hot water from water heater to the tap for the purpose of bathing and not for potable water. Further, such claims have not been made by pipe manufacturers but only a resin manufacturer.

iii. Epigral imports M-PVC from Formosa. The BIS license of Formosa clearly states that M-PVC is not suitable for product used in contact with foodstuff, pharmaceutical and drinking water.

iv. While the other interested parties have stated that communications have been provided to the Authority regarding K-57, the same have not been shared with the domestic industry.

v. The domestic industry has already provided evidence that it manufactures grade K-57 using ethylene route. The specification sheet of DCW Limited shows that it can manufacture both K-57 and K-60. Further, the characteristics of both the grades are similar to each other and hence, are like articles.

vi. The other interested parties have not provided specifications other than K-57 which are required for pharmaceutical purposes. Since, the domestic industry has produced and sold K-57, it has sold like article in the domestic market and there is no need for exclusion of the same.

vii. DCM Shriram has sold K-75 for medical purposes. Hence, K-57 is not the only grade used for medical purposes.

viii. While it has been noted that there is absence of trade remedial investigations on imports of the product under consideration, the European Union has recently concluded an anti-dumping investigation on imports of S-PVC from Egypt and USA and has imposed anti-dumping duty on imports into European Union.

ix. Imposition of anti-dumping duty in form of reference price duty poses a risk of evasion as the exporters tend to indulge in over-invoicing in case of reference price duties. Since the prices of the product under consideration fluctuate with fluctuation in price of crude, reference price duties are not suitable for the present investigation.

x. The domestic industry has been suffering injury for a period of 3 years. There is an urgent need for imposition of anti-dumping duty at the earliest.

xi. There is critical need for imposition of anti-dumping duty. There are no special circumstances in the present investigation which could have called for imposition of anti-dumping duty for a period less than 5 years.

L.3. <u>Examination by the Authority</u>

308. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with evidence have been considered relevant by the Authority are examined below.

309. With regard to the submissions that the office memorandum is belated and the Authority does not have the jurisdiction to conduct the present investigation, the Authority notes that the present investigation was initiated on 26th March 2024 and the timeline for

issuance of final findings was 25th March 2025. However, due to the ongoing litigation at that time, the Authority applied for an extension of time period for completion of investigation. The extension was granted by the Ministry of Finance on 25th March 2025, and the time period for completion of investigation was extended till 25th May 2025. Thereafter, another extension was sought by the Authority on 19th May 2025 and the same was granted by the Ministry of Finance on 24th May 2025, for the period upto 25th September 2025. Thus, all extensions were received by the Authority prior to expiry of the time period for completion of investigation. The findings issued in the present anti-dumping investigation is well within the jurisdiction of the Designated Authority.

310. With regard to the specification sheet of DCW Limited provided by Caprihans Limited, the Authority notes that the said specification sheet is not for the subject goods, that is, S-PVC but the same pertains to the downstream product, C-PVC. Comparison of specifications of C-PVC produced by DCW Limited with S-PVC required by Caprihans is not appropriate. The Authority has conducted detailed verification in the present investigation. S-PVC grade K-57 is produced by DCW Limited and supplied in commercial quantity in the merchant market. Such grade is produced using ethylene route and is as per the BIS standards issued by the Government of India. Since the domestic industry has produced like article in India, there is no need for exclusion of K-57 from the scope of the product under consideration.

311. As regards the quality issues raised by the other interested parties for K-57 grade produced by the domestic industry, the Authority notes that the same cannot become a ground for exclusion especially in case where the domestic industry is producing the subject goods as per the quality mandated by the BIS. Further, the Authority notes that K-57 is not only used for pharmaceutical applications but for a number of other applications as well. Conversely, even other grades of S-PVC are used for medical applications. In such a case, there is no requirement for an end use-based exemption in the present investigation.

312. As regards the submissions that the Authority has relied upon NABL test report for certain parameters for not granting exclusion, the Authority notes that the domestic industry has produced like article in India. The domestic industry has actually produced and used S-PVC for manufacturing of C-PVC in India. The actual use of captively produced S-PVC for manufacturing C-PVC shows technical and commercial substitutability of domestically manufactured product with the product under consideration imported from the subject countries. The Authority notes that Hanwha Chemical Limited, which is a Korean producer of both S-PVC and C-PVC, has also confirmed that no specialty grades of S-PVC are required for manufacturing of C-PVC. Hanwha has used its own S-PVC for production of C-PVC and has exported the same grades to India which have been consumed by producers of cables covers and PVC Pipes. In such a case, the Authority notes that there is no need for exclusion of any grade of S-PVC for production of C-PVC.

313. With regard to the submissions that Formosa has compared normal K-65 grade with its product and Epigral has compared DCW's grade with Formosa's product, the Authority notes that Formosa has contended that S-65C produced by it is technically superior to normal K-65 grade, stating that it has a higher mean particle size as compared to normal grade of K-65. Further, Epigral Limited has stated that DCW's product has a higher mean particle size than S-65C and high mean particle size can disrupt homogeneity of plasticizers during chlorination process. While the foreign producer has stated that its product is superior due to higher mean particle size, the Indian consumer has stated that high mean particle size can disrupt the chlorination process. Thus, the Authority notes that such submissions are contrary to each other. In any case, since the domestic industry has demonstrated use of its own S-PVC for production of C-PVC, the Authority notes that the domestic industry has supplied like article in India and there is no need for exclusion of any grade of S-PVC from the scope of the product under consideration. The Authority considers that only actual technical and commercial substitutability of the products are relevant to decide whether the domestic industry has produced like article. The same has been demonstrated by DCW by the fact of its own substitution.

314. Some interested parties have requested correction in their names. The Authority has appropriately considered the same and have considered corrected name in the present final findings.

315. As regard submissions by Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd regarding change in the business structure and name of the company, the Authority notes that the producer has informed the Authority regarding the stated change for the first time in response to the comments to disclosure statement, even when it has claimed that the stated change occurred in ***. The Authority considers that the claim is at a very belated stage of the present proceedings. Further, the producer has not provided any evidentiary documents substantiating that the change is limited to the transfer of assets to another company. The Authority considers that such change in the name requires adequate information and evidence, and thereafter the Authority is required to verify such information and satisfy that the same duty as has been given to present company can be extended to the other company. Hence, the Authority has not changed the name of the producer for the purpose of the present investigation. However, the producer is at a liberty to file a separate application as per Anti-Dumping Rules and Trade Notices issued by the Authority to seek appropriate changes and the same shall be considered by the Authority in accordance with the law.

316. With regard to the submissions regarding nature of activities by Reliance, Finolex and DCW, the Authority notes that detailed examination has been made in the relevant sections with regard to imports by Reliance, Finolex and procurement by DCW Limited. The Authority has noted that the subject goods purchased by DCW Limited during the period of investigation were negligible in relation to production, consumption and total imports into India. Further, the purpose of such procurement was internal consumption for production of downstream product, and DCW Limited has not shielded itself from

dumping. In such a case, DCW Limited has been considered eligible to constitute domestic industry for the purpose of the present investigation. The Authority also noted that there were significant imports by Reliance and Finolex during the period of investigation. In view of the same, the Authority found them ineligible to constitute domestic industry.

317. With regard to the form of anti-dumping duty, the Authority notes a fixed form of duty is appropriate in the present investigation as the raw material for the product under consideration is based on prices of crude oil. Since the prices of crude oil fluctuate, the prices of the product under consideration also fluctuate. The other interested parties have submitted that since there is demand-supply gap in India, benchmark form of duty should be levied. However, demand-supply gap is not a justification for benchmark form of duty especially when the prices of the product under consideration are of fluctuating nature. In such a case, fixed form of anti-dumping duty is appropriate in light of the facts of the present investigation.

318. With regard to the submissions that price undertaking should be accepted in the present investigation, the Authority notes that none of the foreign producers have furnished a price undertaking.

319. LG Chem has submitted that its margin has changed from preliminary findings to first Disclosure Statement and thereafter to the second Disclosure Statement, without any change in landed price or export price. The Authority notes that the preliminary findings were based on the cost of production, as claimed by the exporter, and the normal value based on information, with only limited examination. However, pursuant to desk verification, the cost of production and the normal value underwent a change, leading to an increase in the dumping margin. However, there is no change in the dumping margin between the first Disclosure Statement and the second Disclosure Statement. As LG Chem can note from the normal value and export price disclosed to it, the dumping margin in absolute terms has remained the same between the two Disclosure Statements. Only the range in which the same was denoted in both the disclosure has changed.

320. Taiyo Vinyl has highlighted that there is a decline in its landed price by *** USD per MT between the first and second Disclosure Statement. The Authority notes that the difference is borne out of an inadvertent calculation error at the stage for the first Disclosure Statement, which has been corrected subsequently. The contention of the party that the figures disclosed in the first Disclosure Statement must be considered for the final findings cannot be accepted, as the corrected figures for landed price were disclosed to the exporter in the Disclosure Statement, and adequate time was allowed to furnish comments concerning such revised price. Barring reliance on the previous Disclosure Statement, Taiyo Vinyl has not highlighted any inconsistency in the landed price disclosed in the second Disclosure Statement. In view of the same, the revised landed price has been adopted for the final determination.

321. Shintech has claimed that Shintech Inc and Shintech Louisiana L.L.C. have not reported any bank charges. However, as mentioned in the Disclosure Statement, the export price has been determined based on price of exports charged by the related party, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SECL). SECL has reported that it incurred bank charges in respect of exports of goods purchased by it from Shintech and exported to India through Itochu or IVICT. In view of the same, such expenses, along with other expenses incurred by SECL and the producers have been adjusted to arrive at the ex-factory export price.

322. Some interested parties have claimed that the export price and landed price for non-cooperative exporters should be determined based on DG Systems data. For instance, Oxy Vinyls has claimed that it sold the subject goods to Chemex, ICC and Vinmar, which re-sold only a part of the volume to India. It has been claimed that only the volume of imports from these parties as per DG Systems data should be considered for the determination of landed price and export price. However, once the producer has sold the subject goods to an exporter / trader, it is not possible to ascertain whether such goods have been resold to another trader or directly exported to India. The Authority notes that the DG Systems data shows exports by a large number of traders. It is not possible for the Authority to map the exports by a producer to a non-cooperative trader, into the DG Systems data, which has imports from a large number of traders. For USA alone, the DG Systems data shows imports by a large number of traders into India. It is, therefore, possible that Chemex, ICC and Vinmar re-sold the subject goods to other traders or exporters, which re-sold the subject goods to India. For instance, Chemex has confirmed that it sold *** MT for exports to India. However, DG Systems shows exports of only *** MT. Therefore, the possibility of exports through third parties cannot be ruled out. That being the case, correlation of data with DG Systems data and consideration of such volume is not a viable alternative to the questionnaire response by the concerned party. The Authority notes that it is for the parties concerned to cooperate with the Authority and provide relevant information. These parties have failed to cooperate with the Authority and have not provided relevant information.

323. Westlake has claimed that the transactions with affiliates cannot be disregarded merely because they are made to affiliates, and comparison of the price of transactions with affiliates with other parties would reveal that the prices are comparable. The Authority notes that the transactions with affiliates were, in any case, not disregarded merely on grounds of being affiliated party transactions. As noted in the Disclosure Statement, the transactions were not on arm's length basis. A comparison of the ex-factory prices as reported in the response shows below.

Producer	Affiliated parties	Unaffiliated parties	Difference
	USD/MT	USD/MT	%
Westlake Chemicals & Vinyls LLC	***	***	10-20%

Westlake Vinyls Company, LP	***	***	15-25%
Westlake Vinyls, Inc	***	***	10-20%

324. While Westlake has claimed that the prices are comparable, no evidence has been provided with respect to the same. The Authority notes that multiple opportunities were available to Westlake to provide evidence of the prices being on arm's length basis since initiation of investigation. However, no information or evidence was provided to demonstrate the same. In view of the same, the Authority finds it appropriate to confirm the observations made in the Disclosure Statement.

325. It has also been claimed that the application of best facts available in the face of non-cooperation of Reliance International and Resin Technology prejudices Westlake, despite the fact that the traders constituted only a small volume. The Authority, however, notes that facts available have been applied only to the small volume that was exported through the non-cooperative traders. The Authority has not applied facts available to the entire volume exported by Westlake. The Authority has accepted the information furnished by the cooperating parties on the volume of exports directly exported or through cooperative exporters, and constructed the export price based on facts available, only with respect to the low volume reported to be exported through non-cooperating parties.

326. Oxy Vinyls has claimed that the volume of exports through non-cooperative exporters should not be determined based on the data furnished in the response, but based on the actual exports by such exporters to India. After re-examination, the Authority has found that, it is a consistent practice of the Authority to consider data as per facts available in case of non-cooperating exporters. Accordingly, the Authority confirms the export price determined at the time of issuance of the disclosure statement and as disclosed to the respective producer.

327. Oxy Vinyls has also claimed that the volume exported through two channels, viz. (a) Oxy Vinyls → OVES → COPAP Trading Inc. and (b) Oxy Vinyls → OVES → COPAP USA → COPAP Trading Inc. → unrelated Indian customers has been counted twice. It is clarified that the channel was inadvertently mentioned twice. The volume has only been considered only once.

328. Oxy Vinyls and Westlake have also claimed that its submissions made after the first Disclosure Statement have been completely disregarded, which deprives the exporter a meaningful opportunity to defend and violates principles of natural justice. The Authority notes that it has considered all submissions made by various parties before it. Post the first Disclosure Statement, the other parties were allowed another hearing and were also allowed an opportunity to furnish written submissions and rejoinder submissions as well. Further, the Authority has issued a second Disclosure Statement and invited comments from interested parties. Such comments have also been considered and examined by the

Authority. Therefore, multiple opportunities have been provided to all parties to defend their interests. Wherever interested parties have made submissions, the same have been duly considered and examined by the Authority. The claim that the parties have been denied an opportunity to make submissions, therefore, cannot be accepted.

329. With regard to the submissions that the Authority has not disclosed the methodology for export price, landed value and the trader/exporter chain considered, the Authority notes that the normal value, export price and landed price has already been disclosed to the concerned producers. Further, the chain considered was disclosed in the disclosure statement.

330. As regard the submission that imports from Indonesia have not caused injury to the domestic industry as the volume of such imports was low during the injury period, the Authority notes that the volume of imports from Indonesia was above the de-minimis levels during the period of investigation. Further, the conditions of cumulation were met in the present investigation. Hence, there is no need to analyse injury due to imports from each subject country individually. The Authority has already concluded in the relevant section that the imports from the subject countries have caused material injury to the domestic industry.

331. With regard to the annual report of DCM Shriram, the Authority notes that the annual reports pertain to all products manufactured by the said producer, and not merely to the subject goods. The anti-dumping investigation has been conducted only for the product under consideration. Hence, reliance cannot be placed on the annual reports.

332. As regard the submissions that the injury to the domestic industry is due to higher cost of production through calcium carbide route, the Authority notes that only DCM Shriram uses calcium carbide route in India. Further, the producer has used the same route of production throughout the injury period. However, it has suffered injury only when dumping started in India. In any case, the other applicants are producing the product under consideration using ethylene route. The other applicants have also suffered material injury due to dumping in India. Thus, the injury to the domestic industry is due to dumping and not due to the production technology.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

333. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

i. The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-value above 55 and upto 77.

ii. The scope of the product under consideration excludes ultra-low k value S-PVC (K-value upto 55), Ultra-High K-Value S-PVC (k-value above 77), cross linked PVC, Chlorinated PVC, Vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAC), PVC

paste resin/emulsion resins, M-PVC and Polyvinyl Chloride Blending Resins. PVC manufactured using emulsion polymerisation, bulk mass polymerization and micro suspension polymerization process is also excluded from the scope of the product under consideration.

iii. There are no specialty grades for manufacturing of C-PVC which is evident from the fact that DCW Limited manufactured C-PVC using a number of grades of S-PVC. Further, DCW Limited has used S-PVC which captively produced, produced by other domestic producers in India, and imported S-PVC for manufacturing of C-PVC. Further, Hanwha has reported that it has used the same S-PVC for production of C-PVC as has been sold to India and has supported the contention of the domestic industry that no specialty grade of S-PVC is required for production of C-PCV. The Authority also notes that the alleged specialty grade of S-PVC have been imported and used in different applications and the volume of such imports is much higher than the volume of imports by Epigral for production of C-PVC.

iv. DCW Limited has used domestic grade (its own and purchased from other domestic producers) and imported grades for production of C-PVC interchangeably which shows that the subject goods produced by the domestic industry is commercially and technically substitutable with the imported grade. There is no justification for exclusion of any grade by treating it as a specialty grade of PVC for production of C-PVC.

v. The domestic industry has produced like article to the subject goods being imported into India. There is no justification for any other exclusions.

vi. All domestic producers in India hold BIS licenses for manufacturing S-PVC. Hence, the quality of subject goods produced by the domestic industry cannot be disputed.

vii. There are only two C-PVC manufacturers in India and only DCW Limited holds BIS license for manufacturing C-PVC. Thus, DCW Limited is able to produce C-PVC as per the BIS standard using its own, domestically produced and imported S-PVC.

viii. The domestic industry has produced and supplied K-57 in commercial volumes. Further, the K-57 supplied by the domestic industry is as per BIS Standards.

ix. There is no justification for an end-use based exclusion in the present case for medical applications.

x. Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are involved in importing the product under consideration into India in significant quantities; and, hence, have been considered ineligible to constitute domestic industry in India.

xi. DCW Limited has purchased the subject goods from traders in India during the period of investigation and has not imported the product. DCW cannot be considered as "importer" of the product within the meaning of Rule 2(b). Even if the domestic procurement is considered as imports by DCW, the quantity of such procurement is negligible in relation to total imports into India, total demand and total production in India. Thus, DCW Limited has been considered eligible to constitute domestic industry under Rule 2(b).

xii. The applicants account for a major proportion of the total domestic production, even if Finolex and Reliance are considered eligible, and constitute domestic industry as per Rule 2(b).

xiii. The user associations have participated in the present investigation, but their members have not furnished relevant information in form of response to users' questionnaire or importers' questionnaire. However, the Authority has taken on record all submissions which have been supported by evidence.

xiv. In view of participation of large number of producers and exporters from China and Japan, the Authority has undertaken sampling in the present investigation.

xv. The Authority has determined individual margins for three largest producers from both China and Japan. The margin for other non-sampled cooperative producers is based on weighted average margins of sampled producers from their respective country.

xvi. The normal value and export price of cooperative producers from other countries have been determined based on the responses filed by them.

xvii. The dumping margin determined is positive and significant.

xviii. The Authority has undertaken cumulative assessment of injury as all the conditions of cumulative assessment have been met in the present investigation.

xix. The domestic industry has suffered material injury.

a. The volume of subject imports has increased over the injury period in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India and total imports into India.

b. The price undercutting is positive and significant.

c. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented price increase, which otherwise would have occurred. While the cost of sales of the domestic industry has increased over the injury period, the selling price has declined due to decline in landed price of subject imports.

d. The domestic industry has compromised on profitability and has sold at losses during the period of investigation.

e. The capacity utilization and production of the domestic industry has increased due to the nature of the production process. As the domestic industry is bound to lift the raw material and there is limited storage, the domestic industry is required to undertake production, and thereafter sell the goods, even if it is selling at losses. Neither holding production or holding inventories is an economic option available to the domestic industry in the nature of the present product. The only option available to the domestic industry is to align its prices and sell the material.

f. The sales of the domestic industry have increased, as the domestic industry has reduced prices and has sold at prices below its cost of sales.

g. The market share of subject imports has increased, while that of the domestic industry, Indian industry as a whole and imports from non-subject countries has declined.

h. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period.

i. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

j. The prices of the domestic industry have been impacted due to subject imports which are priced below the cost of sales of the domestic industry.

k. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been severely impacted.

xx. The injury margin determined is positive and significant.

xxi. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market. No other known factor has caused injury to the domestic industry.

xxii. The injury to the domestic industry is not due to COVID-19, as the performance of the domestic industry was better during the COVID period and when there was no dumping in India.

xxiii. The present deterioration in performance cannot be attributed to features inherent to the domestic industry, alleged internal inefficiencies or costs associated with capacity expansion.

xxiv. The domestic industry has not suffered any abnormal shutdowns, which may have caused injury to the domestic industry.

xxv. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest. The Authority notes the following in this regard

a. Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry.

b. The Indian industry is undertaking capacity expansion to bridge the demand-supply gap. However, the prices in the market are not conducive for new investments.

c. The consumers in the exporting countries are purchasing the product at much higher prices, as compared to the dumped prices at which Indian importers are importing the material. Therefore, the imposition of duty would not cause a disadvantage to the user industry vis-à-vis global competitors.

d. There are 5 producers in India, and the subject goods can be imported from a number of countries. Thus, imposition of anti-dumping duty will not lead to creation of monopoly in India. In any case, the interested parties can seek a review in accordance with the provisions of the rules.

e. The investigation had not brought to light any considerations demonstrating that imposition of anti-dumping duty would not be in the public interest.

334. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

335. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below for a period of 5 years from the date of notification issued by the Ministry of Finance.

Duty Table

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904	PVC Suspension Resins*	China PR	Any country including China PR	Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd.	177	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.	177	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	122	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	134	MT	USD
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Non-Sampled Cooperative Producers, as per list below*	140	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S. No. 1 to 5	232	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	China PR	Any	232	MT	USD
8	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT. Asahimas Chemical	55	MT	USD
9	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT. TPC Indo Plastic and Chemicals	57	MT	USD
10	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than S. No. 8 and 9	204	MT	USD

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
11	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Indonesia	Any	204	MT	USD
12	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Kaneka Corporation	49	MT	USD
13	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	68	MT	USD
14	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Taiyo Vinyl Corporation	87	MT	USD
15	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Non-sampled Cooperative producers, as per list below**	66	MT	USD
16	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer, other than at S. No. 12 to 15	148	MT	USD
17	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Japan	Any	148	MT	USD
18	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	LG Chem, Ltd.	46	MT	USD
19	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	NIL	MT	USD

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
20	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer, other than at S. No. 18 and 19	169	MT	USD
21	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Korea RP	Any	169	MT	USD
22	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	China General Plastics Corporation	22	MT	USD
23	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	CGPC Polymer Corporation	22	MT	USD
24	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Ocean Plastic Co., Ltd.	57	MT	USD
25	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Formosa Plastics Corporation	47	MT	USD
26	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer, other than S. No. 22 to 25	205	MT	USD
27	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Taiwan	Any	205	MT	USD
28	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Thai Plastics and Chemicals Plc.	60	MT	USD

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
29	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	AGC Vinythai Public Company limited	78	MT	USD
30	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer, other than S. No. 28 and 29	193	MT	USD
31	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Thailand	Any	193	MT	USD
32	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Westlake Chemicals & Vinyls LLC	118	MT	USD
33	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Westlake Vinyls Inc.	118	MT	USD
34	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Westlake Vinyls Company LP	118	MT	USD
35	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Shintech Incorporated	72	MT	USD
36	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Shintech Louisiana L.L.C	72	MT	USD
37	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Oxy Vinyls, L.P.	174	MT	USD
38	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Any producer, other than S. No. 32 to 37	284	MT	USD
39	-do-	-do-	Any country other than China PR,	USA	Any	284	MT	USD

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
			Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA					

** Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerization process with K-value above 55 and upto 77*

List of non-sampled cooperative producers from China PR

SN	Non-Sampled Cooperative Producers
1.	Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd
2.	CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
3.	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.
4.	Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
5.	Inner Mongolia YIHUA Chemical Industry Co., Ltd.
6.	Inner Mongolia ERDOS Electric Power And Metallurgy Group Co. Ltd. Chlor-Alkali Chemical Branch Company
7.	Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
8.	Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
9.	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co
10.	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd.
11.	Tianjin LG Bohai Chemical. Co. Ltd
12.	Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.
13.	Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd.
14.	Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd
15.	Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd
16.	Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.
17.	Zhong Tai International Development (HK) Limited

List of non-sampled Cooperative producers from Japan

SN	Non-Sampled Cooperative Producers
1.	Tokuyama Corporation

N. FURTHER PROCEDURE

336. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.22 11:31:51 +05'30'